चतुर्दश माला, खंड 33, अंक 15

मंगलवार, 18 मार्च, 2008
28 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 18 Mar 2008

(खण्ड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 18 मार्च, 2008/28 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 264	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	265 से 280	32-109
अतारांकित प्रश्न संख्या	2533 से 2731	109-456
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) पाकिस्तान की हिरासत में एक भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह का मामला		
श्री प्रणब मुखर्जी		457
(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 तथा 2007-2008) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री शीश राम ओला		484
सभा पटल पर रखे गए पत्र		459-481
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश		481
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
28वां प्रतिवेदन		482
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
66वां प्रतिवेदन		482
उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य		484

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
पाकिस्तान की हिरासत में एक भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह को फांसी की सजा दिए जाने के बारे में	483-493
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कर्नाटक में तम्बाकू के अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रति खलिहान कोटे में वृद्धि किए जाने और तम्बाकू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	503
श्री जयराम रमेश	503
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता	
चौधरी विजेन्द्र सिंह	522
(दो) गुजरात के साबरकांठा जिले में पुलिस फायरिंग में मारे गए जनजातीय परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से राहत प्रदान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	522
(तीन) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नागौन-डिब्रूगढ़ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री दीप गोगोई	523
(चार) मध्य प्रदेश के शहरों के लिए रेल संपर्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	523
(पांच) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेस, शिलांग को सरकारी-निजी भागीदारिता के तहत संचालित किए जाने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री कीरेन रिजीजू	524

विषय	कॉलम
(छह) गुजरात में राज्य पिपला-अंकलेश्वर और कौशाम्बा-उमरपाड़ा मीटर गेज खण्डों में गेज परिवर्तन की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. बसावा	525
(सात) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सब-स्टेशन की स्थापना के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	525
(आठ) देश में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किए जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत योजनाओं को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पी. सतीदेवी	526
(नौ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में "कृषि विज्ञान केन्द्र" की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्र प्रसाद निशाद	527
(दस) उत्पादन लागत के आधार पर फार्म उत्पाद के मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	527
(ग्यारह) दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर-गोकुलपुर खण्ड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को स्वीकृत किए जाने के अलावा गोकुलपुर और मिदनापुर के बीच में कोशी नदी के ऊपर दूसरे पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	528
(बारह) तमिलनाडु में होगेनक्कल वन क्षेत्र में एक हाथी अभयारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. आर. सेनथिल	529
(तेरह) तमिलनाडु में विरुधुनगर शॉर्ट डिस्टेंस चार्ज एरिया (एसडीसीए) को दो भागों में बांटे जाने की आवश्यकता	
श्री सिप्पीपाराई रविचन्द्रन	529

विषय	कॉलम

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव	530
डा. अंबुमणि रामदास	532
प्रो. रासासिंह रावत	536
श्री के.एस. राव	541
श्रीमती मिनाती सेन	544
श्री रेवती रमन सिंह	547
श्री ब्रह्मानंद पंडा	550
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	553
श्री अधीर चौधरी	556
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	560
डा. आर. सेनथिल	564
श्री हंसराज गं. अहीर	566
डा. करण सिंह यादव	567
श्रीमती सी.एस. सुजाता	569
श्री शैलेन्द्र कुमार	571
श्रीमती सुमित्रा महाजन	572
श्री एम. शिवन्ना	574
श्री गणेश सिंह	575
श्री वरकला राधाकृष्णन	578
श्री प्रबोध पाण्डा	582
श्री राम कृपाल यादव	584
श्री रामदास आठवले	587

विषय	कॉलम
श्री फ्रांसिस के. जार्ज	588
श्री बिक्रम केशरी देव	591
श्री जे.एम. आरून रशीद	592
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	596
डा. के.एस. मनोज	600
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	601
श्री टी.के. हमजा	602
श्री हरिभाऊ राठौड़	603
संकल्प-वापस लिया गया	611
खण्ड 2 से 5 और 1	611
पारित करने के लिए प्रस्ताव	611
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	637-638
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	637-650
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	651-652
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	651-654

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 2008/28 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैंने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको प्रश्न काल के बाद समय देने का पूरा प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : उपाध्यक्ष महोदय, सरबजीत सिंह का मामला महत्वपूर्ण है। वह भारतीय है और एक मिसटेकन आइडैंटिटी का व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि सदन द्वारा इसके लिये वहां की सरकार से रिक्वैस्ट की जाये कि उसे छोड़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आज कनसर्न्ड मिनिस्टर इस बारे में स्टेटमेंट करेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एआईसीटीई की स्वीकृति के बिना चलाई जा रही तकनीकी संस्थाएं

[अनुवाद]

*261. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसी शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें एआईसीटीई की स्वीकृति प्राप्त नहीं है;

(ख) क्या एआईसीटीई द्वारा छात्र समुदाय के लाभार्थ ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी का प्रचार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है कि छात्रों को अच्छे स्तर की शिक्षा मिले और वे भ्रमित न हों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बिना तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है। छात्रों और जनसाधारण की सूचना के लिए इन संस्थाओं की सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट (www.aicte.ernet.in) पर दी गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की एक सूची भी अपनी वेबसाइट पर रखी है। यह समय-समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करके सभी संबंधितों को चेतावनी भी देता है कि वे तकनीकी संस्थाओं में दाखिला लेने से पूर्व करने से पहले उनका अनुमोदन स्तर जांच ले।

अनुबंध

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बिना चल रही तकनीकी संस्थाओं की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्थाओं की संख्या
1	2
मध्य प्रदेश	2
गुजरात	4
पश्चिम बंगाल	16
उत्तर प्रदेश	15

1	2
उत्तराखंड	1
चंडीगढ़	10
हरियाणा	8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	19
पंजाब	2
राजस्थान	3
आंध्र प्रदेश	7
तमिलनाडु	17
कर्नाटक	20
केरल	2
महाराष्ट्र	82
गोवा	1
कुल	209

श्री एल. राजगोपाल : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मंत्रालय ने आतिथ्य प्रबन्धन, खान-पान प्रौद्योगिकी, बी. फार्मेसी और एम. फार्मेसी जैसे प्रबंधन पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुछ संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। विशेषकर बी. फार्मेसी और एम. फार्मेसी के मामले में उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और एआईसीटीई से अनुमति प्राप्त करनी होती है। आतिथ्य प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी और फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एआईसीटीई के अधीन कैसे आ सकती हैं, ये संस्थाएं कोई तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं जबकि 1957 के एआईसीटीई अधिनियम 52 के अनुसार एआईसीटीई केवल तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्य देखती है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : एआईसीटीई अधिनियम के अनुसार प्रबंधन भी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। इसी कारण से हम यह आशा करते हैं कि आतिथ्य प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थाएं भी इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनी चाहिये। यह अत्यावश्यक है कि इन संस्थाओं को एआईसीटीई से पहले से ही मान्यता एवं अनुमति प्राप्त करनी चाहिये।

श्री एल. राजगोपाल : वास्तव में, माननीय मंत्री बी. फार्मेसी के बारे में उत्तर देना भूल गए। अब मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं।

आजकल, अनेक भारतीय छात्र विदेशी संस्थाओं, विदेशी विश्वविद्यालयों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके मद्देनजर मैं माननीय मंत्री जी से एआईसीटीई की अनुमति के बगैर संचालित होने वाली विदेशी संस्थाओं तथा ऐसी विदेशी संस्थाओं का ब्यौरा जानना चाहता हूं, जो भारतीय संस्थाओं के सहयोग से डिग्री एवं डिप्लोमा दे रही हैं। ऐसे मामलों में मंत्रालय इन विदेशी संस्थाओं से कैसे निपटेगा क्योंकि भारत में उनके केवल विस्तार अध्ययन केन्द्र होते हैं अथवा उनका किन्हीं निजी संस्थाओं से 'टाइ अप' होता है और उनका मुख्यालय किसी अन्य देश में स्थित होता है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : एआईसीटीई से बिना अनुमति प्राप्त ऐसी संस्थाएं, जो विदेशी सहयोग से चल रही हैं, और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रही हैं, की संख्या 74 है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसी 5 संस्थाएं हैं। विदेशी सहयोग के बिना चलने वाली प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं की संख्या 94 है और इंजीनियरिंग से संबद्ध ऐसी संस्थाओं की संख्या 17 है।

विदेशी शिक्षा प्रदाता विधेयक के बारे में हमें अभी आम सहमति बनानी है। हम इस विधेयक पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, एआईसीटीई आगे आई है। ऐसे विनियम विद्यमान हैं जो हमारे देश में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं का प्रवेश विनियमित करते हैं जिनमें कुछ ऐसे विनियम हैं जिन्हें मैं अभी पढ़ सकती हूं और आपको भी इनके बारे मे जानकारी दे सकती हूं। वैसे भी मैं माननीय सदस्यों को सदैव बता सकती हूं। यह आवश्यक है कि भारत में हमारे बच्चों के लिए पेशकश किया जाने वाला कार्यक्रम मेजबान देश यानि हमारे देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिये। यहां तक कि संस्थान भी जो हमारे देश में कार्यक्रम की पेशकश करता है, मेजबान देश यानि हमारे देश में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहां हमारे बच्चों के लिए ऐसा कोई अप्रामाणिक संस्थान या कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे कई विदेशी संस्थान हैं जो हमारे देश में दोहरे कार्यक्रमों तथा विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वे हमारे संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं। तथापि यह आवश्यक है कि भारत में वे जिस भारतीय

भागीदार के साथ सहयोग करें, वह सोसाइटी अथवा एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अनेक विनिर्णय दिए हैं और इसके साथ यह हमोरे देश की नीति के खिलाफ है कि हम शिक्षा का वाणिज्यीकरण करें।

अत: विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश को विनियमित करने हेतु एआईसीटीई द्वारा विनियम बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि अगर कुछ नॉन एफिलेटिड, एआईसीटीई अन-एप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, उनके कारण छात्र भ्रमित न हो, ऐसे संस्थानों के संबंध में चेतावनी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? यह प्रश्न "डी" भाग में पूछा गया है? सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं किया है, संसद को भ्रमित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: उसी प्रश्न को पूछना चाहता हूं कि कुल मिला कर ऐसी 209 संस्थाओं का उन्होंने जो उल्लेख किया है, उसका थोड़ा सैक्टर-वाइस वर्णन करें और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? ऐसी फर्जी संस्थाएं न चलें, सिर्फ वेबसाइट पर रखने से काम नहीं होने वाला है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, यह बताएं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गये हैं और उन्हें पब्लिक नोटिस भी जारी किए गए हैं। ऐसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नाम वेबसाइट पर डाले जाते हैं और हम प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों एवं उनके माता-पिता को ऐसी संस्थाओं के बारे में नियमित रूप से सूचित करते रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए इस अधिनियम में दोष हैं जिसके कारण एआईसीटीई वास्तविक रूप से दण्डात्मक उपाय नहीं कर सकती। हमने प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। प्रो. यशपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। इस समिति में लगभग 22 सदस्य हैं और यह समिति यू.जी.सी. एवं एआईसीटीई दोनों से संबंधित अधिनियमों की जांच कर रही है। यह समिति विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रही है और इस बात पर भी विचार-विमर्श कर रही है कि इन अधिनियमों को आगे किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए ताकि एआईसीटीई को इन गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कुछ अधिकार दिए जा सकें।

श्री रूपचन्द पाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या एआईसीटीई के कार्यकरण के बारे मे कतिपय महत्वपूर्ण एजेंसियों द्वारा की गई समीक्षाओं के बाद, कोई सिफारिश की गई है कि इस निकाय के आगे जारी रहने की आवश्यकता नहीं है और देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार की अत्यावश्यकता के मद्देनजर सरकार द्वारा नई व्यवस्था लाए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा है कि एआईसीटीई लगभग निष्क्रिय हो गई है। अत: हमें इस बात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमें एआईसीटीई को जारी रखने की आवश्यकता है अथवा नहीं। वैसे भी एनएचआरडी ने इस निकाय के कार्यकरण की जांच के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद बनाए जाने का विचार दिया था लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। उपकुलपतियों की बैठक में भी जब यह विचार लाया गया तो उपकुलपतियों ने भी इसका विरोध किया था तथा आम सहमति बनाने हेतु अन्तरमंत्रालयी परामर्श अभी भी जारी हैं तथा आम सहमति बन जाने के बाद संभवत: इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

श्रीमती अर्चना नायक : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि क्या एआईसीटीई के पास एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने का कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, वास्तव में यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होता। लेकिन अत्यंत संक्षेप में मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है जो वास्तविक रूप से विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे कार्यक्रमों की जांच करता है और इसके बाद यह कार्यक्रम को प्रत्यायित करता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम गुणवत्ता का आश्वासन दे रहे हैं। एक समिति है जो संस्था को मान्यता देने से पहले अवसंरचना की जांच करती है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि अवसंरचना मौजूद है, मान्यता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी सभी माननीय सदस्यों से यह रिकवेस्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सकें, सप्लीमेंट्री ले सकें, उसके लिए अगर स्पीचीस कम हों और प्रश्न ज्यादा हों तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्ट प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधे मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपके संज्ञान में यह है कि एआईसीटीई के जो मापदंड हैं, हमारे यहां ऐसे बहुत से कालेजेज हैं, जो एआईसीटीई के मापदंडों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसे कालेजेज की आपके पास कोई जानकारी है और अगर जानकारी हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही आप करना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों के माता-पिता और वेबसाइट के माध्यम से एआईसीटीई को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो एआईसीटीई उनकी जांच करती रही है। एआईसीटीई अवसंरचना तथा विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं एवं प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की फिर पुनः भी जांच कर सकती है। महोदय, पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं और उनका संज्ञान लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी 209 संस्थाएं हैं, जिन्हें ए.आई.सी.टी.ई. ने मान्य नहीं दी है। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और तकनीकी शिक्षा का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा एक आवश्यक अंग बन चुकी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो विद्यार्थी ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद, वे जिस आशा से पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, वे इसी आशा के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्थाओं से जब वे बाहर निकलते हैं, तब उन्हें कहीं भी नौकरी के अवसर नहीं मिलते। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इन संस्थाओं के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस मानकर कार्रवाई करने का इरादा है या नहीं?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, एआईसीटीई द्वारा जारी की गई सूचनाओं की संख्या 273 है जिनमें से उत्तर देने वाले आवेदकों की संख्या 54 है और उत्तर देने वाले इन आवेदकों में से 13 को स्वीकृति दी गई है। लगभग 51 आवेदन एआईसीटीई के विनियमों के अंतर्गत नहीं आते। कुल मिलाकर 209 को वेबसाइट पर डाला गया है।

हम विद्यार्थियों और अभिभावकों को लगातार जानकारी देते रहे हैं कि यदि वे अमान्य संस्थानों में दाखिला लेते हैं तो निश्चय ही उनकी आगे की शिक्षा और उनके रोजगार के अवसर भी अवरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि वे अमान्य संस्थानों से स्नातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है अधिनियम में एक कमी है जिसे हम सभी मानते हैं। हमने न केवल एआईसीटीई और यूजीसी के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति का गठन किया है, अपितु अधिनियम को किस प्रकार और अधिक सुदृढ़ किया जाए, इस संबंध में सिफारिशें भी की जाएंगी। मुझे विश्वास है कि समिति माननीय सदस्यों की सभी चिन्ताओं पर ध्यान देगी।

[हिन्दी]

बलात्कार के मामलों में संबंधित कानूनी उपबंधों का दुरुपयोग

\+

*262. श्री हरिकेवल प्रसाद
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बलात्कार से संबंधित कानूनी उपबंधों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में राज्य-वार कुल कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कानूनी उपबंधों का संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एन सी आर बी द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वर्ष 2004-2006 के दौरान जांच किए गए बलात्कार के मामलों तथा तथ्यों अथवा कानून की त्रुटि के कारण गलत घोषित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	2004	2005	2006
जांच किए गए मामले	17008	17946	18376
तथ्यों अथवा कानून की त्रुटि के कारण गलत घोषित मामले	1194	1138	1173
जांच किए गए मामलों की तुलना में गलत घोषित मामलों का प्रतिशत	7.0%	6.3%	6.4%

(ख) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं तथा यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) विधि आयोग ने बलात्कार कानूनों की समीक्षा पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में बलात्कार कानूनों में कई परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बलात्कार कानूनों में परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। चूंकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल हैं तथा ये राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं, अत: राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसकी परिधि में वर्ष 2004, 2005 और वर्ष 2006 तक के आंकड़े दिए गए हैं, जिन्हें देखने से स्पष्ट होता है कि बलात्कार के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। देश में बलात्कार को रोकने के कई कानून बने हैं, परंतु आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। अब भारत में आने वाली विदेशी महिलाएं भी बलात्कार का शिकार होने लगी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बलात्कार के दोषियों को छोड़ा न जाए और बलात्कार में गलत ढंग से फंसाए जाने वाली लोगों का चालान न किया जाए तथा बलात्कार के कानून के तहत जो जांच की जाती है, उसमें दोषी व्यक्ति ही फंसे और बेकसूर न फंसें, इस हेतु गृह मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है?

श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष जी, इस संबंध में एक सुझाव यह आया है कि कानून में ही परिवर्तन करना चाहिए, उस पर विचार किया जा रहा है। दूसरा सुझाव यह है कि हमारी जो पुलिस है, वह इसकी अच्छे ढंग से जांच-पड़ताल करे, इनवैस्टीगेशन करे। जब पुलिस के सामने ऐसे केसेस आते हैं, तो यह आवश्यक बनाया गया है कि महिला पुलिस वहां मौजूद हो। तीसरा सुझाव था कि घटना होने के पश्चात् जो विक्टिम है, उसे डॉक्टर के पस जल्दी से जल्दी ले जाया जाए और डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर प्रस्तुत किया जाए। यदि इन-कैमरा प्रोसीडिंग्स करनी है, तो वह करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव और सूचना हमारे पास आई हैं, उनके ऊपर अमल किया गया है और इन घटनाओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक ही बात सामने आई है कि जो नजदीक के लोग हैं, उनकी तरफ से ही ज्यादातर बलात्कार हुए हैं। 75 प्रतिशत बलात्कार नजदीकी लोगों के द्वारा हुए हैं, पैरेंट्स द्वारा हुए, या उनके जो पड़ोस में रहते हैं, उनके द्वारा हुए हैं। जो जानकार नहीं हैं, दूर के लोग हैं, उनकी संख्या 25 प्रतिशत है। इसलिए घर वालों द्वारा ध्यान रखना, सतर्कता बरतना जरूरी है, ऐसा बताया गया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो जांच की दरख्वास्तें दर्ज हुई थीं, उनमें से 6.4 प्रतिशत गलत पाई गई हैं। विधि आयोग ने बलात्कार कानूनों की समीक्षा करके अपनी 172वीं रिपोर्ट में बलात्कार कानूनों में कई परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी 172वीं रिपोर्ट के तहत जो सिफारिशें की गई हैं, वे कब तक लागू होंगी?

श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिए गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इस

तरह की रिपोर्ट दी है, ऐसा नहीं है। एक मलिमथ कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी सुझाव दिया था। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वीमन की तरफ से भी सुझाव आए हैं। गैर सरकारी संस्थाओं ने भी सुझाव दिए हैं। लेकिन ये सारे सुझाव उसकी परिभाषा को विस्तृत करने के संबंध में हैं। इन सुझावों में, जो सजाएं दी जाती हैं, उनको कड़ा करने की बात कही गई है। सात और दस साल की सजा जरूरी है, ऐसा बताया गया है। कुछ केसिज में लाइफ इम्प्रिजनमेंन्ट भी दिए जाने का सुझाव है। कुछ सुझावों में डेथ पनिशमेंट देने की बात कही गई है। ये सभी सुझाव ऐसे हैं, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। इन सब पर विचार किया गया है, लेकिन ये कानून प्रान्तीय सरकार की ओर से लागू किए जाते हैं, इसलिए उनकी राय मंगाई गई है। कुछ राज्यों ने इन सुझावों पर हां कहा है, कुछ चीजों के लिए न कहा है और कुछ ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटील—उपस्थित नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने काफी समय तक वकालत की है। अब कुछ दशकों से मैंने वकालत छोड़ दी है। मैंने बलात्कार के ऐसे मामले देखे हैं जिनमें आरोपियों को मात्र इस कारणवश छोड़ दिया गया क्योंकि यदि पीड़िता 16 वर्ष से अधिक आयु की है तो यह मान लिया जाता है कि इसमें उसकी स्वीकृति थी। यदि वह 16 वर्ष से अधिक आयु की है तो अदालत इसमें उसकी स्वीकृति मान सकती है। मैंने इतने सारे मामले देखे हैं। भारतीय दण्ड संहिता में यह कहा गया है कि 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के मामले में माना जा सकता है कि स्वीकृति रही होगी। यह अत्यन्त कठिन स्थिति है क्योंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के लिए यदि स्त्री व्यस्कता आयु 18 वर्ष है; मतदान अधिकार के लिए यह 18 वर्ष है; दस्तावेजों के लिए यह 18 वर्ष है और सभी मामलों में स्त्री व्यस्कता आयु 18 वर्ष है; पर यौन क्रिया के लिए यह मात्र 16 वर्ष है। अतएव, इसे बदला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : यही उपयुक्त समय है जब सरकार दण्ड संहिता में सुधार के लिए और आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए संशोधन लाए। अन्यथा बलात्कार मामलों के ये सभी दोषी छूट जाएंगे। यह अत्यन्त गंभीर स्थिति है। मैंने इतने सारे मामले देखें हैं। यौन क्रिया के लिए सहमति देने की आयु 16 वर्ष है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : 18 वर्ष से नीचे यह नहीं माना जा सकता कि लड़की की सहमति थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः दोहरा रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : अतएव मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष किए जाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया जाए।

आप अध्यादेश भी जारी कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने आयु कम करने के लिए प्रसार भारती अध्यादेश का प्रख्यापन किया। उच्चतम न्यायालय ने भी यह बात इंगित की है।

अतएव केन्द्र सरकार के लिए वह सही समय हैं कि भारतीय दण्ड संहिता में बलात्कार पीड़ित लड़कियों की आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को तीन बार दोहरा चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या गृह मंत्री महोदय यह पहल करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : यह एक अन्य सुझाव है जो दिया गया है। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो उत्तर दें। अन्यथा आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मात्र एक सुझाव दिया है और प्रश्न नहीं किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, उनका सुझाव नोट कर लिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने सरकार से कहा है कि बलात्कार पीड़ित लड़की की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए दण्ड संहिता में सुधार करने हेतु उपाय किए जाएं। यही मेरा प्रश्न था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक सुझाव दिया है। आपका सुझाव कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि यह सुझाव दिया गया है और यह सरकार के समक्ष है। यह राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। हम राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं और उनके उत्तर तथा विचार प्राप्त होने के बाद उपयुक्त कार्यवाही का जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री अविनाश राय खन्ना।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, इस क्वैश्चन के दो पाट्‌र्स हैं। पहला पार्ट है कि कितने केसेज रजिस्टर हुए और कितने केसेज इन्वेस्टीगेशन के दौरान फॉल्स साबित हुए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बहुत सैंसिटिव मैटर है, क्योंकि यह दोनों तरफ यह एक इज्जत का सवाल है। अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है या कुछ फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, तो दोनों तरफ से यह किसी के मान-सम्मान का सवाल है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसेज में कन्विक्शन हुआ है, जितने फॉल्स केसेज रजिस्टर हुए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये केसेज ट्राई करने का काम स्टेट पुलिस का है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में है। स्टेट की पुलिस उसका इन्वेस्टीगेशन करती है, कोर्ट में ले जाती है और जो लोग उसमें दोषी पाये जाते हैं, उन्हें सजा देने का इन्तजाम करती है।

यहां पर जो सवाल पूछा गया है, अगर मैंने इस सवाल को सही ढंग से समझा है तो उसका अर्थ यह होता है कि जो फॉल्स केसेज दाखिल हो रहे हैं, वे नहीं हों, इसके लिए क्या करना है। मगर उस बात को छोड़कर हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं और यह पूछ रहे हैं कि अगर रेप हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए क्या किया है। ये दोनों ही बातें सही हैं। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि फॉल्स केसेज की संख्या बहुत ही कम है। कोई अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीटकर दूसरों को तकलीफ देने लगा हुआ नहीं होता है। अगर कोई यह कह रहा है कि रेप हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ है। बिलावजह केस करने वालों की संख्या बहुत कम है। यह प्रश्न पूछने का उद्देश्य था कि जो झूठे केसेज किये जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मगर बाद में यह समझा गया कि इस प्रकार के प्रश्न पूछना शायद विषय से अलग जा रहा है, इसलिए दूसरी तरफ बाजू गई है, मैंने दोनों का जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना : मेरी बात का इससे क्या ताल्लुक है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक वक्तव्य है।

[हिन्दी]

शैलेन्द्र जी, क्वश्चन पूछिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ज्यादातर घरेलू या अगल-बगल के लोगों के द्वारा ही लड़कियां बलात्कार की शिकार होती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि घरों में जो टेलीविजन दिखाया जाता है, खासकर टेलीविजन में जो विज्ञापन प्रस्तुत किये जाते हैं, वे इतने अश्लील होते है कि अगर समाचार भी आपको देखने हों, तो आप अपने परिवार के साथ बैठकर समाचार नहीं देख सकते। इस अश्लीलता के कारण भी आज यौन शोषण है या बलात्कार के केस होते है। मंत्री जी, इस पर रोक लगाने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं जुड़ा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरे प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

शैलेन्द्र जी बैठ जायें।

[अनुवाद]

अब श्रीमती किरण माहेश्वरी।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि अभी एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट का हवाला जो अपने उत्तर में यहां दिया है, उसमें आपने फरमाया है कि मात्र 6.4 परसेंट के करीब 2006 में गलत केसेज हुए हैं, यानी बहुत ही कम हुए हैं। यह बात सही है कि इनकी संख्या कम हैं, लेकिन हमें ध्यान उस ओर देना चाहिए कि जो इतने सारे बलात्कार के केसेज हो रहे हैं, उनके संबंध में विधि आयोग ने बलात्कार कानून के अंदर समय-समय पर बहुत सारे संशोधन प्रस्तावित किए हैं। मैं इस ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विधि आयोग की ओर से जो आपके पास सुझाव आए हैं और उसमें जो सजा की अवधि सात और दस साल हैं, उसे बढ़ाना और जो बलात्कार करता है, उसे आजीवन कारावास देने के संदर्भ में, अप्रूव होने के बाद, ऐसे सुझावों पर क्या सरकार कुछ सोचती है, क्या आर्डिनेंस लाने के बारे में कोई विचार रखती है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप का भाषण दूसरी दिशा में जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत संक्षिप्त में पूछ रही हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए जानना चाहती हूं, क्योंकि देश में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आज के समय में बलात्कार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो हाल है, उसके लिए क्या सरकार आर्डिनेंस लाकर इस तरीके का कोई प्रस्ताव ला रही है, जिससे दोषी को आजीवन कारावास जैसी सजा दी जाए या मौत दी जाए, क्या ऐसे कानून बनाने के बारे में सरकार सोचती है?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है कि सजा सात साल या दस साल की है - इसमें कम से कम सजा सात साल और दस साल की है। कुछ ऐसे केसेज हैं, जिनमें सात साल की सजा देना अनिवार्य है, उनको देनी ही पड़ेगी और कुछ ऐसे केसेज हैं, जिनमें दस साल की सजा देनी अनिवार्य है, उससे कम सजा नहीं दे सकते हैं। मगर उसमें यह भी बताया गया है कि किसी कारणवश उस सजा को अगर कम करना है, तो यह बताया जा सकता है कि इस कारणवश इस सजा को सात साल से या दस साल से कम किया गया है। सजा देने का जो प्रावधान है, वह आजीवन कारावास का ही है।

चौथी जो मांग यहां आयी थी, वह यह थी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट काफी नहीं है, डेथ सेंटेंस उसके लिए होना चाहिए। डेथ सेंटेंस के ऊपर लॉ कमीशन के पास बात जब गयी, तो उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए डेथ पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, इसलिए वह लाइफ इंप्रिजनमेंट तक ही मामला रहा है। उसके लिए आज आर्डिनेंस लाने या कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपजो कह रही हैं, वह पहले से ही कानून में है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि फॉल्स केसेज बहुत कम हुए हैं, हम गृहमंत्री जी सूचना के लिए बताना चाहते हैं कि केस फॉल्स होते हैं, आपसी विवाद के कारण, मैं किसी के चरित्रहनन की नीयत से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि किसी को पैसा देकर, 32 रुपए में डाक्टर इंजरी का केस बना देते हैं और इंजरी का केस बनाकर गलत मुकदमे कर दिए जाते हैं। जिस तरह से दोषी को सजा देने के लिए आपने तय किया है कि आजीवन कारावास तक हो सकता है, मिनिमम सात साल या दस साल की सजा हो सकती है, धारा 211 में प्रावधान है कि अगर गलत केस हो तो उस पर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं होता है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा कोई कानून बनाएंगे कि जहां मामला साबित हो जाए कि गलत इंजरी बनाकर, असत्य तरीके से, किसी के दबाव में, प्रलोभन में या किसी को फंसाने की नीयत से गलत मुकदमे किए गए हैं, तो कम से कम गलत मुकदमा करने वालों को, उस सजा की आधी सजा ही दी जाए, क्या आप ऐसा कोई कानून बनायेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, इसके लिए कानून तो है ही। किसी ने गलत केस किसी के खिलाफ किया है, तो उसको सजा देने का प्रावधान पहले से ही कानून में है। मुश्किल यह होती है कि कोई घटना हो या ना हो, अगर अर्जी दी जाए और उसके आधार पर केस कोर्ट में चलता है, उसमें फैसला आता है, वह फैसला आने के बाद जिसने गलत तरीके से केस किया है, उसके ऊपर केस चालू हो जाता है।...*(व्यवधान)* यह जो समय है, पहले का समय दो-तीन-चार साल और दूसरे का तीन-चार साल का जाता है, इसकी वजह से झूठे केस करने वाले जो लोग हैं, उनको काफी राहत मिल जाती है। कभी-कभी यह सोचा गया है कि अगर ऐसा जज को लगे कि यह झूठा केस है, तो वह पहले केस का निकाल देते समय ही दूसरे ने गलत केस किया है, उसके बारे में भी ऐवीडेंस लेकर, उसी के अंदर सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, यह सोचने का भी विचार जुरिसप्रुडेंस को जानने वाले लोग आजकल कर रहे

हैं। सजा देने का प्रावधान है लेकिन असत्य साबित होने के बाद, जज के कहने पर, एवीडैंस कलैक्ट करने के बाद, वह ट्राई होता है। उसकी वजह से बीच का समय बहुत लम्बा हो जाता है और निरुपयोगी हो जाता है। आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल दुरुस्त है। केसेज नहीं होते, ऐसा नहीं है, गलत केसेज होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी विचार होता है।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग से राजस्व

***263. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) इस आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत को विश्व में जैव प्रौद्योगिकी का केन्द्र बनाने के लिए क्या नीतिगत प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) बायोस्पैक्ट्रम जो कि एक जैवप्रौद्योगिकी और भेषज संबंधी पत्रिका है, और एसोसिएशन ऑफ बायोटैक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजिज (एबीएलई) के द्वारा आयोजित संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान जैवप्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व जैसे 2004-05, 2005-06 और 2006-07 क्रमशः 4,745 करोड़ रुपये, 6,521 करोड़ रुपये और 8,541 करोड़ रुपये है।

भारत में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्यतः 5 प्रमुख घटक हैं - जैव औषधि, जैव कृषि, जैव सूचना विज्ञान, जैव औद्योगिकीय एवं जैव सेवाएं जो कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पेट्रो रसायन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य के अंतर्गत आते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जैवप्रौद्योगिकी विभाग सामान्य रूप से अनुसंधान के संवर्धन और विविध स्तरों विकास उत्प्रेरित मानव संसाधन विकास तथा जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए नीतिगत उपायों की अनुशंसा किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

भारत सरकार ने भारत को विश्व में जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। भारत सरकार ने राजस्व प्रोत्साहन, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति, बायोटैक पार्क और जैवकृषि केन्द्रों की स्थापना करने, मानव संसाधन विकास के लिए स्टार कॉलजों को सहायता प्रदान करने और जनशक्ति के विकास किए जाने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण के अन्य उपाय करने और विश्वस्तरीय नियामक प्रक्रियावाद के समतुल्य नियामक प्रक्रियाओं को मुख्य धारा में लाए जाने की व्यवस्था प्रदान की है। बायोटैक पार्कों में स्थित सभी उद्योगों को ईएक्सआईएम नीति 2004 से 2009 के अंतर्गत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लाभ प्राप्त किए जाने के लिए अनुमति दी गई है। जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए विशेष आर्थिक आंचल (एसईजेड) के लिए भूमि क्षेत्र जैवप्रौद्योगिकी उद्योग के संवर्धन के उद्देश्य से 100 हैक्टेयर भूमि से 10 हैक्टेयर भूमि अद्योगामी की गई है।

श्री बाडिगा रामकृष्णा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है, यह प्रशंसनीय बात है कि सरकार ने भारत को विश्व में एक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन जैसाकि आप जानते हैं इसके लिए काफी धनराशि निवेश करने की आवश्यकता है। यदि हम इस वर्ष के बजट में जैवप्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य शीर्ष 3425 के अंतर्गत अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान मद पर ध्यान दें तो इस प्रयोजनार्थ मात्र 810 करोड़ रुपए निर्धारित किए गये हैं। यह वर्ष 2007-08 में आबंटित 614 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए बजट में और अधिक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या यह सच है कि मंत्रालय सरकार द्वारा आबंटित धनराशि के एक कतिपय प्रतिशत को सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी अनुसंधान के लिए अलग से रखने की योजना बना रही है। यदि हां, तो कृपया इसका विवरण दिया जाए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं माननीय सदस्य को यह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। महोदय, नौवीं योजना में जैवप्रौद्योगिकी विभाग को कुल 621 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। दसवीं योजना में यह 621 करोड़

रुपए से बढ़ाकर 1450 करोड़ रुपए कर दिया गया। ग्यारहवीं योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 6500 करोड़ रुपए आबंटित किए गये हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। वास्तव में यह सरकार की जैव प्रौद्योगिकी में निवेश करने और भारत को इक्कीसवीं सदी, जो जैवप्रौद्योगिकी सदी के रूप में जानी जायेगी, के इतिहास का भागीदार बनाने की मंशा को दर्शाता है।

जहां तक सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी का संबंध है, हमने जैवप्रौद्योगिकी विभाग में यह निर्णय लिया है कि ग्यारहवीं योजना के 6500 करोड़ रुपए के कुल बजट में से सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के लिए 30 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखी जायेगी। यह पुन: इस तथ्य को दर्शाती है कि जैवप्रौद्योगिकी विभाग में हम यह मानते हैं कि केवल सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के माध्यम से ही हम उस तरह का विकास कर पायेंगे जिस तरह का हम जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर रहे हैं।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। वास्तव में, यदि आप जैव उद्योग को हटा दें तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में औसतन 40 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

श्री बडिगा रामकृष्णा : मंत्री महोदय द्वारा ग्यारहवीं योजना में जैवप्रौद्योगिकी के लिए किए गए अनुमान प्रशंसनीय और उत्साहवर्धक हैं।

महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग ('ग') से संबंधित है। भारत को जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में जैवप्रौद्योगिकी का केंद्र बनाए जाने के तरीकों में से एक तरीका छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छोटी और मध्यम दर्जे की जैवप्रौद्योगिकी की कंपनियों की अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों में सहायता करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यदि हां, तो कृपया आंध्र प्रदेश का विशेष उल्लेख करते हुए इससे संबंधित ब्यौरा दिया जाए।

महोदय, कुछ और बात बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया एक समय में केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री बडिगा रामकृष्णा : यह पूरी बात नहीं है। मैंने केवल आधी बात ही कही है। एक और अनुपूरक प्रश्न है। यह इस प्रश्न से संबंधित है।

महोदय, इन छोटी जैवप्रौद्योगिकी कंपनियों की आरंभिक चरण की परियोजनाओं के वित्त पोषण से काफी सहायता मिलेगी। महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस पहलू के संबंध में उनके विचार जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप दो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र की छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों का प्रश्न है, सरकार ने इस विशेष क्षेत्र के वित्तपोषण और निवेश के लिए एक योजना अलग से बनाई है। इस योजना में सरकार छोटे और मध्यम दर्जे के क्षेत्र की कंपनियों को अनुदान स्वरूप 50 लाख रुपए दे सकती हैं और सरकार इस प्रयोजनार्थ ब्याज मुक्त एक करोड़ रुपए भी दे सकती हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि ऐसी 35 परियोजनाओं को स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी हैं, सरकार इस संबंध में तेजी से कार्य कर रही है और ऐसी 400 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। सरकार छोटे और मध्यम दर्जे के क्षेत्र में निवेश करने के प्रति कटिबद्ध हैं इसी क्षेत्र से वृद्धि और नवीनता प्राप्त की जा सकती है।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इलैवन्थ फाइव ईयर प्लान में इसके लिए 6500 करोड़ रुपये रखे हैं। अब बायो इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही है, लेकिन उसके लिए मेनपावर चाहिए, ग्रेजुएट्स चाहिए। हमारे यहां के इंस्टीट्यूशन्स में बायो टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए कोई कालेज नहीं हैं। अब एआईसीटीई बहुत स्ट्रिक है। वह कहती है कि पहले प्रोफेसर लाइये, प्रिंसिपल लाइये तथा उनकी इतनी क्वालीफिकेशन होनी चाहिए, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, आदि। यह बिल्कुल नयी इंडस्ट्री है, नया डिपार्टमैंट है, नये कोर्सेज हैं। इसलिए उसमें प्रोफेसर्स वगैरह नहीं मिल पाते। आपने इसमें क्या प्रोविजन किया है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन्स खासकर बायो-एग्री और बायो-फार्मा में मिले, लेकिन पब्लिक पार्टनर्शिप के अंतर्गत आप एग्री-फार्मा या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को कहें कि वही ऐसे कोर्सेज चालू करें, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन मेनपावर हमें बायो टेक्नोलॉजी में मिले, आपने इस संबंध में क्या प्रावधान किया है?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मैं माननीय सदस्य का पुनः आभारी हूं, कि उन्होंने मानव संसाधन आधार निर्मित करने के मुद्दे पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी है। यह हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है क्योंकि चाहे कितने भी संस्थान हों, निवेश के लिए करोड़ों रुपए हों; परन्तु जब तक मजबूत मानव संसाधन आधार नहीं होगा तब तक उद्योगों की प्रगति नहीं होगी।

महोदय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में हम जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में विश्वविद्यालय तंत्र के अंतर्गत 50 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेंगे जिनमें हम जैवप्रौद्योगिकी शिक्षण क्षेत्र को शामिल करेंगे और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय तंत्र में अब संरचना का निर्माण करेंगे। हमने एक योजना भी बनाई है जिसके द्वारा हम देश के प्रत्येक राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता के आधार पर दो उत्कृष्ट महाविद्यालयों की पहचान करेंगे। उन दो उत्कृष्ट महाविद्यालयों की पहचान करने के बाद हम जैव विभाग को विश्वस्तरीय विभाग बनायेंगे। हमने पृथक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए हैं। हम केवल विद्यार्थियों को ही नहीं अपितु अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देना चाहते हैं क्योंकि यहां प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी हैं। प्रशिक्षण के लिए हमारी एक अलग से योजना है।

परन्तु अन्ततः मानव संसाधन की मांग उद्योग में अवसरों के पश्चात ही उत्पन्न होगी, चूंकि उद्योग 40 प्रतिशत की तीव्रगति से बढ़ रहा है इसलिए मानव संसाधन की मांग हो रही है। दो वर्ष पूर्व; अनेक विश्वविद्यालयों में जैवप्रौद्योगिकी विभाग ही नहीं थे। आज अधिकाधिक लोग जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और जैवप्रौद्योगिकी में कोर्स कर रहे हैं चाहे, यह बायो इन्फार्मेटिक्स हो या जैव कृषि हो या जैव स्वास्थ्य हो अथवा जैव उद्योग हो या जैव सेवाएं हो। इस दिशा में प्रगति हो रही है और हम मानव संसाधन आधार के निर्माण के लिए शैक्षणिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

(व्यवधान)

डा. वल्लभभाई कथीरिया : महोदय, कुछ निजी संस्थान भी हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, कार्यवाही-वृतांत में कुछ और शामिल नहीं किया जाएगा, श्री अबु अयीश मंडल अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

*(व्यवधान)**

श्री अबु अयीश मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी अंतरण सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण प्रकोष्ठ, टीटीसी, सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री कपिल सिब्बल : बिलकुल स्पष्ट रूप से मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य प्रश्न को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करें क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा जिसका अर्थ ही मुझे स्पष्ट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने प्रश्न को और स्पष्ट कर सकते हैं?

श्री अबु अयीश मंडल : जी हां, महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उच्चकोटि की प्रौद्योगिकी अंतरण सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण प्रकोष्ठ, टीटीसी का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए है।

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य का अंतरण प्रकोष्ठ से क्या अभिप्राय है। क्या आप स्पष्ट कर सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अंतरण सेवाओं के संबंध में और अधिक जानना चाहते हैं।

श्री कपिल सिब्बल : मैं प्रश्न का उत्तर केवल तभी दे सकता हूं जब वह स्पष्ट करे कि उच्च प्रौद्योगिकी अंतरण प्रकोष्ठ से उनका क्या अभिप्राय है।

श्री अबु अयीश मंडल : जी, हां।

श्री कपिल सिब्बल : यदि आपका अभिप्राय प्रकोष्ठ निक्षेपक (सैल रिपोजिटरी) से है तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री अबु अयीश मंडल : जी हां, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसे परिणामी बजट 2008-2009 से लिया गया है। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कपिल सिब्बल : यदि आपका मतलब केन्द्रीय प्रकोष्ठ निक्षेपक (सैल रिपोजिटरी ऑफ सैल्स) या प्रकोष्ठ निक्षेपक से है तो ऐसा प्रकोष्ठ चंडीगढ़ में पहले से स्थापित है। हम भारत में ऐसे और अधिक प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मूल प्रश्न अर्जित किए जा रहे राजस्व से संबंधित है, लेकिन हम जैवप्रौद्योगिकी के विकास की चर्चा कर रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। जैसाकि, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा कि पांच विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जिनका विकास किए जाने की आवश्यकता है। पहले एक मंत्री जी ने हमें बताया था कि जितनी अधिक सरकार की दखलंदाजी होती जाती हैं, उतना ही विभाग या मंत्रालय का विकास नहीं होता। सरकार स्वयं इस मामले में अधिक संयम बरतती है, जैसा कि इसने सूचना प्रौद्योगिकी से और सौन्दर्य के क्षेत्र से अपने आपको दूर रखा, इसलिए भारतीयों ने इस क्षेत्र में प्रगति की है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। राजस्व की राशि जो पिछले तीन वर्षों में अर्जित की जा रही हैं, उसमें वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि सीमित रूप से हुई है। भारत को जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं।

यहां मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। इन पांच विशिष्ट क्षेत्रों में से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बायो फार्मा में अधिक हुआ है। क्या मंत्रीजी हमें एक बात बताएंगे? हमारी जैव कृषि, जैव उद्योग तथा जैव सेवा में भी अधिक रुचि है। सरकार इन तीनों क्षेत्रों से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए क्या प्रमुख कदम उठा रही है।

श्री कपिल सिब्बल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बायो फार्मा का संबंध है, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हम अधिकतय राजस्व बायोफार्मा क्षेत्र में ही अर्जित कर रहे हैं। परन्तु जैव कृषि भी बहुत पीछे नहीं है। वास्तव में आज भारत में जैव कृषि भी काफी वृद्धि हुई है। बायो फार्मा क्षेत्र से प्राप्त अधिकांश आय निर्यात आय है परन्तु जैव कृषि क्षेत्र में आने वाली अधिकांश आय घरेलू कृषि क्षेत्र में निवेश है। यह एक बहुत स्वस्थ्य प्रवृति हैं क्योंकि हमें देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए जैव कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। वास्तव में यह उद्योग बहुत स्वस्थ्य प्रवृति दर्शा रहा है। जैव कृषि क्षेत्र में अधिकतम आय भारत से ही है, न कि निर्यात से।

जहां तक जैव सेवाएं और जैव उद्योग क्षेत्र का संबंध है। सबसे कम आय प्रदाता जैव उद्योग क्षेत्र है। इसका कारण यह है कि जैव उद्योग में पर्यावरण संबंधी अनुसंधान अभी आरंभ ही हुआ है। अब यह वैश्विक प्रवृति है लेकिन हमारे यहां इसका प्रभाव बहुत कम है इसलिए वृद्धि मात्र 5 से 7 प्रतिशत ही है।

परन्तु जहां तक जैव कृषि का संबंध हैं, इसमें वृद्धि लगभग 30% है। जहां तक जैव सेवाओं का संबंध है, सेवाओं इन में वृद्धि घरेलू क्षेत्र में ही है, निर्यात क्षेत्र में नहीं है। अत: हम बहुत ही सकारात्मक प्रवृति देख रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि आई टी क्षेत्र की ही तरह सरकार जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी दखलअंदाजी नहीं करना चाहती है। हमें सिर्फ इस क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सहारा देने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारत में आगे वृद्धि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ

\+

***264. श्री निखिल कुमार :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों की देश के अर्द्ध सैनिक बलों सहित सुरक्षा बलों के कर्मियों के साथ सांठगांठ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा बलों के कर्मियों के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों सहित सुरक्षाबल कार्मिकों एवं आतंकवादियों के बीच कोई सांठ गांठ नहीं है। तथापि बल कार्मिकों के विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न होने के कुछेक मामलों का पता चला है जिन पर विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन एक आध मामलों से किसी सांठगांठ का निष्कर्ष निकालना अनुपयुक्त होगा।

(ङ) इन संभावनाओं को रोकने/नियंत्रित करने के लिए बल द्वारा किए गए प्रयासों में शामिल हैं भर्ती के समय चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, आंतरिक सतर्कता एवं चौकसी, यूनिटों के अंदर काउंसेलिंग और बल कार्मिकों की आवधिक प्रभावग्रहशीलता, कार्मिकों को संवेदनशील ड्यूटियों पर लगाने से पूर्व नियमित ब्रीफिंग एवं डी-ब्रीफिंग, यह सुनिश्चित करना कि बेहतर अधिकारी-व्यक्ति संबंधों के लिए कमांडिंग अधिकारियों के पास आदमियों के साथ वार्ता करने के पर्याप्त समय है।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री के उत्तर को देखा है। इस बारे में पुन: आश्वासन दिया गया है कि हमारे अर्द्धसैनिक बलों और अंतकवादियों के मध्य कोई गठबंधन नहीं है। हम इस उत्तर को स्वीकार करते हैं। परन्तु मेरे दो अनुपूरक प्रश्न हैं। पहला यह है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एक प्रमुख केन्द्रीय पुलिस बल है और इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव का दायित्व सौंपा गया है। के.रि.पु.ब. के भीतर इस तरह के उदाहरण का पता लगाना एक बहुत ही गंभीर मामला है, विशेषत: इसलिए क्योंकि भर्ती पूर्व पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रणाली विद्यमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य उत्तर में यह बात पहले ही आ चुकी है। आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री निखिल कुमार : महोदय, क्या आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रश्न पूछिये।

श्री निखिल कुमार : मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे हुआ कि जिस व्यक्ति से वे सभी वस्तुएं बरामद की गई हैं, भर्ती पूर्व पूर्ववृत्त के सत्यापन में उस व्यक्ति का वास्तविक पूर्ववृत्त पता नहीं चल सका।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो पूरे समाज या राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा केवल अपने हितों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं। जब भर्ती होती है अथवा जब पिछले रिकार्ड इतिहास या पूर्व-वृत्त की जांच की जाती है, तो कभी-कभी उस समय जानकारी उपलब्ध नहीं होती। यह न केवल पुलिस पर लागू होता है बल्कि यह राजनीति सहित क्रियाकलाप के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है अतएव यह कहना कि इस गलती का भर्ती के समय कैसे पता नहीं चला, इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन है।

हमारे केन्द्रीय पुलिस बल में सात लाख सदस्य हैं। यदि सात लाख सदस्यों में से चार या पांच मामलों का पता चला है - कि अर्द्धसैनिक बलों अथवा केन्द्रीय पुलिस बलों अथवा राज्य पुलिस बलों और आंतकवादियों के बीच गठबंधन है तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि यह विषय चरम स्थिति को प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है कि ऐसा कैसे हुआ और इससे बचा क्यों नहीं गया।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि इस घटना के कारण केन्द्रीय पुलिस बल और आंतकवादियों के बीच गठबंधन है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पूर्व सत्यापन की प्रणाली हैं और इस विशेष मामले में ही यह असफल हुई। तथापि मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को स्वीकार करता हूं। परन्तु मेरा एक दूसरा प्रश्न भी है।

के.रि.पु.ब. बटालियन के प्रांगण में आईईडी और हथगोले मिलना एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा कैसे हुआ? उस अभिकरण विशेष में उस यूनिट विशेष के पर्यवेक्षण अधिकारी यह क्यों नहीं देख पाए कि के.रि.पु.ब. के प्रांगण में यह सब क्यों हो रहा है? के.रि.पु.ब. आतंरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिये उत्तरदायी एक प्रमुख पुलिस बल है। इस असफलता के लिए कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? आप माननीय मंत्रीजी से क्या जानना चाहते हैं?

श्री निखिल कुमार : इस असफलता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री शिवराज वि. पाटील : समस्या यह है कि हम सामान्य से विशिष्ट मामलों की ओर जा रहे हैं और मेरे लिए ऐसे विशिष्ट मामलों

से संबंधित तथ्यों का उत्तर देना कठिन है। परन्तु मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए कानून है और जिस कानून के तहत बल का गठन किया जाता है - उसमें प्रावधान है कि किस तरह की कार्रवाई की जानी है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस कानून के बारे में जानते हैं और माननीय सदस्य ने उस कानून का प्रवर्तन किया है और उस कानून को लागू किया है। उस कानून और अन्य कानूनों के अंतर्गत जांच की जाती है तथा सजा दी जाती है और कार्यवाही की जाती है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा बलों, जिनमें अर्ध सैनिक बल भी शामिल हैं, के इन कार्मिकों की आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्तता, चाहे वे किसी भी सीमा तक हो, सुरक्षा पहलू के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

आंतकवाद का विरोध करने वाले विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि सुरक्षा कार्मिकों के इसमें लिप्त होने का मुख्य कारण धन है। हम औपचारिक वित्तीय संस्थानों और सीमापार के वैश्विक अंतरण के संबंध में आंतकवादियों से प्राप्त हो रहे इस धन पर अपेक्षित सीमा तक रोक नहीं लगा पाए हैं।

1993 के मुम्बई विस्फोटो के लिए आरडीएक्स की तस्करी के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत के रूप में 20 लाख रुपए दिए गए थे। हमें यह जानकारी विभिन्न समाचारपत्रों और मीडिया के माध्यम से मिली। यह भी जानकारी है कि कुछ सुरक्षा कार्मिकों के मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें आर्थिक कारणों से इसमें लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है।

इसका मुख्य कारण है वित्त की संलिप्तता अब तक हम इसे नियंत्रित नहीं कर सके हैं। अर्द्धसैनिक बलों या सैन्य बलों के इसमें लिप्त होने का प्रतिशत नाममात्र का है। एक प्रत्यक्ष प्रश्न यह पूछा गया था: 'यदि हां, तो वर्ष-वार पिछले तीन वर्षों का, तत्संबंधी ब्यौरा दें।' क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है कि संलिप्तता किस सीमा तक है और यह क्यों हैं? क्या सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है? आंतकवादी गतिविधियां समूचे देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। पूरा देश इनके बारे में चिंतित है। हम आंतकवाद को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं। परन्तु सरकार किस प्रकार के कार्य कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : आंतरिक सतर्कता और निगरानी के विषय पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि भर्ती स्तर पर आपकी कुछ व्यवस्थाएं हैं और वह सब उचित है। तथापि भर्ती के पश्चात् उनकी इन संलिप्ताओं का पता लगाया गया है। आंतरिक सतर्कता और निगरानी का आवश्यक स्तर क्या है? क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? सरकार ने सुरक्षा बलों की संलिप्तता को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रणाली बनाई गई है?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने पहले ही इस मामले को विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। पुलिस बल उपलब्ध है, यदि किसी बड़े बल में एक या दो मामले सामने आते हैं तो यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस और सेना के बीच गठजोड़ है। हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो अंततः बलों को हतोत्साहित करने वाले सिद्ध हों जो देश के किसी भी भाग के लोगों की सम्पत्ति और जान की रक्षा करने में अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण हतोत्साहित करने वाला है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : हमारा इरादा ऐसा नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मान लीजिए कि यह प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। मान लीजिए कि मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि उड़ीसा में ऐसा क्यों घटित हुआ; तो क्या आपके पास कोई उत्तर है? मुझे इस स्थिति को समझना है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : आपको उत्तर देना होगा। मैं यहां उत्तर नहीं देने के लिए नहीं हूं। आप सरकार में हैं। मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं। मंत्री सदस्य से उत्तर देने के लिए कैसे कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिपाठी, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में अन्य कुछ सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं आपकी सरकार से पूछूंगा। लेकिन हम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वास्तविकता को समझें। यदि आप पुलिस बलों को परेशानी में डालने, बलों को हतोत्साहित करने पर अड़े हुए हैं तो इससे कुछ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, जब हम राज्य सरकार और राज्य पुलिस की कठिनाइयां समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां बैठे हुए कुछ सदस्य जिन्हें राज्य में सरकार चलाने का अनुभव नहीं है ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, राज्य जिम्मेदार है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। पुलिस बल का मनोबल गिराने की इंटेंशन कहीं भी नहीं है। आज जिस तरह से पुलिस बल के कैम्पों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम यह अनुरोध करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि पूर्व आतंकवादियों को जिस तरह फोर्स में शामिल कर रहे हैं, उनका कितना इंवोल्वमेंट इस हमले में है और उनकी सांठगांठ की क्या रिपोर्ट आई है। जो लोग आतंकवाद का रास्ता छोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उनको फोर्स में शामिल कर रहे हैं, उसका क्रिटेरिया क्या है? जब से वे फोर्स में शामिल हुए हैं, तब से, उनमें ये कितने लोग इस तरह की हरकत में पकड़े गये हैं, यह हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : उपाध्यक्ष जी, हमने जो नीति अपनाई है वह यह है कि कोई आतंकवाद की घटना करने के लिए, समाज से अलग होकर, आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल हुआ है, तो उसे वापस लाने की हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है। स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी इस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि इसके लिए आपको अगर कुछ पैसा चाहिए, तो केन्द्र सरकार से दिया जाएगा, मगर नीति उनको बनानी है, अमल उनको करना है।

जब कोई इस प्रकार वापिस आता है, तो उसे कहीं काम दिया जाता है। एक-दो केसिस में पुलिस के अंदर उन्हें काम दिया गया है। कुछ केसिस में देखा गया है कि उनकी जो गतिविधियां पहले थीं, उन्होंने वे चालू रखने की कोशिश की हैं। उनके ऊपर भी कार्यवाही की गई है। यह भी देखा गया है कि अगर कोई उधर से हथियार ले कर आता है, यहां आने के बाद कहता है, तो उसे पैसा भी दिया जाता है, ताकि वह फिर वापिस न जाए। लेकिन वह पैसा जम्मू कश्मीर के बैंक में रखा जाता है तथा तीन साल के बाद उन्हें दिया जाता है। अगर बिहार में ऐसा हो रहा है, तो हमने बिहार की सरकार से कहा है कि आप अपनी नीति बनाइए - हम पैसा देंगे, लेकिन नीति आप बनाइए। आप उन लोगों को तुरंत पैसा दे देंगे, तीन साल के बाद देंगे या नौकरी देंगे, यह राज्य सरकार को सुनिश्चित करना हैं मुश्किल यह है कि इन सारी चीजों के लिए राज्य सरकारों को पूरा स्वातंत्र्य दिया गया है और उन्हें अपनी नीति बनानी है। हम यहां से उनको पैसे के रूप में मदद कर रहे हैं। उन्होंने जो नीति बनाई है, उसके आधार पर अमल करने का काम उन्हें करना है।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : महोदय, मेरे विचार से प्रश्न का शीर्षक ही भ्रामक है। जब हम 'गठजोड़' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई समस्या अपनी जड़े गहरे तक स्थायी रूप से जमा चुकी है। गद्दार हर जगह होते हैं। दुर्भाग्य से वे इन सुरक्षा बलों में भी हैं और जहां मंत्री जी ने बताया है वहां भी हैं। ऐसे समाचार मिले हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि—रामपुर की घटना और जम्मू एवं कश्मीर के कुछ कैंपों में — उन्नति के लिए, तात्कालिक प्रशंसा के लिए या कोई अन्य पारितोषिक प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसे जानबूझकर किसी एक या दो सुरक्षाकर्मियों ने अंजाम दिया है, ऐसा जांच के बाद प्रकाश में आया है। क्या इन नये समाचारों के अतिरिक्त संसद की जानकारी में लाए जाने योग्य कतिपय अन्य कोई घटनाएं हैं? यदि हां, तो उन घटनाओं की संख्या क्या है जो प्रकाश में आई हैं और जिनमें बाहरी व्यक्तियों की बजाए भीतर के लोग संलिप्त हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? यदि हां, तो क्या मंत्री इस सभा को इसके बारे में बताने के इच्छुक हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, जहां तक ठीक प्रश्न का संबंध है, तो अपने उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में ऐसी केवल एक घटना घटी थी जो सीआरपीएफ से संबंधित थी। जहां तक बीएसएफ का संबंध है वर्ष 2008 में केवल एक घटना घटी थी। जहां तक जम्मू और कश्मीर पुलिस का संबंध है वर्ष 2006

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में 2 मामले सामने आए थे। यदि हम इन आंकड़ों की तुलना पुलिस अधिकारियों और बलों की विशाल संख्या से करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि बलों और उग्रवादियों या आतंकवादियों में सांठगांठ है, संभवत: ठीक नहीं होगा।

श्री उमर अब्दुल्ला : महोदय, माननीय मंत्री भलीभांति अवगत हैं कि जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति में कमी लाने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, बीएसएफ और सीआरपीएफ में समय-समय पर विशेष भर्ती की जाती है। समाचारपत्रों में जम्मू और कश्मीर से भर्ती किए जाने वाले अत्यंत कम लड़कों तथा जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी संगठनों में कतिपय संपर्क की बात कही गई है। समाचार किस हद तक सच है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या किया जा रहा है कि इन प्रचारों से उन अधिकांश लड़कों, जो मुसलमान हैं, के सम्मान को चोट न पहुंचे जो अपनी वर्दी और देश जिसकी वे सेवा करते हैं, के प्रति वफादार होते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : मेरे पास पूर्ण जानकारी नहीं है। हम इन मामलों पर यदा-कदा चर्चा करते हैं। जहां तक हमारी समझ में आया है इस प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है। यदि हमारे ध्यान में ऐसे एक या दो मामले भी लाए जाते हैं तो सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए हम जांच उनका ध्यानपूर्वक करते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, अगर आप जवाब चाहते हैं तो बहुत ब्रीफ में बोलिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, आप जानते हैं हमारी स्टेट में और देश में एक पॉलिसी बनाई गई जिसे सरेंडर पॉलिसी कहते हैं। जो लोग जेहनी तौर पर और आइडियोलिजिकली इन्वाल्व हैं, उनको जब हम पैरा-मिलिट्री फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्स में रिक्रूट करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उनको दूसरी जगहों पर रिहैबिलिटेट किया जाए? मैं कहना चाहता हूं कि इन मामलों में आप ऐसा बिल्कुल न करें। सवाल उनको रिहैबिलिटेट करने का है, यहां सवाल किसी मुस्लिम या हिन्दू का नहीं है। इसमें सवाल है कि जो भी मिलिटेन्ट हैं, उनको पैरा मिलीट्री या सिक्योरिटी फोर्सेज में रिक्रूट करना गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसको छोड़कर दूसरी जगहों पर उनको रिहैबिलिटेट करे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आसियान और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता

*265. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसियान के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और साथ ही यूरोपीय संघ के साथ भी एक अन्य व्यापार और निवेश समझौता करने की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसियान सहभागियों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भारत नई और उभरती हुई वैश्विक आर्थिक संरचना के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने में सक्षम होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) हेतु वार्ताएं इस समय चल रही हैं और दोनों पक्ष नकारात्मक सूचियों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ रियायतों हेतु रूपरेखाओं सहित प्रस्तावित करार के विभिन्न पहलुओं संबंधी विचार-विमर्श कर रहे हैं। वस्तु व्यापार करार हेतु वार्ताएं अंतिम स्तर पर हैं और केवल कुछेक मुद्दे समाधान हेतु शेष हैं।

अक्तूबर, 2007 के दौरान हेलसिंकी में आयोजित भारत-ईयू के 7वें शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्षों को व्यापार एवं निवेश करार संबंधी वार्ताओं में शामिल होना चाहिए। अब तक भारत और ईयू के बीच वार्ताओं के तीन दौर आयोजित किए जा चुके हैं। वस्तु व्यापार, गैर-टैरिफ मुद्दों, सीमाशुल्क सहयोग और व्यापार सुगमीकरण, उद्‌गम के नियम, आबंटन, प्रक्रियाओं, व्यापार सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर एवं जीआई, सेवाओं तथा निवेश संबंधी विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) आसियान-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) भारत के लोगों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा और इससे क्षेत्रीय आर्थिक संवर्धन में मदद मिलेगी। इससे दोनों पक्षों

के बीच वस्तु एवं सेवा व्यापार की गति और तेज करने तथा निवेश के मार्ग खोलने में भी मदद मिलने की आशा है। यह दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भावी समेकन हेतु एक कार्यक्षमता भी है।

[हिन्दी]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

*266. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-योजना स्कीम—'राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' के अंतर्गत राज्य सरकारों को गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष आबंटित, जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एम पी एफ) योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 से 2006-07 तक की अवधि के लिए निधियों की निर्मुक्ति एवं आबंटन तथा वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के दौरान उपयोग की गई तथा उपयोग न की गई बकाया निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान व्यय न की गई शेष बची राशि वाले राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) हालांकि, राज्य सरकारों को समय-समय पर प्रेरित किया जाता है कि वे निधियों का शीघ्र उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें, तथा वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के लिए राज्यों के पास लम्बित व्यय न की गई शेष राशि का समायोजन इस योजना के अंतर्गत 2007-08 के दौरान और जारी की जाने वाली राशि के समय किया जा रहा है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

राज्य के नाम	2002-03				2003-04				2004-05			
	आबंटित	निर्मुक्त निधियां	व्यय की की गई राशि	अव्ययित राशि	आबंटित	निर्मुक्त निधियां	व्यय की की गई राशि	अव्ययित राशि	आबंटित	निर्मुक्त निधियां	व्यय की की गई राशि	अव्ययित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	81.32	81.32	81.32	0.00	69.46	69.46	69.46	0.00	79.93	79.93	79.93	0.00
अरुणाचल प्रदेश	5.20	5.20	5.20	0.00	7.24	7.24	7.24	0.00	9.13	9.13	9.13	0.00
असम	16.50	16.50	15.98	0.52	36.52	36.52	35.92	0.60	41.37	41.37	41.37	0.00
बिहार	11.50	11.50	11.50	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	45.25	45.25	45.25	0.00
छत्तीसगढ़	16.70	16.70	16.53	0.17	17.47	17.47	17.41	0.06	32.72	32.72	32.56	0.16
गोवा	2.00	2.00	1.10	0.90	1.40	1.40	1.25	0.15	0.28	0.28	0.00	0.28
गुजरात	50.00	50.00	48.17	1.83	42.21	42.21	42.21	0.00	39.54	39.54	38.56	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	22.10	22.10	22.10	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	22.13	22.13	22.13	0.00
हिमाचल प्रदेश	6.20	6.20	6.20	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	2.57	2.57	2.57	0.00
जम्मू-कश्मीर	28.50	28.50	28.50	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	110.89	110.89	110.89	0.00
झारखंड	12.73	12.73	12.73	0.00	8.50	8.50	7.96	0.54	22.33	22.33	22.33	0.00
कर्नाटक	75.00	75.00	75.00	0.00	69.31	69.31	69.31	0.00	58.87	58.87	58.87	0.00
केरल	25.13	25.13	25.13	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	26.55	26.55	26.55	0.00
मध्य प्रदेश	51.33	51.33	51.24	0.09	48.24	48.24	48.24	0.00	42.27	42.27	42.06	0.21
महाराष्ट्र	67.94	67.94	67.94	0.00	62.84	62.84	60.83	2.01	71.00	71.00	68.84	2.16
मणिपुर	0.73	0.73	0.73	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	15.24	15.24	15.24	0.00
मेघालय	0.55	0.55	0.55	0.00	5.29	5.29	5.29	0.00	7.58	7.58	7.58	0.00
मिजोरम	5.50	5.50	5.50	0.00	8.47	8.47	8.47	0.00	7.45	7.45	7.45	0.00
नागालैंड	9.95	9.95	9.95	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	13.09	13.09	13.09	0.00
उड़ीसा	16.76	16.76	16.76	0.00	21.91	21.91	21.91	0.00	27.76	27.76	27.76	0.00
पंजाब	32.10	32.10	32.10	0.00	19.34	19.34	19.34	0.00	21.79	21.79	21.79	0.00
राजस्थान	16.17	16.17	16.17	0.00	43.10	43.10	42.98	0.12	42.67	42.67	42.58	0.09
सिक्किम	0.09	0.09	0.09	0.00	0.94	0.94	0.94	0.00	5.90	5.90	5.90	0.00
तमिलनाडु	68.10	68.10	68.10	0.00	54.98	54.98	54.98	0.00	56.78	56.78	56.78	0.00
त्रिपुरा	5.60	5.60	5.60	0.00	12.83	12.83	12.83	0.00	11.17	11.17	11.17	0.00
उत्तर प्रदेश	60.39	60.39	60.39	0.00	65.02	65.02	65.02	0.00	108.55	108.55	108.55	0.00
उत्तराखंड	6.58	6.58	6.58	0.00	7.41	7.41	7.41	0.00	7.99	7.99	7.99	0.00
पश्चिम बंगाल	0.33	0.33	0.33	0.00	2.17	2.17	2.17	0.00	29.20	29.20	29.20	0.00
कुल	695.00	695.00	691.49	3.51	705.27	705.27	701.79	3.48	960.00	960.00	956.12	3.88

(रुपए करोड़ में)

राज्य के नाम	2005-06				2006-07	
	आबंटित	निर्मुक्त निधियां	व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि	आबंटित	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	101.41	101.41	101.41	0.00	88.12	88.12
अरुणाचल प्रदेश	7.00	7.00	0.60	6.38	11.53	11.53
असम	56.58	56.58	48.86	7.82	52.18	52.18
बिहार	39.87	39.87	34.60	5.27	51.62	51.62
छत्तीसगढ़	40.74	40.74	35.45	5.29	57.06	57.06
गोवा	1.06	1.06	0.00	1.06	1.00	1.00
गुजरात	39.85	39.85	39.85	0.00	45.52	45.52
हरियाणा	14.95	14.95	14.95	0.00	19.69	19.69
हिमाचल प्रदेश	6.78	6.78	6.78	0.00	3.92	3.92
जम्मू-कश्मीर	109.22	109.22	104.38	4.84	88.13	88.13
झारखंड	40.74	40.74	40.73	0.01	47.00	47.00
कर्नाटक	65.85	65.85	65.85	0.00	64.15	64.15
केरल	18.84	18.84	18.84	0.00	24.53	24.53
मध्य प्रदेश	31.65	31.65	31.65	0.00	43.24	43.24
महाराष्ट्र	88.78	88.78	85.15	3.63	105.10	105.10
मणिपुर	16.97	16.97	16.97	0.00	14.09	14.09
मेघालय	6.57	6.57	6.57	0.00	8.59	8.59
मिजोरम	6.00	6.00	6.00	0.00	10.48	10.48
नागालैंड	17.52	17.52	17.52	0.00	22.68	22.68

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	35.08	35.08	34.85	0.23	38.00	38.00
पंजाब	20.31	20.31	20.26	0.05	15.00	15.00
राजस्थान	34.81	34.81	34.62	0.19	40.47	40.47
सिक्किम	2.43	2.43	2.15	0.28	3.46	3.46
तमिलनाडु	65.51	65.51	65.51	0.00	61.65	61.65
त्रिपुरा	11.83	11.83	4.60	7.23	11.34	11.34
उत्तर प्रदेश	98.12	98.12	98.12	0.00	94.28	94.28
उत्तराखंड	16.76	16.76	16.76	0.00	5.28	5.28
पश्चिम बंगाल	29.67	29.67	29.67	0.00	37.11	37.11
कुल	1025.00	1025.00	982.72	42.28	1065.00	1065.00

नोट: राज्यों से वर्ष 2006-07 के उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्रैल, 2008 में देय हो जाएंगे।

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	2002-03 अव्ययित राशि	2003-04 अव्ययित राशि	2004-05 अव्ययित राशि	2005-06I अव्ययित राशि	वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के लिए अव्ययित राशि
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38
असम	0.52	0.60	0.00	7.82	8.94
बिहार	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27
छत्तीसगढ़	0.17	0.06	0.16	5.29	5.68
गोवा	0.90	0.15	0.28	1.06	2.39
गुजरात	1.83	0.00	0.98	0.00	2.81

1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84
झारखंड	0.00	0.54	0.00	0.01	0.55
मध्य प्रदेश	0.09	0.00	0.21	0.00	0.3
महाराष्ट्र	0.00	2.01	2.16	3.63	7.8
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
राजस्थान	0.00	0.12	0.09	0.19	0.4
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23
कुल	3.51	3.48	3.88	42.28	53.15

नोट: राज्यों से वर्ष 2006-07 के उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्रैल, 2008 में देय हो जाएंगे।

विदेशियों का निर्वासन

***267. श्री रामदास आठवले :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने का अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान के अंतर्गत आज की तारीख तक राज्य-वार तथा देश-वार कितने अवैध विदेशी नागरिकों को संबंधित देशों को निर्वासित किया गया;

(घ) कितने विदेशियों के बारे में जांच कराई जा रही है; और

(ङ) उन्हें कब तक निर्वासित कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) देश में अवैध रूप में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक सतत् और चलती रहने वाली प्रक्रिया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने की शक्ति विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई है।

तीन वर्षों अर्थात् 2005, 2006 और 2007 (जून 2007 तक) के दौरान भारत निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों के संबंध में राज्य और देश-वार ब्यौरे उपलब्ध करवाने वाला एक विवरण संलग्न है।

यदि किसी विदेशी राष्ट्रिक के पास उपयुक्त/वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, अथवा कोई विपरीत बात नोटिस की जाती है अथवा वह वीजा की वैधता से अधिक अवधि तक रुकता है, तो भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश, उनके रुकने और निकासी से संबंधित कानूनों के उल्लंघन किए जाने के बारे में आवश्यक पूछताछ की जाती है। पूछताछ के पूरा होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि विदेशी राष्ट्रिक ने संबंधित कानूनों का उल्लंघन किया है, तो विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम,

1946 की धारा 3(2) (ग) के उपबंधों के अनुसार विदेशी राष्ट्रिक के विरुद्ध निर्वासन प्रक्रिया शुरू की जाती है। विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध की गई पूछताछ के बारे में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जाते।

विवरण

वर्ष 2005, 2006 और 2007 (जून तक) के दौरान भारत से निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों के राज्य और देश-वार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश	देशवार	निर्वासित किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की वर्ष-वार संख्या		
		2005	2006	2007*
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	बंगलादेश	63	–	165
	कम्बोडिया	–	–	18
	इंडोनेशिया	39	5	7
	म्यांमार	142	–	213
	श्रीलंका	7	–	4
	थाईलैंड	–	–	1
	चीन	25	–	–
	चीन (ताइवान)	6	–	–
	घाना	2	–	–
	फिलीपींस	10	–	–
आंध्र प्रदेश	अफगानिस्तान	–	–	1
	ईरान	–	–	4
	नाईजीरिया	–	3	–
	युगांडा	1	–	–
अरुणाचल प्रदेश	बंगलादेश	9	9	9
	बेलारुस	3	3	3

1	2	3	4	5
	चीन	1	2	4
	म्यांमार (बर्मा)	81	84	84
	राज्यविहीन-तिब्बत	11	11	11
	यूक्रेन	1	1	1
असम	बंगलादेश	2220	2221	1547
बिहार	अफगानिस्तान	9	9	9
	बंगलादेश	12	12	14
छत्तीसगढ़	बंगलादेश	–	1358	–
दिल्ली	अफगानिस्तान	92	131	14
	अंगोला	–	1	–
	अर्जेंटीना	–	–	1
	आस्ट्रेलिया	–	1	1
	अस्ट्रीया	1	–	–
	बहरीन	1	–	–
	बंगलादेश	5725	4824	1971
	बेल्जियम	1	–	–
	बुरुंडी	–	–	1
	कैमरून	–	1	–
	चीन	8	8	6
	चीन (ताइवान)	1	–	–
	इजिप्ट	–	–	1
	इरीटेरया	–	–	1

1	2	3	4	5
	इस्टोनिया	–	1	–
	इथोपिया	3	4	–
	फ्रांस	–	1	–
	जार्जिया	1	–	–
	गुयाना	1	–	–
	घाना	–	1	1
	ईरान	3	5	4
	इराक	1	–	–
	इस्राइल	1	3	1
	आइवरी कोस्ट	–	1	–
	जापान	1	1	–
	जोर्डन	1	1	1
	केन्या	10	4	1
	कजाकिस्तान	–	2	–
	मलेशिया	–	1	–
	मॉरिशस	–	1	1
	मंगोलिया	–	1	–
	मोजाम्बिक	–	1	–
	नेपाल	1	2	2
	नीदरलैंड	1	–	–
	नाईजीरिया	32	22	7
	फिलीस्तीन	1	–	1

1	2	3	4	5
	पाकिस्तान	9	10	–
	रशिया	1	1	–
	सऊदी अरब	–	3	2
	सेनेगल	–	1	–
	दक्षिण अफ्रीका	–	–	1
	साउथ कोरिया	–	1	–
	श्रीलंका	3	–	–
	राज्यविहीन तिब्बत	1	–	–
	सूडान	7	5	2
	तंजानिया	3	1	2
	थाईलैंड	1	–	–
	तुर्की	–	2	1
	युक्रेन	–	1	–
	यूएसए	1	2	1
	युगांडा	1	1	1
	यूनाईटिड किंगडम	–	–	1
	उजबेकिस्तान	1	2	1
	यमन	2	1	1
	यूगोस्लाविया	1	–	–
गोवा	आस्ट्रेलिया	–	2	–
	क्रोशिया	1	–	–
	इरिटेरिया	–	1	–

1	2	3	4	5
	फ्रांस	2	2	1
	जर्मनी	—	6	1
	ईरान	3	—	—
	इस्राइल	—	3	1
	इटली	—	—	2
	कजाकिस्तान	—	1	—
	नीदरलैंड	2	—	1
	नाईजीरिया	2	4	—
	रशिया	6	4	5
	स्पेन	—	1	—
	स्विटजरलैंड	—	—	1
	यूक्रेन	—	4	—
	यूनाईटिड किंगडम	—	4	7
	यू एस ए	—	1	—
	यमन	—	1	1
	यूगोस्लाविया	—	1	—
गुजरात	बंगलादेश	29	18	20
	फ्रांस	—	1	—
	नाईजीरिया	—	—	2
	अन्य	—	—	2
हरियाणा	बंगलादेश	7	21	116
	केन्या	1	—	—

1	2	3	4	5
	यूनाईटिड किंगडम	–	–	1
हिमाचल प्रदेश	चीन	–	1	–
	फ्रांस	–	–	1
	हांगकांग	–	1	–
	इस्राइल	–	1	–
	इटली	2	–	–
	जापान	2	–	–
	नाईजीरिया	–	2	1
	श्रीलंका	1	–	–
	यूनाईटिड किंगडम	–	–	1
झारखंड	अफगानिस्तान	–	–	1
कर्नाटक	ईरान	2	–	1
	इराक	1	–	–
	इटली	–	1	–
	यू एस ए	3	–	–
	यूनाईटिड किंगडम	1	–	–
	जाम्बिया	–	–	1
केरल	आस्ट्रेलिया	2	–	–
	बहरीन	1	–	–
	बंगलादेश	2	–	1
	कनाडा	3	–	1
	चीन (ताइवान)	–	1	–

1	2	3	4	5
	डेनमार्क	1	–	–
	फ्रांस	1	1	1
	जर्मनी	2	1	–
	मलेशिया	1	–	–
	मालदीव	3	2	2
	नीदरलैंड	–	–	1
	ओमान	–	1	–
	पाकिस्तान	1	–	–
	फिलीपीन	–	1	–
	रशिया	–	1	–
	सऊदी अरब	–	1	–
	श्रीलंका	14	1	4
	थाइलैंड	–	1	–
	यू एस ए	1	–	–
	यू ए ई	1	–	–
	यू के	9	–	–
मध्य प्रदेश	केन्या	–	2	1
	नाईजीरिया	–	1	–
	युगांडा	–	–	2
महाराष्ट्र	बंगलादेश	298	686	955
	कनाडा	–	1	–
	चीन	–	15	–

1	2	3	4	5
	चेक	–	1	–
	ईरिटेरिया	–	3	1
	इथोपिया	–	2	1
	हांगकांग	–	1	–
	इंडोनेशिया	–	1	–
	ईरान	–	3	–
	इराक	–	4	–
	जोर्डन	–	–	1
	केन्या	–	2	2
	मलेशिया	–	4	–
	मोरक्को	–	2	–
	नेपाल	–	31	–
	नीदरलैंड	–	1	–
	नाईजीरिया	–	22	–
	रोमानिया	–	1	–
	सऊदी अरब	1	–	–
	सिंगापुर	–	1	–
	सोमालिया	–	4	1
	दक्षिण अफ्रीका	–	3	–
	स्पेन	–	1	–
	श्रीलंका	–	18	1
	सूडान	–	5	8

1	2	3	4	5
	युगांडा	—	1	—
	यू ए ई	—	1	—
	यू एस ए	—	—	1
	यमन	—	1	10
मणिपुर	फ्रांस	—	2	—
	यू एस ए	3	—	—
मेघालय	बंगलादेश	—	136	54
मिजोरम	बंगलादेश	3	—	13
	म्यांमार	647	588	166
नागालैंड	नाईजीरिया	—	8	—
उड़ीसा	बंगलादेश	22	22	22
पंजाब	अफगानिस्तान	2	2	1
	बंगलादेश	140	93	35
	चीन	—	—	4
	नेपाल	—	—	1
	नाईजीरिया	—	1	3
	पाकिस्तान	154	90	—
	दक्षिण कोरिया	—	1	—
राजस्थान	अफगानिस्तान	—	2	—
	बंगलादेश	147	91	13
	फ्रांस	—	1	—
	जर्मनी	—	3	—

1	2	3	4	5
	केन्या	—	2	—
	नाईजीरिया	2	—	1
	पोलैंड	—	1	—
	सउदी अरब	—	—	3
सिक्किम	फ्रांस	—	—	3
तमिलनाडु	फ्रांस	—	—	1
	मलेशिया	1	—	—
	नाईजीरिया	—	2	—
	श्रीलंका	—	1	—
त्रिपुरा	बंगलादेश	2009	1806	886
उत्तर प्रदेश	बंगलादेश	146	122	52
	जर्मनी	1	—	—
	इस्राइल	1	—	—
	नाईजीरिया	—	3	—
	नोर्वे	—	1	—
	रशिया	—	—	1
	उजबेकिस्तान	—	1	—
उत्तराखंड	जर्मनी	—	1	—
	यू के	—	—	1
पश्चिम बंगाल	बंगलादेश	4084	2273	5081
	चीन (ताइवान)		—	—
	फ्रांस	1	—	—

1	2	3	4	5
	मोरक्को	4	—	—
	म्यांमार	11	1	—
	नेपाल	1	—	1
	नाईजीरिया	—	1	—
	रशिया	3	—	—
	थाईलैंड	—	—	32
कुल जोड़		16350	14933	11658

*पाकिस्तान रहित विदेशी।

[अनुवाद]

गैर-औपचारिक शिक्षा योजना

*268. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-औपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए दसवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को वर्षवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और उसके द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा योजना के 31.3.2001 को बंद कर दिए जाने के कारण दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को निधियां जारी नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता

*269. श्री रेवती रमन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों का राज्यवार अनुपात क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए अपेक्षित सुरक्षा कर्मियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार राज्यवार पुलिस-जनसंख्या अनुपात दर्शाने वाला एक चार्ट संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से अपने पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि करने और आसूचना एकत्रित करने के तंत्र में वृद्धि करने का अनुरोध नियमित रूप से कर रही है।

विवरण

(31.12.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ	पुलिस जनसंख्या अनुपात	
		प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिस कार्मिक	1000 जनसंख्या पर पुलिस कार्मिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	98	0.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	464	4.64
3.	असम	178	1.78
4.	बिहार	57	0.57
5.	छत्तीसगढ़	131	1.31
6.	गोवा	227	2.27
7.	गुजरात	152	1.52
8.	हरियाणा	149	1.49
9.	हिमाचल प्रदेश	187	1.87
10.	जम्मू-कश्मीर	505	5.05
11.	झारखण्ड	98	0.98
12.	कर्नाटक	92	0.92
13.	केरल	129	1.29
14.	मध्य प्रदेश	114	1.14
15.	महाराष्ट्र	147	1.47
16.	मणिपुर	554	5.54
17.	मेघालय	360	3.60
18.	मिजोरम	768	7.68
19.	नागालैंड	558	5.58
20.	उड़ीसा	99	0.99
21.	पंजाब	276	2.76
22.	राजस्थान	104	1.04
23.	सिक्किम	631	6.31
24.	तमिलनाडु	129	1.29
25.	त्रिपुरा	591	5.91
26.	उत्तर प्रदेश	83	0.83
27.	उत्तराखंड	146	1.46
28.	पश्चिम बंगाल	94	0.94
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	693	6.93
30.	चंडीगढ़	398	3.98
31.	दादरा व नगर हवेली	87	0.87
32.	दमन व दीव	123	1.23
33.	दिल्ली	348	3.48
34.	लक्षद्वीप	463	4.63
35.	पाण्डिचेरी	201	2.01
	कुल	126	1.26

भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध

*270. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री नन्द कुमार साय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान कुछ देशों ने विभिन्न भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो देशवार और फलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों के साथ इस मामले पर बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारतीय फलों के आयात पर विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

देश	फलों के नाम जिनके लिए बाजार	कारण
चीन	अमरूद, तरबूज, खरबूजा/हामीमेलन, पपीता, अनार, चीकू एवं सीताफल सहित 14 फल एवं सब्जियां	किसी पादप स्वच्छता संबंधी संधि के अभाव में इन फलों के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है।
जापान	अंगूर और आम	फल मक्खियों की कथित उपस्थिति के कारण अंगूरों के आयात पर प्रतिबंध है। आम की छह किस्मों के आयात पर से प्रतिबंध जून 2006 में हटा लिया गया था।
अमरीका	आम और अनार	किसी पादप स्वच्छता संबंधी संधि के अभाव में आम के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी। इसकी अप्रैल, 2007 में अनुमति दी गई थी। संगरोध संबंधी अपेक्षाओं के कारण अनार के आयात की अनुमति नहीं है।
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	आम	फल मक्खियों और गुठली के घुन की मौजूदगी के कारण।
रूस	सभी फल	भारत से निर्यातित तिलहन के परेषण में कुछेक जीवित एवं मृत कीटों की कथित मौजूदगी के कारण जनवरी, 2008 में पादप आधारित उत्पादों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(ग) और (घ) सरकार उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित फलों के आयात पर से प्रतिबंध हटाने संबंधी मुद्दे को संबंधित सरकारों के साथ उठाया है। यह वार्ताओं/विचार-विमर्शों के विभिन्न चरणों में है। जहां चीन की सरकार ने फलों एवं सब्जियों के लिए कीट जोखिम विश्लेषण (पीआरए) शुरू करने हेतु समय मांगा है वहीं, आस्ट्रेलिया के संगरोध प्राधिकरण का एक शिष्टमंडल भारत में आम हेतु उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए अप्रैल, 2008 में भारत का दौरा करेगा। भारत ने अमरीका से अनार के आयात हेतु न्यूनीकरण विधियों का सुझाव देने का अनुरोध किया है। जापान की सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों की मांग है। रूस के संबंध में मामले को उनके साथ उठाया गया है।

(ङ) फलों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न उपाय करता रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलूर और तिरूवनंतपुरम स्थित

अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों, साझा पैक गृहों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना।

(ii) परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन करना तथा अवशेष निगरानी योजनाओं को कार्यान्वित करना, फलों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पैकेजिंग का विकास करना और फसल पूर्व एवं फसल पश्चात् संबंधी नियमों को तैयार करना।

(iii) फलों सहित कृषि उत्पादों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संवर्धनात्मक अभियानों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रमाणन निकायों एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपनी स्कीमों के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

*271. **श्री पंकज चौधरी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक देशवार, विशेषकर पाकिस्तान को चाय की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान को चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष 2007-08 के दौरान पाकिस्तान सहित सभी प्रमुख देशों को निर्यात के मूल्य के साथ निर्यातित चाय की कुल मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान भारत से पाकिस्तान को चाय के निर्यात की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पाकिस्तान को वर्ष 2004-05 में हुए 22.61 करोड़ रुपए के 4.68 मि.किग्रा. के निर्यात की तुलना में 2006-07 के दौरान निर्यात 90.67 करोड़ रुपए मूल्य के 14.06 मि.किग्रा. का हुआ अर्थात् 2004-05 की तुलना में 2006-07 के दौरान मात्रा में 200% और मूल्य में 301% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तथापि, वर्ष 2007-08 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान पाकिस्तान को हुए निर्यात में पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मात्रा के रूप में 72.8% और मूल्य के रूप में 78.7% की गिरावट दर्ज की गई थी।

(ग) केन्या, जो परंपरागत रूप से पाकिस्तान को चाय का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता रहा है, में वर्ष 2006 के दौरान सूखा पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप चाय के उत्पादन में गिरावट आई थी। इससे भारतीय निर्यातकों को बाजार के ज्यादा बड़े हिस्से पर कब्जा करने में मदद मिली जिसके फलस्वरूप वर्ष 2006-07 के दौरान पाकिस्तान को निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। तथापि, वर्ष 2007 के दौरान केन्या से चाय की आपूर्ति में वृद्धि और इसके साथ-साथ मोम्बासा नीलामी में केन्याई चाय की कीमतों में गिरावट आई थी। इससे केन्याई चाय को पाकिस्तान के चाय बाजार में फिर से स्थान बनाने में मदद मिली। डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की मजबूती से भी भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ जिसके परिणास्वरूप 2007-08 के दौरान निर्यातों में गिरावट आई।

(घ) और (ङ) चाय बोर्ड/सरकार द्वारा विश्व बाजार में भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं: विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करना, भारतीय चाय निर्यातों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विदेशों में भारतीय चाय की गुणवत्ता तथा छवि का संवर्धन करना आदि। ये कार्यकलाप चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करके तथा व्यापार शिष्टमंडलों को भेजकर संपन्न किए जाते हैं। चाय बोर्ड के प्रयासों में इसके लंदन, मास्को तथा दुबई स्थित विदेशी कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती है।

पाकिस्तान के बाजार में भारतीय चाय की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार/चाय बोर्ड द्वारा पाकिस्तान को चाय के निर्यात को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष, चाय बोर्ड के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 21 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2007 तक पाकिस्तान का दौरा किया। चाय सहित व्यापार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच रेलमार्ग को खोलने तथा पाकिस्तान में आयात टैरिफों में कमी करने के लिए आगे उपाय करने के प्रयास जारी हैं। पाकिस्तान ने जून, 2004 में चाय पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया था।

विवरण-I

भारत से चाय का प्रमुख देश-वार निर्यात

देशों के नाम	2006-07		2005-06		2004-05	
	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
रूसी परिसंघ	39.36	322.21	36.47	268.22	36.87	272.45
कजाकिस्तान	9.69	104.67	10.83	114.28	13.62	143.31
यू.के.	22.86	214.09	21.59	186.17	19.88	184.91
नीदरलैंड	3.13	48.00	2.78	36.30	2.98	39.56
जर्मनी	4.51	89.02	4.97	100.84	5.06	112.65
आयरलैंड	2.37	46.73	2.08	28.47	3.10	46.37
पोलैंड	3.94	35.00	4.00	31.30	4.71	34.64
यू.एस.ए.	8.76	138.99	9.30	138.30	7.93	115.98
यू.ए.ई.	22.77	231.22	26.78	265.87	24.28	271.42
ईरान	9.91	105.79	6.49	65.02	6.78	81.26
इराक	34.92	180.76	30.53	158.06	38.38	204.45
सऊदी अरब	1.12	11.04	1.27	12.49	0.82	8.79
ए.आर.ई.	3.40	25.32	0.74	5.05	0.05	0.28
अफगानिस्तान	9.44	51.76	3.52	16.53	1.82	10.34

1	2	3	4	5	6	7
सिंगापुर	0.47	7.22	0.49	6.92	0.73	7.58
श्रीलंका	3.08	29.14	2.69	25.03	3.24	27.06
केन्या	8.37	46.45	2.65	11.77	7.17	34.54
जापान	2.60	61.83	2.95	69.38	3.29	82.36
पाकिस्तान	14.05	90.67	10.71	43.87	4.68	22.61
आस्ट्रेलिया	4.49	89.05	4.76	81.95	4.90	83.31
अन्य देश	6.20	89.53	7.67	96.23	11.56	110.79

विवरण-II

वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिस.) के दौरान भारत से चाय का प्रमुख देश-वार निर्यात

देशों के नाम	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3
रूसी परिसंघ	23.55	185.55
कजाकिस्तान	5.71	56.71
यूक्रेन	0.77	5.47
उज्बेकिस्तान	0.03	0.33
अन्य सीआईएस	0.19	3.24
कुल सीआईएस	30.25	251.30
यू.के.	11.84	110.84
नीदरलैंड	1.88	29.071
जर्मनी	4.40	77.03
आयरलैंड	1.96	32.31
पोलैंड	2.76	23.90
यू.एस.ए.	5.58	88.66
कनाडा	0.62	7.73
यू.ए.ई.	16.86	162.86
ईरान	8.27	90.70
इराक	—	—
सऊदी अरब	0.99	8.46
ए.आर.ई.	3.80	24.51
तुर्की	003	0.45
अफगानिस्तान	4.97	25.67
सिंगापुर	0.18	3.34
श्रीलंका	2.06	17.69
केन्या	2.17	10.39
जापान	1.45	30.73

1	2	3
पाकिस्तान	3.33	17.22
आस्ट्रेलिया	3.83	70.75
अन्य देश	5.11	27.29
कुल	112.34	1111.54

[अनुवाद]

सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

*272. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी कम्प्यूटर शिक्षा को ठीक तरह से बढ़ावा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश की सरकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उन संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए धनराशि की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा अब तक राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" दिसम्बर, 2004 से कार्यान्वित की जा रही है जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालयों में, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। इस स्कीम के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी सुविधाएं, विषय-वस्तु, शिक्षक-प्रशिक्षण और विद्यार्थियों में कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान करने के लिए और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण और अध्ययन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां उनकी कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर संस्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के तहत वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	200.28	3750.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	444.81	267.26	0.00
3.	असम	0.00	0.00	1240.54
4.	चंडीगढ़	0.00	35.20	100.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	247.70	0.00
6.	दमन एवं दीव	25.00	0.00	0.00
7.	गोवा	292.50	0.00	571.50

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	0.00	11.25	1022.15
9.	हरियाणा	230.50	250.00	1250.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	570.06
11.	झारखंड	0.00	0.00	1074.00
12.	कर्नाटक	1200.00	1200.00	4558.00
13.	केरल	312.50	312.50	1016.00
14.	लक्षद्वीप	0.00	8.40	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	807.50
16.	महाराष्ट्र	0.00	337.50	500.00
17.	मिजोरम	150.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	319.59	327.37	1299.46
19	पुडुचेरी	0.00	34.47	259.53
20.	पंजाब	0.00	0.00	91.24
21.	राजस्थान	53.26	0.00	400.00
22.	सिक्किम	270.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	2.10	0.00	1312.50
24.	त्रिपुरा	0.00	603.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	3115.47
26.	उत्तराखंड	75.00	0.00	377.25
27.	पश्चिम बंगाल	393.17	0.00	964.33
	कुल	3768.43	3834.93	24279.53

[हिन्दी]

भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार

***273. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक भारत और पश्चिम एशिया के बीच देशवार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ख) क्या इन देशों में भारतीय निर्यात की पर्याप्त संभावना है;

(ग) इन देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने और साथ ही नए बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और चालू वर्ष 2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर) की अवधि के लिए भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार कारोबार संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पश्चिम एशियाई देशों को निर्यातों में बढ़ोत्तरी करने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में बाजार विकास सहायता प्रदान करना, बाजार पहुंच पहलों का समर्थन करना, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना और व्यावसायिक संपर्कों को सुदृढ़ करना शामिल है। भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों की द्विपक्षीय संयुक्त आयोगों और संयुक्त समितियों के जरिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। व्यापार कारोबार में मौजूदा प्रवृत्तियां प्राप्त सफलता की सूचक हैं। भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार कारोबार वर्ष 2004-05 में 21,752.52 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 68,880.26 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भारत-पश्चिम एशिया व्यापार

क्र.सं.	देश	2004-2005			2005-2006			2006-2007			2007-2008 अप्रैल-अक्तू.		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1.	बहरीन	156.46	121.87	278.33	192.25	189.56	381.81	182.31	469.17	651.48	120.24	336.49	456.73
2.	ईरान	1231.39	410.21	1641.6	1188.35	702.46	1890.81	1449.63	7621.38	9071.01	1400.93	5587.94	6988.87
3.	इराक	131.19	1.12	132.31	155.94	2.05	157.99	203.31	5521.71	5725.02	113.35	3319.83	34.33
4.	इजरायल	1005.76	988.11	1993.87	1201.50	1031.19	2232.69	1321.65	1076.59	2398.24	922.81	888.6	1811.41
5.	जोर्डन	128.25	355.89	484.14	184.97	442.33	627.3	178.97	470.85	649.82	123.62	378.28	501.9
6.	कुवैत	421.44	305.94	727.38	513.73	461.85	975.58	610.76	5985.28	6596.04	361.5	3610.83	3972.33
7.	लेबनान	67.46	20.46	87.92	71.84	18.51	90.35	66.87	11.1	77.97	50.71	4.42	55.13
8.	ओमान	267.67	20.61	288.28	408.43	265.59	674.02	626.52	459.83	1086.35	515.94	380.19	896.13
9.	कतर	209.42	672.85	882.27	259.34	901.62	1160.96	329.21	2066.53	2395.74	292.39	1345.46	1637.85
10.	सउदी अरब	1412.06	1301.15	2713.21	1809.77	1632.34	3442.11	2580.81	13353.13	15933.94	1931.17	9669.60	11600.77
11.	सीरिया	253.18	3.82	257	276.67	5.13	281.8	408.08	79.49	487.57	506.41	11.79	518.2
12.	सं. अरब अमीरात	7347.88	4541.10	11988.98	8591.79	4354.08	12945.87	12005.35	8607.45	20612.08	8853.26	7273.28	16126.54
13.	यमन गणराज्य	246.41	30.82	277.23	278.81	10	288.81	1185.03	2009.25	3194.28	691.52	1051.27	1742.79
	प. एशिया का कुल	12878.57	8873.95	21752.52	15133.39	10016.71	25150.1	21148.50	47731.76	68880.26	15883.85	33857.98	49741.83
	भारत का कुल % हिस्सा	15.42	7.96	11.15	14.68	6.72	9.97	16.75	25.89	22.18	18.44	25.51	22.73
	भारत का कुल	83535.94	111517.43	195053.37	103090.53	149165.73	252256.26	126232.34	184378.13	310610.47	86117.53	132735.57	218853.1

आंकड़ों का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता।

गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना

*274. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अपराधों के गवाह न्यायालयों में गवाही देने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की है और अपराधी प्रायः सजा से बच जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गवाहों के साथ अप्रिय घटनाएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) डराने-धमकाने के कारण गवाहों द्वारा गवाही देने से हिचकिचाने के आंकड़े, हालांकि इन पर कभी कभार प्रकाश डाला जाता है, नहीं रखे जाते हैं। भारतीय दंडसंहिता की धारा 195(क) में किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए डराने धमकाने के खिलाफ प्रावधान है। धारा 327, 329, 330, 331, 503 आदि में अवैध कार्य करने, आपराधिक तर्जना, अपमान एवं परेशान करने से किसी व्यक्ति को रोकने का प्रावधान है। विधि आयोग ने ''गवाह पहचान संरक्षण एवं गवाह संरक्षण कार्यक्रम'' विषय पर अपनी 198वीं रिपोर्ट में गवाहों की सुरक्षा करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है। चूंकि दंड विधि एवं प्रक्रिया विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्ट सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है।

प्रसार भारती द्वारा अर्जित राजस्व

*275. श्री अजीत जोगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रसार भारती द्वारा अर्जित राजस्व का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रसार भारती द्वारा अर्जित राजस्व उसके स्वयं के व्यय को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने और इसके विकास कार्यों के संचालन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा प्रसार भारती की राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने और इसके विकासात्मक कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए प्रसार भारती को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी निकाय है और सरकार इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। राजस्व में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना का प्रभावी उपयोग करने, समुचित योजना बनाने, विपणन करने और राजस्व उगाही की निगरानी करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन स्वयं प्रयास करते हैं। लोक सेवा प्रसारक होने के कारण, प्रसार भारती का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश के लोगों को सूचित व शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है। प्रसार भारती का राजस्व अर्जन, इसके प्रमुख कार्यकलापों का गौण उत्पादन मात्र ही हो सकता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार राजस्व अर्जन

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05			2005-06			2006-07		
		दूरदर्शन	आकाशवाणी	कुल	दूरदर्शन	आकाशवाणी	कुल	दूरदर्शन	आकाशवाणी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00		0.00	0.08		0.08	0.08		0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आंध्र प्रदेश	10.29	2.17	12.46	8.95	5.60	14.55	9.97	3.97	13.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.20		0.20	0.37		0.37	0.00		0.00
4.	असम	7.24		7.24	10.85		10.85	2.39		2.39
5.	बिहार	3.49	2.83	6.32	3.72	7.55	11.27	1.82	8.72	10.54
6.	छत्तीसगढ़	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
7.	दिल्ली	465.39	44.98	510.37	811.27	75.50	886.77	686.82	83.56	770.38
8.	गुजरात	4.67	0.68	5.35	4.71	1.19	5.90	7.05	1.24	8.29
9.	हरियाणा	0.09		0.09	0.09		0.09	0.10		0.10
10.	हिमाचल प्रदेश	0.05		0.05	0.26		0.26	0.67		0.67
11.	जम्मू-कश्मीर	0.09	0.65	0.74	0.12	1.12	1.24	0.52	1.39	1.91
12.	झारखंड	1.52		1.52	0.92		0.92	0.22		0.22
13.	कर्नाटक	9.38	2.28	11.66	9.96	3.87	13.83	7.08	4.78	11.86
14.	केरल	0.00		0.00	0.09		0.09	0.15		0.15
15.	मध्य प्रदेश	5.03	1.98	7.01	4.30	3.07	7.37	2.28	4.45	6.73
16.	महाराष्ट्र	24.85	63.08	87.93	26.75	98.30	125.05	36.46	106.48	142.94
17.	मणिपुर	0.20		0.20	0.40		0.40	0.00		0.00
18.	मेघालय	0.17		0.17	0.74		0.74	0.01		0.01
19.	मिजोरम	0.20		0.20	0.43		0.43	0.12		0.12
20.	नागालैंड	0.17		0.17	0.39		0.39	0.00		0.00
21.	उड़ीसा	4.97	0.90	5.87	5.29	1.18	6.47	4.29	1.15	5.44
22.	पंजाब	8.92		8.92	9.45		9.45	8.90		8.90
23.	राजस्थान	5.388	1.39	6.77	3.91	3.50	7.41	2.53	3.25	5.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	24.00	14.21	38.21	18.65	15.70	34.35	19.99	20.03	40.02
25.	त्रिपुरा	0.42		0.42	0.70		0.70	0.00		0.00
26.	संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़)	0.10	1.72	1.82	0.08	2.38	2.46	0.19	4.17	4.36
27.	संघ राज्य क्षेत्र (गोवा)	0.06		0.06	0.03		0.03	0.28		0.28
28.	संघ राज्य क्षेत्र (पांडिचेरी)	0.02		0.02	0.03		0.03	0.02		0.02
29.	उत्तर प्रदेश	70.68	4.50	75.18	9.11	5.41	14.52	8.18	4.99	13.17
30.	पश्चिम बंगाल	17.69	2.23	19.92	15.31	2.70	18.01	18.10	2.94	21.04
	कुल	665.27	143.60	808.87	946.96	227.07	1174.03	818.22	251.12	1069.34

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल व्यय और निधियों के स्रोत को दर्शाने वाला विवरण

योजनेत्तर

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	सहायता अनुदान	आई ई बी आर से पूरा किया गया अंतर
1	2	3	4
2004-05	1323.11	918.66	404.45
2005-06	1453.65	942.91	510.74
2006-07	1328.16	775.96	552.20
कुल	4104.92	2637.53	1467.39

1	2	3	4
राजस्व योजना			
2004-05	151.14	87.44	63.70
2005-06	243.31	135.11	108.20
2006-07	281.45	255.50	153.32
कुल	675.90	478.05	325.22
पूंजीगत योजना			
2004-05	124.11	90.61	33.50
2005-06	220.29	175.47	44.82
2006-07	276.29	40.02	287.84
कुल	620.69	306.10	366.16
कुल योग	5401.51	3421.68	2158.77

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता

*276. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वर्ष 2007 के दिसम्बर माह में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बैठक देश में तकनीकी शिक्षा की सुलभता, साम्यता, व्यापकता, वहनीयता, प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(घ) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को अगले उच्च स्तर तक लाने तथा इसे उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने हेतु सभी संभव प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पिछले दिसंबर में तकनीकी शिक्षा के विकास पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) उक्त सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा हुई।

(ग) सम्मेलन की कोई निर्णयात्मक भूमिका नहीं थी। तथापि, सम्मेलन में दिए गए कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार थे:-

I. पहुंच, समानता और समावेशन

(i) रियायतों और प्रोत्साहनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अन्य असंतुलन दूर किए जाएं।

(ii) शिक्षण शुल्क ढांचे को विनियमित किया जाए।

II. गुणवत्ता आश्वासन

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को कार्यक्रम-वार प्रत्यायन के साथ-साथ संस्थावार प्रत्यायन पर भी विचार करना चाहिए, प्रत्यायन ग्रेडिंग प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए।

III. पोलिटेक्निकों के विस्तार सहित जनशक्ति और कौशल आवश्यकता का मूल्यांकन

(i) उपलब्ध अवसंरचना का पूर्ण उपयोग करने के लिए दो पालियां चलानी चाहिएं। यह भी प्रस्तावित था कि अनौपचारिक तरीके द्वारा अर्जित कार्यकुशलता वाले कामगारों के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण की एक स्कीम शुरू की जानी चाहिए।

(ii) पोलिटेक्निकों को बाजार मांग के अनुसार सेवा क्षेत्र में पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए और पर्यटन, विमानन आदि जैसे आतिथ्य क्षेत्रों में भी विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।

IV. अकादमिक सुधार-पाठ्यचर्या संरचना, क्रेडिट प्रणाली और मूल्यांकन

(i) एक कतिपय साझी पाठ्यचर्या तैयार करनी चाहिए ताकि सभी तकनीकी संस्थाओं द्वारा उसकी एकरूपता सबको स्वीकार्य हो।

V. संकाय

प्रो. पी. रामा राव समिति रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जाएं।

VI. औद्योगिक-संस्थान संपर्क

उद्योगों को न केवल रोजगार कार्यकलापों और छात्र परियोजना कार्य में शामिल होना चाहिए बल्कि पाठ्यचर्या और संकाय विकास, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान कार्यकलाप आदि क्षेत्रों में भी शामिल किया जाना चाहिए।

VII. बदलते पर्यावरण और शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को उत्कृष्ट केन्द्र और उच्च अध्ययन केन्द्र स्थापित करने चाहिए।

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देश की तकनीकी संस्थाओं को विश्व-स्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अप्राधिकृत संस्थाओं के साथ ऐसी अनुमोदित संस्थाओं, जो गैर अनुमोदित कार्यक्रम चला रही हैं, से भी प्रभावशाली तरीके से निपटना चाहिए।

(iv) इसे और प्रभावशाली बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा आयोग को संशोधित किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाने की परिकल्पना की गई है जिसमें नए संस्थान आई आई टी और आई आई एम, आयोजना और वास्तुकला स्कूल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित करना, और संकाय विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र, प्रत्यायन और मूल्यांकन प्रणाली तथा संकाय विकास कार्यक्रमों में सुधार शामिल है।

प्राथमिक शिक्षा में नामांकन

*277. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक कक्षाओं में अब तक कुल कितने बच्चों का नामांकन किया गया है;

(ख) प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन से संबंधित आंकड़ों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या पद्धति/मापदंड अपनाया गया है;

(ग) ये आंकड़े किन-किन एजेंसियों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं;

(घ) क्या इस प्रकार एकत्रित आंकड़े विश्वसनीय होते हैं और प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की वास्तविक संख्या दर्शाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 2004-05 में प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में नामांकित बच्चों की कुल संख्या लगभग 13.08 करोड़ थी।

(ख) से (च) उपर्युक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं और सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ही इनकी प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय भी संकलित करने से पहले उनसे प्राप्त आंकड़ों की जांच करता है।

वैज्ञानिकों की कमी

*278. श्री रनेन बर्मन :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में रिक्तियों को भरने के लिए वैज्ञानिकों की भर्ती पर प्रतिबंध के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रगति प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रभाव को प्रकाशनों की संख्या, प्रभाव कारक और प्रस्तुत पेटेंट्स के रूप में नापा जाता है। जैसा कि उल्लिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान दस्तावेजों के द्वारा माप की गई है, भारत से वैज्ञानिक अनुसंधानों की उपलब्धि 4.5% के वैश्विक औसत की तुलना में प्रतिवर्ष 8% की दर से धीरे-धीरे बढ़ती आ रही है। फिर भी, प्रकाशनों के संदर्भ में भारत का रैंक 1985 में 8वें स्थान से परिवर्तित होकर 2006 में 14वें स्थान पर आ गया है जिसका कारण उभरते देशों का सापेक्ष अच्छा कार्य-निष्पादन है। परन्तु अनुसंधान एवं विकास में निवेशित प्रति डालर की प्रकाशन उपलब्धि के संदर्भ में भारत सभी देशों से आगे है। अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर सापेक्ष कार्य-

निष्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक प्रति दस लाख की आबादी पर अनुसंधान एवं विकास में पूर्णकालिक समतुल्य वैज्ञानिक पद हैं। भारत में प्रति दस लाख पर 115 वैज्ञानिक हैं जबकि चीन में यह संख्या इसकी 6 गुना से अधिक है, अमेरिका में 30 गुना अधिक है और फिनलैंड में 50 गुना अधिक है। सरकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों/सरकार द्वारा निधिकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में वैज्ञानिकों की भर्ती पर प्रतिबंध होने से कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारे देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों की मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी पदों की समझी गई समाप्ति पर छूट के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

*279. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की किसी योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें सामुदायिक रेडियो चलाने की अनुमति दी गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने की नीति को उदार बनाया है। नई नीति के अंतर्गत पहले से ही पात्र शैक्षिक संस्थाओं के अलावा, सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू), आई सी ए आर संस्थाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र, पंजीकृत सोसाइटी एवं स्वायत्तशासी निकाय तथा सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास जैसे 'गैर-लाभकारी' संगठन, सामुदायिक रेडिया स्टेशनों की स्थापना करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के पात्र हैं। नई नीति का उद्देश्य विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सिविल सोसाइटी की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है।

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को परिचालित करने की अनुमतिं दी गई है, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. डेक्कन डिवेलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
		2. आबिद अली खान एजूकेशनल ट्रस्ट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2.	बिहार	1. हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, कुर्हानी मुजफ्फरपुर, बिहार
		2. अयोध्या लाल कल्याण निकेतन, गोपालगंज, बिहार
3.	दिल्ली	1. सूपी गांव, मुक्तेश्वर, उत्तरांचल में दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट, न्यू दिल्ली फॉर कम्यूनिटी रेडिया स्टेशन
		2. ताराग्राम ओरछा, टीकमगढ़ जिला, मध्य प्रदेश में दि सोसाइटी फॉर डिवेलपमेंट आल्टर्नेटिव्स, न्यू दिल्ली फॉर कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन
		3. सिरौंज तहसील, विदिशा जिला, मध्य प्रदेश में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स, न्यू दिल्ली कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन
4.	झारखंड	1. श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट, धनबाद, झारखंड
5.	कर्नाटक	1. दि मैसूर रिसेटलमेंट एंड डिवेलपमेंट एजेंसी, बंगलौर, कर्नाटक
6.	केरल	1. वायानाद सोशल सर्विस, वायानाद, केरल
7.	महाराष्ट्र	1. मनविकास सामाजिक संस्था, सतारा, महाराष्ट्र

1	2	3
		2. जय जुई विचार मंच, शोलापुर, महाराष्ट्र
8.	मणिपुर	1. हुडोयू अकोयू रूरल डिवेलपमेंट सोसाइटी, सेनापति, मणिपुर
9.	उड़ीसा	1. यंग इंडिया, कोणार्क, उड़ीसा
10.	तमिलनाडु	1. पी जे सी टी सी कॉलेज में आल्टर्नेटिव फॉर इंडिया डिवेलपमेंट, चेन्नई, तमिलनाडु फॉर रैडियो स्टेशन, ऐड, नेनुआ मोड़, मेरल गांव, मेरल ब्लॉक, गढवा जिला, बिहार
11.	उत्तर प्रदेश	1. सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, गोला, जिला खेड़ा, उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

***280. श्री महावीर भगोरा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रसारित किए जा रहे फ्री-टु-एयर और पे-चैनलों का चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां केबल कनेक्शन नहीं हैं/दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) निजी प्रसारकों के फ्री-टु-एयर और पे चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस समय दूरदर्शन 30 टीवी चैनलों का परिचालन कर रहा है जोकि सभी फ्री-टु-एयर हैं। डी डी चैनलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। उपरोक्त के अलावा, लोक सभा टेलीविजन चैनल, जिसे लोक सभा सचिवालय द्वारा चलाया जाता है, भी एक फ्री-टु-एयर चैनल है।

(ख) से (ङ) सरकार ने देश में केबल टी वी व्यापन संबंधी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है इसलिए उन स्थानों के बारे में कोई सूचना नहीं है जहां पर केबल कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। स्थलीय पद्धति में डी डी-1 चैनल की कवरेज देश की लगभग 91.9% आबादी को उपलब्ध है। क्षेत्र-वार कवरेज लगभग 80.9% है।

दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी टी एच सेवा "डी डी डायरेक्ट+" के जरिए बहु चैनल टी वी कवरेज भी अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर समस्त देश में उपलब्ध है। इस प्रकार ऐसे स्थान, जहां केबल कनेक्शन नहीं हैं, दूरदर्शन की डी टी एच सेवा के जरिए टेलीविजन प्रसारण का अभिग्रहण कर सकते हैं।

विवरण-I

फ्री-टु-एयर चैनलों की सूची

1. अलामी सहारा
2. आर्शिवातम टी वी
3. आस्था इंटरनेशनल
4. आस्था टेलीविजन चैनल
5. अहिंसा
6. आकाश बी
7. ए एम टी वी
8. अमृता
9. आनंदा
10. एंगल टी वी
11. आर्शिवाद
12. एशियानेट (मलयालम)
13. एशियानेट न्यूज
14. एशियानेट प्लस

15. आस्ट्रेलिया नेटवर्क
16. आजाद
17. बी टी वी
18. बी 4 यू म्यूजिक
19. बल्ले बल्ले
20. भक्ति
21. बिज 24
22. ब्लेसिंग टी वी
23. बॉलीवुड टी वी
24. बूमरंग
25. वृंदावन टी वी
26. बिजनेस टुडे
27. केयर टी वी
28. केयर वर्ल्ड
29. सी सी टी वी-9
30. चैनल (वी) इंटरनेशनल
31. चैनल 10
32. चैनल 8
33. चैनल नं. 1
34. छुट्टी
35. सी टी वी एन-ए के डी-प्लस
36. डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क
37. दिल्ली टीवी
38. डच वेले टीवी
39. धालीवाल टीवी
40. ई-24
41. इंटर-10
42. ईरा चैरल
43. ई टीवी असम
44. ई टीवी बिहार (हिन्दी)
45. ई टीवी मध्यप्रदेश (हिन्दी)
46. ई टीवी मलयालम
47. ई टीवी पंजाब
48. ई टीवी राजस्थान (हिन्दी)
49. ई टीवी तमिल
50. ई टीवी यू पी (हिन्दी)
51. ई टीवी उर्दू
52. फोकस उर्दू
53. एफ टीवी
54. गॉड टीवी
55. गोल्डन सिनेमा
56. एच बी एन
57. होम शॉप 18
58. आई बी एन 7
59. इमायम टीवी
60. इण्डिया न्यूज
61. इण्डिया टीवी
62. इण्डिया विजन न्यूज

63. जे मूवी
64. जय हिन्द
65. जैन टीवी
66. जया मैक्स
67. जया प्लस
68. जया टीवी
69. जीवन टीवी
70. झंकार मूवीज
71. जस्ट टीवी म्यूजिक
72. जस्ट टीवी पंजाब
73. केराली
74. कलाइंगर इसाई अरूवी
75. कलाइंगर टीवी
76. कस्तूरी
77. केबी एस वर्ल्ड
78. खालसा वर्ल्ड
79. खोज टीवी
80. किरण टीवी
81. कोलकाता टीवी
82. लम्हास क्लासिक
83. लेमन टीवी
84. लाइफ 24
85. लाइव इंडिया
86. एम एच वन न्यूज
87. एम एच वन श्रद्धा
88. एम-3
89. मां भक्ति
90. मां म्यूजिक
91. मां न्यूज
92. महुआ
93. मक्काल टीवी
94. मालेमाला
95. माना तेलुगु
96. मनोरमा न्यूज सेंटर
97. मनोरमा इंटरनेशनल
98. मनोरमा न्यूज नॉर्थ
99. मनोरमा न्यूज साउथ
100. मनोरंजन टीवी
101. मेरीन बिज टीवी
102. मेगा
103. एम एच 1
104. मी मराठी
105. मूवी ऑन डिमांड इंगलिश
106. मूवी ऑन डिमांड हिन्दी
107. म्यूजिक इंडिया
108. नक्षत्र टीवी
109. एनडी टीवी गुड टाइम्स
110. एनडी टीवी इमेजिंग

111. एनडी टीवी मेट्रो नेशन
112. एनडी टीवी मेट्रो नेशन बंगलोर
113. एनडी टीवी मेट्रो नेशन चेन्नई
114. एनडी टीवी मेट्रो नेशन कोलकाता
115. एनडी टीवी मेट्रो नेशन मुंबई
116. नी बंगला
117. नी हाई फाई
118. नी टेलीविजन
119. नेपाल 1
120. न्यूज 24
121. न्यूज लाईव
122. न्यूज एक्स
123. एन टीवी
124. ओ टीवी
125. पी बी सी टीवी
126. प्यूपल
127. पावर विजन
128. प्राज्ञा टीवी
129. पी टी सी पंजाबी न्यूज
130. पंजाब टुडे
131. आर टीवी
132. राज
133. राज म्यूजिक
134. राज न्यूज
135. राज न्यूज तेलुगु
136. रीयल इस्टेट
137. रियल्टी टीवी
138. एस 1 तड़का
139. एस 1 टीवी
140. शाम टीवी
141. साधना
142. सहारा समय बिहार
143 सहारा समय एम पी
144. सहारा समय मुंबई
145. सहारा समय एन सी आर
146. सहारा समय राष्ट्रीय
147. सहारा समय यू पी
148. सहारा टीवी
149. समय
150. संगीत बंगला
151. संस्कार
152. संस्कृति
153. सत्संग
154. सत्य टीवी
155. सेट मैक्स
156. शक्ति टीवी
157. सलोम टेलीविजन
158. सितारा

159. सोभाग्य
160. स्पेस
161. स्पेसटून किड्स टीवी
162. स्पलेस टीवी
163. श्री वेंकटेश्वरा
164. एस एस म्यूजिक
165. स्टैंडर्ड वर्ल्ड
166. स्टार मार्जा
167. स्टार आनंदो
168. स्टार न्यूज
169. स्टार उत्सव
170. एस टीवी गोवा न्यूज
171. एस टीवी हरियाणा न्यूज
172. एस टीवी यू पी न्यूज
173. सुबह वार्ता
174. सुदर्शन
175. सुर संगीत 2
176. सूर्य टीवी
177. सुवर्ण
178. सुवर्ण न्यूज
179. तमिलन टेलीविजन
180. तारा म्यूजिक
181. तारा न्यूज
182. तारा पंजाबी
183. टीवी एन चैनल
184. टी सी एम टर्नर क्लासिक
185. तहकीकात
186. टाइम टीवी
187. टी एम जी एंटर
188. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया
189. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया बंगला
190. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया गुजराती
191. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल
192. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया मराठी
193. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया म्यूजिक
194. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया एन सी आर
195. टी एम एल वाईज ऑफ इंडिया यू पी
196. टॉपर
197. टोटल टीवी
198. तुलसी
199. टीवी 100
200. टीवी 5
201. टीवी 5 मौंडे
202. टीवी 9
203. टीवी 9 गुजरात
204. टीवी 9 कन्नड़
205. टीवी 9 मुंबई
206. टीवी 9 एन सी आर

207. टी वी सी ऑन लाइन

208. उदय टीवी ॥

209. यूनिटी-हरियाली

210. यू टीवी न्यूज

211. वसंत

212. विरसा टीवी

213. वोयेग्स टीवी

214. वी

215. वेलनेस

216. विन टीव

217. यॅस इंडिया विजन

218. ये म्यूजिक

219. जी गुजराती न्यूज

220. जी पंजाबी न्यूज

221. जी आर एक्स

222. जी ट्रेंड

पे टीवी चैनलों की सूची

1. 24 घंटा

2. 9 एक्स

3. 9 एक्स एम

4. आज तक

5. आज तक तेज

6. एक्शन सिनेमा

7. आदित्य टीवी

8. एनीमल प्लानेट

9. एनीमेक्स

10. आवाज

11. ए एक्स एन

12. बी 4 यू मूवीज

13. बिंदास

14. बी बी सी इंटरटेनमेंट

15. बी बी सी वर्ल्ड

16. बिंदास मूवीज

17. कार्टून नेटवर्क

18. सीबीबीज

19. चैनल (V)

20. क्लासिक सिनेमा

21. सी एन बी सी टीवी 18

22. सी एन एन आई बी एन

23. सी एन एन इंटरनेशनल

24. दिल्ली आज तक

25. डिस्कवरी चैनल

26. डिस्कवरी ट्रेवल एंड लीविंग

27. डिजनी चैनल

28. इ एस पी एन

29. इ टी सी हिन्दी

30. इ टी सी पंजाबी

31. इ टी वी 2

32. इ टी वी बंगाली
33. इ टी वी गुजराती
34. इ टी वी कन्नड़
35. इ टी वी मराठी
36. इ टी वी उड़िया
37. इ टी वी तेलगु
38. जेमिनी केबल विजन
39. जेमिनी म्यूजिक
40. जेमिनी न्यूज
41. जेमिनी टीवी
42. एच बी ओ
43. हेडलाइंस टुडे
44. हंगामा टीवी
45. जागरण
46. के टीवी
47. मां टीवी
48. एम टीवी
49. नेशनल ज्यौग्राफिक
50. एन डी टीवी 24x7
51. एन डी टीवी इंडिया
52. एन डी टीवी प्रोफिट
53. नियो स्पोर्ट्स
54. नियो स्पोर्ट्स +
55. निक
56. प्ले टीवी
57. पोगो
58. प्रीमियर सिनेमा
59. राज डिजीटल प्लस
60. राज टीवी
61. सब
62. सहारा फैमिली
63. सहारा हिट म्यूजिक
64. सहारा वन
65. सैट पिक्स
66. स्माइल टीवी
67. सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन (सैट)
68. स्टार क्रिकेट
69. स्टार गोल्ड
70. स्टार मूवीज
71. स्टार वन
72. स्टार प्लस
73. स्टार स्पोर्ट्स
74. स्टार वर्ल्ड
75. सन म्यूजिक
76. सन न्यूज
77. सन टीवी
78. तेजा न्यूज
79. तेजा टीवी

80. टेन स्पोर्ट्स

81. द हिस्ट्री चैनल

82. द एम जी एम

83. टाइम्स नाउ

84. टून डिजनी

85. उदय मूवीज

86. उदय न्यूज

87. उदय टीवी

88. उदय वर्येगलू

89. उवे टीवी

90. यू टीवी मूवीज

91. वी एच 1

92. विजय

93. विसा

94. वर्ल्ड मूवीज

95. जी 24 ताश

96. जी बंगला न्यूज

97. जी बिजनेस

98. जी कैफे

99. जी सिनेमा

100. जी कन्नड़

101. जी मराठी न्यूज

102. जी म्यूजिक

103. जी न्यूज

104. जी नेक्सट

105. जी स्पोर्ट्स

106. जी स्टुडियो

107. जी टॉकिज

108. जी तेलगु

109. जी टीवी

110. जूम टीवी

विवरण-II

दूरदर्शन चैनल

I. राष्ट्रीय चैनलः

1. डी डी 1
2. डी डी (न्यूज)
3. डी डी स्पोर्ट्स
4. डी डी - भारती
5. डी डी - उर्दू
6. डी डी - राज्य सभा
7. डी डी - ज्ञान दर्शन
8. डी डी - इंडिया (इंटरनेशनल चैनल)

II. क्षेत्रीय भाषायी उपग्रह चैनलः

1. डी डी - बांग्ला
2. डी डी - चंदाना
3. डी डी - गुजराती
4. डी डी - कशीर
5. डी डी - पूर्वोत्तर

6. डी डी - उड़िया

7. डी डी - पोढ़िगई

8. डी डी - सह्याद्रि

9. डी डी - सप्तगिरी

10. डी डी - मलयालम

11. डी डी - पंजाबी

III. राज्य नेटवर्क

चैनल	राज्य	केन्द्र
डी डी - 14	राजस्थान	जयपुर
डी डी - 15	मध्य प्रदेश	भोपाल
डी डी - 16	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
डी डी - 17	बिहार	पटना
डी डी - 19	हिमाचल प्रदेश	शिमला
डी डी - 20	झारखंड	रांची
डी डी - 21	छत्तीसगढ़	रायपुर
डी डी - 22	हरियाणा	हिसार
डी डी - 23	उत्तरांचल	देहरादून
डी डी - 24	त्रिपुरा	अगरतला
डी डी - 25	मिजोरम	आइजोल
योग 8 + 11 + 11 = 30		

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्य में अपहरण और आतंकी हमले

2533. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने हाल ही में वर्ष 2001 से पूर्वोत्तर राज्यों में अपहरण और आतंकी हमलों की घटनाओं के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में जनजातीय लोगों के बीच वन भूमि पर अपने भूमि अधिकारों के बारे में व्याप्त अनिश्चतता को निरंतर विद्रोह, आतंक और उग्रवाद का कारण माना गया है; और

(ग) वन भूमि अधिकार अधिनियम के संदर्भ में जनजातीय लोगों के बीच व्याप्त उक्त अनिश्चिता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों से विकास के संबंध में रिपोर्टें जिनमें हिंसा की घटनाओं, उपहरण आदि से संबंधित रिपोर्टें भी शामिल हैं, सरकार द्वारा आवधिक अंतराल से प्राप्त की जा रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत

2534. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्कूलों में 'वंदे मातरम्' के गायन को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसे शुरू किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सरकारी स्कूलों में 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लौह अयस्क के निर्यात में लदान समस्या

2535. श्री के.एस. राव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क निर्यातों की संभलाई के लिए प्रमुख पत्तनों पर लदान सुविधाएं तथा उपलब्ध क्षमताएं तथा परिचालन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पत्तनों पर लदान प्रक्रिया में गड़बड़ी है जिसके चलते लौह अयस्क के निर्यात में कमी हुई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आवागमन तथा निर्यात के लिए लौह अयस्क की लदान सभी बाधाओं को दूर करके अवसंरचना की पुनरीक्षा करने तथा इसमें सुधार लाने पर विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लदान प्रक्रिया के दौरान लोहे की हानि को रोकने के लिए समूचे परिचालन के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तानी शरणार्थियों हेतु नागरिकता

2536. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर तथा अन्य देशों से काफी बड़ी संख्या में शरणार्थियों की नागरिकता, अधिवास या निवास स्थिति अब तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें वंचित किए जाने वाले संपत्ति तथा रोजगार अधिकारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी भारत के नागरिक हैं और उन्हें संसदीय चुनावों में वोट देने के लिए अपने अधिकारी का प्रयोग करने की अनुमति है। तथापि, चूंकि ये जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी नागरिक नहीं हैं इसलिए, उन्हें राज्य विधान सभा के चुनावों में मद देने की अनुमति नहीं है। वर्ष 1947 में, विभाजन के दौरान, 5,674 परिवारों ने, जिनमें 47,215 लोग थे, पश्चिम पाकिस्तान से प्रवासित हुए और वे राज्य के जम्मू डिवीजन के जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों में बस गए। वर्तमान में, परिवारों की संख्या 24,200 और 1,50,000 लोगों (लगभग) तक होने की सचूना है।

इन शरणार्थियों द्वारा सामना की गई अयोग्यताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वे जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं;

(ii) वे ऋण लेने के लिए अपने कब्जे वाली भूमि को बंधक नहीं रख सकते हैं;

(iii) वे राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी पाने के पात्र नहीं हैं;

(iv) उनमें शामिल अनुसूचित जाति के लोग राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे का लाभ नहीं उठा सकते हैं; और

(v) उनके बच्चें राज्य में सरकारी व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने के पात्र नहीं हैं।

(घ) शरणार्थियों द्वारा सामना की गई अयोग्यताओं के मामले जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार का विषय है।

अनुसंधान गतिविधियों का संवर्धन

2537. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री नरहरि महतो :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कोई इन्नोवेशन इन साइंस परशूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च, (आईएनएसपीआईआरई) कार्यक्रम का संवर्धन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से चयन किए जाने वाले वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आकर्षक रोजगार अवसर जुटाने तथा प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन तथा इसमें कैरियर हेतु एक विशिष्ट शिक्षावृत्ति स्कीम जिसका नाम "इन्नोवेशन इन साइंस परशूट फॉर इन्सपायर्ड रिसर्च (आईएनएसपीआईआरई)" है, की स्थापना की है। इन्सपायर की मुख्य विशेषताएं हैं : (क) 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के कुल दस लाख युवा शिक्षार्थियों के लिए उनके स्कूल कैरियर में एक बार पांच हजार रुपये की विज्ञान नवोन्मेष छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष दसवीं कक्षा की परीक्षा में शीर्षस्थ 1% निष्पादकों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विज्ञान में भारत के अग्रणी विद्वानों सहित विज्ञान में विश्व के अग्रणी विद्वानों के माध्यम से परामर्श प्रदान करना; (ख) 17-22 वर्ष की आयु वर्ग के 10,000 उम्मीदवारों को बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. स्तरों तक विज्ञान शिक्षा जारी रखने के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से उच्च शिक्षा हेतु शिक्षावृत्ति (एसएचई) एवं (ग) 22-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 युवा अनुसंधानकर्ताओं को विज्ञान में डॉक्टोरल अनुसंधान करने के लिए 5 वर्ष हेतु अनुसंधान कैरियर अवसर (एओआरसी) तथा उनके पी. एचडी. पूर्ण करने पर अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुसमर्थित कैरियर अवसर स्कीम। इन्स्पायर कार्यक्रम, जैसा कि यह विज्ञान के लिए अभिरूचि रखने वाले और नवोन्मेष करने के इच्छुक युवाओं को उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक अवसर प्रदान कर विज्ञान को एक कैरियर विकल्प के रूप में प्रदान करता है, अपेक्षाकृत अधिक विज्ञान छात्रों और पीएच.डी. की ओर अभिमुख करने तथा वैज्ञानिक समुदाय के समूह में वृद्धि करने में सहायता करेगा जो प्रतिभा पलायन रोकने के साथ-साथ भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।

इस स्कीम में पश्चिम बंगाल सहित उपलब्ध शिक्षावृत्तियों को विभिन्न बोर्डों के छात्रों को, संबंधित बोर्डों में परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या के आधार पर वितरित करना निहित है। इन्स्पायर कार्यक्रम के लिए संपूर्ण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2250 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया गया है तथा जो वर्तमान में विभिन्न सरकारी स्तरों पर अनुमोदन के स्तरों पर है।

[हिन्दी]

निजी शैक्षिक संस्थानों की निगरानी

2538. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में उच्चतर शिक्षा दे रहे निजी शैक्षिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपर्युक्त संस्थान गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन संस्थानों के परिचालन की निगरानी के संबंध में कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (ङ) इस समय निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्तरों को अनुरक्षण) द्वारा विनियमित होते हैं। तथापि समविश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेष समिति गठित की है जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2008 (विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं) का प्रारूप तैयार किया है। स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके अब ये आयोग के विचाराधीन है।

लिब्रहान आयोग

2539. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिब्राहन आयोग का कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग ने अब तक कोई अंतरिम रिपोर्ट सरकार को पेश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आयोग पर अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ख) जी हां, श्रीमान। लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग का कार्याकाल 30.03.2008 तक बढ़ाया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) दिनांक 11.03.2008 तक आयोग पर 747.28 लाख रु. व्यय किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

गुजरात हिंसा पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच

2540. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में यह कहा है कि गुजरात हिंसा का राज्य से बाहर तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात दंगे के मामलों की फिर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश सम्प्रेषित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गुजरात राज्य और अन्यों के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (आपराधिक) सं. 109 यह अनुरोध करते हुए दायर की है कि 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित नाजुक मामलों को सी बी आई को सौंपा जाए। एन एच आर. सी ने भी गुजरात राज्य और अन्यों के विरुद्ध कुछ नाजुक मामलों को गुजरात राज्य से बाहर न्यायालय में स्थानान्तरित करने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरण याचिका (आपराधिक) सं. 194-202, 2003 दायर की है। मामला विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन पर व्यय

2541. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने विज्ञापनों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से भेजने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दुर्गम क्षेत्रों तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों के संवर्धन हेतु सूचीबद्ध करने के लिए योग्यता शर्तों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ख) जी, हां। मीडिया अभियानों की अधिक

संख्या और विज्ञापन दरों में वृद्धि होने के कारण पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दिनांक 2 अक्तूबर, 2007 से लागू सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, प्रदर्शन विज्ञापनों सहित अपने विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) के माध्यम से भेजेंगे। तथापि, वे केवल डी ए वी पी की दरों पर पैनल में शामिल समाचार पत्रों में निविदा संबंधी सूचना सीधे जारी कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय और भारत सरकार की समितियां सभी विज्ञापनों को मानदंडों के अनुसार पैनल में शामिल समाचार पत्रों में डी ए वी पी की दरों पर सीधे जारी कर सकते हैं।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। 2 अक्तूबर, 2007 से लागू विज्ञापन नीति में समाचार पत्रों को पैनल में शामिल करने संबंधी पात्रता शर्तों को राज्य सरकार द्वारा यथा प्रमाणित बोडो, गढ़वाली, डोगरी, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाओं और जनजातीय भाषाओं/बोलियों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों अथवा जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 6 माह से नियमित व निर्बाध रूप से प्रकाशित होने वाले और 500 प्रतियों की सशुल्क प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के लिए पहले ही शिथिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं में प्रकाशित लघु एवं मझौले समाचार पत्रों के लिए अर्हता-अवधि अब 18 माह की होगी।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की अवधि के लिए राज्य-वार व्यय

(रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 (प्रतिबद्ध) 13.3.2008 तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49578420	71865249	80595136
2.	असम	15583124	18712899	22064249
3.	बिहार	27426964	44358731	41704943
4.	गुजरात	68453311	81636344	73751117
5.	हरियाणा	13048694	16772582	18207888
6.	हिमाचल प्रदेश	4253005	5953195	5391596
7.	जम्मू-कश्मीर	23738096	25176123	32327818
8.	कर्नाटक	34784185	49303245	58425828
9.	केरल	33261789	41281687	48171544
10.	मध्य प्रदेश	43973702	65674784	69807017
11.	महाराष्ट्र	166787054	229573081	207034131
12.	मणिपुर	4226663	4069850	5087980
13.	मेघालय	3253754	4551507	4900629
14.	नागालैंड	2167686	3049324	3262131
15.	उड़ीसा	29617096	41385958	45485685
16.	पंजाब	38953395	45600932	39274165
17.	राजस्थान	59288268	85236159	73603393
18.	सिक्किम	1135608	2180817	4858155
19.	तमिलनाडु	57682964	85752235	93142741
20.	त्रिपुरा	8329508	9109015	9084369
21.	उत्तर प्रदेश	99363528	127378021	129723129
22.	पश्चिम बंगाल	119831980	131795908	140619467
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह	00	4334	92695

1	2	3	4	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	1342843	1719985	3654228
25.	चंडीगढ़	31924497	42089222	32010299
26.	दादरा एवं नगर हवेली	00	00	00
27.	दिल्ली	524637756	675782218	644051448
28.	गोवा	3890021	6430138	5402932
29.	लक्षद्वीप	00	00	00
30.	मिजोरम	1646228	2302167	5316631
31.	पांडिचेरी	1082967	1582565	2541073
32.	दमन एवं दीव	446955	547149	2074705
33.	छत्तीसगढ़	14324195	20997170	24615206
34.	झारखंड	16186865	23960758	22616786
35.	उत्तरांचल	12294051	17175087	20329572
	कुल	1512515172	1983008439	1969228686

[हिन्दी]

राजस्थान में कारागारों का आधुनिकीकरण

2542. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान में कारागारों के आधुनिकीकरण हेतु कितना अंश प्रदान किया गया तथा वे कौन-कौन से शीर्ष हैं जिनके अंतर्गत उक्त राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कब तक उक्त योजना की द्वितीय चरण शुरू किया जायेगा; और

(च) प्रथम चरण के अन्तर्गत कार्य तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार को नए कारागारों के निर्माण, मरम्मत, पुनर्उद्धार और मौजूदा जेलों के विस्तार, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा जेलों में पानी और सफाई के सुधार हेतु जारी केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2005-06	5.4691
2006-07	2.1692
2007-08 (फरवरी 2008 तक)	9.9109
कुल	17.5492

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त दिनांक 17.3.2008 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार स्कीम के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाली 10 नई जेलों में से 5 जेलों का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त 18 नए बैरक जोकि निर्मित किए जाने थे, पूरे हो चुके हैं। निर्मित किए जाने वाले 361 स्टाफ क्वार्टरों में से 62 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो चुका है। जारी किए गए कुल 62.50 करोड़ रुपए (केन्द्रीय और राज्य अंशदान दोनों को मिलाकर) में से राज्य सरकार द्वारा कुल 49.1856 करोड़ रुपए किए गए हैं।

स्कीम जो कि 31.3.2007 को प्राप्त होनी थी, को परियोजना को पूरा करने में राज्य सरकार को सक्षम बनाने के लिए 31.3.2009 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् ही स्कीम के दूसरे चरण पर विचार किया जाएगा।

(च) स्कीम के कार्यान्वयन को समीक्षा बैठकों, आवधिक रिपोर्टों, स्थल दौरों आदि के जरिए मानीटर किया जाता है। राज्य सरकार से

समग्र परियोजना गतिविधि को 31.3.2009 तक पूरा करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. द्वारा जब्त किए गए हथियार

2543. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) द्वारा इस वर्ष जनवरी में असम के आंगलांग जिले के जंगलों से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जंगलों में गतिविधियां चलाने वाले सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आदि चालू वर्ष में आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को फैलने से रोकने और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 3 एके-47 राइफलें, 3 स्वाचालित राइफलें, 2 अन्य राइफलें, 1 स्टेनगन, 1 हथगोला लंचर, हथगोले, आईईडी और बड़ी संख्या में गोलाबारूद जब्त किए हैं।

(ग) और (घ) हालांकि किसी भी ग्रुप ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं, 1 अगस्त, 2002 से असम में कारबी ऐंगलांग जिले में सक्रिय उग्रवादी गुट यूनाईटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरीटी (यू.पी.डी.एस.) के वार्ता समर्थक धड़े के साथ त्रिपक्षीय अभियानों के स्थगन हेतु व्यवस्था लागू है। तथापि, इस क्षेत्र में कारबी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिब्रेशन फ्रंट (के.एल.एन.एल.एफ.) जैसे उग्रवादी गुटों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियां की जा रही हैं। वर्ष 2005 से 2008 (29.02.2008 तक) के बीच के एल.एन.एल.एफ. के 32 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	आत्मसमर्पण करने वाले के.एल.एन.एल.एफ. उग्रवादियों की संख्या
2005	9
2006	12
2007	11
2008 (29.02.2008 तक)	शून्य

(ङ) राज्य सरकारों की, जोकि अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के जरिए मदद की जा रही है, जैसे कि व्यापक विद्रोह विरोधी अभियान चलाने और धमकी के आकलन के आधार पर संवेदनशील संस्थानों और प्रतिष्ठानों हेतु सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना; सीमावर्ती बाड़ के निर्माण सहित सीमा पर सतर्कता और निगरानी; आसूचना का आदान-प्रदान; पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता; सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए सुरक्षा तंत्र के विभिन्न पहलुओं तथा उग्रवाद विरोधी अभियानों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता का प्रावधान; भारतीय रिजर्व बटालियन के रूप में अतिरिक्त बलों के गठन हेतु राज्यों को सहायता; आदि। केन्द्र सरकार स्थिति की समीक्षा करने तथा सतत आधार पर यथा आवश्यक आगे के कदम उठाने के लिए राज्यों के साथ निकट और सतत समन्वय बनाए रखती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास हेतु 100 केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं, 3 वर्षों की अवधि हेतु सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पण करने वाले के नाम में रखे जाने हेतु 1.50 लाख रुपए का तत्काल अनुदान; 36 महीनों की अवधि तक 2000 रुपए प्रति माह की दर से वृत्ति; सरकारी खर्च पर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आत्मसमर्पित हथियारों के लिए प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर सीमांकन पोलों का गायब होना

2544. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल सीमा पर सीमांकन के लिए खड़े किए गए पोल गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार से कोई बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) भारत-नेपाल सीमा की स्थापना प्राथमिकत: 1815 की सुगौली सन्धि और तदुपरान्त यथासंशोधित ज्ञापन 1816, के आधार पर की गई थी और 1860 की सन्धि द्वारा इसकी सम्पुष्टि की गई। स्ट्रिप मैप 99% सीमा का सर्वेक्षण करता है और जमीन पर 97.7% सीमा का अभिज्ञान कार्य पूरा कर लिया गया है। सीमा के अभिज्ञात का लिए गए सभी खण्डों के लिए सीमा स्ट्रिप मैप मुद्रित करा दिए गए हैं और इन पर सीमा मामलों संबंधी संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) स्तर से हस्ताक्षर भी कर दिए गए।

शेष बचे सेक्टरों में सीमा रेखा पर बातचीत करने तथा सीमा पिलरों का निरीक्षण, निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत करने के लिए जे टी सी के उत्तरवर्ती के रूप में एक अन्तर-सरकारी सीमा कार्य दल गठित करने का निश्चय किया गया है। क्षतिग्रस्त/गायब हुए सीमा पिलरों की मरम्मत/पुनर्स्थापन का कार्य दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

आकाशवाणी कार्यक्रम की लोकप्रियता

2545. श्री गणेश सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों को लोकप्रियता में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी के सभी प्रसारणों में ज्वलंत मुद्दों को अधिकतम समय दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के ज्वलंत मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में अभी तक कितना सफल रहा है;

(च) क्या स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों के संबंध में आकाशवाणी पर चर्चा किए जाने का कोई प्रावधान है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी के श्रोताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों सहित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रकृति के विभिन्न विषयों को देश भर में अवस्थित आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित राष्ट्रीय अंत: संपर्क के साथ-साथ राज्य अंत: संपर्क पर विभिन्न कार्यक्रमों, समाचार बुलेटिनों और समाचार आधारित कार्यक्रमों में व्यापक एवं पर्याप्त रूप से शामिल किया जाता है।

(ङ) समाचार और समाचार आधारित कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रम सामान्यतया लोगों, नीति-निर्माताओं, सरकारी कार्यकर्ताओं आदि का ध्यान आकर्षित करते हुए सारे देश को कवर करते हैं।

(च) और (छ) क्षेत्रीय और भाषायी बुलेटिनों सहित विभिन्न समाचार बुलेटिनों के अतिरिक्त स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा कार्यान्वित विकास-कार्यों को, जोकि अधिकांशत: जनता के लिए काफी महत्व के होते हैं, विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय समाचारों तथा समाचार आधारित कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किए

जाने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है।

नवोदय विद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों का नामांकन

2546. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान राज्य-वार नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार नामांकन की विद्यमान प्रतिशतता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं के राज्यवार नामांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2006-2007 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों के कुल दाखिला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 24 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में यह प्रतिशतता क्रमशः 24.2 प्रतिशत और 16.3 प्रतिशत था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिल छात्र/छात्राओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07			
		छात्र		छात्राएं	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (सं.क्षे.)	4	19	4	42
2.	आंध्र प्रदेश	1684	858	730	261
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	1412	23	1028
4.	असम	932	1311	481	628
5.	बिहार	1841	334	907	164
6.	चंडीगढ़ (सं.क्षे.)	91	5	45	0
7.	छत्तीसगढ़	638	962	256	438
8.	दादरा और नगर हवेली (सं.क्षे.)	9	52	4	29

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव (सं.क्षे.)	25	13	8	2
10.	दिल्ली (सं.क्षे.)	186	25	91	10
11.	गोवा	20	32	15	16
12.	गुजरात	960	607	344	323
13.	हरियाणा	1540	26	514	17
14.	हिमाचल प्रदेश	966	404	620	284
15.	जम्मू-कश्मीर	427	670	247	456
16.	झारखंड	841	1265	414	623
17.	कर्नाटक	1728	762	758	447
18.	केरल	775	134	531	141
19.	लक्षद्वीप	0	125	0	96
20.	मध्य प्रदेश	3681	2505	854	912
21.	महाराष्ट्र	2047	867	956	430
22.	मणिपुर	281	1069	188	643
23.	मेघालय	29	856	17	648
24.	मिजोरम	1	212	1	129
25.	नागालैंड	3	545	2	465
26.	उड़ीसा	1392	1664	565	570
27.	पांडिचेरी (सं.क्षे.)	242	1	80	0
28.	पंजाब	1948	11	1198	3
29.	राजस्थान	2748	1760	701	590
30.	सिक्किम	45	207	35	209
31.	त्रिपुरा	179	271	86	136

1	2	3	4	5	6
32.	उत्तर प्रदेश	6997	312	1298	81
33.	उत्तराखंड	763	156	203	59
34.	पश्चिम बंगाल	310	86	152	42
	कुल	33363	19538	12328	9922

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिल छात्र/छात्राओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08 (31 दिसंबर 2007 की स्थिति के अनुसार)			
		छात्र		छात्राएं	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (सं.क्षे.)	1	20	2	38
2.	आंध्र प्रदेश	1725	846	747	279
3.	अरुणाचल प्रदेश	42	1680	31	1264
4.	असम	1073	1438	512	707
5.	बिहार	1905	366	938	181
6.	चंडीगढ़ (सं.क्षे.)	97	5	58	0
7.	छत्तीसगढ़	670	1123	280	390
8.	दादरा और नगर हवेली (सं.क्षे.)	5	83	3	32
9.	दमन और दीव (सं.क्षे.)	21	12	10	7
10.	दिल्ली (सं.क्षे.)	174	23	106	14
11.	गोवा	16	37	17	17

1	2	3	4	5	6
12.	गुजरात	959	619	361	376
13.	हरियाणा	1620	39	582	20
14.	हिमाचल प्रदेश	1014	443	598	320
15.	जम्मू-कश्मीर	443	730	242	486
16.	झारखंड	913	1355	449	667
17.	कर्नाटक	1780	828	832	477
18.	केरल	771	143	549	148
19.	लक्षद्वीप	0	113	0	94
20.	मध्य प्रदेश	3768	2720	1102	1199
21.	महाराष्ट्र	1996	895	989	444
22.	मणिपुर	309	1079	209	666
23.	मेघालय	27	872	24	687
24.	मिजोरम	5	292	5	208
25.	नागालैंड	7	749	5	596
26.	उड़ीसा	1429	1799	610	678
27.	पांडिचेरी (सं.क्षे.)	223	3	140	1
28.	पंजाब	2115	25	1241	34
29.	राजस्थान	3839	1786	741	617
30.	सिक्किम	49	243	55	252
31.	त्रिपुरा	192	281	94	154
32	उत्तर प्रदेश	7298	367	1544	91
33.	उत्तराखंड	797	172	247	77
34.	पश्चिम बंगाल	445	105	219	52
	कुल	34728	21291	13542	11273

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन

2547. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में चाय उत्पादक राज्यों द्वारा कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विश्व बाजार को भारतीय चाय के निर्यात में कमी आई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार छोटे चाय उत्पादकों के लिए सहकारी आधार पर फैक्ट्री स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो चाय का उत्पादन बढ़ाने, निर्यात का संवर्धन करने तथा छोटे चाय उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) चाय के उत्पादन हेतु राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय उत्पादन राज्यों द्वारा उत्पादित चाय की मात्रा निम्नानुसार रही हैं:-

(आंकड़े मिलि. किग्रा. में)

राज्य/जिले	2005	2006(अ)*	2007(अ)
1	2	3	4
असम	487.49	483.65	479.92
पश्चिम बंगाल	217.55	233.29	231.44
त्रिपुरा	7.52	7.18	7.31
अरुणाचल प्रदेश	2.62	2.20	2.52
मणिपुर	0.11	0.11	0.12
सिक्किम	0.16	0.15	0.16
नागालैंड	0.19	0.17	0.19
मेघालय	0.10	0.10	0.12
मिजोरम	0.07	0.07	0.08
अन्य उत्तर भारतीय राज्य (बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा सहित)	2.61	2.70	2.83
कुल उत्तर भारत	718.42	729.62	724.69
तमिलनाडु	158.84	152.27	153.13
केरल	63.34	68.76	61.83
कर्नाटक	5.37	5.26	5.03
कुल दक्षिण भारत	227.55	226.29	219.99
कुल योग	945.97	955.91	944.68

(अ)* अनुमानित और संशोधन के अधीन

(ख) और (ग) पिछले कुल वर्षों के दौरान विश्व बाजार में भारतीय चाय का निर्यात हिस्सा लगभग 12-13% रहा है। वर्ष 2006 के दौरान भारतीय चाय का निर्यात हिस्सा 13.76% था। तथापि वर्ष 2007 के दौरान विश्व बाजार में भारतीय निर्यातों का हिस्सा घटकर 10.18% रह गया है जो मुख्यत: केन्या में चाय के उत्पादन में वृद्धि, मोम्बासा नीलामी में केन्याई चाय की कीमतों में गिरावट और डालर के मुकाबले में भारतीय रुपये की मजबूती के कारण हुआ था।

(घ) से (च) इस समय चाय के लघु उत्पादकों के लाभार्थ तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पंद्रह सहकारी चाय कारखाने कार्य कर रहे हैं। विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों में 500 से अधिक चाय पत्ती के निजी कारखाने कार्यरत हैं और इन कारखानों की प्रसंस्करण क्षमता वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, चाय

के लघु उत्पादक/उनकी एसोसिएशनें इस प्रयोजनार्थ टी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

एडवांस्ड कम्प्यूटिंग एण्ड आयुर्वेद रिसर्च सेंटर

2548. श्री सुब्रत बोस : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडवांस्ड कम्प्यूटिंग रिसर्च सेंटर तथा आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ने उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समेकित दीर्घावधि कार्यक्रम (आईएलटीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ख) जी, हां। रूसी भारतीय उन्नत कंप्यूटिंग अनुसंधान केन्द्र (आरआईसीएसीआर) निम्नलिखित से संबंधित संयुक्त परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य करता आ रहा है: समानान्तर संरचनात्मक डिजाइन की उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरों के लिए ऐलगोरिद्मिक सहायता के मौलिक और अनुप्रयुक्त मामले; साफ्टवेयर उत्पादों का विकास; सांतत्यक यांत्रिकी; मौलिक विज्ञान; उच्च शक्ति वाले शॉक डेटोनेशन वेव फिजिक्स; पारिस्थितिकी; भूविज्ञान और भूभौतिकी; भूकंपीय आंकड़ों की प्रोसेसिंग; मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुरूपन; अर्थशास्त्र; उपग्रह कंप्यूटर प्रौद्योगिकियां; रिमोट प्रोबिंग। रूसी-भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र (आरआईसीएआर) मानकीकृत आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए उन्नत प्रक्रियाओं के विषाक्तता अध्ययनों और विकास सहित आयुर्वेदिक औषधियों के फार्माकोकाइनेटिक्स पर अध्ययन सहित अन्य अध्ययन करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास आधार प्रदान करने हेतु कार्य कर रहा है। इस समय "प्रकृति पर विशेष ध्यान देने के साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित जीनोटाइप-फीनोटाइप सहसंबंध" नामक एक बड़ी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) फिलहाल इन केन्द्रों के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि ये परियोजना आधारित कार्यकलाप हैं, अत: संयुक्त कार्य के लिए दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदायों से जैसे और जब नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब इन पर विचार किया जाएगा।

यूनिक संपत्ति पहचान कोड

2549. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युनिसिपल एसेसमेंट बुक बनाए रखने और यूनिक प्रोपर्टी आइडेन्टिफिकेशन कोड (यूपीआईसी) देने के लिए 29.2.2008 तक संपत्तियों का ब्यौरा प्रदान करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने डीएमसी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2003 की धारा 123क के अनुसार 15.12.2007 को सार्वजनिक सूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी संपत्तिधारकों द्वारा क्या जानकारी दी गई; और

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान। म्यूनिसिपल एसेसमेंट बुक अनुरक्षण और यूनिक प्रोपर्टी आइडेन्टिफिकेशन कोड देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने 15.12.2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए संगत कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कानून में भूमि अथवा इमारत का निर्मित भाग अथवा म्यूनिसिपल सीमा के अंतर्गत आने वाला कोई भी भाग शामिल है।

(ग) इस संबंध में कार्रवाई का अनुपालन न करने के कारण हुए उल्लंघन का पता लगाने पर की जाएगी।

लघु और मध्यम उद्योगों हेतु धनराशि

2550. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15,000 करोड़ रु. का कोष बनाने हेतु निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि वित्त मंत्री ने अपने 2008-09 के बजट भाषण के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 2,000 करोड़ रु. प्रत्येक के दो फंडों—एक जोखिम पूंजी वित्तयन के लिए तथा दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की पुनर्वित्तयन क्षमता को बढ़ाने के लिए, के सृजन की घोषणा की है।

राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान

2551. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय-वार कितनी विकास सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान विकास सहायता बढ़ाने तथा राज्य विश्वविद्यालय को रख-रखाव सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई विकास सहायता को विश्वविद्यालय-वार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं योजना हेतु आवंटित निधियों के अनुसार विकास सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान नहीं करता है क्योंकि इन विश्वविद्यालयों का रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान सामान्य विकास सहायता स्कीम के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदान

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी अनुदान	वर्ष 2005-06 के दौरान जारी अनुदान	वर्ष 2006-07 के दौरान जारी अनुदान
क	ख	ग	घ	ङ
	आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	**	114.30	**
2.	काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	**	77.00	38.50
3.	जे.एन.टी.यू., हैदराबाद	199.25	**	85.85
4.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर	**	74.10	**
5.	उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	**	**	111.73

क	ख	ग	घ	ङ
6.	पी.एस. तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	97.50	48.75	**
7.	एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति	171.41	90.98	**
8.	एस.पी.एम. विश्वविद्यालय, तिरूपति	135.00	67.50	**
9.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय, अनंतपुर	139.80	**	70.00
10.	नालसर विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—	160.00	20.00
11.	द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम	—		105.60
	गुजरात			
12.	भानगर विश्वविद्यालय, भावनगर	135.00	**	67.50
13.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	**	**	**
14.	एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा	**	450.09	75.20
15.	उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	82.20	41.10	**
16.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	132.60	66.30	**
17.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	**	78.00	**
18.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	**	**	85.80
	कर्नाटक			
19.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	**	114.88	**
20.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	81.00	**	**
21.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा	**	28.88	
22.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग	120.00	**	62.10
23.	मैंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौरगंगोत्री	105.00	**	**
24.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	**	76.20	**
25.	भारतीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर	**	18.00	21.00

क	ख	ग	घ	ङ
26.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	**	26.00	**
27.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	—		
	केरल			
28.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	159.21	**	69.46
29.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम	**	80.07	**
30.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	114.99	74.10	**
31.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची	184.48	**	213.20
32.	कन्नुर विश्वविद्यालय, मंगतूपम्भा	**	**	184.48
33.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	—	64.00	**
	मध्य प्रदेश			
34.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रेवा	127.00	**	63.60
35.	बरकातुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	153.30	**	**
36.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	**	**	63.90
37.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	**	**	**
38.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	**	63.00	**
39.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	**	42.90	84.00
40.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	**	245.70	**
41.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	**	164.10	82.00
42.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संस्थान, भोपाल	—	86.00	86.00
	महाराष्ट्र			
43.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	47.35	**	103.60
44.	एस.आर.टी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड	45.00	90.00	**

क	ख	ग	घ	ङ
45.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	121.95	62.75	**
46.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	139.20	**	**
47.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	**	137.55	107.78
48.	एन एस डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	216.76	**	**
49.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	183.64	**	137.97
50.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	165.00	82.50	**
51.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	**	106.16	**
	गोवा			
52.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	81.00	**	162.00
	तमिलनाडु			
53.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई	78.00	78.00	78.00
54.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर	**	45.00	22.50
55.	एम.एस. विश्वविद्यालय, तिरूनेलवल्ली	**	56.00	**
56.	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	**	66.00	**
57.	भरतीदाशन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	**	66.30	**
58.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	**	90.00	**
59.	मदर टैरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	**	**	**
60.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर	**	**	53.27
61.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	58.29	40.63	91.88
62.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	**	**	152.20
63.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम			72.00
	अरुणाचल प्रदेश			
64.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल	**	159.00	80.00

क	ख	ग	घ	ङ
	असम			
65.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	**	**	**
66.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	**	**	**
	बिहार			
67.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	75.94	60.50	**
68.	बीबीए अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर	47.03	117.22	**
69.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	68.20	**	131.20
70.	के एस डी संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	36.48	**	**
71.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	**	61.22	**
72.	एल एन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	63.60	127.20	**
73.	बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	--	94.40	**
74.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	--		63.00
75.	वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	--		110.40
	दिल्ली			
76.	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	85.00	**	90.00
	हरियाणा			
77.	एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक	85.50	85.80	85.50
78.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	**	120.00	135.00
79.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	81.90	**	41.00
	हिमाचल प्रदेश			
80.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	81.00	162.00	**

क	ख	ग	घ	ङ
	जम्मू एवं कश्मीर			
81.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल		153.25	**
82.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी	84.85	**	81.00
	झारखंड			
83.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	50.70	**	**
84.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	105.70	**	**
	उड़ीसा			
85.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	**	139.50	**
86.	बहरामपुर विश्वविद्यालय, भंजा बिहार	78.00	**	156.00
87.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार	76.43	**	181.88
88.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	**	92.40	**
89.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	--		76.00
90.	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा			
	पंजाब			
91.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	**	97.94	**
92.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	**	74.10	**
93.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर	**	85.80	**
	राजस्थान			
94.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	**	84.00	**
95.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	**	**	83.96
96.	एम एल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	**	51.40	**
97.	एम डी एस विश्वविद्यालय, अजेमर	**	111.90	56.00

क	ख	ग	घ	ङ
	त्रिपुरा			
98.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा		128.20	**
	उत्तर प्रदेश			
99.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	90.00	**	**
100.	चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	125.10	**	71.60
101.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	**	**	**
102.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	**	131.40	23.48
103.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	37.06	107.86	26.97
104.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	171.60	**	129.30
105.	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	**	78.80	**
106.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222002 पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	**	**	**
107.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	**	**	**
108.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	38.00	**	60.00
109.	चौ. साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	**	**	40.30
110.	जगदगुरू रम्भाद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकुटनम	90.96	--	90.96
	उत्तरांचल			
111.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	**	**	182.00
112.	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	148.20	**	**
	पश्चिम बंगाल			
113.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकता	**	115.40	**
114.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकता	**	148.55	74.28

क	ख	ग	घ	ङ
115.	बर्द्धवान विश्वविद्यालय, बर्द्धवान	**	69.40	**
116.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	**	68.00	**
117.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	145.20	**	111.60
118.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकता	**	**	243.00
119.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम मिदनापुर	120.00	57.60	**
120.	बंगाल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, हावड़ा	**	100.00	**
	छत्तीसगढ़			
121.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	**	**	**
122.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	**	**	157.50
123.	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	127.20	**	63.60
124.	एच.एन. विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	**		56.00
	कुल	5550.08	6153.68	5272.35

नाल्को का सर्वांगीण विकास

2552. श्री गिरिधर गमांग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने नाल्को के सर्वांगीण विकास हेतु कोई परियोजना स्तर समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाल्को ने उड़ीसा सरकार को इस परियोजना के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक कुल कितनी राशि उपलब्ध करायी गई तथा उपयोग की गई है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने सूचित किया है कि उड़ीसा पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति-2006 के उपबंध के अनुसरण में राजस्व विभाग, उड़ीसा सरकार ने अंगुल और दामनजोड़ी के लिए संबंधित राजस्व डिवीजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में 6.7.2006 को पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समितियां (आर पी डी ए सी) गठित की हैं जिसमें जिला प्रशासन, स्थानीय सांसद, विधायक, जिला परिषदों के अध्यक्ष, पंचायत समितियों के अध्यक्ष, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य और नालको के प्रतिनिधि, सदस्यों के रूप में शामिल हैं। ये समितियां, परिधीय विकास योजना के तहत कम्पनी और जिला प्रशासन द्वारा आरम्भ और निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान और उनकी संख्या निर्धारित करती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान आज तक (14.3.2008 तक) नालको द्वारा परिधीय विकास कार्यकलापों के निष्पादन हेतु नालको परिधीय विकास निधि में से जिला प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध करायी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अंगुल क्षेत्र में नालको के परिधीय विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान तथा आज की तारीख (14.3.2008) तक परिधीय विकास कार्यकलापों के लिए जिला प्रशासन तथा दूसरी सरकारी एजेंसियों के पास जमा कराई गई राशि

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	उड़ीसा सरकार की एजेंसियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की कुल संख्या	जिला प्रशासन के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि	नालको द्वारा मुहैया करायी गई कुल निधि	पूरी की गई परियोजनाएं	
				संख्या	मूल्य
2004-05	34	107.85	107.85	23	71.75
2005-06	38	181.30	181.30	—	—
2006-07	35	172.19	172.19	—	—
2007-08(14.3.08 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	—	—
कुल	107	461.34	461.34	23	71.75

खान तथा शोधनशाला, दामनजोड़ी में नालको के परिधीय विकास निधि में से वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान तथा आज की तारीख (14.3.2008) तक परिधीय विकास कार्यकलापों के लिए जिला प्रशासन तथा दूसरी सरकारी एजेंसियों के पास जमा कराई गई राशि

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की कुल संख्या	जिला प्रशासन के क्षेत्र में परियोजनाओं के के लिए स्वीकृत राशि	नालको द्वारा जिला प्रशासन को मुहैया कराई गई कुल निधि	पूरी की गई परियोजनाएं	पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य
2004-05	67	480.35	398.26	53	358.35
विशेष परियोजना	1	40.00	40.00	1	40.00
2005-06	89	403.65	264.64	36	157.10
2006-07	78	429.45	201.54	19	106.97
2007-08 (14.3.08 तक)	109	827.00	108.50 (49 परियोजनाओं के लिए)	—	—
कुल	344	2180.45	1012.94	109	662.42

अवैध गतिविधियों में अंडमान और निकोबार के पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता

2553. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में घरों तथा भूखंडों को खाली कराने तथा अवैध रूप से उनका कब्जा लेने में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र-वार, संवर्ग-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गयी हैं;

(ग) दोषी पाए गए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि अंडमान एवं निकोबार पुलिस के एक कर्मचारी के खिलाफ एक शिकायत मिली थी जिसने भूखण्ड खाली पड़े होने का लाभ उठाकर एक ऐसे भूखंड पर घर बना रखा था जिसे उसने किसी और को पहले ही बेच दिया था।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के बारे में वर्ष 2007 में केवल उपर्युक्त शिकायत ही प्राप्त हुई थी। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) अंडमान एवं निकोबार पुलिस ने संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 448/379 के अंतर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई भी अलग से शुरू कर दी गई है। दोषी कर्मचारी के खिलाफ मामला साबित हो जाने के पश्चात् ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(घ) दोषी पाए जाने पर ऐसे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कानून त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनजातीय लोगों की गणना

2554. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

प्रो. एम. रामदास :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन जनगणनाओं में प्रत्येक के दौरान जनजातीय लोगों की आबादी कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन जनगणनाओं में प्रत्येक के अनुसार जनजातीय लोगों की संख्या कितनी है तथा इस कमी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) जी नहीं, देश में पिछले तीन दशकों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। 1981 में 5.16 करोड़ से उनकी संख्या बढ़कर 1991 में 6.77 करोड़ तथा 2001 की जनगणना में 8.43 करोड़ हो गई है। समानुपातिक तौर पर कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1981 में 7.8 तथा 1991 में 8.1 प्रतिशत था। 2001 की जनगणना में उनका समानुपात 8.2 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी की स्थापना

2555. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एक राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ख) जी हां, श्रीमान। अपने राज्यों में संस्थान की स्थापना किए जाने के बारे में केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है परन्तु यह अभी भी अवधारणात्मक स्तर पर है। इस सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि चूंकि प्रस्ताव अवधारणात्मक स्तर पर है, अत: उनके प्रस्तावों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

अर्धसैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

2556. डा. के.एस. मनोज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न अर्धसैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा में और पदों पर पुन: नियोजन) नियम 1979 में पहले ही यह प्रावधान मौजूद है जिसके अनुसार केन्द्रीय पुलिस बलों के पदों में ग्रुप 'सी' की प्रत्येक श्रेणियों की 10% रिक्त और ग्रुप 'डी' की श्रेणियों की प्रत्येक श्रेणी में 20% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिसूचित की जाती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा

2557. श्री सुरेश अंगडि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषत: कर्नाटक में महिलाओं को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत महिलाएं एवं कमजोर वर्ग शामिल किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित किसी राज्य सरकार को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(घ) योजना के अंतर्गत अभी तक संस्वीकृत स्कूलों के राज्यवार संचित ब्यौरे और सृजित दाखिला क्षमता संलग्न विवरण में है।

विवरण

+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने संबंधी योजना व्यावसायिक स्कूलों/संस्वीकृत अनुभागों की संख्या और सृजित दाखिला क्षमता

(01.04.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत व्यावसायिक स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत अनुभागों की संख्या	दाखिल/प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1486	1880	94000
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	200
3.	असम	510	510	25500
4.	बिहार	752	752	37600
5.	छत्तीसगढ़	20	शून्य	शून्य
6.	गोवा	106	106	5300
7.	गुजरात	77	1032	51600
8.	हरियाणा	116	795	43350
9.	हिमाचल प्रदेश	82	82	4100
10.	जम्मू-कश्मीर	37	502	1900

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	563	1427	71350
13.	केरल	475	1008	56430
14.	मध्य प्रदेश	1307	1307	65350
15.	महाराष्ट्र	958	3480	174000
16.	मणिपुर	10	57	2850
17.	मेघालय	2	20	1000
18.	मिजोरम	106	51	2550
19.	नागालैंड	8	16	800
20.	उड़ीसा	231	1024	46200
21	पंजाब	345	1146	42300
22.	राजस्थान	155	465	23250
23.	सिक्किम	40	9	450
24.	तमिलनाडु	800	2140	123727
25.	त्रिपुरा	17	12	600
26.	उत्तर प्रदेश	1010	2550	117500
27.	उत्तरांचल	111	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	39	39	1950
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	150
30.	चंडीगढ़	20	58	2900
31.	दादरा और नगर हवेली	2	2	100
32.	दमन और दीव	शून्य	2	250
33.	दिल्ली	207	93	4650
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	20	16	800
	कुल	9619	20588	1002707

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्र

2558. श्री मित्रसेन यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 से 2007 के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एम.फिल. तथा पी.एच.डी. पूरा करने वाले छात्रों की विश्वविद्यालय-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

होम गार्ड

2559. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अर्धसैनिक बलों के अनुपूरक के रूप में होम गार्ड की सेवाएं ली जा रही है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में होम गार्ड को नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाता और उनकी सेवाएं दैनिक दिहाड़ी आधार पर ली जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की एकसमान केन्द्रीय कानून के माध्यम से होम गार्ड की सेवा शर्तों को सुधारने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस मामले में सरकार की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) वर्तमान में किसी भी राज्य के अर्द्धसैनिक बलों की मदद करने के लिए होम गार्डों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, 1992 तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में सीमा स्कंध होम गार्डों का उपयोग किया गया था।

(ख) और (ग) होम गार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और कंपनी कमांडर स्तर तक के लगभग सभी रैंक स्वयं सेवक हैं। स्वैच्छिक संगठन होने के कारण, होमगार्डों को नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता।

जब कभी राज्य सरकारों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है तब उनको दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) होमगार्ड 'राज्य का विषय' है तथा होम गार्डों के बारे में कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। होम गार्डों के बारे में एकीकृत केन्द्रीय कानून हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मार्जिन मनी योजना

2560. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की 'मार्जिन मनी योजना' के प्रति रवैए के कारण कई उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा महाराष्ट्र में ये किन-किन बैंकों में लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि संलग्न विवरण में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), जिसे पहले मार्जिन मनी योजना के रूप में जाना जाता था, के तहत महाराष्ट्र में स्थित विभिन्न बैंकों में निपटान हेतु 1863 परियोजना प्रस्ताव लंबित हैं।

(घ) परियोजना का अनुमोदन संबंधित बैंकों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है और वे परियोजना की जीवनक्षमता के अनुसार अपने क्रेडिट संबंधी निर्णय लेते हैं। कभी-कभी संभावी उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव सभी संदर्भों में पूर्ण नहीं होते हैं और ऐसे मामलों में बैंकों को इस कमी को समंजित करने की आवश्यकता होती है इसलिए परियोजना को क्लियर करने में विलंब हो सकता है। बैंकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का जायजा लेने तथा प्रस्तावों के त्वरित क्लियरेन्स के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), बैंकरों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। बैंकों द्वारा आरईजीपी परियोजना प्रस्तावों के शीघ्र क्लियरेंस के लिए भी आरईजीपी के तहत स्वीकृत मार्जिन मनी के लिए केवीआईसी द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन बैंकों में पर्याप्त फंड अग्रिम रूप में रखे जाते हैं और ये फंड आवश्यकतानुसार आवधिक रूप से प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में लंबित आरईजीपी परियोजना प्रस्तावों की बैंक-वार संख्या

(12.03.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बैंक का नाम	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	बैंक ऑफ इंडिया	159
2.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	466
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	67
5.	भारतीय स्टेट बैंक	410
6.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	80
7.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	64
8.	पंजाब नैशनल बैंक	23
9.	केनरा बैंक	20
10.	इलाहाबाद बैंक	3
11.	देना बैंक	31
12.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12
13.	आंध्र बैंक	2
14.	विजया बैंक	7
15.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3
16.	पंजाब और सिंध बैंक	1
17.	यूको बैंक	12
18.	सिंडिकेट बैंक	15
19.	इंडियन बैंक	6
20.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	4
21.	आर एण्ड एस ग्रामीण बैंक	397
22.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	1
	कुल	1863

[अनुवाद]

विश्व बाजार में भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान

2561. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बाजार में भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्यारहवीं योजना के लिए लघु उद्योगों की विकास दर हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लघु उद्योगों की लक्षित विकास दर को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ख) जी, हां। सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई, पहले लघु उद्योग के रूप में जाने जाते थे) को वैश्विक बाजार में उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाने में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों और योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ इसकी विपणन

विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी के लिए सहायता, बार-कोड प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति, आदि शामिल है। इसके अलावा एमएसई क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहयोग उपायों जैसे कि निर्यातों हेतु पैकिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता, आईएसओ/9000-14001 प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन, आदि शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान, भारतीय एमएसई क्षेत्र का निर्यात देश से कुल निर्यात के लगभग 33 प्रतिशत रहा।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान एमएसई क्षेत्र के लिए 12 प्रतिशत की वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है।

(च) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का संवर्धन और विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार विशिष्ट उपायों जैसे कि क्रेडिट की सरलता से उपलब्धता, आधारभूत संरचना के विकास को शामिल करते हुए एमएसई क्लस्टरों के व्यापक आवश्यकता आधारित विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता, उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सहयोग उपायों की व्यवस्था करके उनके प्रयासों को अनुपूरित करती है। सरकार ने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से (i) एमएसई के संवर्धन हेतु पैकेज, (ii) 2 अक्तूबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रचालन के अतिरिक्त राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां

2562. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक (इतिहास) ऑनर्स के समवर्ती पाठ्यक्रम में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान के प्रति विवादस्पद टिप्पणियां शामिल की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे शामिल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पाठ्यक्रम से उक्त टिप्पणियां हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार कुछ संस्थाओं ने विश्वविद्यालय के बी.ए. (आनर्स) कार्यक्रम में प्राचीन भारत में संस्कृति पर समवर्ती पाठ्यक्रम के लिए सुझाए गए पाठ में स्वर्गीय ए.के. रामानुजन द्वारा लिखित "तीन सौ रामायण: पांच उदाहरण और अनुवाद पर तीन विचार नामक निबंध को शामिल करने में आपत्ति उठाई है और आरोप लगाया है कि इसमें हिन्दू देवी-देवताओं के अपमानजनक, संदर्भ निहित है। व्यक्त किए गए सरंक्षणों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विख्यात अध्ययेताओं की एक समिति गठित की है जिसमें प्रो. बी.डी. चट्टोपाध्याय, प्रो. आर.एन. मिश्रा, प्रो. एन.जी.एस. नारायणन, प्रो. कपिला वात्स्यायन और प्रो. एम. के. धवालिकर शामिल हैं जो इस मामले की समीक्षा करेंगे और अपने विचार/अभिमत देंगे।

गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं

2563. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई शैक्षिक संस्थाएं बिना सरकारी मान्यता के चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में ऐसी संस्थाओं को बंद करने तथा ऐसी संस्थाओं के बारे में छात्रों में जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। कुछ संस्थान, संबंधित सरकारी एजेन्सियों/संस्थानों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक परीक्षण निकाय है जो स्कूलों को सम्बद्धता प्रदान करती है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व के कुछ अन्य संस्थानों की स्थापना केवल संसद अथवा राज्यों के विधान द्वारा की जा सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को सम विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है।

(घ) यूजीसी ने अपनी वेबसाइट www.ugc.ac.in में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची दी है। इसके संबंध में उचित कदम उठाने हेतु यूजीसी ने राज्य सरकारों को सूचना भी भेजी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अपनी वेबसाइट www.aicte.ernet.in पर ऐसी संस्थाओं की सूची दी है जो अनुमोदित नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान हेतु विदेशी सहायता

2564. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता के लिए सरकार ने किन-किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और देशवार कितनी राशि के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) आज की तारीख तक उक्त योजनाओं के लिए सरकार के पास कितनी विदेशी सहायता राशि उपलब्ध है; और

(ग) वर्तमान में देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है तथा उक्त राज्यों में उपरोक्त कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की सभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05 से 2006-07 के दौरान 4710.00 करोड़ रु. की कुल राशि के लिए विश्व बैंक, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग तथा यूरोपियन कमीशन के साथ निधीयन करार पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2007-08 से 2010 तक 150 मिलियन पाउंड के निधीयन हेतु वर्ष 2007-08 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।

इस समय राजस्थान तथा उड़ीसा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 31.3.2008 को तथा उड़ीसा में 30.11.2008 को समाप्त हो रहा है। राजस्थान तथा उड़ीसा राज्यों में 27.7.2001 से 31.3.2008 तथा 18.9.2001 से 30.11.2008 तक की अवधि के लिए क्रमश 341.50 करोड़ रु. तथा 300.83 करोड़ रु. की परियोजनाएं थी।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

रूस द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

2565. श्री गणेश सिंह :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी प्राधिकारियों ने भारत से चाय, कॉफी, चावल, तम्बाकू इत्यादि जैसे पादपों/कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रूसी प्राधिकारियों ने रूस पहुंची तिल बीज की भारतीय खेप में खरपाबीटल पेस्ट का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है; और

(ङ) इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) रूस ने दिनांक 28.1.2008 से भारत

से पादप उत्पादों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद, भारत सरकार के हस्तक्षेप के कारण रूसी पक्ष ने रशियन फेडरेशन के विनिर्दिष्ट एचएस कोड्स के अंतर्गत आने वाली तथा राज्य सीमा बिन्दुओं के जरिए रूस में प्रवेश करने वाली भारतीय चाय, कॉफी, मसाले, तम्बाकू तथा सब्जियों की कतिपय श्रेणियों (प्याज तथा मशरूम सहित) के आयात की अनुमति दी है जो इन उत्पादों के रशियन फेडरेशन की पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के अनुरूप होने, प्राकृतिक पादप रेशों के प्रयोग के बिना विनिर्मित पैकेजों में होने की शर्त के अधीन है।

(ख) से (घ) रूसी प्राधिकारियों के अनुसार उनके विशेषज्ञों ने रशियन फेडरेशन (नोवोरोस्यिस्क) के राज्य सीमा बिन्दु पर तिलहन के एक परेषण को "खपरा बीटल" कीटाणु मिलने के कारण रोक दिया था। सूचित परेषण के बारे में जांच रिपोर्ट रशियन फेडरेशन के फेडरल सर्विस फॉर वेटरिनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलेंस (एफएसवीपीएस) को प्रस्तुत कर दी गई है। यह सूचित किया गया है कि एफएसवीपीएस के मानकों तथा अपेक्षाओं के अनुसार पादप स्वच्छता उपचार प्रोटोकॉल अपनाया गया था और भारत में एक मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा धूम्रीकरण किया गया था और इसलिए परेषण कीटाणु-मुक्त था।

(ङ) यह मामला भारतीय दूतावास, मॉस्को के जरिए रूसी पक्ष के सामने रखा गया है और समस्त पादप उत्पादों पर लगे अस्थायी प्रतिबंधों को शीघ्र हटवाने के लिए 12-13 फरवरी, 2008 को रूसी उच्चाधिकारियों के भारत दौरे के दौरान आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में उच्चतर स्तर पर भी इस मामले को उठाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश से छात्रों का अपहरण

2566. श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनएससीएन (के) नामक आतंकवादी गुट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले से लगभग 39 छात्रों का अपहरण करके उन्हें म्यांमार के आंतकवादी प्रशिक्षण कैम्पों में ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 2008 माह के दौरान तीन विभिन्न अवसरों पर नेशनल काउन्सिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) द्वारा तिरप जिले के 52 युवकों का अपहरण किया गया। इनपुटों से संकेत मिलता है कि इनमें से 30 युवकों को रिहा कर दिया गया तथा दो अन्य उनकी हिरासत से भाग निकले। शेष 20 युवक अभी भी उनकी हिरासत मे हैं और उन्हें म्यांमार में उनके शिविरों में रखा गया है।

राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों को इन संगठनों के खिलाफ सभी सम्भव उपाय करने का सुझाव दिया गया है।

अपहृत युवकों का पता लगाने के लिए म्यांमार सरकार से सहायता मांगी गई है।

थोक मूल्य सूचकांक संबंधी
अभिजीत सेन समिति

2567. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संगणन के लिए अध्ययन करने और सिफारिश देने के लिए श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना उसके विचारार्थ विषय और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) समिति 26 दिसम्बर, 2003 को बनायी गई थी। कार्य दल को अन्य बातों के साथ-साथ ज्यादा हाल ही की अवधि तक आधार को अद्यतन करने, वस्तु सूची का दायरा बढ़ाने तथा भारिता आरेख बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जो उन संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाएगा जो अर्थव्यवस्था में घटित हुए हैं। कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) का मौजूदा कार्यकाल 31 मार्च, 2008 तक है।

(ग) जी, नहीं। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साइंस पार्कों की स्थापना

2568. श्री अनन्त नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक उड़ीसा सहित देश में साइंस पार्कों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पार्क-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान उड़ीसा सहित देश में नए साइंस पार्क स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। तथापि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यक्तियों के बीच उद्यमवृत्ति पोषित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (स्टेप्स) को प्रोन्नत किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत में नेपाली माओवादियों की घुसपैठ

2569. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के चम्पावत क्षेत्र में अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के बावजूद 500 नेपाली माओवादी दिसम्बर, 2007 में भारत की सीमा में घुस आए और उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर हथियारबंद माओवादी घुसपैठ कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या ये संगठन भारत-नेपाल सीमा पर जाली भारतीय करेंसी मुद्रा भी छाप रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कार्यकलाप को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भारत-नेपाल सीमा की रक्षा सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) और भारतीय पुलिस द्वारा की जाती है जो घुसपैठ के ऐसी किसी भी प्रयास को उपयुक्त तरीके से विफल कर देते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) इस सूचना का कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

नए कालेज

2570. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास नए कालेजों की संख्या बढ़ने और गुणवत्तापरक छात्र पैदा करने के संदर्भ में इनकी उपयोगिता का अध्ययन करने का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) किसी विश्वविद्यालय के शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान मानकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी विभाग या विभागों का निरीक्षण कर सकता है। विश्वविद्यालयों/कालेजों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (सी सी सी) के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है।

इसी प्रकार, किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय के शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान मानकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद किसी भी विभाग या विभागों का निरीक्षण कर सकती है। तकनीकी संस्थाओं या कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987' की धारा 10 (यू) के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की है।

[हिन्दी]

केबल आपरेटरों द्वारा 'कैस' को लागू किया जाना

2571. श्री वी.के. ठुम्मर :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार महानगरों के केबल आपरेटरों ने कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) को कार्यान्वित करने में असमर्थता दर्शायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केबल ऑपरेटरों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। सशर्त प्रणाली (कैस) को दिनांक 31.12.2006 से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में और वर्ष 2003 से चेन्नई में कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) सभी पणधारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद कैस को कार्यान्वित किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भी केबल ऑपिरटरों सहित सभी पणधारियों के साथ भलीभांति परामर्श करने के बाद अंतर-संयोजन विनियम, सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम और प्रशुल्क आदेश जारी कर दिए हैं। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 31.7.2006 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया है और सरकार, ट्राई, प्रसारकों, बहु-प्रणाली संचालकों और केबल ऑपरेटरों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले समयबद्ध कार्यकलाप विनिर्दिष्ट किए हैं जिससे दिनांक 31.12.2006 से कैस का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2572. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री रमेश दूबे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक कितनी मात्रा और मूल्य की शार्क सहित समुद्री मदों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई देशों ने भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे अस्वास्थ्यकर पाई गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यात हेतु गुणवत्ता और उत्पादों के मानकों की निगरानी करने तथा विश्व कारोबार में भारतीय समुद्री उत्पादों के हिस्से में बढ़ोतरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) गत तीन वर्षों तथा 2007-08 (जनवरी 2008 तक) के दौरान शाकों सहित समुद्री उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य रूप में मद-वार निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सऊदी अरब के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश ने भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। डब्ल्यूएचओ रोगविज्ञान संबंधी रिकॉर्ड में भारत के हैजा संक्रमित देश के रूप में उल्लेख के कारण सऊदी अरब ने मदों (डिब्बाबंद/प्रसंस्कृत मदों को छोड़कर) पर प्रतिबंध लगाया है।

(ङ) सरकार ने अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं के उन्नयन सहित अनेक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जोखिम विश्लेषण एवं निर्णायक नियंत्रण कार्यक्रम (एचएसीसीपी) के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार ने कतिपय संदूषकों के लिए सीमाएं भी अधिसूचित की हैं तथा ईयू एवं यूएस विनियमनों के सदृश देश में प्रसंस्कृत मछली और मत्स्य उत्पादों में कतिपय प्रतिबंधित मदों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विवरण

समुद्री उत्पादों का निर्यात

(मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रुपए में, डॉ.: मिलियन अम. डॉलर)

मद	मूल्य/विदेशी मुद्रा	2007-08(#)	2006-07	2005-06	2004-05
1	2	3	4	5	6
ताजे श्रिम्प	मात्रा	115779	137397	145180	138085
	मूल्य	3386.86	4506.08	4271.51	4220.67
	डॉलर	840.07	997.64	970.43	938.41
ताजी फिन मछली(*)	मात्रा	178381	270751	182344	159689
	मूल्य	1038.72	1452.88	998.70	759.27
	डॉलर	259.25	321.95	225.94	168.7
ताजी स्क्विड	मात्रा	24735	55701	52352	48124
	मूल्य	301.42	797.37	575.52	477.26
	डॉलर	74.21	175.75	130.49	106.63
ताजी समुद्र फेनी	मात्रा	40372	47252	49651	44239
	मूल्य	653.51	568.32	549.15	474.01
	डॉलर	162.71	126.25	124.48	104.89

1	2	3	4	5	6
सुखाई गई मदें	मात्रा	16414	24293	14167	9692
	मूल्य	192.85	183.16	132.56	121.01
	डॉलर	47.98	40.75	30.03	27.09
जीवित मदें	मात्रा	1934	2478	2568	2262
	मूल्य	52.56	64.06	61.71	50.75
	डॉलर	13.02	14.22	13.99	11.31
प्रशीतित मदें	मात्रा	4803	7200	5060	3988
	मूल्य	85.65	117.30	81.56	68.14
	डॉलर	21.38	26.63	18.40	15.16
अन्य	मात्रा	53455	67571	60841	55280
	मूल्य	555.12	674.35	574.58	475.58
	डॉलर	137.47	149.72	130.46	106.29
कुल	मात्रा	435873	612641	512164	461329
	मूल्य	6266.69	8363.53	7245.30	6646.69
	डॉलर	1556.09	1852.93	1644.21	1478.48
(*)ताजी शार्क सहित	मात्रा	36	20	7	नगण्य
	मूल्य	0.57	0.03	0.08	नगण्य
	डॉलर	0.14	0.06	0.02	नगण्य

(#)जनवरी तक अनंतिम.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

2573. श्री अबु अयीश मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों को उत्तरोत्तर लाइसेंस मुक्त करने तथा प्रक्रिया को आसान बनाने से सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी दर्ज करने में सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां। सन् 1991 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी नीति को

समय-समय पर समीक्षा करते हुए उसे लगातार उदारीकृत किया गया है। मौजूदा एफ.डी.आई. नीति उदार, पारदर्शी और निवेशक - अनुकूल है, जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

(ख) भारत में प्राप्त होने वाले एफडीआई अन्तर्वाह वर्ष 2003-04 में 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2006-07 में बढ़कर 15.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के हो गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल-दिसंबर, 2007 के दौरान 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के एफडीआई अन्तर्वाह प्राप्त किए गए थे।

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिए साक्षरता योजना

2574. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासियों की निरक्षरता दर काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में राज्य-वार कितने आदिवासी निरक्षर हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासियों के बीच व्यापक निरक्षरता के मद्देनजर उनके लिए एक साक्षरता योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार को आदिवासियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उन पर उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 47.10% है। यद्यपि 1991-2001 के दौरान देश की साक्षरता दर में समग्र वृद्धि 12.63% की तुलना में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर में 17.50% वृद्धि हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के निरक्षर लोगों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रम जनजातियों सहित लाभवंचित वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किए जाते हैं। अन्य राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य के अनुपात 2:1 की तुलना में जनजातीय जिलों में साक्षरता कार्यक्रम के लिए निधीयन 4:1 के अनुपात में किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उच्च जनजातीय बहुल 74 जिलों को विशेष ध्यान देने हेतु चिन्हित किया गया है और उन्हें 1500 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की अवसंरचना एवं सहयोग से बालिका शिक्षा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित 52 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजातीय समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर 2180 बालिका आवासीय विद्यालयों में से 457 आवासीय स्कूल अनुसूचित जनजाति ब्लॉकों में संस्वीकृत किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अपनी बुनियादी शिक्षा जारी रखने के लिए जनजातीय बालिकाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बालक/बालिका छात्रावासों के निर्माण, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की स्थापना की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छठी से बारहवीं कक्षा के 73 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को भी निधियां प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) से (छ) अपने जिलों विशेष के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों जिसमें जनजातीय निरक्षर भी शामिल हैं, की कुल संख्या पर आधारित होते है। इस आधार पर अब तक देश के 597 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान, 485 जिलों को उत्तर साक्षरता अभियान तथा 328 जिलों को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

विवरण

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के निरक्षरों (7+आयु वर्ग) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	भारत/राज्य	निरक्षर-2001 (व्यक्ति)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2619983
2.	अरुणाचल प्रदेश	285786
3.	असम	1033026
4.	बिहार	433272
5.	छत्तीसगढ़	2599576
6.	दिल्ली	—
7.	गोवा	210
8.	गुजरात	3222009
9.	हरियाणा	—
10.	हिमाचल प्रदेश	72796
11.	झारखण्ड	3412302
12.	जम्मू-कश्मीर	564160
13.	कर्नाटक	1512548
14.	केरल	112042
15.	मध्य प्रदेश	5654112
16.	महाराष्ट्र	3151424
17.	मणिपुर	217603
18.	मेघालय	609171
19.	मिजोरम	74675
20.	नागालैंड	515743
21.	उड़ीसा	4203733
22.	पंजाब	—
23.	राजस्थान	3073429
24.	सिक्किम	31405
25.	तमिलनाडु	325122
26.	त्रिपुरा	361522
27.	उत्तर प्रदेश	54530
28.	उत्तरांचल	78472
29.	पश्चिम बंगाल	2077219
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8514
31.	चंडीगढ़	—
32.	दादरा व० नगर हवेली	63707
33.	दमन व दीव	4389
34.	लक्षद्वीप	6712
35.	पांडिचेरी	—
	कुल	36379192

[अनुवाद]

शिक्षा उपकर

2575. श्री राम कृपाल यादव :
श्री आलोक कुमार मेहता :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में एकत्र किए गए शिक्षा उपकर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एकत्र राशि में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी राशि उपयोग में लाई गई;

(घ) केन्द्र सरकार के पास शेष बची राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त राशि के किसी योजना में उपयोग में लाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस राशि के राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में वितरित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वृहद् केंद्रीय करों पर 2% की दर से एकत्र किए गए शिक्षा उपकर की राशि निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
2004-05	4176.51
2005-06	7134.32
2006-07	9196.26
2007-08 (अप्रैल-दिसंबर 2007)	3725.06 प्रत्यक्ष करों पर शिक्षा उपकर के लिए संग्रह की गई राशि
2007-08 (अप्रैल 2007-जनवरी 2008)	3646.00 अप्रत्यक्ष करों पर शिक्षा उपकर के लिए संग्रह की गई राशि

(ख) से (ङ) शिक्षा उपकर संवैधानिक प्रावधानों और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित भागीदारी वाले करों के विभाज्य पूलों के निवल प्राप्तियों का भाग नहीं है। शिक्षा उपकर की प्राप्तियां अव्यपगत निधि जिसे प्रारंभिक शिक्षा कोष कहा जाता है, में जमा की गई और उपयोग अनन्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) तथा मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना में किया गया। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) तथा मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग किए जाने के बाद प्रारंभिक शिक्षा कोष से व्यय किया जाता है। शिक्षा उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग से विशेष आवंटन नहीं किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारंभिक शिक्षा कोष के तहत सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) तथा मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना के लिए राशि का आवंटन योजनागत पद्धति और सकल बजटीय सहायता के आधार पर किया जाता है।

जैव संवर्धित बीजों का फील्ड परीक्षण

2576. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल और मूंगफली का व्यापक जैव संवर्धित (जीएम) फील्ड परीक्षण चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे फील्ड परीक्षण किन-किन राज्यों में किए जा रहे हैं;

(ग) क्या फील्ड परीक्षण के भयंकर परिणाम निकले हैं और इससे पड़ोसी परम्परागत फसलों के जीएम के संदूषित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं। चावल एवं मूंगफली पर फील्ड परीक्षण व्यापक नहीं हैं चूंकि ये उत्पादक दायरों, गैर लक्षित कीटों पर प्रभाव, बीजाणु बहाव अध्ययनों एवं राइजोस्फीयर पर प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए बहु स्थानीय लघु परीक्षण हैं। ये परीक्षण परम्परागत चावल एवं मूंगफली की तुलना में जीएम चावल एवं मूंगफली के लाभान्वित विश्लेषण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए हैं।

(ख) जैव संवर्धित चावल पर फील्ड परीक्षणों का आयोजन तमिलनाडु (तंजौर एवं कोयम्बटूर); महाराष्ट्र (रायगढ़ एवं भंडारा);

पश्चिम बंगाल (24 दक्षिण परगना एवं मिदनापुर); बिहार (गया); झारखंड (रांची); कर्नाटक (देवांगीर एवं मांड्या); और गुजरात (आनंद) में प्रति स्थान एक एकड़ से अधिक न होने वाले अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र में किया जा रहा है। मूंगफली पर कोई फील्ड परीक्षण आयोजित नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। परीक्षणाधीन जीएम फसलों के चारों तरफ भौतिक/जैविक रुकावट जैसे विनियामक तंत्र द्वारा प्रदूषण को बचाने के विनिर्दिष्ट मानक तरीके हैं। इसमें पड़ोसी खेत से एक विनिर्दिष्ट विभाजन दूरी रखना तथा चावल और मूंगफली की उसी फसल से संबंधित परीक्षण पौधों की खेती नहीं की जाती। विनियाम तंत्र द्वारा चालू मानक तरीकों एवं प्रोटोकॉल्स भी विनिर्दिष्ट किया है।

दूरदर्शन प्रसारण की घटिया क्वालिटी

2577. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजीटल रूप से प्रसारण करने वाले निजी टी.वी. चैनलों के प्रसारण की तुलना में दूरदर्शन के प्रसारण की क्वालिटी खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कई चैनलों का प्रसारण करने के लिए वर्तमान एनालॉग टी.वी. ट्रांसमीटर को डिजिटल ट्रांसमीटर में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दूरदर्शन का गुणवत्तापरक प्रसारण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) दूरदर्शन के उपग्रहीय और स्थलीय दोनों पद्धतियों के प्रसारण की तकनीकी गुणवत्ता संतोषजनक है। निजी टी.वी. चैनलों के प्रसारण केवल उपग्रहीय पद्धति से ही किए जाते हैं और दूरदर्शन के उपग्रह चैनल, जो डिजिटल फॉरमेट में हैं, निजी टी.वी. चैनलों से तुलनीय हैं।

डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्कीमों को, दूरदर्शन की 11वीं योजना के प्रारूप, जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, में शामिल किया गया है।

भारत-नेपाल सीमा के पास सड़कों का निर्माण

2578. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा के पास 850 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माओवादियों आदि की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बिहार में रक्सौल आदि में भारत-नेपाल सीमा के पास एक सड़क बनाने की नितांत आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर लगातार निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) श्रेष्ठ संचार, गश्त को सुविधाजनक बनाने और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को कवर करते हुए भारत-नेपाल सीमा के पास अनुमानतः 1271 कि.मी. लम्बी विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव में भारत-नेपाल सीमा के पास रक्सौल आदि को जोड़ने वाली नई सड़कें भी शामिल हैं।

(घ) सीमा रक्षक बल के रूप में भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को सौंपा गया है। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को भी सुग्राही बनाया गया है। एस एस बी राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन के निकट समन्वय से कार्य करता है। भारत सरकार भी समग्र स्थिति पर नजदीकी नजर रख रही है।

सीबीएसई द्वारा हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स की शुरुआत

2579. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :
श्री राकेश सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीएसई ने इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स (एचओटीएस) की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि एचओटीएस से छात्रों में उत्सुकता पैदा हो रही है क्योंकि छात्रों और अध्यापकों, दोनों को इस बारे में अंधेरे में रखा गया है; और

(घ) छात्रों की चिंता को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ख) विद्यार्थियों की विषय-वस्तु आधारित परीक्षा के स्थान पर प्रश्न हल करने और क्षमता आधारित परीक्षा करके परीक्षा सुधारों के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में उल्लिखित सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष से प्रश्न पत्र निर्धारित करने में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:-

(i) बड़ी संख्या में लघु-उत्तरीय प्रश्न।

(ii) उच्च चिन्तन कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए लगभग 20 प्रतिशत प्रश्न।

(iii) गति और सही के मध्य बेहतर तालमेल बढ़ाने वाले प्रश्न पत्र।

(iv) विषय-वस्तु आधारित परीक्षा के स्थान पर प्रश्न हल करने और क्षमता आधारित परीक्षा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ही प्रश्नपत्र की संरचना में परिवर्तन के बारे में विद्यालयों को सूचित कर दिया था। संशोधित पैटर्न और दिशा-निर्देशों के आधार पर अंक देने की स्कीम के साथ तैयार किए गए नमूना प्रश्नपत्र भी विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए थे।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान पूरे प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। हेल्प लाइन के माध्यम से परामर्श सुविधाएं भी प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय शिक्षा सेवा

2580. श्री राकेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राज्यों के बीच मतैक्य न होने के कारण अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैश्विक कार विनिर्माण के हब के रूप में भारत का उभरना

2581. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास वैश्विक कार विनिर्माण हेतु एक बड़ा डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग हब के रूप में उभरने की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए आटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 में भारत को आटोमोबाइलों तथा आटो पुर्जों के डिजाइन और विनिर्माण की दृष्टि से विश्व में एक ऐसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारने की परिकल्पना है जिसका उत्पादन 145 बिलियन अमेरीकी डालर के बराबर हो जाएगा और सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 10 प्रतिशत से अधिक होगा एवं यह वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त

रोजगार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान और विकास ढांचागत-सुविधा परियोजना (एन.ए.टी.आर.आई.पी.) कुल 1718 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व-स्तरीय आटोमोटिव परीक्षण एवं होमोलोगेशन सुविधाओं की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा की गई अकेली सबसे बड़ी पहल है, ताकि भारतीय आटोमोटिव क्षेत्र को विश्व के उभरते आटोमोटिव गंतव्यों के बीच बेहतर स्थिति प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

गोरखा हिल परिषद विधेयक

2582. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "गोरखा पर्वतीय परिषद विधेयक" के संबंध में दार्जिलिंग क्षेत्र से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र में, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्शी, विधायी और संविधानिक प्रक्रिया का पालन करके, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत एक स्वायत्त स्वशासी परिषद का सृजन करने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के तत्कालीन केयरटेकर प्रशासक श्री सुभाष घीसिंग के बीच 06.12.2005 को एक समझौता ज्ञापन (एम ओ एस) पर "सिद्धान्त रूप में" हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गोरखा हिल काउंसिल दार्जिलिंग नामक एक नई परिषद सृजित करने हेतु दिनांक 30.11.2007 को लोक सभा में संविधान (एस सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 तथा संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 नामक दो विधेयक पेश किए गए थे। विधेयकों को जांच हेतु गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। 28.02.2008 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मामला लंबित है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ

2583. श्री अधीर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में घुसपैठ की दर घटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में घुसपैठियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमापार से जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई अनुमानित घुसपैठ का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007
अनुमानित घुसपैठ की संख्या	1373	537	597	573	535

(ग) चालू वर्ष के दौरान जनवरी घुसपैठ करते हुए किसी भी घुसपैठियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद समर्थन कार्रवाई रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा तथा घुसपैठ के हमेशा परिवर्तित होते रहने वाले मार्गों के निकट बहु-स्तरीय एवं बहु-माडल तैनाती किया जाना, सुरक्षा बलों के लिए प्रोन्नत प्रोद्योगिकी, शस्त्र और उपकरण, प्रोन्नत आसूचना और आप्रेशनल समन्वयन तथा तथा आसूचना प्रसार को संकलित करना शामिल है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

2584. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2008 में 95वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गयी तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने उन योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कोई निधियां आबंटित की हैं जिन पर उक्त सम्मेलन में चर्चा की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ख) जी, हां। सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किए गए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) सभी के कल्याण के लिए जैव प्रौद्योगिकी (2) ज्ञान हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (3) जैव विविधता (4) परिवहन (5) जिनोमिक्स एवं समाज (6) नैनो प्रौद्योगिकी (7) एवरग्रीन क्रान्ति (8) जल संकट दूर करना (9) नवीकरण योग्य ऊर्जा (10) विज्ञान शिक्षा विषय वस्तु, प्रस्तुतीकरण और प्रयोजन (11) ग्रामीण भारत में पेयजल की सुनिश्चितता के लिए प्रौद्योगिकीय चुनौतियां (12) बायोइन्फार्मेटिक्स (13) दीर्घकालिक सक्षम विज्ञान (14) महासागर विज्ञान और महासागर प्रौद्योगिकी (15) वायरल बीमारियों की वर्तमान स्थिति और नियंत्रण, नवीन प्रबंधन कार्यनीतियां (16) सार्वजनिक/निजी/उद्योग अन्योन्यक्रिया (17) रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकियां (18) औषधि अनुसंधान में जैव माडल (19) स्टेम सेल एवं जीन थिरेपी (20) ई-लर्निंग, ई-गावर्नेंस तथा टेली औषधि (21) विज्ञान संवर्धन: अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी (22) भारत की ऊर्जा सुरक्षा (23) स्कूली छात्रों के लिए विज्ञान। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, महिला न्याय एवं महिला समानता, जल सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और समुद्र सतह उन्नयन, ऊर्जा, मास ट्रांसपोर्टेशन आदि पर सुझाव दिए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नमक कामगारों हेतु आवास योजना

2585. डा. के. धनराजू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक कामगारों हेतु कोई आवास योजना चलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कामगार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(घ) क्या इस धनराशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति कामगार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) जी हां, भारत सरकार ने नमक कामगारों हेतु आवासीय एककों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना में "नमक मजदूर आवास योजना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजनागत स्कीम को स्वीकृत किया था। सभी वास्तविक नमक कामगार जिनके पास मकान नहीं है अथवा जिन्होंने आवासीय एककों के निर्माण के लिए किसी अन्य योजना से वित्तीय सहायता का लाभ नहीं प्राप्त किया है, इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं। प्रत्येक आवासीय एकक की लागत 50,000/- रुपये है जिसमें 10,000/- रुपये अवसंरचनात्मक सुविधाओं की लागत के रूप में शामिल है। 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और शेष 10 प्रतिशत लाभग्राहियों/राज्य सरकारों/पणधारकों/एन जी ओ आदि द्वारा वहन की जाती है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए परिव्यय 24.75 करोड़ रुपये था जिसमें से भारत सरकार का योगदान 22.50 करोड़ रुपये है।

यह राशि संबंधित राज्य सरकार के नाम जारी की जाती है जो इस कार्य को या तो एन.जी.ओ. के जरिए अथवा नमक कामगारों के जरिये पूरा करती है।

(घ) और (ङ) जारी योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस योजना के जारी रहने, इसकी प्रकृति, कार्य क्षेत्र तथा सहायता की राशि के बारे में निर्णय मूल्यांकन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

रेडियो चैनल

2586. श्री नवीन जिन्दल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो चैनलों की संख्या काफी बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेडियो सुनने वालों की संख्या भी समानुपातिक रूप से बढ़ी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेडियो चैनलों का प्रयोग स्थानीय शासन को लोकप्रिय बनाने हेतु किया जा रहा है जैसाकि प्रशासन सुधार आयोग ने सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किए जा रहे प्रसारणों और प्रसारण अवधि का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ख) जी, हां। 31 मार्च, 2004 को 214 आकाशवाणी केन्द्र और 336 ट्रांसमीटर थे। अभी तक की स्थिति के अनुसार, 231 आकाशवाणी केन्द्र और 372 ट्रांसमीटर हैं। आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सरकार ने वर्ष 1999 में निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो के विस्तार की नीति भी लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत 21 चैनल परिचालित किए गए थे। तदनंतर, निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो के विस्तार की एक नई नीति वर्ष 2005 में अधिसूचित की गई और इस स्कीम के अंतर्गत 245 चैनलों के परिचालन की अनुमति दी गई। अभी तक की स्थिति के अनुसार, 205 एफ एम चैनल कार्यशील हैं। निजी एफ एम चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2006-07 के दौरान कराए गए आकाशवाणी सर्वेक्षण के अनुसार, आकाशवाणी श्रोताओं की संख्या क्रमशः 310 मिलियन, 340 मिलियन और 257 मिलियन थी। इससे आकाशवाणी के श्रोतागण/श्रोताओं की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

सरकार द्वारा एफ एम रेडियो चैनलों के श्रोताओं के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। आकाशवाणी चैनलों का प्रयोग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा अनुशंसित स्थानीय शासन के संबंध में कामयाबी के इतिहास को प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है। लगभग 30 आकाशवाणी केन्द्र यथा-अनुशंसित कामयाबी के इतिहास पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं और प्रत्येक केन्द्र हर एक कार्यक्रम के लिए 20 से 35 मिनट तक का समय दे रहा है। इस मुद्दे को शामिल करते हुए प्रति माह औसतन 10 से 20 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है।

विकास एवं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सिविल समाज की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसम्बर, 2006 में सामुदायिक रेडियो पर एक नीति बनाई है। सामुदायिक रेडियो ग्रामीण रोजगार के लिए सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं और इनका कारगर ढंग से प्रयोग सरकार की विभिन्न स्कीमों और नीति के संबंध में सूचना का प्रचार करने के लिए किया जा सकता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए नए प्रेषित्र

क्र.सं.	स्थान	परियोजना	चालू होने की तिथि
1	2	3	4
वर्ष 2004-2005 के दौरान चालू किए गए प्रेषित्र			
1.	कुपवाड़ा (जम्मू एवं कश्मीर)	20 किलोवाट मीवे प्रेषित्र (रिले) एवं स्टाफ क्वार्टर	25.05.2004

1	2	3	4
वर्ष 2005-2006 के दौरान चालू किए गए प्रेषित्र			
1.	सरायपल्ली (छत्तीसगढ़)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो एवं स्टाफ क्वार्टर (एल.आर.एस.)	18.06.2006
2.	मांडला (मध्य प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो एवं स्टाफ क्वार्टर (एल.आर.एस.)	21.06.2006
3.	हिम्मतनगर (गुजरात)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो एवं स्टाफ क्वार्टर (एल.आर.एस.)	21.06.2006
4.	राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	3 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो (एल.आर.एस.)	23.06.2005
5.	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टुडियो	22.06.2005
6.	अगरतला (त्रिपुरा)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टीरियो स्टुडियो (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
7.	इम्फाल (मणिपुर)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र एवं स्टीरियो स्टुडियो (अंतरिम स्थापना)	जून, 2005
8.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	09.07.2005
9.	गुलबर्गा (कर्नाटक)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
10.	मदुरई (तमिलनाडु)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
11.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
12.	रोहतक (हरियाणा)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
13.	उदयपुर (राजस्थान)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	15.08.2005
14.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	02.09.2005
15.	येरकोड (तमिलनाडु)	100 वाट एफ.एम. प्रेषित्र (एल.पी.टी. रिले केंद्र)	20.07.2005
16.	कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल)	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अतिरिक्त चैनल)	25.12.2005
17.	दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)	100 वाट एफ.एम. प्रेषित्र (एल.पी.टी. रिले केंद्र)	27.12.2005
18.	देवगढ़ (उड़ीसा)	100 वाट एफ.एम. प्रेषित्र (एल.पी.टी. रिले केंद्र)	23.12.2005

1	2	3	4
19.	शिलांग (मेघालय)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टुडियो	27.12.2005
20.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (द्वितीय चैनल)	25.12.2005
21.	मंजेरी (केरल)	3 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो एवं स्टाफ क्वार्टर (एल.आर.एस.)	28.01.2006
वर्ष 2006-2007 के दौरान चालू किए गए प्रेषित्र			
1.	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	17.06.2006
2.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	11.07.2006
3	करगिल (जम्मू एवं कश्मीर)	200 किलोवाट मीवे प्रेषित्र	01.09.2006
4.	द्रास (जम्मू एवं कश्मीर)	1 किलोवाट मीवे प्रेषित्र व स्टाफ क्वार्टर (रिले)	01.09.2006
5.	तिसुरू (जम्मू एवं कश्मीर)	1 किलोवाट मीवे प्रेषित्र व स्टाफ क्वार्टर (रिले)	01.09.2006
वर्ष 2007-2008 के दौरान चालू किए गए प्रेषित्र			
1.	बड़ीपाड़ा (उड़ीसा)	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (1 किलोवाट मीवे का प्रतिस्थापन)	01.09.2007
2.	कोहिमा (नागालैंड)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	02.10.2007
3.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टुडियो	02.10.2007
4.	आइजोल (मिजोरम)	6 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टुडियो	02.10.2007
5.	धर्मापुरी (तमिलनाडु)	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टुडियो, (अंतरिम स्थापना)	02.10.2007
6.	न्योमा (जम्मू एवं कश्मीर)	1 किलोवाट मीवे प्रेषित्र के साथ रिले केंद्र	02.10.2007
7.	दिस्किट (जम्मू एवं कश्मीर)	1 किलोवाट मीवे प्रेषित्र के साथ रिले केंद्र	02.10.2007
8.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (अंतरिम स्थापना)	02.10.2007
9.	औरंगाबाद (बिहार)	100 वाट एल.पी.टी. रिले केंद्र	23.10.2007
10.	सोरो (उड़ीसा)	1 किलोवाट मीवे प्रेषित	02.12.2007
11.	पांडिचेरी	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	02.12.2007
12.	मचेरला (आंध्र प्रदेश)	3 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	02.12.2007

नोट: 3 मीवे प्रेषित्रों को बन्द कर दिया गया था क्योंकि इन्हें एफ.एम. ट्रांसमीटरों से प्रतिस्थापित किया गया था।

विवरण-II

भारत में प्रचालित निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	4	8	13
2.	असम	0	0	3	3
3.	बिहार	0	0	2	2
4.	छत्तीसगढ़	0	0	4	4
5.	दिल्ली	3	4	1	8
6.	गोवा	0	0	3	3
7.	गुजरात	1	11	0	12
8.	हरियाणा	0	3	3	6
9.	जम्मू-कश्मीर	0	2	0	2
10.	झारखंड	0	0	6	6
11.	कर्नाटक	1	6	3	10
12.	केरल	0	0	13	13
13.	मध्य प्रदेश	1	0	12	13
14.	महाराष्ट्र	5	2	12	19
15.	मेघालय	0	0	1	1
16.	उड़ीसा	0	0	5	5
17.	पुदुचेरी	0	0	3	3
18.	पंजाब	0	2	10	12
19.	राजस्थान	0	6	14	20
20.	तमिलनाडु	4	5	12	21
21.	त्रिपुरा	0	0	1	1
22.	उत्तर प्रदेश	1	3	13	17
23.	पश्चिम बंगाल	4	2	5	11
	कुल	21*	50	134	205

*वर्ष 2005-06 से पहले प्रचालित किए गए।

औद्योगिक पार्क

2587. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में स्थापित किए गए औद्योगिक पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक संख्या में औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत दिये गये राज्यवार अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार औद्योगिक पार्कों की स्थापना नहीं करती है। औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्क डवलपर्स द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80Iक के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट के लिए पात्र हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत दिये गये अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	दिए गए अनुमोदनों की संख्या			
		2005	2006	2007	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6	8	3	17

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	3	—	—	3
3.	हरियाणा	—	1	—	1
4.	कर्नाटक	18	7	1	26
5.	महाराष्ट्र	32	4	1	37
6.	पांडिचेरी	—	—	1	1
7.	पंजाब	1	—	—	1
8.	राजस्थान	14	58	6	78
9.	तमिलनाडु	1	6	—	7
10.	उत्तर प्रदेश	1	1	—	2
11.	उत्तरांचल	2	3	1	6
12.	पश्चिम बंगाल	1	1	—	2
	कुल	79	89	13	181

[हिन्दी]

लघु उद्योग उत्पादों के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड

2588. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के संबंध में लघु उद्योगों पर पर्यावरण अनुकूल और गुणवत्ता नियंत्रण नियमों को लागू किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु क्या सहायता मुहैया करायी गयी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए विभिन्न उत्पादों पर कई पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानक लागू होते हैं। वे उत्पाद चाहे सूक्ष्म और लघु उद्यम अथवा अन्य उद्यम द्वारा निर्मित हों, वे उत्पाद से उत्पाद और देश से देश में भिन्न होते हैं। विश्व में गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन मानक के संबंध में क्रमानुसार आई एस ओ 9000 और आई एस ओ 14000 मानक स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा ऋण, टेक्नोलोजी और गुणवत्ता उन्नयन, मार्केटिंग, आधारित संरचना के विकास आदि के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। एम एस ई के विकास और संवर्धन हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम, परफॉरमेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, आई एस ओ 9000/14001 प्रमाणन योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, मार्केट विकास सहायता (एम डी ए) योजना जैसी कुछ प्रमुख योजनाएं लागू की गई हैं।

भूकम्प प्रवण क्षेत्र

2589. श्री टेक लाल महतो : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों को अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्गीकरण हेतु कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा किए गए भूकम्परोधी उपायों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा आवंटित और व्यय की गयी धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) इन क्षेत्रों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहले आए भूकंपों के इतिहास, विशेष रूप से भूकंपों के आने, उनकी बारंबारता तथा तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐतिहासिक डेटा के अतिरिक्त वैज्ञानिक डेटा के आधार पर देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात्, जोन-II, जोन-III, जोन-IV, जोन-V

में विभाजित किया है। जोन-V भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय जोन है जबकि जोन-II, सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है।

(ग) भूकंपीय सूक्ष्म मंडलीकरण के लिए भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, भू-उपयोग, भूमि परत, भू-अनुक्रिया स्पेक्ट्रा, बेसमेंट संरूपण तथा भू-स्खलन जोखिम, अधिकतम भू-त्वरण आदि से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर सूचना के साथ विशिष्ट क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण किए जाने की आवश्यकता है, ताकि व्यापक भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों के भीतर भूकंप रोधी विकास योजनाएं तैयार की जा सकें। भूकंपीय जोखिम को कम करने के लिए इस तरह की वैज्ञानिक जानकारियां तैयार करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में भूकंप जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ईआरईसी) का निर्माण किया गया है। व्यापक भूकंपीय खतरों वाले जोनों के भीतर शहरी पैमाने पर भूकंपीय जोखिम का निर्धारण करने के लिए विशेष सूचनाएं तैयार करने हेतु भूकंप विज्ञान में कई अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, भूकंपीय सुरक्षा वाले क्षेत्र तैयार करने की दिशा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कई क्षमता निर्माण संबंधी पहल की जा रही हैं। उनमें से कुछ हैं:-

(i) 5 लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों में शहरी भूकंपीय संवेदनशीलता न्यूनीकरण परियोजना (यूईवीआरपी) शुरू करना।

(ii) आईआईटी, एनआईटी तथा भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सहयोग से इंजीनियरों और वास्तुविदों के लिए "राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रबंधन इंजीनियर कार्यक्रम" और "भूकंप प्रबंधन में वास्तुविदों के लिए क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" नामक दो कार्यक्रम चलाना।

(iii) प्रौन्नत भूकंप इंजीनियरिंग अनुसंधान सुविधाओं के क्षेत्र में संसाधन संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईईई) शुरू करना।

इन सभी पहल का उद्देश्य देश में समग्र भूकंप रोधी सुरक्षित निर्माण कार्य करने के लिए वास्तुविदों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर विभिन्न स्तरों पर अनुक्रिया योजनाएं तैयार कर इनके जरिये भूकंप की संवेदनशीलता को कम करना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक सूचनाएं तैयार करने के लिए 2.3 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया है। साथ ही, भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा शहरी पैमाने पर भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारियों के निर्माण के लिए भी 4.0 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का मूल्यांकन

2590. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा मुद्रित व प्रकाशित विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में अनेक तथ्यपरक त्रुटियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच करने और ऐसी घटनाओं की निगरानी करने हेतु कोई मूल्यांकन समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इसके द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों में तथ्यपरक गलतियों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि इसकी पाठ्य पुस्तकें तथ्यपरक गलतियों से मुक्त रहे। फिर भी यदि छपाई, मुद्रण या अन्य गलतियों का पता चलता है, तो समय-समय पर पुनर्मुद्रण संस्करणों में इनको ठीक किया जाता है।

भारतीय खिलौनों का निर्यात

2591. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के खिलौनों का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा देशी खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) विश्व खिलौना बाजार में भारत का हिस्स 0.05% है। इस क्षेत्र में प्रचालनरत अधिकांश इकाइयां अति लघु एवं लघु उद्यम हैं। अति लघु, लघु एवं मंझौले उद्यम मंत्रालय खिलौना उद्योग सहित अति लघु एवं लघु उद्यमों के लिए कार्यक्रम चला रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में सहभागिता हेतु सहायता, बार कोड प्रमाणन प्राप्त करने हेतु प्रतिपूर्ति, निर्यात हेतु पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता, आईएसओ/9000-14001 प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। परीक्षण सुविधाएं नई दिल्ली तथा मुम्बई के क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों में सृजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) आदि में सहभागिता हेतु खिलौना निर्यातकों को खेल-कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) के जरिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

काजू निर्यात

2592. श्री पी.सी. थामस :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विश्व में काजू निर्यात में भारत की देश-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक, प्रसंस्करण करने वाला और निर्यातक देश है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो काजू के विदेशी व्यापार में भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं; और

(घ) काजू निर्यात में भारत को सर्वोपरि स्थान पर लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत विश्व में काजू गिरी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी के वैश्विक निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

देश/वर्ष	2005 मी.टन	2006 मी.टन	2007 मी.टन	2008 (जन.-फरवरी) मी.टन
भारत	118805	117325	1155265	16812
ब्राजील	46494	52164	63504	उ.न.
वियतनाम	1040000	97751	103421	उ.न.
अन्य	उ.न.	5217	10887	उ.न.
कुल	269299	272457	293077	

(ख) और (ग) जी, हां। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक, प्रसंस्कर्ता तथा निर्यात देश है। काजू में भारत से प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रमुख देश वियतनाम और ब्राजील है।

(घ) सरकार काजू निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय करती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भागीदारी, व्यापार शिष्टमंडल प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण, व्यापारिक सूचना का प्रसार, बाजार सूचना, सांख्यकी, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, निर्यातित काजू गिरि की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्यातकों की सहायता करने आदि के लिए एमडीए, एमएआई, एएसआईडीई तथा भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना स्कीमों का कार्यान्वयन। इससे भारतीय काजू निर्यातकों को अपने-अपने उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार करने और अपने उत्पादों हेतु अधिक पूछताछ हासिल

करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार भारत से हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी।

सर्व शिक्षा अभियान हेतु मानदंड

2593. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के क्रियान्वयन हेतु मानदंडों को उदार बनाने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की संरचना में ग्यारहवीं योजना अवधि की प्राथमिकताओं में विशेष रूप से कोटि सुधार एवं समानता के साथ-साथ लागत वृद्धि के संबंध में सुधार किया गया है।

[हिन्दी]

विस्फोटक पदार्थों और स्वापकों की तस्करी

2594. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री देविदास पिंगले :
श्री अमिताभ नन्दी :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगलादेश, भूटान और म्यांमार सहित विभिन्न देशों से देश में हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और स्वापकों आदि की तस्करी के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जैसा कि दिनांक 23 फरवरी, 2008 के ''मेट्रो नाउ'' तथा 16 फरवरी, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक वस्तुवार और राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए और कितनी मात्रा में इन वस्तुओं को जब्त किया गया;

(ग) क्या विदेशी नागरिकों द्वारा नशीली दवाओं और विस्फोटकों की तस्करी किए जाने संबंधी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तस्करी के ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान। यह रिपोर्ट शस्त्रों की तस्करी और विस्फोटक पदार्थों की जब्ती से संबंधित है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। अनेक विदेशी राष्ट्रिकों को नारकोटिक ड्रग्स के अवैध व्यापार में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) तस्करी की इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) सीमावर्ती गश्त की चौबीसों घंटे निगरानी करके और समस्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवलोकन चौकियां स्थापित करके सीमा पर प्रभावी अधिकार बनाए रखना।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना।

(iii) निगरानी में वृद्धि के लिए सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(iv) सीमावर्ती गश्त को सुविधापूर्ण बनाने के लिए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण।

(v) आधुनिक और उच्च तकनीक के उपस्कर उपलब्ध कराना।

(vi) कार्यात्मक और निदेशात्मक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में प्रमुख आसूचना एजेंसियों से सम्बद्ध उप-एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वयन का उन्नयन। सेना पुलिस/स्थानीय लोगों के साथ भी उचित समन्वय रखा जा रहा है।

(vii) सीमा पर विशेष आप्रेशन चलाना।

विवरण-I

शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक पदार्थ/नारकोटिकों की दावाकृत जब्तियों की संख्या

2005

राज्य	भारत-बंगलादेश सीमा				राज्य	भारत-पाकिस्तान सीमा			
	शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक		शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक
पश्चिम बंगाल	12	05	05	15	गुजरात	–	–	–	–
असम	02	–	–	07	राजस्थान	01	02	01	01
मेघालय	03	02	–	01	पंजाब	03	03	–	03
त्रिपुरा	07	07	–	12	जम्मू-कश्मीर	27	31	07	–
मिजोरम	–	–	–	–					
कुल	24	14	05	35		31	36	08	04

2006

राज्य	भारत-बंगलादेश सीमा				राज्य	भारत-पाकिस्तान सीमा			
	शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक		शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक
पश्चिम बंगाल	08	04	01	86	गुजरात	–	–	–	–
असम	01	01	–	29	राजस्थान	02	01	–	–
मेघालय	–	–	–	40	पंजाब	05	03	–	01
त्रिपुरा	10	01	02	119	जम्मू-कश्मीर	11	01	–	01
मिजोरम	–	–	–	–		–	–	–	–
कुल	19	06	03	274		18	05	–	02

2007

राज्य	भारत-बंगलादेश सीमा				राज्य	भारत-पाकिस्तान सीमा			
	शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक		शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	42	07	–	11	गुजरात	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	04	—	—	03	राजस्थान	02	01	01	01
मेघालय	—	—	—	07	पंजाब	08	02	—	02
त्रिपुरा	18	12	—	18	जम्मू-कश्मीर	12	11	02	01
मिजोरम	—	—	—	—					
कुल	64	19	—	39		22	14	03	04

2008 (29 फरवरी तक)

राज्य	भारत-बंगलादेश सीमा				राज्य	भारत-पाकिस्तान सीमा			
	शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक		शस्त्र	गोलाबारूद	विस्फोटक	नॉरकोटिक
पश्चिम बंगाल	01	—	—	36	गुजरात	—	—	—	—
असम	01	01	—	06	राजस्थान	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	06	पंजाब	01	01	—	01
त्रिपुरा	01	—	—	58	जम्मू-कश्मीर	01	01	—	—
मिजोरम	—	—	—	—		—	—	—	—
कुल	03	01	—	106		02	02	—	01

विवरण-II

ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे भारत में 2005-2007 के दौरान गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों का देशवार ब्यौरा निम्नवत् है

(अनंतिम)

क्र. सं.	राष्ट्रीयता	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रिया	1	1	0
2.	आस्ट्रेलिया	0	1	1
3.	अफगानिस्तान	0	2	5
4.	बंगलादेश	0	1	0
5.	बहामास	0	1	0
6.	ब्राजील	0	1	0
7.	बुरांडी	0	0	1
8.	कनाडा	1	6	2

1	2	3	4	5
9.	कांगो	0	1	1
10.	चीन	0	6	0
11.	कैमरुन	0	1	0
12.	चेक गणराज्य	1	0	0
13.	फिनलैंड	0	1	0
14.	फ्रांस	1	2	3
15.	जर्मनी	3	2	3
16.	गाम्बिया	1	0	0
17.	घाना	1	2	0
18.	गुयाना बिसाउ	0	0	1
19.	इस्राइल	8	4	0
20.	इटली	5	2	3
21.	ईरान	0	3	3
22.	इंडोनेशिया	0	2	1
23.	आइवरी कोस्ट	1	0	3
24.	जापान	0	4	1
25.	केन्या	2	2	1
26.	लाईबेरिया	1	1	0
27.	मैक्सिको	0	0	1
28.	मलावी	0	0	1
29.	मलेशिया	1	0	0
30.	म्यांमार	42	20	22
31.	नामीबिया	0	0	1
32.	मालदीव	0	0	1
33.	नीदरलैंड	0	1	0
34.	नेपाल	13	58	43
35.	नाइजीरिया	41	52	51
36.	पाकिस्तान	1	9	1
37.	फिलीपीन	0	1	0
38.	फिलिस्तीन	0	0	2
39.	रशिया	2	1	0
40.	सरिया लियोन	0	1	0
41.	सिंगापुर	1	1	2
42.	दक्षिण अफ्रीका	5	4	1
43.	स्विटजरलैंड	0	1	0
44.	श्रीलंका	22	23	9
45.	तंजानिया	11	7	2
46.	थाईलैंड	0	1	3
47.	यूगांडा	1	0	1
48.	यूनाईटेड किंगडम	6	2	1
49.	यू एस ए	1	2	1
50.	जाम्बिया	0	2	1
	कुल	173	232	173

[अनुवाद]

बांग्लादेशी घुसपैठ

2595. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री कीरेन रिजीजू :

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध रूप से घुसपैठ कर आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की देश में उपस्थिति का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसूचना विभाग ने सूचना दी है कि बांग्लादेश से होने वाली लगातार घुसपैठ की वजह से असम के बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन (हुजी) का प्रशिक्षण केन्द्र बनने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पर कुल कितने घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है/मार गिराया गया है तथा घुसपैठियों से कितनी मात्रा में वस्तुएं जब्त की गई हैं; और)

(च) सरकार द्वारा उन स्थलों की पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जहां से व्यापक पैमाने पर घुसपैठ होती है तथा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) कुछ रिपोर्टें हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ विद्रोही ग्रुपों की विशेष रूप से यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के पाकिस्तान की आई एस आई और कतिपय अन्य कट्टरवादी/आतंकवादी संगठनों जैसे बांग्लादेश में स्थित हरकत-उल-जेहाद इस्लामी (हुजी), के साथ संबंधों को दर्शाती हैं और इनके पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ग्रुपों और पाकिस्तान की आई एस आई के साथ संबध होने की सूचना बताई जाती है। उल्फा सहित उग्रवादी गुटों के विरुद्ध पुलिस और सुरक्षा बलों/एजेंसियों द्वारा सम्मिलित और केन्द्रीभूत विद्रोह विरोधी उपाय किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप गुटों के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने सहित पर्याप्त सफलता मिली है उल्फा और अन्य सशस्त्र विद्रोही ग्रुपों के विरुद्ध गहन विद्रोह विरोधी अभियान जारी हैं।

बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उन कट्टरवादी/आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिनके वहां पर स्थित होने की सूचना है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी घुसपैठियों की आशंका और विनिषिद्ध, शस्त्र और गोलाबारूद की बरामदगी के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए कुल
2005	6384
2006	5131
2007	4206
2008 (फरवरी तक)	602

विनिषिद्ध, शस्त्र और गोलाबारूद की बरामदगी

वर्ष	विनिषिद्ध (रुपये में)	शस्त्र (संख्या में)	गोलाबारूद (संख्या में)
2005	94,59,69,972	38	477
2006	107,81,34,794	48	327
2007	119,08,22,776	65	1679
2008 (फरवरी तक)	14,00,92,735	04	2

(च) भारत सरकार ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चौबीसों घंटे निगरानी एवं सीमाओं पर गश्त लगाना और निगरानी; चौकियों की स्थापना; सीमा बाड़ और तेज रोशनी का निर्माण; आधुनिक और उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरण की शुरुआत करना; आसूचना ढांचे का उन्नयन और राज्य सरकारों और संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।

प्रच्छन्न विज्ञापन

2596. **श्रीमती जयाप्रदा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और आउटडोर मीडिया में प्रच्छन्न विज्ञापन देने वाली तंबाकू और शराब की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 25.2.2008 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है कि किसी भी ऐसे विज्ञापन को अनुमति नहीं दी जाएगी जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा देता हो। अनुपालन न करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक भारत में प्रैस का संबंध है, भारतीय प्रैस परिषद ने, जोकि एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय है, पत्रकारिता के आचरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। प्रैस परिषद अधिनियम, 1987 के अनुच्छेद 13(2)(ख) में उल्लेख है कि — किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराा, अल्कोहल, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बढ़ावा देता हो।

तकनीकी शिक्षा का मूल्यांकन

2597. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. ने देश में तकनीकी शिक्षा के वर्तमान स्तर का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समकक्ष हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आकलन करने के पश्चात् इन्हें प्रत्यायित करता है।

(ग) और (घ) तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में विशिष्ट रूप से परिभाषित कोई "अंतर्राष्ट्रीय मानदंड" नहीं है।

(ङ) XIवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कई उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें आई आई टी तथा आई आई एम जैसी और अधिक संस्थाओं की स्थापना करना, पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, प्रत्यायन एवं मूल्यांकन प्रणाली और संकाय विकास कार्यक्रमों में सुधार करना शामिल है।

चावल का निर्यात

2598. **एडवोकेट सुरेश कुरूप** :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक बासमती को छोड़कर अन्य चावलों का निर्यात करने हेतु एसटीसी और एमएमटीसी को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या भारत सऊदी अरब को किए जाने वाले चावल के निर्यात में अपने हिस्से को संयुक्त राज्य अमरीका से गवां रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चावल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 8 अक्तूबर, 2007 तक गैर-बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति थी। तत्पश्चात् 31 अक्तूबर, 2007 तक

गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में गैर-बासमती चावल का निर्यात न्यूनतम निर्यात कीमत के अध्यधीन रहा है तो वर्तमान में 650 अम.डा. प्रति टन एफओबी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2005 में सऊदी अरब के चावल आयात में भारत का हिस्सा 68.9% था जबकि वर्ष 2006 में यह 73.6% के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2005 तथा 2006 में सऊदी अरब को अमरीका के निर्यात 7.9% ही रहे हैं। इस प्रकार इन वर्षों में सऊदी अरब के चावल बाजार में भारत के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार सामान्यत: प्रत्यक्ष रूप से तथा एपीडा जैसे सांविधिक निकायों के माध्यम से चावल निर्यात का संवर्धन करती आ रही है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार अवसंरचना, विकास गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास तथा संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना प्रसार आदि हेतु एपीडा के माध्यम से अनेक प्रोत्साहन देती है। तथापि, घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 9 अक्तूबर, 2007 से चावल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

लश्कर-ए-तोएबा से खतरा

2599. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा गुजरात में जूनागढ़ लश्कर-ए-तोएबा के निशाने पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में लश्कर-ए-तोएबा की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और गुजरात में जूनागढ़ को निशाना बनाने की लश्कर-ए-तोएबा (एल ई टी) की किसी विशिष्ट धमकी के संबंध में कोई विशेष इनपुट नहीं है।

(ग) लश्कर-ए-तैय्यबा (एल ई टी) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिबंधित संगठन है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं—सीमाओं पर तीव्र गश्त एवं चौकसी, घुसपैठ रोकना, आतंकवाद बहुल क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में और उनके आस-पास चौकसी एवं सुरक्षा बढ़ाना, आसूचना भागीदारी के लिए व्यवस्था एवं तंत्र को सुदृढ़ करना, राज्य सरकारों एवं एजेंसियों के साथ आसूचना का नियमित आदान-प्रदान, राज्य में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करने के लिए सहायता, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के उपकरणों एवं हथियारों का उन्नयन एवं आधुनिकरण करना, और आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई।

ग्राम शिक्षा समितियां

2600. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना में यथा परिकल्पित शिक्षा देने के लिए विद्यालयों में गुणवत्ता एवं कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु पूरे देश में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ग्राम शिक्षा समितियों का गठन नहीं किया गया है; और

(घ) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी समितियों के गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान की संरचना में समुदाय आधारित कार्यान्वयन और स्कूलों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए तृणमूल स्तर तक विकेंद्रीकरण और विचार-विमर्श पर बल दिया गया है। इस समुदाय आधारित दृष्टिकोण के जरिए बस्ती स्तर पर आयोजना, स्कूल कार्यकलापों की निगरानी और बड़ी संख्या में कार्यकलापों का निष्पादन ग्राम शिक्षा समितियों अथवा इसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा किया जाना होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर लिया है। तथापि, समुदाय आधारित संरचना के लिए नामनिर्देशन राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होता है जिसमें अनके आकार, कार्यकाल के साथ-साथ इसका पैटर्न भी शामिल है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों का उपयोग

2601. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित कुछ राज्य-सरकारें सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधियों का उपयोग करने में असफल रही है जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) निधियों के अल्प-उपयोग के कारण 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की शिक्षा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार किस हद तक प्रभावित हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन राज्य सरकारों पर शास्ति लगाने का है जो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन कारगर ढंग से नहीं कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) (क) से (च) 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 31.12.2007 तक निधियों का कुल उपयोग, उपलब्ध निधियों का 61% था। बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने उपलब्ध निधियों के क्रमशः 46% तथा 76% भाग का उपयोग किया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई कि वे चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग करें। स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या जो वर्ष 2005-06 के दौरान 1.34 करोड़ थी, वर्ष 2007 में कम होकर लगभग 76 लाख रह गई है। भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी निधियां, कार्यक्रम के निष्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना

2602. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए स्थानों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य इन मानदण्डों के अंतर्गत आता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अनेक भारतीय विज्ञानों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना राज्य-वार किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) भारत सरकार ने पुणे, कोलकाता और मोहाली में तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं और भोपाल तथा तिरुवनंतपुरम में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना कर रही है। इन संस्थानों को माननीय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस प्रकार स्थापित किया गया है कि देश के सभी बड़े-बड़े क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था की जा सके। गुजरात राज्य पश्चिम क्षेत्र में आता है जिसके लिए पुणे में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित कर दिया गया है। इस समय कोई और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

बागानों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

2603. श्रीमती सी.एस. सुजाता :
श्री संजय धोत्रे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल तथा पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से बंद/परित्यक्त चाय बागानों के पुनरुद्धार/अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े/परित्यक्त 33 चाय बागानों का पुनरुद्धार करने की दृष्टि से हाल ही में एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। इन बागानों में से 17 केरल में, 14 पश्चिम बंगाल में और 2 असम में हैं। इस पैकेज में बकाया ऋणों को पुनर्संरचित करने, चाय बोर्ड के ऋणों की माफी और सरकार से ब्याज सब्सिडी के साथ बैंकों से नई कार्यशील पूंजी का विस्तार और चाय बोर्ड की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत अन्य अनुमत्य सहायता का प्रावधान है। अब तक 11 बंद पड़े बागानों को फिर से खोला गया है।

सरकार ने उन बागानों को जो पुनः नहीं खोले गए हैं, के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए चाय अधिनियम की धारा 16ङ को लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और अब तक चार बागानों के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

[हिन्दी]

अयोध्या हमले की जांच

2604. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या पर आतंकवादी हमले की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त हमलों में किन आतंकवादी संगठनों को संलिप्त पाया गया है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश-2, इलाहाबाद की अदालत में दिनांक 15.10.2005 और दिनांक 24.3.2006 को आरोप पत्र दायर किए गए हैं?

(ग) उक्त हमले में लश्कर-ए-तैइबा (एल ई टी) और जैश-ए-मोहम्मद (जे ई एम) के संलिप्त होने की आशंका है। आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवादी ग्रुपों के क्रियाकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ सीमाओं पर गहन गश्त और चौकसी रखना; घुसपैठ रोकना; आतंकवादी हिंसा के संभावित क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय बलों को तैनाती करना; महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में और उनके आस-पास और अधिक सतर्कता और सुरक्षा की व्यवस्था करना; आसूचना एकत्र करने की व्यवस्था और तंत्र को सुदृढ़ बनाना; राज्यों सरकारों और एजेंसियों के बीच नियमित रूप से आसूचना का आदान-प्रदान करना; राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन में सहायता करना; केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के उपकरणों और हथियारों आदि का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना; और आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करना शामिल है।

[अनुवाद]

पॉलिमेटैलिक नाड्यूल्स से खनिज

2605. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री सतह पर पाए जाने वाले पॉलिमेटैलिक नाड्यूल्स से गैस हाइड्रेट्स सहित कई आवश्यक खनिज निकाले जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भू-वैज्ञानिक स्थिति का प्रारंभिक आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस आकलन के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस खोज के आरंभिक चरणों में किसी विकसित देश से सहायता लिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे निष्कर्षण की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) समुद्र तल पर मौजूद बहुधात्विक पिंडिकाओं से महत्वपूर्ण धातुएं अर्थात् तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैगनीज निकाली जा सकती हैं। परंतु बहुधात्विक पिंडिकाओं में कोई गैस हाइड्रेट नहीं होती।

(ख) और (ग) भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में आबंटित क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडिकाओं वाले संभावित संसाधनों का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इस क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडिकाएं समुद्र संस्तर पर 4 से 6 किमी. तक की रेंज की जल गहराई में फैली हुई हैं। अन्वेषण के अनुसार, 75000 वर्ग कि.मी. के इस क्षेत्र में अनुमानतः 380.00 मिलियन टन बहुधात्विक पिंडिकाएं हैं।

(घ) जी नहीं। भारत इस कार्य को करने वाले अग्रणी देशों में से एक है और किसी भी विकसित राष्ट्र से सहायता लेने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2002 में, प्रतिदिन किग्रा. बहुधात्विक पिंडिकाओं के प्रसंस्करण की क्षमता वाला अर्द्ध-सतत् प्रायोगिक संयंत्र सफलतापूर्वक चालू कर लिया है और पिंडिकाओं से तांबा, निकल तथा कोबाल्ट निकालने का प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमि. से प्राप्त अपशिष्ट से फैरो-सिलिको-मैगनीज कच्ची धातुओं का उत्पादन कर इस उद्योग के स्तर को भी प्रदर्शित किया गया है।

[हिन्दी]

प्राइवेट स्कूलों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन

2606. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एजेंसियों से भूमि का आबंटन प्राप्त करने वाले दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को आरक्षण प्रदान करने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई निदेश दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में उच्च न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) शैक्षिक सत्र 2007-08 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिए जाने संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने वाले दिल्ली के निजी स्कूलों की सूची अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की जानी है।

(घ) से (च) उच्च न्यायालय, दिल्ली के अंतरिम आदेश का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 25.01.2007 को दिल्ली में शिक्षा प्रदान कर रहे ऐसे गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों, जिन्हें सरकारी एजेंसियों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि तथा विकास कार्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदि के द्वारा भूमि आवंटित की गई है, को आदेश जारी किया था कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों हेतु कुल सीटों को कम से कम 20 प्रतिशत निःशुल्क सीटों का प्रावधान करें। उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 30.05.2007 के अपने अंतरिम आदेश में यह निदेश दिया था कि बशर्तें कि न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया जाए, संस्थाएं "25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना में दी गई परिभाषा के अनुसार शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए समाज के कमजोर वर्गों के कम से कम 10 प्रतिशत छात्रों और स्कूल में कार्यरत शैक्षिणिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण देकर दाखिला देगी", वे स्कूल जो हलफनामा दायर नहीं करते हैं, वे दिनांक 25.01.2007 की अधिसूचना के अनुसार अधिशासित होंगे। मामला इस समय निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

औषधियों का निर्यात

2607. श्री नन्द कुमार साय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औषधि संबंधी उत्पाद पेटेंट प्रणाली के अंगीकार किए जाने के बाद औषधियों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की औषधियों का निर्यात किया गया है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान दर्ज की गई वृद्धि/कमी का प्रतिशत कितना है; और

(घ) देश में उत्पाद पेटेंट प्रणाली को लाए जाने के परिणामस्वरूप प्रभावित औषधियों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (घ) औषधि संबंधी उत्पाद पेटेंट प्रणाली के अंगीकार किए जाने से अब तक देश में कुछेक औषधियों को छोड़कर औषधियों के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में औषधियों और भेषज का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल 2007-अक्तूबर, 2007
17857.80	22115.72	24942.08	14751.28

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि निर्यातों में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे

2608. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी थी;

(घ) विद्यालय नहीं जाने वाले सभी बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए दसवीं योजनावधि के दौरान कितना आबंटन किया गया; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितना व्यय किया गया और इस अवधि में कितने प्रतिशत बच्चों को शामिल किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, घरेलू सर्वेक्षणों/अद्यतन रिपोर्टों के आधार पर स्कूल बाह्य बच्चों की पहचान वार्षिक आधार पर करते हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या जो वर्ष 2002 में 320 लाख थी, वह कम होकर मार्च, 2007 में 75.97 लाख रह गई है। राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार मार्च, 2007 तक स्कूल बाह्य बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को स्कूलों/शिक्षा गारंटी केन्द्रों/वैकल्पिक शिक्षा पद्धति में लाना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार को जारी की गई निधियों तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान किए गए खर्च का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे

क्र.सं.	राज्य का नाम	मार्च 2007
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	133
2.	आंध्र प्रदेश	264013

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	30565
4.	असम	338834
5.	बिहार	2119584
6.	चंडीगढ़	5505
7.	छत्तीसगढ़	123632
8.	दादरा व नगर हवेली	1614
9.	दमन व दीव	201
10.	दिल्ली	30001
11.	गोवा	7699
12.	गुजरात	134643
13.	हरियाणा	238847
14.	हिमाचल प्रदेश	5624
15.	जम्मू-कश्मीर	108560
16.	झारखण्ड	209662
17.	कर्नाटक	174533
18.	केरल	20790
19.	लक्षद्वीप	168
20.	मध्य प्रदेश	296979
21.	महाराष्ट्र	136892
22.	मणिपुर	54351
23.	मेघालय	37234
24.	मिजोरम	4913
25	नागालैंड	35335
26.	उड़ीसा	537841
27.	पाण्डिचेरी	326
28.	पंजाब	227645
29.	राजस्थान	163894
30.	सिक्किम	3204
31.	तमिलनाडु	103261
32.	त्रिपुरा	15376
33.	उत्तर प्रदेश	785524
34.	उत्तराखंड	22230
35.	पश्चिम बंगाल	1357601
	सकल योग	7597214

विवरण-II

दसवीं योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि	व्यय (इसमें राज्य का हिस्सा शामिल है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	130355.07	180674.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	16682.6	18729.73
3.	असम	108335.07	116514.21
4.	बिहार	199545.23	247948.75
5.	छत्तीसगढ़	111382.1	143982.53
6.	गोवा	1452.24	1902.68

1	2	3	4
7.	गुजरात	69628.24	97274.77
8.	हरियाणा	58356.64	73295.78
9.	हिमाचल प्रदेश	27189.2	36649.75
10.	जम्मू-कश्मीर	55636.67	64723.06
11.	झारखण्ड	111370.63	142956.30
12.	कर्नाटक	127488.59	170717.02
13.	केरल	28476.78	39072.42
14.	मध्य प्रदेश	278916.729	353458.63
15.	महाराष्ट्र	169410.33	220564.60
16.	मणिपुर	4942.68	5206.67
17.	मेघालय	10682.95	12950.74
18.	मिजोरम	11386.74	14121.29
19.	नागालैंड	7699.98	6986.45
20.	उड़ीसा	114278.14	150665.46
21.	पंजाब	41964.3	60266.38
22.	राजस्थान	185295.227	254085.09
23.	सिक्किम	3159.76	2933.17
24.	तमिलनाडु	123208.92	174208.17
25.	त्रिपुरा	21018.73	25273.04
26.	उत्तर प्रदेश	531502.7	683631.21
27.	उत्तराखंड	41672.415	53394.60
28.	पश्चिम बंगाल	169576.79	205117.52
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1139.16	1528.68
30.	चंडीगढ़	1322.49	1604.23
31.	दादरा व नगर हवेली	659.33	700.42
32.	दमन व दीव	123.91	96.19
33.	दिल्ली	7451.13	8891.31
34.	लक्षद्वीप	147.79	9.76
35.	पाण्डिचेरी	1012.45	1383.07
	कुल	2772471.711	3571518.37
36.	राष्ट्रीय घटक	8118.179	0.00
	सकल कुल	2780589.89	3571518.37

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पैंशन योजना

2609. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पेंशन की स्वीकृति संबंधी मामलों पर विचार राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पेंशन को स्वीकृत करने की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या कुछ व्यक्तियों को न्यायालय रिकार्ड के साक्ष्य के आधार पर तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों के आलोक में पेंशन स्वीकृत की गई, जबकि इसी प्रकार मानदण्ड पूरा करने वाले अन्य व्यक्तियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया; और

(च) यदि हां, तो पेंशन स्वीकृत करने में ऐसी असंगति के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (च) भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए 1969 में "पूर्व-अंडमान राजनैतिक कैदी पेंशन योजना" नामक एक योजना शुरू की थी। भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना 1972 में शुरू की गई थी। तत्पश्चात्, 1 अगस्त, 1980 से पुनः नामित एक उदार योजना "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" शुरू की गई थी। "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980" की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

(i) पात्रता: इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:-

- शहीदों के पात्र आश्रित;
- स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छः माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति;
- स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 6 माह से अधिक के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति;
- स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति;
- व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था अथवा बेच दिया गया था;
- व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गया था;
- ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो;
- ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए;

(ii) आश्रित: इस योजना के अंतर्गत मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति/(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता-पिता आश्रित परिवार पेंशन हेतु पात्र हैं।

(iii) महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायतें: इस योजना में जेल की भोगी गई यातना के आधार पर पेंशन प्रदान करने के लिए, पात्रता का मानदंड, कम से कम छः माह की अवधि की जेल, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष व्यवस्था के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

(iv) स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के तहत पेंशन की मंजूरी के लिए निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदन करना अपेक्षित है। भोगी गई यातना के समर्थन में अपेक्षित सबूत के साथ आवेदन पत्रों को संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए दावों पर तभी विचार किया जाएगा जब स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के उपबंधों के अनुरूप इन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत किया गया हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भोगी गई यातना के दस्तावेज और सबूत, संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के कब्जे में हैं, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की सत्यापन और संस्तुति रिपोर्ट अनिवार्य है। तथापि, यदि दावेदार, स्कीम के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों और सबूत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो राज्य सरकार की सकारात्मक संस्तुति, केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

(ङ) और (च) कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अदालतों के निदेशों का पालन करते हुए सम्मान पेंशन मंजूर की गई है। तथापि, ऐसे मामलों में सम्मान पेंशन मंजूर करने का निर्णय लेते समय स्वतंत्रता

सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के तहत निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखा गया था। जिस स्वतंत्रता सेनानी ने निर्धारित पात्रता शर्तों और सबूत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया हो तथा जिसने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन किया हो उनमें से किसी को भी पेंशन से वंचित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बालिकाओं के लिए इंजीनियरिंग कालेज खोलना

2610. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल महिलाओं के लिए एक इंजीनियरिंग कालेज तथा एक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक हो पायेगी और इन्हें कब तक कार्यात्मक बना दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय पुलिस संगठन

2611. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठन में राज्यों के व्यापक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए इन संगठनों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कांस्टेबल (जी डी) रैंक की 60% रिक्तियों को जनसंख्या अनुपात के आधार पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच वितरित किया जाता है। सीमा रक्षक बलों में 20% रिक्तियों को उनके दायित्व क्षेत्र में पड़ने वाले सीमावर्ती जिलों को आवंटित किया जाता है। सीमा रक्षक बलों में बाकी 20% रिक्तियों और अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में 40% रिक्तियों को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उग्रवाद और नक्सल प्रभावित जिलों में आवंटित किया जाता है। भारत सरकार की नीति के अनुसार एससी, एसटी तथा ओबीसी उम्मीदवारों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को भी आरक्षण और कोटा प्रदान किया जाता है। विभिन्न राज्यों में भर्ती आवंटित रिक्तियों के अनुसार की जाती है।

निजी प्रबंधन वाले प्रोफेशनल कॉलेज

2612. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन प्रोफेशनल संस्थानों का ब्यौरा क्या है जो डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पशकश कर रहे हैं;

(ख) पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा तथा निजी उद्यमों द्वारा संचालित इन संस्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास निजी प्रबंधन के अंतर्गत प्रोफेशन संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षिक वर्ष 2007-2008 तक अनुमोदित सरकारी और प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस समय देश में 271 चिकित्सा कॉलेज हैं जिनमें से 138 सरकारी चिकित्सा कॉलेज और शेष 133 प्राइवेट चिकित्सा कॉलेज हैं।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार गठित राज्य स्तरीय दाखिला समिति प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों को विनियमित करती है।

विवरण

शैक्षिक वर्ष 2007-08 तक भारत में अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) का राज्य-वार वितरण

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य	बीएफए*/ एमएफए@		एमबीए+/ पीजीडीएम**		एमसीए#		बी फार्मेसी		इंजीनियरी		बी-एचएमसीटी$		वास्तुकला		डी-फार्मेसी		डी-वास्तुकला		डी-एचएमसीटी	
		सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट	सरकारी	प्राइवेट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मध्य	मध्य प्रदेश	0	0	1	54	9	38	3	63	13	115	0	4	3	1	4	38	0	0	0	1
	छत्तीसगढ़	0	0	3	3	1	5	2	6	5	15	0	0	1	0	2	10	1	0	0	0
	गुजरात	0	0	5	41	5	19	4	62	18	28	0	1	3	3	10	16	0	0	0	2
	कुल	0	0	9	98	15	62	9	131	36	158	0	5	7	4	16	64	1	0	0	3
पूर्वी	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	सिक्किम	0	0	1	34	0	27	0	1	0	1	0	0	0	0			0	0		
	उड़ीसा	0	0	7	16	8	13	1	16	5	43	0	2	1	1			0	0		
	पश्चिम बंगाल	0	0	7	0	9	0	1	9	18	43	0	4	2	1			0	0		
	त्रिपुरा	0	0	1	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0			0	0		
	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			0	0		
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	असम	0	0	5	0	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0			0	0		
	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		
	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		
	झारखंड	0	0	1	5	2	0	1	0	2	7	0	0	1	0			0	0		
	कुल	0	0	23	56	23	42	6	27	34	97	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0
उत्तरी	बिहार	0	0	7	4	5	1	2	0	6	4	0	0	0	1			0	0		
	उत्तर प्रदेश	0	1	22	130	10	76	2	90	26	116	1	9	3	3			0	0		
	उत्तराखंड	0	0	5	13	1	12	2	9	5	9	3	4	0	1			0	0		
	कुल	0	1	34	147	16	89	6	99	37	129	4	13	3	5	0	0	0	0	0	0
उत्तर पश्चिमी	चंडीगढ़	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	1	0						
	हरियाणा	0	0	5	31	2	24	6	23	7	55	0	3	2	0						
	जम्मू-कश्मीर	0	0	6	3	3	0	1	0	3	3	0	0	0	0						
	नई दिल्ली	1	0	6	29	1	17	2	4	8	10	0	1	2	2						
	पंजाब	0	0	2	36	2	22	5	27	12	35	0	7	2	5						
	राजस्थान	0	0	3	49	2	16	1	49	12	52	0	5	2	1						
	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	4	0	1	1	6	3	5	0	0	1	0						
	कुल	2	0	23	152	11	80	17	109	50	161	0	16	10	8	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	0	0	5	209	2	296	3	219	6	322	0	1	2	5	14	49	0	0	5	1
	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	5	0	1	2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	तमिलनाडु	0	1	11	136	12	198	4	39	9	264	0	2	2	7	1	14	0	0	1	17
	कुल	0	1	16	345	14	499	7	259	17	591	0	3	4	12	16	63	0	0	7	18
दक्षिणी पश्चिमी	कर्नाटक	0	1	11	98	8	64	1	78	18	126	0	20	5	9			5	6		
	केरल	0	0	6	31	12	25	4	28	35	57	0	2	4	1			2	1		
	कुल	0	0	17	129	20	89	5	106	53	183	0	22	9	10	0	0	7	7	0	0
पश्चिमी	महाराष्ट्र	2	4	9	150	4	51	6	118	15	169	1	9	3	29	25	181	1	0	2	21
	गोवा	1	0	2	0	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	3	4	11	150	5	51	7	119	16	171	1	9	4	29	25	181	1	0	2	21
	सकल योग	5	6	133	1077	104	912	57	860	243	1490	5	74	41	70	57	308	9	7	9	42

संक्षिप्त : *ललित कला स्नातक, @ललित कला स्नातकोत्तर, +व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर, **प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मास्टर्स इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और होटल मैनेजमेंट तथा केटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक।

[हिन्दी]

बिजली और पानी के बकाया बिल

2613. चौ. मुनव्वर हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत कई सरकारी कार्यालयों/कालोनियों/दुकानों पर कोई बिजली तथा पानी के बिल बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले बकाए का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधित विभागों से पूरी बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित सरकारी कार्यालयों, सरकारी कालोनियों और दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर बकाया बिजली और पानी के बिलों की बकाया राशि नीचे दी गई है:–

वर्ग	मार्च, 2005 के अंत तक बकाया (रुपए करोड़ों में)	मार्च, 2006 के अंत तक बकाया (रुपए करोड़ों में)	मार्च, 2007 के अंत तक बकाया (रुपए करोड़ों में)
सरकारी कार्यालय	50.75	50.53	54.99
सरकारी कालोनियां	2.71	3.06	3.66
निजी (दुकानें और प्रतिष्ठान)	42.74	48.27	51.02
कुल	96.20	101.86	109.67

विभिन्न विभागों पर बकाया देय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समग्र बकाया देय की वसूली हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं; नोटिस जारी करने के जरिए नियमित दबाव और उसके बाद कनैक्शन काटना, कुछ छूट देकर पुराने बकाया देयों के निपटारे हेतु स्कीम शुरू करना, आदि।

विवरण

जुलाई, 2007 के बिलिंग चक्र के अनुसार बिजली और पानी प्रभारों का बकाया

क्र. सं.	सरकारी विभाग का नाम	कुल (रुपये करोड़ में)
1.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	18.00
2.	उत्तर रेलवे	9.00
3.	गेरीसन इंजीनियर्स (जी ई)	17.35
4.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय (सी जी ओ)	3.13
5.	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए)	0.40
6.	भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई)	0.80
7.	दिल्ली विद्युत बोर्ड (डी वी बी)	0.92
8.	भविष्य निधि	2.45
9.	विमानपत्तन प्राधिकरण	2.39
10.	रक्षा मंत्रालय	1.40
11.	पुलिस	2.15
12.	अन्य	3.26
13.	कुल	61.25

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़

2614. श्री रनेन बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा में बरमनपाड़ा से महामायाचार तक बाड़ का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु एनबीसीसी लिमिटेड की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो एनबीसीसी लिमिटेड ने ऐसा सर्वेक्षण करने से पूर्व इन क्षेत्रों की राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनबीसीसी लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियमों तथा विनियमों का पालन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) एन बी सी सी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने क्षेत्र की ड्राईंग और सर्वेक्षण से पूर्व संबंधित जिला प्रशासन के साथ परामर्श कर लिया है।

(ङ) से (च) एन बी सी सी ने सूचित किया है कि वे नियमों और विनियमों का पालन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज और अधिक दूरी पर बाड़ निर्माण को अनुमत करते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

2615. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में राजस्थान तथा गुजरात सहित विशिष्ट पुलिस अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस कर्मियों और विधि विज्ञान कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय देश में मौजूद सम्पूर्ण प्रशिक्षण क्षमता में कमी के आकलन के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

राजीव गांधी समुद्री उत्पाद अनुसंधान केन्द्र

2616. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के नागपत्तनम में राजीव गांधी समुद्री उत्पाद अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रस्ताव कार्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ती हुई घरेलू मांग एवं निर्यात की पूर्ति हेतु और अधिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) बढ़ती हुई घरेलू मांग तथा निर्यातों को पूरा करने के लिए और अधिक उत्पाद तैयार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) भारत में कच्चे माल की कमी से निपटने के लिए आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि आयातित कच्चे

माल को प्रसंस्कृत किया जा सके और मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में उनका पुनः निर्यात किया जा सके। पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1% की सीमा तक शुल्क मुक्त संघटकों, जो मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में उपयोग में लाए जाएंगे, के आयात की भी अनुमति दी गई है।

(ii) फोकस बाजार स्कीम वर्ष 2006 में शुरू की गई थी जो अधिसूचित देशों को निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% पर शुल्क ऋण सुविधा देती है।

(iii) भारत के समुद्रवर्ती राज्यों में निर्यातोन्मुखी जल कृषि के विकास हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में नई प्रजातियों के उत्पादन तथा निर्यात हेतु संभावनाएं तलाशने के अतिरिक्त श्रिम्प तथा स्कैम्पी उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(iv) आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

2617. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र में विस्तार किए जाने के बाद भी विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'प्रथम संस्था' की वार्षिक रिपोर्ट 2008 के अनुसार विद्यालयों से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों पर नियंत्रण नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पर रिपोर्ट के अनुसार विद्यालयों से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ङ) विद्यालयों के प्रति बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) वर्ष 2001-02 से पूर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ''जिन तक पहुंचना कठिन है'' ऐसे 76 लाख स्कूल बाह्य बच्चों जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की घरेलू रिपोर्टों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या का 3.8% है, को छोड़कर प्राथमिक स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन किया गया। 'प्रथम' नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जनवरी, 2008 में जारी की गई शिक्षा की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण) में स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या का 4.2% दर्शाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को समुदाय आधारित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन, बच्चों की उपस्थिति सहित, की जांच करने में ग्राम शिक्षा समितियां, अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 में प्रारंभिक स्तर के छात्रों की उपस्थिति की जांच करने के लिए 20 राज्यों में स्वतंत्र अध्ययन किया। विवरण संलग्न है।

विवरण

छात्र उपस्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	छात्र उपस्थिति (नामांकन का प्रतिशत)	
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	2	3	4
1.	बिहार	42.03	36.8
2.	उत्तर प्रदेश	57.37	60.5

1	2	3	4
3.	राजस्थान	62.67	75.87
4.	उड़ीसा	66.79	69.02
5.	छत्तीसगढ़	67.73	75
6.	मध्य प्रदेश	72.1	69.82
7.	आंध्र प्रदेश	72.67	78.12
8.	दिल्ली	73.5	—
9.	पश्चिम बंगाल	74.2	70.2
10.	गुजरात	75	78.6
11.	जम्मू-कश्मीर	79.49	77.5
12.	उत्तराखंड	80.03	83.16
13.	असम	81.3	84.5
14.	हरियाणा	81.5	85.1
15.	पंजाब	81.7	74.7
16.	कर्नाटक	86.19	86.9
17.	तमिलनाडु	88.3	87.8
18.	महाराष्ट्र	89	89
19.	केरल	91.4	92
20.	हिमाचल प्रदेश	94.63	93.18

[अनुवाद]

एफ एम रेडियो के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें

2618. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) ने देश में जिला स्तर पर एक से अधिक एफ एम रेडियो लाइसेंस जारी किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी आर ए आई ने इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 48 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सिफारिश की है कि किसी भी जिले में आकाशवाणी को छोड़कर कम से कम तीन चैनल तीन अलग-अलग कंपनियों को दिए जाएंगे। एक बार इस शर्त के पूरे हो जाने पर मौजूदा ऑपरेटर/अनुमति धारक शेष चैनलों के लिए बोली लगा सकते हैं और उन्हे किसी भी ऐसे चैनल के लिए सफल घोषित किया जा सकता है जिसमें उनकी बोली सर्वाधिक हो बशर्ते किसी भी जिले में एक अनुमति धारक के पास चैनलों की अधिकतम संख्या उस जिले के कुल चैनलों की संख्या के 50% भाग से अधिक नहीं होगी।

(ग) और (घ) ट्राई ने यह भी सिफारिश की है कि समाचार का प्रसारण करने के इच्छुक अनुमति धारकों के लिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण अनुमति धारकों हेतु विदेशी संस्थागत निवेश सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 20% के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 26% कर दिया जाए और समाचार का प्रसारण न करने के इच्छुक अनुमति धारकों के लिए इसे बढ़ाकर 49% कर दिया जाए।

(ङ) सरकार को ट्राई की सिफारिशें दिनांक 22.2.2008 को प्राप्त हुई हैं। उन पर राय कायम नहीं की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान से विधेयक

2619. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गए विधेयकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदन के लिए अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े विधेयकों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित ऐसे विधेयक केन्द्र सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन विधेयकों को सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए विधेयकों, जो अभी भी लम्बित है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) राज्य विधायनों पर (क) केन्द्रीय विधियों से असंगति (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विसामान्यता (ग) विधिक एवं संवैधानिक वैधता नामक तीन दृष्टि कोणों से जांच की जाती है। जब जरूरी होता है तो राज्य सरकारों को उपर्युक्त के मद्देनजर इन विधायनों के उपबंध को संशोधित/आशोधित करने का सुझाव दिया जाता है। शीघ्र निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा भी आयोजित की जाती है। इसलिए इस संदर्भ में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्रम संख्या	विधायन का नाम	गृह मंत्रालय में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति/लम्बितता के कारण
1.	राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2006	10.3.2006	केन्द्रीय सरकार के दो विभागों के पर्यवेक्षण पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण के अभाव में लम्बित।
2.	राजस्थान धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2006	मई, 2006	परिवर्तन शब्द की परिभाषा पर असहमति से मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
3.	राजस्थान सहकारी समितियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007	10.7.2007	इस अध्यादेश में उल्लिखित पहले संशोधन की एक प्रति राज्य सरकार से मांगी गई है।
4.	राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2008	25.01.2008	केन्द्रीय मंत्रालयों से टिप्पणियों के अभाव में लंबित।
5.	राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2008	26.02.2008	केन्द्रीय मंत्रालयों से टिप्पणियों के अभाव में लंबित।

विशेष औद्योगिक संवर्धन नीति

2620. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर पंजाब में औद्योगिक अवसंरचना के विकास हेतु विशेष औद्योगिक संवर्धन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ख) सरकार ने पंजाब सहित पूरे देश में औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया है और अपनी नीतियों के अनुरूप पंजाब राज्य में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना मजबूत करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिर भी, भारत सरकार अपनी विभिन्न

परियोजनाओं और योजनाओं, जैसे-औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, औद्योगिक पार्क योजना, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर, आदि के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं

2621. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में स्थापित की गई परियोजनाओं तथा औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की कर्नाटक में उद्योग स्थापित करने की कोई विशेष नीति रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य को दिए जाने वाले प्रोत्साहन अन्य राज्यों को दे दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कर्नाटक के औद्योगिक विकास हेतु क्या नई पहल की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान 1,44,558 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कर्नाटक राज्य के लिए कुल 788 औद्योगिक निवेश आशय, आशय-पत्र/जारी किये गये प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस दर्ज किए गए हैं। जनवरी, 2005 से दिसंबर, 2007 के दौरान निवेश आशयों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। 24 जुलाई, 1991 की मौजूदा औद्योगिक नीति कर्नाटक राज्य समेत पूरे देश पर लागू है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत, उद्योग स्थापित करने का निर्णय उद्यमियों की तकनीकी-आर्थिक समझ पर आधारित होता है जो फिर अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल माहौल तैयार करने में राज्य सरकारों की पहलों पर निर्भर करते हैं। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों को यथासंभव सहयोग देती है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस संबंध में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना तथा औद्योगिक पार्क योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 67.70 करोड़ रुपये जारी किए हैं। औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 4036.41 कराड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

विवरण

जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2007 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए निवेश आशयों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

अनुसूचित उद्योग का नाम	औद्योगिक निवेश आशय	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3
धातुकर्मी उद्योग	122	37008
ईंधन	6	29147
प्राइम मूवर्स	10	153
विद्युत उपकरण	49	11617
दूरसंचार	13	1543
परिवहन	17	921
औद्योगिक मशीनरी	25	195
मशीन उपकरण	4	17
कृषि मशीनरी	1	2
अर्थ मूविंग मशीनरी	5	32
विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग उद्योग	22	342

1	2	3
मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	2	9
वैज्ञानिक उपकरण	6	36
रसायन, उर्वरकों के अतिरिक्त	39	7429
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	17	529
वस्त्र	84	955
कागज तथा लुगदी	11	1323
चीनी	103	9157
किण्वन उद्योग	41	1602
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	19	159
वनस्पति एवं वनस्पति तेल	6	76
साबुन, सौंदर्य और टॉयलेट प्रसाधन	5	11
रबड़ की वस्तुएं	3	62
ग्लू और जिलेटिन	1	0
कांच	4	28
सिरेमिक	5	84
सीमेंट तथा जिप्सम	31	17303
काष्ठ उत्पाद	1	37
रक्षा उद्योग	16	562
विविध उद्योग	20	87
अन्य	116	24132
कुल	788	144558

टिप्पणी: निवेश आशय दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईईएम), जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में है।

पुलिस सुधार

2622. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने उक्त रिपोर्टें दायर कर दी हैं;

(ग) ऐसे राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंनें अपनी स्थिति रिपोर्ट भेज दी है/नहीं भेजी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि शेष राज्य अपनी स्थिति रिपोर्ट भजें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 310/1996-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत और अन्य में पारित दिनांक 14.12.2007 के अपने आदेश में सभी राज्यों को छः सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय इसकी अनुवीक्षण कर रहा है।

ट्रांसमीटरों की स्थापना

2623. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर/कम शक्ति के ट्रांसमीटर/अत्यंत कम शक्ति (एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी) के ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(छ) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) दूरदर्शन ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 160 नए ट्रांसमीटरों (एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी) की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से, 131 ट्रांसमीटरों की स्थापना योजनावधि के दौरान की गई थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) 11वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10वीं योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने हेतु लक्षित नए ट्रांसमीटरों की संख्या	10वीं योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए नए ट्रांसमीटरों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19	3
2.	आंध्र प्रदेश	10	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
4.	असम	2	1
5.	बिहार	6	5
6.	छत्तीसगढ़	3	2
7.	गुजरात	6	6
8.	हरियाणा	6	6
9.	हिमाचल प्रदेश	5	4
10.	जम्मू-कश्मीर	31	31
11.	झारखंड	2	2
12.	कर्नाटक	9	9
13.	केरल	4	4
14.	लक्षद्वीप	6	-
15.	मध्य प्रदेश	2	1
16.	महाराष्ट्र	13	13
17.	मणिपुर	1	1
18.	मेघालय	2	2
19.	मिजोरम	1	1
20.	नागालैंड	1	1
21.	उड़ीसा	1	1
22.	पंजाब	1	1
23.	राजस्थान	5	4
24.	सिक्किम	2	2
25.	तमिलनाडु	9	9
26.	त्रिपुरा	1	1
27.	उत्तर प्रदेश	3	3
28.	उत्तरांचल	6	6
29.	पश्चिम बंगाल	2	2
	कुल	160	131

केवीआईसी परियोजनाओं की समीक्षा

2624. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा अनुमोदित चालू परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मानक मानदण्डों द्वारा नवीनतम समीक्षा के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केवीआईसी द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन और रोजगार सृजन दोनों के मद्देनजर इसमें क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना अनन्तिम आबंटन किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के उन्नयन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा मूल्यांकन आवधिक रूप से भारत सरकार समय-समय पर करती है। अध्यक्ष, के.वी.आई.सी. की अध्यक्षता वाली के.वी.आई.सी. की मासिक बैठकों में इन योजनाओं की समीक्षा भी नियमित रूप से की जा रही है। के.वी.आई.सी. द्वारा राष्ट्रीय, आंचलिक तथा राज्य स्तरों पर भी अधिकारिक समीक्षा अन्य लोगों के साथ-साथ कार्यान्वयन बैंकों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भाग ली जाने वाली बैठकों में आवधिक रूप से की जाती है। इसके अलावा के.वी.आई.सी. ने दो चरणों में स्वतंत्र व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के मूल्यांकन की व्यवस्था की है। प्रथम चरण में 31-03-2001 तक स्थापित आर.ई.जी.पी. परियोजनाओं का मूल्यांकन 10,930 परियोजनाओं का नमूना प्राप्त करके एक नमूना प्राप्त करके 01-04-2001 से 31-03-2005 तक के बीच स्थापित परियोजनाओं संबंधी मूल्यांकन किया गया।

(ग) के.वी.आई.सी.आर.ई.जी.पी. के तहत स्थापित परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश नहीं करता परन्तु उद्यमियों को मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता देता है जो बदले में बैंकों तथा स्वयं के अंशदान से एकत्रित निधियों के संयाजन से ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्थापित करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, के.वी.आई.सी. द्वारा प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता, उद्यमियों द्वारा किए गए अनुमानित निवेश ग्रामोद्योगों के उत्पादन मूल्य तथा आर.ई.जी.पी. के तहत सृजित अनुमानित रोजगार का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	मार्जिन मनी सहायता (रुपये करोड़ में)	अनुमानित निवेश (रुपये करोड़ में)	उत्पादन (रुपये करोड़ में)	अनुमानित सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति)
2004-05	292.40	1023.40	1328.74	5.30
2005-06	320.96	1123.35	1411.35	5.58
2006-07	349.79	1399.16	1614.50	5.95

(घ) के.वी.आई.सी. ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के.वी.आई.सी.), जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की एजेंसियां हैं, को शामिल करके आर.ई.जी.पी. के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से कार्रवाई की है। के.वी.आई.सी. वार्षिक आधार पर विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी को लक्ष्य आवंटित करता है। वर्ष 2007-08 के लिए आर.ई.जी.पी. के तहत मार्जिन मनी के आवंटन तथा परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के.वी.आई.बी.-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2007-08 के लिए आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी और परियोजनाओं के आवंटन का राज्य-संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी का नाम	ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	9	10.53

1	2	3	4
2.	दिल्ली खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	9	10.53
3.	हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	770	879.87
4.	हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	554	633.68
5	जम्मू व कश्मीर खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	646	737.38
6.	पंजाब खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	405	462.71
7.	राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1664	1899.95
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	46	52.67
9.	झारखंड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	157	180.00
10.	उड़ीसा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	542	619.01
11.	पश्चिम बंगाल खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1849	2112.19
12.	अरुणाचल खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	58	66.48
13.	असम खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1172	1339.19
14.	मणिपुर खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	104	119.27
15.	मेघालय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	171	195.53
16.	मिजोरम खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	307	350.00
17.	नागालैंड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	283	322.90
18.	सिक्किम खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	61	69.42
19.	आंध्र प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1929	2203.59
20.	कर्नाटक खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1132	1293.50
21.	केरल खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	963	1100.00
22	लक्षद्वीप खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	2	2.00
23.	पुडुचेरी खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	72	82.48
24.	तमिलनाडु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	578	645.13

1	2	3	4
25.	गोवा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	240	273.75
26.	गुजरात खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	272	310.42
27.	महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1353	1546.05
28.	छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	619	771.22
29.	मध्य प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	869	945.75
30.	उत्तराखंड खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	342	391.07
31.	उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	1426	1629.03
	कुल	18604	21255.30

यू.जी.सी. द्वारा समविश्वविद्यालय दर्जे के लिए आवेदन अस्वीकृत किया जाना

2625. श्री नकुल दास राई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (एन.सी.एच.एम.सी.टी.) द्वारा समविश्वविद्यालय दर्जे के लिए किए गए आवेदन को वर्ष 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान के अनुसार दिसंबर, 2004 में आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कमियों का उल्लेख किया था जिसमें उक्त संस्था ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय के दर्जे की मांग की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी से दोबारा प्रस्तुत कर सकता है।

लघु उद्योगों के लिए ऋण

2626. श्री सुग्रीव सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में लघु उद्योगों के लिए कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या लघु उद्योगों को उपलब्ध कराया गया ऋण उनकी ऋण आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में कपूर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) मार्च 2006 और 2007 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंकों से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को अग्रिम क्रमशः 82,492 करोड़ रु. और 1,04,703 करोड़ रुपये था जो 2005-06 और 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान एमएसई द्वारा उत्पादन के प्रतिशत (वर्तमान मूल्य पर) के संबंध में क्रमशः 16.6 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत था। एमएसई क्षेत्र की वृद्धि के लक्ष्य के संदर्भ में क्रेडिट प्रवाह की मात्रा को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। एमएसई क्षेत्र को अपर्याप्त क्रेडिट प्रवाह के कारण हैं, क्रेडिट की उच्च लागत, समपार्श्विक आवश्यकताएं, विस्तृत प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, आदि जिनके कारण एमएसई की बड़ी संख्या अपेक्षित क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच बनाने में असमर्थ हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसम्बर, 1997 में श्री एस.एल. कपूर की अध्यक्षता में एक-व्यक्ति समिति नियुक्त की है जो अन्य बातों के साथ-साथ एमएसई को क्रेडिट डिलीवरी प्रणाली की कार्यशैली की समीक्षा करेगी और प्रणालियों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सुधार के लिए सुझाव देगी। समिति ने जून, 1998 में आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 126 सिफारिशें शामिल हैं। कपूर समिति की प्रमुख सिफारिशें स्वीकृत एवं कार्यान्वित कर ली गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के शाखा प्रबंधकों को और अधिक शक्तियां सौंपना, आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण, बैंकों द्वारा और अधिक विशेषीकृत एमएसई शाखाएं खोलना, मिश्रित ऋणों की सीमा को बढ़ाना, बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान देना, शाखा प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम, बैंकों द्वारा ग्राहक शिकायत प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा शिकायतों को दूर करने संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उनका अनुवीक्षण करना शामिल है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

2627. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के संबंध में भारत का अंशदान क्या है;

(ख) आज की तिथि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यातित बागवानी उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की हिस्सेदारी की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित प्रमुख बागवानी मदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मी. टन में; मूल्य करोड़ रु. में)

बागवानी उत्पाद	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अंगूर	39338.95	128.45	54049.87	214.61	85897.78	301.92
आम	53480.02	89.61	69606.60	128.11	79060.88	141.94
अनार	14039.99	29.89	19652.15	56.70	21670.43	79.57
सेब	23225.21	26.35	30043.88	38.13	25970.79	31.39
केला	12817.74	13.43	14411.13	23.36	11475.56	16.07

1	2	3	4	5	6	7
पपीता	3700.96	5.31	6434.01	6.65	10344.41	11.60
चीकू	951.14	1.05	1180.94	2.24	2089.43	7.44
अनन्नास	1765.64	2.45	4407.07	5.15	3785.04	3.61
प्याज	870216.85	644.12	960507.32	708.16	1378373.17	1163.13
आलू	65996.13	31.75	74534.42	38.83	89024.52	57.70
प्रशीतित मटर	3576.10	8.65	2027.49	5.10	949.09	2.86
सेम	1258.60	1.46	1167.73	1.55	1661.21	6.47
ताजे टहनी युक्त फूल	3557.58	36.12	5176.36	74.13	11903.93	342.14

(स्रोत: डी जी सी आई एस)

वर्ष 2007-08 के लिए फलों के विस्तृत निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों एवं फलों के विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा क्रमश: 1.7% और 0.5% है।

(ग) और (घ) फलों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न उपाय करता रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलूर और तिरूवनंतपुरम स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों, साझा पैक गृहों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना।

(ii) परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन करना तथा अवशेष निगरानी योजनाओं को कार्यान्वित करना, फलों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पैकेजिंग का विकास करना और फसल पूर्व एवं फसल पश्चात् संबंधी नियमों को तैयार करना।

(iii) फलों सहित कृषि उत्पादों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना, संवर्धनात्मक अभियानों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रमाणन निकायों एवं किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपनी स्कीमों के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

डीजल और कैरोसिन का अवैध भंडारण

2628. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ऊंचे भवनों में अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु डीजल/कैरोसिन से चलने वाले जेनेरेटरों का प्रयोग किया जा रहा है और इसके लिए भारी मात्रा में डीजल तथा कैरोसिन का भंडारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त ''क'' को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता।

विस्फोटकों की चोरी

2629. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाइसेंसधारी फर्मों के नियमित विस्फोटकों की इससे संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लघंन करते हुए बड़े पैमाने पर चौरी तथा अन्यत्र भेजे जाने तथा आयुधनिर्माणी बोर्ड पर इसके नकरात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विस्फोटकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी. राधिका सेल्वी) : (क) आयुध सामग्री निर्माण फैक्टरियों से विस्फोटक पदार्थों की चोरी अथवा उन्हें अन्यत्र भेजे जाने के संबंध में कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

2630. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के भविष्य के क्या कार्यक्रम हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) चूंकि देश में अन्य क्षेत्रों की ही तरह आर्थिक कार्यकलाप से संबंधित सभी क्षेत्रों में ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अत: केन्द्र सरकार XIवीं योजनावधि के दौरान उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार करके मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन कर रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं— शामिल न किए गए 16 जिलों में से प्रत्येक में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय समेत 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना; 8 आई आई टी, 7 आई आई एम, 5 आई आई एस ई आर, 2 एस पी ए, 10 एन आई टी, 20 आई आई आई टी की स्थापना करना; कम सकल नामांकन अनुपात वाले और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 4 से कम संस्थाओं वाले जिलों में 370 नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना; 1000 नए पॉलीटेक्निकों (सरकारी क्षेत्र में 300, सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति से 300, तथा निजी क्षेत्र में 400) और प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय की दर से ब्लॉक स्तर पर 6000 अच्छी गुणवत्ता वाले माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना ताकि ये विद्यालय उस क्षेत्र में स्थित अन्य विद्यालयों के लिए उत्कृष्टता संबंधी बेंचमार्क के रूप में कार्य करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लौह अयस्क क्षेत्रों की पहचान

2631. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में लौह अयस्क क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका कितना भंडार होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार को इन भंडारों के अन्वेषण एवं दोहन हेतु सरकारी तथा निजी क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों की क्या स्थिति है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन भंडारों के और अन्वेषण तथा दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने अपने सर्वेक्षणों के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लौह अयस्क क्षेत्रों का पता लगाया है। भंडारों की मात्रा का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। जी एस आई द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए किए गये सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण के आधार पर संगणित संसाधनों के राज्यवार ब्यौरे निम्नवत हैं:-

राज्य	जिला	संसाधन (मिलियन टन)
असम	गोलपाड़ा	26.50
	बोंगाइगांव	2.20
	कोकराझाड़	0.64
नागालैंड	त्वेनसांग	1.83

(ग) और (घ) जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों में लौह अयस्क के लिए खनिज रियायतें मंजूर करने का संबंध है, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 01.01.2005 से 13.3.2008 तक के दौरान कारबी-अगलांग जिले में दुवारदिशा तथा बोरजन मौजा के अंतर्गत सामचम्पी में 25 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए मै. प्लास्ट इंडिया ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि. के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस मंजूर करने के लिए असम राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन संसूचित किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार खनिज निक्षेपों का गवेषण/विदोहन घरेलू तथा विदेशी, दोनों निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुला है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2632. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2007 की विश्व निवेश संबंधी रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में चीन के बाद अमरीका के स्थान पर विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय गंतव्य बनकर उभरा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौराम कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम हुआ; और

(ग) देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, हां। अंकटाड (यूएनसीटीएडी) की विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर), 2007 ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाहों के वैश्विक रूझानों एवं उनकी सतत् वृद्धि संबंधी अपने विश्लेषण में बताया है कि वर्ष 2007-2009 के लिए भारत एफडीआई हेतु दूसरा सबसे आकर्षक स्थान है। भारत ने एटी कर्नीज 2007 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचकांक (फौरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स) में भी दूसरा स्थान बनाये रखा है। यह स्थान भारत ने 2005 से बना कर रखा है।

(ख) डब्ल्यू आई आर के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान एफडीआई अन्तर्वाहों की वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

वर्ष	राशि (बिलियन अमेरिकी डालर)	प्रतिशत वृद्धि
2004	5.7	32%
2005	6.7	17%
2006	16.8	150%

(ग) अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के तहत 100% तक की एफडीआई की अनुमति के साथ सरकार की एक उदार एफडीआई नीति है। एफडीआई नीति को 1991 से आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरोत्तर उदारीकृत बनाया गया है। उच्चतर एफडीआई अन्तर्वाहों को आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रित निवेश संवर्धन कार्यकलाप भी शुरू किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वाणिज्य और उद्योग के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या में कमी

2633. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारियों की कुल संख्या कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

संगठन का नाम→	एमएमटीसी लि.	*एसटीसी लि.	पीईसी लि.	एसटीसीएल लि.	ईसीजीसी लि.	*आईटीपीओ
31.3.2005 की स्थिति के अनुसार	2063	933	195	38	623	1190
31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	2031	929	192	46	608	1179
31.3.2007 की स्थिति के अनुसार	1997	911	189	54	628	1152

*एसटीसी तथा आईटीपीओ के संबंध में दी गई सूचना अगले वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक किलों में माओवादियों के अड्डे

2634. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के योद्धा-शासकों से संबद्ध रोहतास तथा कालिंजर जैसे विशाल किलों पर माओवादियों का कब्जा है, जैसा कि 22 फरवरी, 2008 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) माओवादियों के कब्जे से इन किलों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये किले माओवादियों के कब्जे में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

विश्वविद्यालयों में नवीन पद्धतियां

2635. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं से अपनी अवसंरचना, शिक्षण तथा अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवीन पद्धतियां अपनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की शैक्षणिक प्रणाली के व्यापक गुणात्मक विस्तार से इसकी अवसंरचना पर दबाव पड़ेगा और इससे शिक्षकों की कमी भी हो सकती है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से विश्वविद्यालयों में संस्थागत सुधार लागू करने को भी कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र विश्वविद्यालयों को उनकी अवसंरचना, शिक्षण और अनुसंधान क्षमताओं के विकास के लिए अनुदान देता है, तथापि, राज्यों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की इन क्षमताओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बाहरी संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन की एक स्कीम है जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र विश्वविद्यालयों को प्राप्त योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रु. प्रति वर्ष तक) तक का प्रोत्साहन अनुदान देता है जिससे वैयक्तिक भारतीयों, प्रवासी भारतीयों, वहां पढ़ चुके पूर्व छात्रों, सार्वजनिक और पारिवारिक ट्रस्टों, औद्योगिक/व्यावसायिक

घरानों आदि की भागीदारी/योगदान/परामर्श के माध्यम से बाहरी संसाधन जुटाए जाएंगे। विश्वविद्यालय इस निधि से संचयी निधि सृजित कर सकता है या इन संसाधनों को कार्यालय विशिष्ट मदों के लिए उपयोग कर सकता है जिसमें भवनों का निर्माण/मरम्मत, उपस्कर की खरीद, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद, अनुसंधान व विस्तार कार्य सहित नवाचारी और अकादमिक कार्य शामिल हैं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिख कर सेमेस्टर, प्रणाली, क्रेडिट आधारित मूल्यांकन, सतत् एवं आंतरिक मूल्यांकन, पाठ्यचर्या विकास आदि जैसे प्रशासनिक और अकादमिक सुधार करने के लिए कहा है। इसने प्रशासनिक और अकादमिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. ए. ज्ञानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उच्चतर शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या संरचना तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी प्रो. यशपाल, पूर्व-अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

चेहरा पहचान प्रणाली

2636. **श्री रेवती रमन सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने ऐसी चेहरा पहचान प्रणाली बनाई है जो विभिन्न बिम्बों के माध्यम से एक व्यक्ति की दृश्य विशेषताओं की पहचान करने के लिए कई चित्रों को मिलाकर चेहरा तैयार करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ख) जी, नहीं। चेहरा पहचान प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकी, जीव सांख्यिकी अथवा दृष्टि वर्णच्छटा प्रणाली की तुलना में पर्याप्त परिपक्व नहीं हुई है तथा इसे अभी विश्व भर में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के क्षेत्रों में से एक माना गया है।

खुदरा और शॉपिंग मॉल्स हेतु सुविधाएं

2637. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खुदरा बाजारों तथा शॉपिंग मॉल्स विकसित करने हेतु कोई सुविधाएं तथा रियायतें प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने छोटे दुकानदारों पर इन खुदरा बाजारों तथा शॉपिंग मॉल्स के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार खुदरा व्यापार संबंधी मॉलों को विकसित करने हेतु कोई सुविधा/रियायत उपलब्ध नहीं कराती है। फिर भी, खुदरा व्यापार क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट घरानों और अन्य बड़े निवेशकों के प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर) के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित रिटेलिंग के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू कराया है। अध्ययन के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के विकास संयोजनों पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) को भी एक अध्ययन शुरू करने को कहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव पर केन्द्रित होगा। इन संगठनों द्वारा अंतिम रिपोर्टें अभी पेश की जानी हैं।

विवरण

संख्या : 12(47)/2006-एफ.सी.
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(एफ.सी. अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 2007

सेवा में,

निदेशक और मुख्य कार्यकारी,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद
(आई.सी.आर.आई.ई.आर.),
कोर-6-ए, चौथा तल,
इंडिया हैबिटेट सेन्टर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- असंगठित खुदरा क्षेत्र पर संगठित रिटेलिंग का प्रभाव - आई.सी.आर.आई.ई.आर. द्वारा किया गया अध्ययन।

महोदय,

मुझे असंगठित खुदरा क्षेत्र पर संगठित रिटेलिंग का प्रभाव विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद को अध्ययन कार्य सौंपे जाने के लिए भारत सरकार की मंजूरी की सूचना देने का निदेश हुआ है।

अध्ययन के उद्देश्य

2. हाल के वर्षों में देश में संगठित रिटेलिंग के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और भविष्य में और ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। प्रमुख औद्योगिक घराने इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और भविष्य की अपनी विस्तार योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। ट्रांसनेशनल कारपोरेशन भी भारत में आने और भारत की बड़ी कंपनियों के सहयोग से खुदरा श्रृंखला स्थापित करने की इच्छुक हैं। देश में संगठित खुदरा क्षेत्र में विकास के प्रभाव पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। ये चिन्ताएं उठाई गई हैं कि संगठित रिटेलिंग के विकास का असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि संगठित रिटेलिंग के विकास से मध्यवर्ती चरणों में कार्य-कुशलता हासिल होगी जिससे उत्पादकों (किसानों या छोटे उत्पादकों सहित) को ज्यादा मूल्य या बाजारों तक पहुंच अथवा उपभोक्ताओं को कम कीमतें मिल सकेंगी। ऐसे परिवर्तनों में सामंजस्य लाने के लिए भारत में संगठित रिटेलिंग के संभावित प्रभावों पर एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन जरूरी है।

विचारार्थ विषय

3. अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर बढ़ते हुए संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आई.सी.आर.आई.ई.आर. को निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित संगठित खुदरा व्यापार पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है:-

(i) पूरे बाजार में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र में छोटे खुदरा व्यापारियों एवं विक्रेताओं पर प्रभाव।

(ii) रोजगार पर प्रभाव।

(iii) उपभोक्ताओं पर प्रभाव।

(iv) किसानों एवं विनिर्माताओं पर प्रभाव।

(v) मूल्यों पर प्रभाव।

(vi) आर्थिक वृद्धि पर समग्र प्रभाव।

अगले 5 वर्षों में 7-10 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तथा अन्य तेजी से वृद्धि के साथ उभर रहीं बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कार्यपद्धति के मद्देनजर आई.सी.आर.आई.ई.आर. उपर्युक्त का विश्लेषण करेगा।

कार्य-पद्धति

4. आई.सी.आर.आई.ई.आर. के अध्ययन में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- मौजूदा अध्ययनों का लिटरेचर सर्वेक्षण।
- स्थापित खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं का 4-5 केस अध्ययन।
- संगठित खुदरा व्यापार के मुख्य विनिर्माताओं तथा किसानों के संगठन सहित उत्पादकों के साक्षात्कार।
- असंगठित खुदरा व्यापारियों, जिसमें विशेषकर संगठित खुदरा दुकानों के आस-पास के विक्रेता भी शामिल हैं, का प्रश्नावली-आधारित सर्वेक्षण।
- संगठित खुदरा आउटलेटों के आस-पास उपभोक्ताओं का प्रश्नावली-आधारित सर्वेक्षण।

समय सीमा

5. अध्ययन निम्नानुसार समयबद्ध रूप से होना प्रस्तावित है:-

1.	शुरुआत	1 मार्च
2.	लिटरेचर सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली डिजाईन	30 मार्च

3.	पायलट सर्वेक्षण	1-15 अप्रैल
4.	समीक्षा कार्यशाला-1	30 अप्रैल
5.	सर्वेक्षण	1 मई - 15 जून
6.	अंतरिम रिपोर्ट	30 जून
7.	समीक्षा कार्यशाला-2	7 जुलाई
8.	अंतिम रिपोर्ट	15 जुलाई

बजट

6. सरकार ने उपर्युक्त अध्ययन हेतु 59.80 लाख रुपये की राशि के बजट को अनुमोदित किया है, इस राशि का वहन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा।

7. यह आईएफ विंग की सहमति से उनकी डायरी संख्या 4160/अ.स. एवं वि.स. दिनांक 1.3.2007 के माध्यम से जारी किया जाता है।

भवदीय

हस्ताक्षर/-

(प्रमिला राघवेन्द्रन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स 23062327

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं का आयात

2638. श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी जांच के बिना कतिपय कीटाणुग्रस्त खाद्य वस्तुओं का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित वस्तुओं की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) किसी भी खाद्य वस्तु का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम, 1954 की धारा 5 तथा 6 के अंतर्गत अधिशासित किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(2) में यह प्रावधान है कि किसी भी आयतित खाद्य वस्तु की ऐसी निकासी सीमाशुल्क संग्रहणकर्त्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। आयातित खाद्यों के परेषणों की निकासी के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग ने निकासी से पूर्व 100% जांच के लिए प्रक्रिया तैयार की है। यदि निजी आयातकों द्वारा आयातित प्रत्येक खाद्य मदों के पहले पांच क्रमिक परेषणों के लिए नमूने मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं तो उस मामले में 5 से 20% यादृच्छिक जांच के आधार पर खाद्य वस्तुओं के परेषण की निकासी का प्रावधान है। संक्रमित खाद्य वस्तुओं के वास्तविक आयात, यदि कोई है, से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिक्षा केन्द्र हेतु धनराशि का आवंटन

2639. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारत को शिक्षा केन्द्र बनाने तथा विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने हेतु सरकार द्वारा कितना आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : शिक्षा के क्षमता विस्तार, गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण तथा सुलभता को बढ़ाने हेतु पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवंटित केन्द्रीय निधियां इस प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आवंटन
2004-05	11062.92
2005-06	18338.53
2006-07	24116.49
2007-08	32354.22

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात

2640. श्री महावीर भगोरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का कुल कितना उत्पादन हुआ, इसकी मांग तथा आयात एवं निर्यात कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लौह अयस्क के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के कुल उत्पादन, घरेलू मांग, आयात और निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मा. मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू मांग	आयात	निर्यात
2004-05	145.94	54.76	0.49	78.14
2005-06 (अनंतिम)	154.44	63.43	0.61	89.27
2006-07 (अनंतिम)	180.66	उपलब्ध नहीं	0.48	93.79

स्रोत: उत्पादन/घरेलू मांग; आईबीएम, नागपुर, आयात: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता।

निर्यात—गोवा मिनरल और एक्पोर्टर्स एसोसिएशन (जीएमओईए), कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), एमएमटीसी लिमिटेड तथा निर्यातक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की कीमतों में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। दीर्घकालिक संविदाओं पर जापान तथा दक्षिण कोरिया को आपूर्तियों के मामले में वर्ष 2007-08 में लौह अयस्क की बैंच मार्क कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.50% की वृद्धि हुई है। चीन को मौके पर लौह अयस्क की आपूर्तियों में भी सौदा दर सौदा आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

ऊर्जा जैव विज्ञान केन्द्र की स्थापना

2641. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत का प्रथम ऊर्जा जैव विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक कार्य आरंभ कर देने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ख) जी हां, जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने विश्वविद्यालय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईसीटी) पर भारत का प्रथम ऊर्जा जैव विज्ञान केन्द्र स्थापित किया है जिसका प्राथमिक लक्ष्य पैट्रोलियम ईंधन पर बढ़ती हुई निर्भरता को घटाने के लिए पुनर्नवीकरर्ण ऊर्जा संसाधनों को विकसित करना है तथा हरित गृह उत्सर्जित गैसों को कम करना है। डीबीटी-यूआईसीटी ऊर्जा जैव विज्ञान केन्द्र के पास नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा देश के विभिन्न अनुसंधान स्कीमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकी घटकों को एकीकृत करने का विशिष्ट जनादेश है जो कि देश को तरल जैव ईंधन प्रदान करने पर लक्षित है। संस्थान का मुख्य ध्यानाकर्षण निम्न पर है।

- बायोएल्कोहल शुद्धिकरण
- बायोडीजल
- बायोहाईड्रोजन

— मिथेन

(ग) केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

राज्य व्यापार निगम में दाल घोटाला

2642. श्री राम कृपाल यादव :
श्री अलोक कुमार मेहता :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी बी आई ने हाल ही में राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) में दाल घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले से एस टी सी को कितनी हानि हुई;

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के घोटाले रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) सी बी आई ने भारत सरकार की सब्सिडी नीति के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान एस टी सी द्वारा 30,000 मी. टन साबुत उड़द के आयात तथा बिक्री के मामले में एस टी सी के तीन प्रबंधकों और दो गैर-सरकारी पार्टियों के विरुद्ध दिनांक 11.12.2007 को एक आर सी दर्ज की है।

(ख) दालों के समूचे आयात पर एस टी सी को कोई घाटा नहीं हुआ है। 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने संबंधी सरकारी स्कीम के अंतर्गत किसी सब्सिडी का दावा नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह मामला सी बी आई के जांचाधीन है।

सीमाओं पर निगरानी चौकियां

2643. श्री एस. अजय कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पड़ोसी देशों की सीमा के साथ समेकित निगरानी चौकियां बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना का कार्य किसी एजेंसी को सौंपा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ने विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा पर 13 समेकित निगरानी चौकियां (आई सी पी) स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) विकास के लिए अभिज्ञात 13 निगरानी चौकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) समेकित निगरानी चौकियों का निर्माण ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजनागत स्कीम के रूप में किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के बजट में अब तक 35 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। परियोजना लागत और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को निश्चित करते हुए कुल वित्तीय जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। शुरूआती परामर्श करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तथा विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट (डी ई आर) तैयार करने के लिए मै. रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकनामिक सर्विसेस (आर आई टी ई एस) को लगाया गया है।

विवरण

13 समेकित निगरानी चौकियों (आई सी पी) का लोकेशन

क्रमांक	लोकेशन	राज्य	सीमा
1	2	3	4
1.	पेट्रपोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बंगलादेश
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार
3.	रक्सोल	बिहार	भारत-नेपाल
4.	वाघा	पंजाब	भारत-पाकिस्तान

1	2	3	4
5.	हिल्ली	पश्चिम बंगाल	भारत-बंगलादेश
6.	चंद्राबंग्गा	पश्चिम बंगाल	भारत-बंगलादेश
7.	सूतरखंडी	असम	भारत-बंगलादेश
8.	दावकी	मेघालय	भारत-बंगलादेश
9.	अखुरा	त्रिपुरा	भारत-बंगलादेश
10.	कवारपुछिया	मिजोरम	भारत-बंगलादेश
11.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल
12.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल
13.	रूपादिहा/नेपालगंज रोड	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल

दूरदर्शन पर क्रिकेट मैच

2644. श्री अधीर चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में भारत अथवा विदेश में आयोजित होने वाली क्रिकेट श्रृंखला के दिल्ली दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण हेतु व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) खेल-कूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 के अनुसार, दूरदर्शन पहले से ही महत्वपूर्ण क्रिकेट मैचों का प्रसारण कर रहा है। इन मैचों का प्रसारण राजस्व हिस्सेदारी आधार के अंतर्गत किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ कोई पृथक निधियां आवश्यक नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन से सस्ती वस्तुओं की तस्करी

2645. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चीन से घटिया वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीन से इस तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना

2646. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष कृषि और ग्राम योजना उद्योग योजना (वाई के जी यू वाई) के अंतर्गत अनिर्मित तम्बाकू को शामिल किए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ख) जी, हां। दिनांक 21.1.2008 को भारतीय तम्बाकू एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय रुपये की मजबूती के प्रतिकूल प्रभाव के कारण तम्बाकू को विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी के जी यू वाई) स्कीम में शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अलावा इस अभ्यावेदन में यह बताया गया है कि तम्बाकू एक कृषि उत्पाद है जिस पर लाखों किसान निर्भर करते हैं।

(ग) इस अभ्यावेदन की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक विदेश व्यापार नीति (सं.अ: 2008) को अंतिम रूप देने के

दौरान वी के जी यू वाई के लाभों को प्रदान करने के लिए तम्बाकू को शामिल करने के मुद्दे की जांच की जाएगी।

व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाएं

2647. श्री के.एस. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युवाओं हेतु तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के मानकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे सभी व्यावसायिक शैक्षिक विद्यालयों और संस्थाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

सार्वजनिक सम्पत्ति को गंदा करना

2648. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक सम्पत्तियों को गंदा करने वाले लोगों को कठोर दंड देने संबंधी कोई कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में राजनीतिक दलों सहित विभिन्न संगठनों द्वारा क्रासिंगों और प्रमुख स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं जिससे पैदल यात्रियों को परेशानी होती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघनकर्त्ताओं को काबू में रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक सम्पत्तियों को गंदा करने वाले लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और उनसे कितना जुर्माना राशि एकत्रित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस संबंध में दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 को ''दिल्ली में सम्पत्ति को गंदा करने संबंधी निवारक विधेयक, 2007'' नामक विधेयक दिल्ली की विधान सभा में प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। तथापि, जब कभी ऐसे अवैध होर्डिंग्स को नोटिस किया जाता है, तो मौजूदा कानूनों के आधार पर उनको हटाने और जब्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	सूचित मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	जुर्माना (रुपए)
2005	79	69	25,000
2006	2555	2625	12,51,050
2007	1265	1230	5,10,350
2008 (29.2.08 तक)	13	10	3600

ट्रांसमीटर हेतु प्रस्ताव

2649. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश में राज्यवार कुल कितने कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/अत्यंत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एल.पी.टी./वी.एल.पी. टी.) को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) इससे कितने श्रोता और दर्शक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से वी.एल. पी.टी./एल.पी.टी./एच.पी.टी. के उन्नयन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (एच पी टी) से बदले गए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों (एल पी टी) की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	राज्य	बदले गए एल पी टी की संख्या
2005-06	गुजरात	2
2006-07	तमिलनाडु	2
	गुजरात	1
	मध्य प्रदेश	1
2007-08	हरियाणा	2
	असम	1
	राजस्थान	1
	हिमाचल प्रदेश	1

(ख) प्रत्येक एच पी टी से लगभग 70 किलोमीटर की रेंज के भीतर सभी दर्शकों को टी वी कवरेज उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) ट्रांसमीटरों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन की फ्री-टू-एयर डी टी एच सेवा के माध्यम से देश भर में उपलब्ध करवाए जा रहे बहु चैनल टी वी कवरेज को देखते हुए स्थलीय कवरेज को और अधिक बढ़ाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उग्रवाद

2650. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कट्टरवादी संगठनों सहित ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय उग्रवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अथवा अंजाम देने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों के पकड़े गए कार्यकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है और उनके बीच किस प्रकार की सांठ-गांठ का पता चला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि कट्टरवादी संगठनों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय आतंकवादी संगठन उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोई योजना बना रहे हैं। तथापि, ऐसी रिपोर्टें हैं कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के कुछ विप्लवकारी गुटों का पाकिस्तानी आई एस आई तथा कुछ पड़ोसी देशों के कट्टरवादी/आतंकवादी संगठनों, जैसे कि बंगलादेश आधारित हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हुजी), के साथ सम्पर्क है। ऐसी रिपोर्ट है कि उनके पाकिस्तान आधारित आतंकवादी गुटों और पाकिस्तानी आई एस आई के साथ सम्पर्क हैं।

[हिन्दी]

डिग्रियों को मान्यता देना

2651. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री काशीराम राणा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दूरस्थ और पत्राचार शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी की गई डिग्रियों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी डिग्रियों को मान्यता नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 1 मार्च, 1995 को जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या 44 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि संसद के अधिनियम या राज्य विधायिका द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के जरिए प्रदान की गई सभी अहर्ताओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं और संसद के अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ मान्य समझा जायेगा।

बशर्ते कि इन्हें दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और जहां जरूरी हो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अपुमोदित किया गया हो।

रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

2652. श्री थावरचन्द गहलोत :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 तक कुल कितने लघु उद्योग रुग्ण और बंद थे तथा इन लघु उद्योगों के बंद होने के कारण राज्यवार कुल कितने कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लघु उद्योग इकाइयों की कितनी हिस्सेदारी थी;

(ग) सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पृथक-पृथक ऐसे कुल रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या क्या है जिनके पुनरुद्धार के लिए धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा कुछ रुग्ण लघु उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण और तकनीकी उन्नयन हेतु सहायता भी दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) बंद पड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की संख्या संबंधी आंकड़ों का केन्द्रीय तौर पर वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, संदर्भ वर्ष 2001-02 में एमएसई की तीसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार 31.03.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 एमएसई में से 39 प्रतिशत (8,87,427 की संख्या में) उद्यम बंद पाए गए थे। इन बंद पड़े उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उन रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आंकड़े संग्रहित करता है जिन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किए हैं। आरबीआई के अनुसार 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान रुग्ण एमएसई की संख्या क्रमश: 1,38,042, 1,26,824 और 1,14,132 थी। संलग्न विवरण-II पर मार्च, 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार रुग्ण एमएसई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसई इकाइयों का अनुमानित योगदान क्रमश: 5.84 प्रतिशत, 5.83 प्रतिशत और 5.94 प्रतिशत था।

(ग) से (च) संभावी रूप से जीवनक्षम रुग्ण एमएसई की समय पर पहचान एवं पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें आरबीआई के संयोजन में प्रत्येक राज्य में राज्य-स्तरीय अंतरसंस्थानिक समिति की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा आरबीआई ने आरंभिक स्तर पर रुग्णता का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय करने तथा संभावी रूप से जीवनक्षम के रूप में पहचाने गए रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए जनवरी, 2002 में बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, रुग्णता का आरंभिक स्तर पर पता लगाने और संभावी रूप से जीवनक्षम रुग्ण एमएसई के पुनर्जीवन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में बैंकों की सहायता करने की दृष्टि से रुग्ण एमएसई की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता का निर्णय लेने के लिए मानक, रियायती वित्त, आदि। सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में घोषित 'लघु एवं उद्यम उद्यमों (एसएमई) के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पैकेज' के अनुरूप आरबीआई ने बैंकों को सभी पात्र एसएमई के ऋण पुनर्गठन को सुगम बनाने के लिए एसएमई के लिए ऋण पुनर्गठन प्रणाली के संबंध में सितम्बर, 2005 को और दिशानिर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों विशेष रूप से एसएमई वित्तयन में प्रगति और रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास, की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारी प्राप्त समितियां भी गठित की हैं।

केन्द्र सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास/नर्सिंग के लिए प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता संबंधित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। एसएमई के लिए ऋण पुनर्गठन प्रणाली पर बैंकों को आरबीआई दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ एसएमई को अतिरिक्त वित्त का प्रावधान

शामिल है। आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए डाटा के अनुसार एसएमई के लिए ऋण पुनर्गठन प्रणाली के तहत 31 मार्च, 2007 तक 685.43 करोड़ रु. तक की राशि के 1,121 खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पुनर्गठन के अधीन लाए गए हैं।

विवरण-I

तीसरी अखिल भारतीय गणना, 2001-02 के अनुसार बंद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	22709
2.	हिमाचल प्रदेश	6509
3.	पंजाब	82731
4.	चंडीगढ़	1405
5.	उत्तरांचल	12100
6.	हरियाणा	27546
7.	दिल्ली	8357
8.	राजस्थान	36847
9.	उत्तर प्रदेश	122282
10.	बिहार	20525
11.	सिक्किम	155
12.	अरुणाचल प्रदेश	248
13.	नागालैंड	129
14.	मणिपुर	1226
15.	मिजोरम	1313
16.	त्रिपुरा	1077
17.	मेघालय	1908
18.	असम	10338
19.	पश्चिम बंगाल	26080
20.	झारखंड	13822
21.	उड़ीसा	9708
22.	छत्तीसगढ़	27830
23.	मध्य प्रदेश	65649
24.	गुजरात	39159
25.	दमन व दीव	454
26.	दादरा व नगर हवेली	423
27.	महाराष्ट्र	54243
28.	आंध्र प्रदेश	38582
29.	कर्नाटक	46611
30.	गोवा	2327
31.	लक्षद्वीप	16
32.	केरल	74832
33.	तमिलनाडु	127185
34.	पांडिचेरी	2586
35.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	515
	अखिल भारतीय	8,87,427

स्रोत : लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना 2001-02।

विवरण-II

मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रुग्ण एमएसई की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	588
2.	हिमाचल प्रदेश	160
3.	पंजाब	1146
4.	चंडीगढ़	21
5.	उत्तराखंड	784
6.	हरियाणा	650
7.	दिल्ली	1252
8.	राजस्थान	4881
9.	उत्तर प्रदेश	13309
10.	बिहार	5964
11.	सिक्किम	14
12.	अरुणाचल प्रदेश	20
13.	नागालैंड	41
14.	मणिपुर	362
15.	मिजोरम	16
16.	त्रिपुरा	3169
17.	मेघालय	44
18.	असम	5459
19.	पश्चिम बंगाल	28592
20.	झारखंड	2041
21.	उड़ीसा	3602
22.	छत्तीसगढ़	1301
23.	मध्य प्रदेश	8311
24.	गुजरात	3350
25.	दमन व दीव	31
26.	दादरा व नगर हवेली	50
27.	महाराष्ट्र	7401
28.	आंध्र प्रदेश	3520
29.	कर्नाटक	3611
30.	गोवा	84
31.	लक्षद्वीप	-
32.	केरल	4426
33.	तमिलनाडु	9895
34.	पांडिचेरी	37
35.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—
	अखिल भारतीय	114132

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

[अनुवाद]

मसाला निर्यातकों को राजसहायता

2653. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यातकों को कोई राजसहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। एक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 27.10.2005 से आज की तारीख तक भारतीय काली मिर्च तथा काली मिर्च के उत्पादों के निर्यात के लिए 987.74 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है।

[हिन्दी]

साइबर अपराध

2654. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों सहित ऐसे कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का इंटरनेट प्रयोक्ताओं के लिए अपनी पहचान का सबूत देने को जरूरी बनाने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 24 फरवरी, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) सरकार द्वारा देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2004-2006 के दौरान देश में क्रमशः कुल 347, 481 और 453 साइबर अपराधों के मामलों की सूची दी गई थी जिसमें आईटी अधिनियम और आईपीसी के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं। इससे मिली-जुली प्रवृत्ति का पता चलता है।

(ख) एनसीआरबी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2006 के दौरान देश में साइबर अपराध के तहत सूचित मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। एनसीआरबी, साइबर अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए साफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखता है।

(ग) इस समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में साइबर कैफे के बारे में कोई उपबंध नहीं है। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 में अन्य बातों के साथ-साथ साइबर कैफे को विनियमित करने का उपबंध भी शामिल किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय की सलाह जारी की गई है कि वे पुलिस अधिनियम या दुकान स्थापना अधिनियम के तहत साइबर कैफे के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए नियम/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करें। कुछ राज्य सरकारों ने साइबर कैफे के क्रियाकलापों के संबंध में अपने विनियम तैयार किए हैं।

(घ) और (ङ) पुलिस अकादमियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथोरिटी (सीसीए) आदि जैसे संगठन, देश में साइबर-अपराध रोकने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विधि विज्ञान निदेशालय (डीएफएस) की प्रयोगशालायें भी कानून प्रवर्तन करने वाली एर्जेसियों के लाभ के लिए देश में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं और डिजिटल सबूत का पता लगाने और उसे जब्त करने तथा कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान डीएफएस की इन प्रयोगशालाओं ने साइबर अपराध/कंप्यूटर विधि विज्ञान के क्षेत्र में 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 749 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष 2007 के दौरान एनसीआरबी ने भी 7 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 120 लोगों ने भाग लिया। इनमें पुलिस कार्मिकों को साइबर अपराध के बारे में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (आरपीसीटीसी) ने इसी अवधि के दौरान ऐसे 6 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 215 लोगों ने भाग लिया। साइबर/हाइ-टैक अपराध जांच-पड़ताल और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सीबीआई को 363 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विवरण

2004 से 2006 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराधों के तहत सूचित मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित मामले						गिरफ्तार किए गए व्यक्ति					
		आई टी अधिनियम			आई पी सी			आई टी अधिनियम			आई पी सी		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8	14	14	93	68	102	3	15	9	122	110	171
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	18	0	0	28	30	0	24	0	0	51	37
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	2	5	124	153	1	0	3	6	128	159	0
8.	हरियाणा	0	8	1	0	1	1	0	5	1	0	1	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	14	38	27	0	0	0	0	3	17	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	2	3	12	0	0	0	2	0	6	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	5	0	0	126	0	0	8	0	0	152
15.	महाराष्ट्र	17	26	35	4	1	4	25	50	66	3	1	6
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
21.	पंजाब	2	7	12	4	43	26	2	7	16	9	51	30
22.	राजस्थान	0	18	4	0	0	0	0	21	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	14	22	8	36	0	0	16	21	7	31	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	4	0	3	0	0	10	25	0	7	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	2
	कुल (राज्य)	63	167	135	264	294	293	58	178	146	300	373	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	5	0	11	0	0	0	8	0	4
30.	चंडीगढ़	1	2	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	4	10	5	10	8	7	2	12	7	21	4	7
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	5	12	7	15	8	18	2	14	8	29	4	11
	कुल (अखिल भारत)	68	179	142	279	302	311	60	192	154	329	377	411

स्रोतः भारत में अपराध।

अर्द्धसैनिक बलों में आत्महत्या के मामले

2655. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्धसैनिक बलों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक सरकार को बल-वार और रैंक-वार आत्महत्या के ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व सहित देश के संवेदनशील स्थानों पर तनाव की स्थितियों में तैनात जवानों को विशेष पैकेज/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी में दिए गए राज्यवार विवरण से, सीआरपीएफ को छोड़कर, आत्महत्या के मामलों में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं होती है:—

बल	2005-08 तक आत्महत्या के मामले (आज की तारीख तक)			
	2005	2006	2007	2008 (आज तक)
1	2	3	4	5
आईटीबीपी	2	5	4	—
बीएसएफ	31	37	35	7
एआर	16	18	13	1
सीआईएसएफ	13	8	11	1
एनएसजी	—	—	—	—
सीआरपीएफ	19	30	46	14
एसएसबी	6	6	6	—

जीओ—शून्य।

एनजीओ—329।

(ग) और (घ) जांच से पता चलता है कि इन घटनाओं की मुख्य वजह परिवार एवं घरेलू कारण हैं। तथापि, तनाव पैदा करने के अन्य मुख्य कारणों में शामिल हैं बलों की दुष्कर एवं निर्जन स्थानों पर तैनाती, लम्बी एवं कष्टसाध्य ड्यूटी अवधि, उच्च सचलता, जीवन की सतत असुरक्षा और परिवार से लम्बे समय तक बिछोह।

(ङ) और (च) दूर दराज से क्षेत्रों, उच्च आल्टीट्यूड, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि में तैनात अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को दूर दराज अवस्थिति भत्ता, पूर्वोत्तर के लिए विशेष ड्यूटी भत्ता, पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, अलगाव भत्ता, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, उच्च आल्टीट्यूड भत्ता आदि।

(छ) अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों में तनाव स्तर कम करने, उन्हें निजी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम बनाने और उनके संतोष स्तर में वृद्धि करने के लिए किए गए कुछ प्रयासों में शामिल हैं। अधिकाधिक परिवार एवं पृथक परिवार आवास, सैन्यबल एवं उनके परिवारों के लिए मूल सुख/सुविधाएं, सीमा पर सैन्य बलों के लिए, जहां सम्भव, वहां टेलीफोन सुविधाएं देना, पारदर्शी छुट्टी नीति अधिकारियों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक नियमित अन्योन्यक्रिया बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग कक्षाएं, मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएं, शिकायत निवारणतंत्र को चुस्त दुरुस्त करना, विशेषीकृत सुविधाओं युक्त कम्पोजिट अस्पतालों की शुरूआत, सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए केन्द्रीय पुलिस कैंटीन सुविधाएं और भूतपूर्व केन्द्रीय अर्धसैनिक बल कार्मिकों एवं उनके नजदीकी रिश्तेदारों के कल्याण एवं पुनर्वास जरूरतों को पूरा करने के लिए कल्याण एव पुनर्वास बोर्ड का गठन करना।

[अनुवाद]

पृथक् बल का सृजन

2656. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माओवादियों और उग्रवादी संगठनों से निपटने के लिए किसी पृथक बल के सृजन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) प्रभावित राज्यों में विशिष्ट बलों के अलावा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेष रूप से प्रशिक्षित और उपस्करयुक्त यूनिटें गठित की जाएंगी।

'कृषि दर्शन' कार्यक्रम

2657. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट दूरदर्शन, गुजरात से रोजाना प्रसारित होने वाले 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम की आधे घंटे की वर्तमान अवधि को बढ़ाकर एक घंटा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि दर्शन के नए कार्यक्रमों के प्रसारण को सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर तीन बार करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज के लिए निकट भविष्य में मास मीडिया नैरो कास्टिंग सुविधाओं के बढ़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रसार भारती, दूरदर्शन ने सूचित किया है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम कृषि मंत्रालय का एक प्रायोजित कार्यक्रम है और इस समय प्रसार भारती के पास निकट भविष्य में नैरोकास्टिंग सुविधाओं में वृद्धि करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सेक्स रैकेट

2658. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सहित अर्द्धसैनिक बल (पीएमएफ) के कार्मिकों द्वारा सेक्स रैकेट को बढ़ावा देने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बल-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) अभियुक्तों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) एक शिकायत के आधार पर वर्ष 2006 में सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था।

(ग) उस अधिकारी को 7.6.2006 से निलंबित कर दिया गया है। यह मामला जिला न्यायालय और सैशन जज, चंडीगढ़ में न्याय निर्णयाधीन है।

(घ) सतर्कता शाखाएं स्थापित करने, अधिकारियों और कार्मिकों की नियमित ब्रीफिंग, औचक जांच और अन्य निरोधक एवं निगरानी जैसे उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2659. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन संस्थाओं की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) योजना आयोग ने प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की संस्थाओं के स्थान निर्धारण के संबंध में कोई राज्य विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात मदों की पहचान

2660. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ मदों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक ऐसी कौन-कौन सी मदों की पहचान की गई है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार उन मदों का मूल्य के आधार पर अलग-अलग औसतन कितना वार्षिक निर्यात हुआ;

(घ) चालू अवधि के लिए सूची में से कौन-कौन सी मदों को हटाया गया;

(ङ) ऐसी मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है; और

(च) उक्त आकलन के आधार पर कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) विदेश व्यापार नीति 2004-09 में हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा एवं समुद्री उत्पाद क्षेत्रों को विशेष संवर्धन हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05 से 2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान इन क्षेत्रों से हुए निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:-

(मूल्य मिलियन अम.डा. में)

उत्पाद	अप्रैल-मार्च 2004-05	अप्रैल-मार्च 2005-06	अप्रैल-मार्च 2006-07	अप्रैल-अक्तूबर 2007-08 (अनंतिम)
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	6293.34	7218.85	8548.36	6094.44
समुद्री उत्पाद	1439.80	1589.19	1742.27	927.15
चमड़ा एवं विनिमिर्तियां	2421.59	2667.65	2930.80	1882.51
रत्न एवं आभूषण	13761.77	15529.06	15573.50	1524.56
हस्तशिल्प	377.42	461.98	371.46	233.97
हथकरघा सहित वस्त्र	12918.49	15545.04	16104.80	9675.83

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) और (च) निर्यात को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास रहता है और समय-समय पर निवेश व्यापार नीति में सरकार के प्रयासों की घोषणा की जाती है।

लौह अयस्क भंडारों का संरक्षण

2661. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी लौह अयस्क खानों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या व्यापारी खनिक मूल्यवर्धन किए बिना निर्यात प्रयोजनार्थ बड़ी संख्या में खानों का अधिग्रहण कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(घ) देश में लौह अयस्क भंडारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) राज्य सरकारें खनिजों की स्वामी हैं और खनिज रियायतें प्रदान करती हैं तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों जिसमें लौह अयस्क भी शामिल है, हेतु खनिज रियायत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का पूर्व-अनुमोदन लेना अपेक्षित है। गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए खनिज रियायत संबंधी प्रस्तावों, जिसमें लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु अनुमोदित किए गए प्रस्ताव भी शामिल हैं, का वर्ष-वार विवरण खान मंत्रालय की वेबसाइट (http:ééwww.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति के तहत वर्ष 1993 में गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के खनन को निजी क्षेत्र के निवेश हेतु खोल दिया गया है तथा कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की उप-धारा 3(1) में यथा-परिभाषित कम्पनी, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर खनन कर सकती है। खनन एक स्टैंड अलोन कार्यकलाप है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए अपना पूर्व-अनुमोदन प्रदान करती है। लौह अयस्क सहित खनिजों का निर्यात, सरकार की आयात-निर्यात नीति के अनुसार होता है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए, लौह अयस्क के निर्यात के आंकड़े निम्नवत हैं:-

वर्ष	निर्यात (मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)
2004-05	78.14
2005-06	89.27
2006-07 (अनंतिम)	93.79
2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)	63.58

(घ) सरकार का मत है कि खनिज संसाधनों का प्रबंधन, खनिजों के विकास की समग्र रणनीति के साथ पूर्णतया जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार खनिजों का विदोहन, दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं परिप्रेक्ष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाना है। देश में लौह अयस्क के 25.25 बिलियन टन के पर्याप्त संसाधन हैं और गवेषण के साथ इनमें बढ़ोतरी हो रही है।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट

2662. श्री हितेन बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने देश में 'इंस्ट्रूमेंटेशन' के विकास के संबंध में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा संबंधी खरीद के समान ही आयातित मशीनरियों, प्रणालियों और संयंत्रों के मामले में भी ऑफसेट क्लाज रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। देश में उपकरण के विकास पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट में की गयी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(i) सभी उपकरण संबंधी परियोजनाओं में, उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी प्रस्ताव निरूपण के समय ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ii) उपकरणों के विकासकों के साथ निधिकरण एजेंसियों द्वारा आईपी अधिकारों की भागीदारी से उपकरणों के विपणन में मदद मिलेगी। इस प्रयोजना को पूरा करने के लिए निधिकरण एजेंसियों को एक व्यावहारिक तंत्र विकसित करना चाहिए।

(iii) सरकार को एक पृथक कोष का सृजन करना चाहिए जो उद्योग को प्रोत्साहन अथवा कर साख प्रदान करेगा जिससे वे स्वदेशी उपकरणन प्रौद्योगिकी की खरीद कर उसे बाजार में ला सकें। इसका उपयोग कम्पनियों को उनके उपकरणों की विदेशों आदि में प्रदर्शनी करने के लिए उनको समर्थ बनाते हुए उनके उपकरणों के लिए एक ट्रेडमार्क सृजित करने में मदद करने में भी किया जा सकेगा।

(iv) कुछ नवोन्मेषक आईआईएससी, बंगलौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे हमारे कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में उद्यमियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। उपरोक्त कोष द्वारा इन वैज्ञानिक उद्यमियों द्वारा निर्मित इन परिवर्तित (स्पिन-ऑफ) कम्पनियों को उद्यम पूंजी मुहैया की जानी चाहिए।

(v) प्रौद्योगिकी अंतकरण को सफल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकासक और प्रौद्योगिकी खरीदकर्ता के बीच लगातार सम्बद्धता बनी रहनी चाहिए जब तक कि प्रौद्योगिकी खरीदकर्ता प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक आत्मसात न कर ले।

(vi) उपकरण के प्रापण की सिफ़ारिश करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन स्थानीय रूप से निर्मित उपकरणों को शामिल करने के लिए योजना बनायी गयी हो। कम्पनियां और संस्थान जो स्थानीय रूप से निर्मित उपकरणों की खरीद करते हैं, उन्हें कर साख की सुविधा दी जाए।

(vii) भारत में उत्पादित हो रहे उपकरणों की सूची और उपकरण में विशेषज्ञता वाले प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों का एक आंकड़ा आधार वाली एक वेब साइट जो उपकरण उद्योग के साथ परस्पर अन्तःक्रिया करेगी, को बनाये रखा जाना चाहिए।

(viii) अनुसंधान और विकास संस्थानों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता का दोहन करने के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों के सन्निकट प्रौद्योगिकी पार्क; और इन्क्यूबेशन केन्द्र सृजित किये जायें।

(ix) सरकार प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास हेतु कुछ घटक और उप-प्रणालियों की स्थापना करे।

(x) आईएसओ, सीई, यूएल और क्यूएस आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपकरणों के प्रमाणन हेतु प्रत्यायन केन्द्रों की स्थापना/संवर्धन किया जाना चाहिए।

(xi) सरकार को इलैक्ट्रानिकी में कुछ उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए और उद्योग को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(xii) अकादमिक और विज्ञान प्रशासकों को प्रोन्नतियों, पुरस्कारों और अध्येतावृत्तियों के चुनाव में उपकरणन वैज्ञानिकों को पर्याप्त श्रेय देना चाहिए।

(xiii) लघु अवधि पाठ्यक्रमों, सेमिनारों आदि के आयोजन द्वारा एस एण्ड टी संस्थानों को उद्योग में कौशल, ज्ञान तथा तकनीकी मानव शक्ति के उन्नयन के लिए सहायता करनी चाहिए।

(xiv) कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों को एस एण्ड टी और व्यापार प्रबंधन को शामिल करते हुए बहुविषयी पाठ्यक्रम आरंभ करने चाहिए और उद्योग द्वारा अपेक्षित विशेष कौशल के लिए आवश्यक मानवशक्ति तैयार करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। इसी प्रकार उद्योग को हैण्ड्स आन प्रशिक्षण के रूप में अपने संयंत्रों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु कुछ अधिक करना चाहिए जो उनमें उद्यमवृत्तिक कौशल विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(xv) कुछ उपकरण संयोजन कम्पनियों को उत्पादों में नवोन्मेषों को परिवर्तित करने के लिए तीव्र प्रौटोटाइपिंग सेवाएं मुहैया करना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) विभाग, राष्ट्रीय उपकरण विकास बोर्ड (एनआईडीबी) के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत देश में विभिन्न प्रकार के सेंसरों सहित विश्लेषणात्मक, औद्योगिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों के विकास को सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसी सभी परियोजनाओं में प्रारंभ में ही उद्योग की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, प्रौद्योगिकी अन्तरण आदि के लिए शर्तें इस संबंध में निरुपित सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं। भारत में उत्पादितस भी वैज्ञानिक उपकरणों और घटकों के एक आंकड़ा आधार का संकलन किया गया है तथा केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ), चण्डीगढ़ द्वारा प्रकाशित कराया गया है। विभाग ने विभिन्न संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के सामान्य सुविधा के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेशन केन्द्रों और उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना की है।

सरकारी विद्यालयों का स्तर

2663. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों की स्थिति और इसके अध्यापकों का शिक्षण स्तर प्राइवेट स्कूलों की तुलना में काफी नीचे है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकारी विद्यालयों और प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतराल को कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) शिक्षा समवर्ती विषय होने के नाते विद्यालय शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जहां तक इस मंत्रालय के अधीन विद्यालयों का संबंध है, इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि इन विद्यालयों की स्थिति तथा शिक्षकों का स्तर प्राइवेट विद्यालयों से कम है। इसके विपरीत केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अधीन विद्यालयों की उत्तीर्ण प्रतिशतता कक्षा-X और कक्षा-XII स्तर पर पिछले पांच वर्षों (2003-2007) के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्वतंत्र प्राइवेट विद्यालयों की उत्तीर्ण प्रतिशतता से लगातार अधिक रही है।

(ख) और (ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार वर्ष 2001-02 से प्रारम्भिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और सभी को इसे सुलभ कराने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्यों में विदेशी भाषा केन्द्र खोला जाना

2664. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में चीनी, फ्रेंच और जर्मन भाषा के एक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों का कार्यकरण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रत्येक राज्य में चीनी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं का एक-एक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने देश में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ई.एफ.एल. विश्वविद्यालय) की स्थापना की थी जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के दो क्षेत्रीय केन्द्र एक शिलांग में तथा दूसरा लखनऊ में हैं जो जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों को संबद्ध करना

2665. चौ. मुनव्वर हसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र स्थित महाविद्यालयों ने केन्द्र सरकार के साथ स्थाई रूप से संबद्धता के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में इस वर्ष कुल कितनी सीटें बढ़ाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) किसी भी कालेज को अस्थायी या स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार उस विश्वविद्यालय को है जिसके क्षेत्राधिकार में ये कालेज आते हैं। अतः केंद्र सरकार इस प्रकार के आवेदनों के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक अवसंरचना एवं उन्नयन योजना

2666. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना का ग्यारहवीं योजनावधि में भी विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) 11वीं योजना के दौरान योजना का जारी रहना अथवा अन्यथा योजना के मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर है जिसे एक स्वतन्त्र एर्जेसी द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	क्लस्टर/परियोजना	परियोजना लागत	भारत सरकार का अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया भारत सरकार का अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	फार्मा क्लस्टर, हैदराबाद	66.16	49.62	16.54
2.		आटो क्लस्टर, विजयवाड़ा	30.67	23.01	15.60
3.	छत्तीसगढ़	स्टील तथा धातुकर्मी क्लस्टर, रायपुर	65.55	31.76	21.07
4.	गुजरात	केमिकल क्लस्टर, अहमदाबाद	69.86	41.39	27.58
5.		केमिकल क्लस्टर, अंकलेश्वर	152.83	50.00	48.50
6.		रत्न तथा आभूषण क्लस्टर, सूरत	75.00	50.00	16.70
7.		केमिकल क्लस्टर, वापी	54.31	40.49	39.28
8.	हरियाणा	टेक्सटाइल क्लस्टर, पानीपत	54.53	40.90	13.63

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	मशीन टूल क्लस्टर, बंगलौर	135.50	49.12	47.65
10.		फाउण्ड्री क्लस्टर, बेलगांव	24.78	18.58	18.02
11.	केरल	कयर क्लस्टर, अलापुझा	56.80	42.60	14.20
12.	मध्यप्रदेश	आटो क्लस्टर, पीतमपुर	73.29	44.94	33.30
13.	महाराष्ट्र	टेक्सटाइल क्लस्टर, इचालकरांजी	65.07	32.70	21.80
14.		आटो क्लस्टर, पुणे	59.99	49.99	43.64
15.	उड़ीसा	धातु कर्मी क्लस्टर, जाजपुर	80.60	47.00	31.32
16.	पंजाब	टेक्सटाइल कलस्टर, लुधियाना	17.19	12.69	8.42
17.	राजस्थान	मार्बल कलस्टर, किशनगढ़	36.80	27.60	9.20
18.	तमिलनाडु	आटो कलस्टर, चेन्नई	47.49	27.74	18.50
19.		चमड़ा कलस्टर, अंबर	67.34	43.94	42.62
20.		खाद्यान्न, सीरियल एंड स्टेपल कलस्टर, मदुराई	39.36	29.97	20.00
21.		पंप, मोटर एंड फाउण्ड्री कलस्टर, कोयम्बटूर	56.90	39.59	38.40
22.		टेक्सटाइल कलस्टर, तिरूपुर	150.00	50.00	46.24
23.	उत्तर प्रदेश	चमड़ा कलस्टर, कानपुर	16.46	9.75	6.50
24.	पश्चिम बंगाल	बहु उद्योग कलस्टर, हल्दिया	67.25	36.97	24.64
25.		फाउण्ड्री कलस्टर, हावड़ा	126.74	40.40	13.47
26.		रबड़ कलस्टर, कोलकाता	29.74	15.72	5.24

*स्वीकृति वापिस ली गई।

[हिन्दी]

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

2667. **श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और भोजन जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 30.09.2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए करवाए गए 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जैसे स्कूल भवन का प्रकार, पेयजल की सुविधाएं, यूरिनल/शौचालय आदि इस प्रकार हैं:-

स्कूलों का प्रकार	स्कूलों की संख्या	भवन का प्रकार					पेयजल की सुविधा युक्त विद्यालय	यूरिनल	शौचालय
		पक्का	आंशिक रूप से पक्का	कच्चा	तम्बुओं में	खुली जगह में			
प्राथमिक	651,064	525,500	77,932	27,959	1,629	18,044	499,218	220,583	191,831
उच्च प्राथमिक	245,322	201,996	30,961	7,390	211	4,764	203,511	146,204	120,218
माध्यमिक	90,741	76,598	10,499	3,090	156	398	82,327	74,095	60,410
उच्च माध्यमिक	43,869	40,397	3,011	362	32	67	42,628	41,414	38,078

(ख) से (घ) शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के नाते स्कूल शिक्षा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, के तहत प्रत्येक ग्रेड/कक्षा अथवा प्रत्येक शिक्षक प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी कम हो, के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाती है जिसके साथ-साथ प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदा सहित 2 कक्षाकक्ष होंगे जहां नए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु कम से कम दो शिक्षकों एवं अध्ययन-अध्यापन सामग्रियों की व्यवस्था होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ संकेन्द्रित करते हुए इस योजना के तहत शौचालयों एवं पेयजल सुविधाओं की भी व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007 तक 138550 प्राथमिक स्कूल भवनों, 72869 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों, 815517 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 188832 पेयजल सुविधाएं और 244297 प्रारंभिक स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास कार्यकलाप

2668. श्री रनेन बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सरकारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कम संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार सक्रिय वैज्ञानिकों को उनकी अनुसधान अध्येतावृत्तियों से समय-समय पर वृद्धि करते हुए अनेक प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने वैज्ञानिकों के साथ वाणिज्यिक पेटेंटों से अर्जित रायल्टी की भागीदारी के लिए भी प्रावधान बनाये हैं। इसके अतिरिक्त, देश में हाल के आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैज्ञानिक विभागों और एजेंसियों के माध्यम से मेधावी और सक्रिय वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए वेतन के अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां, श्यामा प्रसाद मुकर्जी अध्येतावृत्तियां, के.एस. कृष्णन अध्येतावृत्तियां और जे.सी. बोस एवं रामनुजन अध्येतावृत्तियां जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में पद

2669. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधी भर्ती कोटा में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या नए उम्मीदवारों की भर्ती के बजाय विभाग कार्यक्रम/प्रशासनिक संवर्ग में सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं ले रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह व्यवस्था कहां तक सहायक होगी; और

(ङ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जांच समिति ने वार्षिक सीधी भर्ती योजना (ए आर डी पी) के अंतर्गत अभी तक सीधी भर्ती हेतु 1616 (आकाशवाणी के लिए 1184 और दूरदर्शन के लिए 432) रिक्तियों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(ख) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में विशिष्टीकृत जनशक्ति का अभाव है क्योंकि कोई भर्ती नहीं की जा रही है जिसका कारण यह है कि प्रसार भारती के कर्मचारियों के स्तर पर मंत्री-समूह द्वारा विचार किया जा रहा है। कुछेक सेवानिवृत्त कार्मिकों को सीमित अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसार भारती के महत्वपूर्ण और विशिष्टीकृत कार्यों को हानि न हो।

(ङ) ए डी आर पी के अंतर्गत जांच समिति द्वारा सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों को भरने की अनुमति देने के बाद प्रसार भारती ने इन रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

साक्षरता अभियान पर व्यय

2670. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान आज की तारीख तक साक्षरता अभियान पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यह अभियान देश में राज्य-वार विशेष रूप से गुजरात में शैक्षिक रूप से पिछड़े कितने जिलों में शुरू किया गया था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए संस्वीकृत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जिनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 2004-05 से विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों पर किया गया व्यय निम्नलिखित है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
2004-05	236.47
2005-06	249.30
2006-07	213.48
2007-08	213.57 (12.3.2008 तक)

(ख) देश में न्यून साक्षरता वाले 150 जिलों की पहचान की गई है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। न्यून साक्षरता वाले इन 150 जिलों में से 120 जिलों को विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। इन जिलों, जिनमें गुजरात के जिले भी शामिल हैं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं:-

(i) नवसाक्षरों, अकुशल और बेरोजगार युवकों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लाभ के लिए जन शिक्षण संस्थान नामक जिला स्तरीय संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। देश के विभिन्न जिलों में अभी तक 221 जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। विगत तीन वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार और जिले-वार संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

(ii) जिले के सघन एवं सीमित क्षेत्रों के लिए नवाचार साक्षरता परियोजनाएं शुरू करना, विभिन्न जिलों में परिचालन के लिए नवसाक्षर पत्रिकाओं का प्रकाशन, शोध अध्ययन शुरू करना, सम्मेलन/गोष्ठियों का आयोजन करना। विगत तीन वर्ष में अब तक राज्य-वार और जिला-वार संस्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

(iii) राज्य संसाधन केन्द्र नामक राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्यों में चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों में 26 राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। एक राज्य संसाधन केंद्र 2006-07 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संस्वीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) इन संगठनों की त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए इनके कार्य-निष्पादन की सावधिक समीक्षा की जाती है। राज्य संसाधन केंद्रों और जन-शिक्षण संस्थानों के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा वार्षिक कार्य योजना बैठकों के जरिए की जाती है।

(च) विगत तीन वर्ष के दौरान कुशीनगर (बिहार), रामनाथपुरम (तमिलनाडु), काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) और लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में स्थित जन शिक्षण संस्थाना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों के संबंध में जांच पड़ताल पूरी होने तक इन जन शिक्षण संस्थानों का अनुदान रोक दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	निम्न साक्षरता वाले जिलों	साक्षरता कार्यक्रमों टीएलसी/पीएलपी/पीआरआई* के तहत शामिल जिलों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	7	7
2.	आंध्र प्रदेश	8	8
3.	असम	3	–
4.	बिहार	31	21
5.	छत्तीसगढ़	4	2
6.	गुजरात	2	2
7.	जम्मू-कश्मीर	8	8
8.	झारखंड	13	11
9.	कर्नाटक	4	2
10.	मध्य प्रदेश	9	9
11.	मेघालय	3	3
12.	नागालैंड	2	2
13.	उड़ीसा	10	8
14.	पंजाब	1	1
15.	राजस्थान	11	10
16.	उत्तर प्रदेश	30	22
17.	पश्चिम बंगाल	4	4
	कुल	150	120

*टीएलसी - संपूर्ण साक्षरता अभियान

पीएलपी उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

पीआरआई - अवशिष्ट निरक्षरता परियोजना

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत जेएसएस की संख्या और जिलों के नाम			
		2004-05 संस्वीकृत जेएसएस की संख्या/जिलों के नाम	2005-06 संस्वीकृत जेएसएस की संख्या/जिलों के नाम	2006-07 संस्वीकृत जेएसएस की संख्या/जिलों के नाम	2007-08 संस्वीकृत जेएसएस की संख्या/जिलों के नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	01/दक्षिण गोदावरी	–	02/वारंगल महबूबनगर
2.	बिहार	01/सारन	–	01/औरंगाबाद	02/हाजीपुर (वैशाली) बक्सर
3.	छत्तीसगढ़	–	–	01/राजनादगांव	01/बिलासपुर
4.	गुजरात	–	–	01/पाटन	01/साबरकांठा
5.	हरियाणा	01/पानीपत	–	–	01/गुड़गांव
6.	जम्मू-कश्मीर	–	–	01/तंगदार	–
7.	कर्नाटक	01/देवानगीर	–	–	–
8.	केरल	01/एरणाकुलम	01/मल्लापुरम	–	02/कन्नूर, पलक्कड
9.	मध्य प्रदेश	04/होशंगाबाद धार सिहोर सिधी	03/रीवा छत्तरपुर सागर	07/कटनी झबुआ बैतूल मंडला देवास उमरिया शाजापुर	03/रायसेन नरसिंहपुर दामोह
10.	महाराष्ट्र	02/गोंदिया अहमदनगर	01/जलगांव	01/यवतमाल	02/बुलडाना धुले
11.	मणिपुर	01/सेनापति	01/इंफाल पश्चिम	–	–

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	01/भद्रक	—	03/संभलपुर जगतसिंहपुर नौपाड़ा	03/जाजपुर बालासोर बोलंगीर
13.	तमिलनाडु	—	01/नमक्कल	—	01/कांचीपुरम
14.	उत्तर प्रदेश	04/भदोई हरदोई फतेहपुर रायबरेली	05/गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, खेडी और शाहजहांपुर	08/अलीगढ़, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, सोनभद्र, आजमगढ़, आगरा, बरेली	03/लखनऊ चंदौली श्रावस्ती
15.	उत्तराखंड	01/बागेश्वर	01/टिहरी गढ़वाल	01/अल्मोड़ा	01/चमोली
16.	पश्चिम बंगाल	01/पश्चिम मिदनापुर	—	01/बांकुरा	01/बीरभूम
17.	दिल्ली	—	—	01/पश्चिम दिल्ली	—
	कुल	18	14	26	23

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत गैर-सरकारी संगठन परियोजनाओं की संख्या और जिलों के नाम			
		2004-05 संस्वीकृत गैरसरकारी संगठन परियोजनाओं संख्या/ जिलों के नाम	2005-06 संस्वीकृत गैरसरकारी संगठन परियोजनाओं संख्या/ जिलों के नाम	2006-07 संस्वीकृत गैरसरकारी संगठन परियोजनाओं संख्या/ जिलों के नाम	2007-08 संस्वीकृत गैरसरकारी संगठन परियोजनाओं संख्या/ जिलों के नाम
1	2	3	4	5	6
1.	असम	—	01/गुवाहाटी	—	—
2.	बिहार	—	01/पटना	—	—
3.	गुजरात	—	01/बनासकांठा	—	01/अहमदाबाद

1	2	3	4	5	6
4.	हरियाणा	—	01/पानीपत	—	—
5.	कर्नाटक	—	04/हासन टुमकुर बेल्लारी मैसूर	—	—
6.	मध्य प्रदेश	—	—	02/भोपाल	—
7.	उड़ीसा	—	—	01/मयूरभंज	—
8.	तमिलनाडु	—	—	01/डिंडीगुल	—
9.	उत्तर प्रदेश	03/इलाहाबाद लखनऊ गाजीपुर	02/एटा इलाहाबाद	01/लखनऊ	—
10.	उत्तराखंड	02/देहरादून ऊधमसिंह नगर	01/देहरादून	—	—
11.	दिल्ली	01/पश्चिमी दिल्ली	05/दक्षिणी दिल्ली	05/दक्षिणी दिल्ली	—
	कुल	06	17	07	01

संघीय अपराधों के लिए केन्द्रीय एजेन्सी

2671. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने संघीय अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय एजेंसी का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छोडल्या गावित) : (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता में "संघीय अपराध" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारत के संविधान अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार अंतर-राज्यीय विस्तार वाले आपराधिक मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरा को सौंपने का विकल्प राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए खुला है।

खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए अनुदान

2672. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग को बजटीय सहायता, अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण तथा छूट देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है जिससे इकाइयां बंद हो रही हैं और काफी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार खादी और ग्रामोद्योग का पुनरुद्धार करने तथा इसे पुनर्जीवित करने के लिए कोई नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है, जो इस बात से जाना जा सकता है कि वर्ष 2002-03 के (वास्तविक) 340.55 करोड़ रु. के बजट आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2007-08 के (संशोधित बजट में) 653.15 करोड़ रु. कर दिया गया है। सरकार खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों (के वी आई) को अनुदानों, खादी तथा पॉलिवस्त्रों की बिक्री पर रियायत तथा खादी ऋण के रूप में बजटीय समर्थन प्रदान करना जारी रखे हुए है। तथापि ग्रामोद्योग क्षेत्र को पूर्व में उपलब्ध ऋणों को बंद कर दिया गया है। इन्हें "ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी)" नामक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से बदल दिया गया था, जो 1 अप्रैल, 1995 से कार्यान्वित की गई थी।

(ख) खादी ग्रामोद्योगों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 1994 में दर्ज की गई अपनी रिपोर्ट में महसूस किया है कि के वी आई सी एक वित्तीय संस्थान के रूप में कल्पित नहीं किया गया था। तदनुसार समिति ने सिफारिश की कि आयोग को नए वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रबंधन करने की बजाए अवसंरचना के विकास, नीतिगत नियोजन, प्रशिक्षण इत्यादि पर अधिक समय लगाना चाहिए। तदनुसार, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आर ई जी पी प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे। बैंक इन ग्रामोद्योगों को दिए गए ऋणों की पुनर्अदायगी के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने खादी व ग्रामोद्योग (के वी आई) क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा नवीनीकरण के लिए नई स्कीमें शुरू करने के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विचाराधीन इन नई स्कीमों के ब्यौरे तथा प्रत्याशित लाभ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड :** खादी बुनकरों/कारीगरों के लिए वर्कशेड बनाने हेतु 25,000 रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. **खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि हेतु स्कीम :** इस स्कीम का उद्देश्य कौशल उन्नयन के साथ-साथ कारीगरों को बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा खादी उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए चरखों/करघों को बदलने, रेडीमेड वस्त्रों, मुसलिन खादी, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, आवश्यकता आधारित रंगाई और छपाई सुविधाओं के लिए खादी संस्थानों को प्रयोग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. **कमजोर संस्थानों के लिए उपचारी-निधि सहित खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए पैकेज :** यह प्रस्तावित स्कीम खादी उत्पादन को बढ़ाने तथा रोजगार आधार बढ़ाने के लिए करघों तथा चरखों को बदलने का विचार करती है। इस स्कीम में बिक्री-केन्द्रों का नवीनीकरण भी शामिल है।

4. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :** यह योजना एक व्यापक प्रस्ताव होने जा रही है जिसमें दो प्रमुख विद्यमान रोजगार सृजन स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं के विलय का प्रस्ताव है।

होटल मैनेजमेंट स्नातकों को बीबीए/एमबीए की डिग्रियां प्रदान करना

2673. **श्री नकुल दास राई :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विचार पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे होटल मैनेजमेंट संस्थानों से उत्तीर्ण स्नातकों तथा स्नातकोत्तर छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में प्रबंधन विषय-वस्तु की बहुलता को देखते हुए, होटल मैनेजमेंट में बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. के स्थान पर बीबीए तथा एमबीए डिग्रियां प्रदान करने का है तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय जैसे तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय होटल मैनेजमेंट में बीबीए/एमबीए डिग्रियां प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्राचीन विरासत की पेटेंटिंग

2674. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की प्राचीन विरासत को दूसरे देशों में पेटेंट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे देशों में पेटेंट की हमारी विरासत तथा पारम्परिक वस्तुओं का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) पेटेंट विभिन्न देशों के सर्वोच्च अधिकारों के तहत उनके संबंधित पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और उनका प्रभाव क्षेत्रीय होता है, अर्थात् वे केवल उसी देश में प्रभावी होते हैं, जहां उन्हें प्रदानगी दी जाती है। किसी भी देश में पेटेंट की प्रदानगी हेतु पात्र होने के लिए किसी भी आविष्कार, चाहे वह प्रक्रिया हो या उत्पाद के लिए पेटेंट के लायक होने संबंधी मानदंड पर खरा उतरना अनिवार्य है, और ये मानदण्ड हैं—नवीनता, आविष्कारशीलता और औद्योगिक अनुप्रयोग। ऐसे भारतीय माल/मदों, जो पहले ही सार्वजनिक जानकारी/क्षेत्र में मौजूद हैं, को पेटेंट नहीं किया जा सकता। विश्व भर में पेटेंट प्रदान किए गए माल/मदों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

चूंकि पेटेंट अनिवार्यत: निजी अधिकार हैं, अत: सामान्यत: संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार उन्हें वह व्यक्ति चुनौती दे सकता है जिसके हित उनसे प्रभावित/खतरे में पड़ रहे हों। जब और जैसे ही ऐसे पेटेंटों के बारे में सूचना मिलती है, जो ऐसी मदों पर प्राप्त किए गए हों, जो पेटेंट योग्य नहीं मानी जाती हैं, और जो भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तब यह मूल्यांकन करने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं कि क्या ऐसे पेटेंटों की प्रदानगी को संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। बीते वर्षों में घाव भरने के लिए हल्दी का प्रयोग करने के संबंध में यूएसए में प्रदान किए गए एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी और इसे संबंधित देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। इसी तरह के नीम के कवकनाशी गुण पर यूरोप में प्रदान किया गये एक पेटेंट को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। संयुक्त राज्य अमरीका में बासमती चावल की किस्मों और अनाजों पर प्रदान किए गए पेटेंट के दावों, जो भारत के वाणिज्यिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते थे, को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। बाद में उक्त दावों को संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और पेटेंट का शीर्षक भी संशोधित कर दिया गया था।

परम्परागत ज्ञान को पेटेंट किये जाने से रोकने के उद्देश्य से पेटेंट अधिनियम, 1970 में उपबंध बनाए गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3(पी) में व्यवस्था है कि एक आविष्कार जो प्रभाव में परम्परागत ज्ञान है अथवा परम्परागत रूप से ज्ञात, घटक अथवा घटकों के ज्ञात गुणों का समुच्चय अथवा पुनरावृति है, पेटेंटनीय नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 3(जे) आगे और व्यवस्था है कि पूर्ण रूप में पौधा अथवा माइक्रो आर्गेनिज्म को छोड़कर उसका कोई भाग परन्तु उसमें बीज, विविधताएं तथा मसाले और पौधों के उत्पादन तथा प्रसार के लिए आवश्यक रूप से जीव विज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं शामिल है पेटेंटनीय नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3(सी) के अनुसार प्रकृति में घटित होने वाले किसी जीवित अथवा मृत पदार्थ की मात्र खोज भी पेटेंटनीय नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 25 तथा 64 में मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा विरोध के लिए तथा प्रतिसंहरण के लिए भी एक आधार के रूप में खोज का पूर्वानुमान शामिल है।

सरकार ने पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं नामत: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा जापानी में परम्परागत ज्ञान डिजीटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) डाटाबेस विकसित किया है जिसमें आयुर्वेद तथा यूनानी दवाओं सहित परम्परागत दवाओं का सुव्यवस्थित ज्ञान शामिल है, ताकि उन आविष्कारों की पेटेंटिंग को रोका जा सके जो मात्र परम्परागत ज्ञान है।

उच्च शिक्षा के लिए सहायता

2675. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या आबंटित धनराशि देश में उच्च शिक्षा की मांग को पूरा नहीं कर पाई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा वर्तमान में सरकार के पास कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(घ) क्या मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने और देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार निजी क्षेत्र से सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान योजनेत्तर और योजनागत स्कीमों के तहत केन्द्रीय, राज्य तथा सम-विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मांग तथा पात्रता के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2008-09 हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु 3439.95 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) के तहत शिक्षा का व्यावसायीकरण करने वाली संस्थाओं की स्थापना पर रोक लगाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। XIवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा की सुलभता, समानता एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया जा रहा है। तद्नुसार, सरकार शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रही है, उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में कालेज स्थापित कर रही है और उच्चतर शिक्षा हेतु परिव्यय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ राज्यों को प्रोत्साहन दे रही है।

विवरण

केंद्रीय विश्वविद्यालय

(रुपए लाख में)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	374.84	6002.65	9771.26
2.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़	17356.30	20554.94	23321.13
3.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	3362.83	1193.25	1033.66
4.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	18527.61	23708.42	30940.38
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	14551.65	15737 17	17739.05
6.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	221.67	248.[illegible]	790.82
7.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2779.62	4570.64	9250.70
8.	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	709.40	3.94	0.84

1	2	3	4	5
9.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	7158.53	7356.43	8497.82
10.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	8942.30	10728.98	13165.91
11.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर	1082.36	1759.68	4733.75
12.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हैदराबाद	315.42	1043.20	1656.72
13.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1320.72	1384.39	1883.37
14.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	285103	2547.96	2566.57
15.	एन.ई.एच.यू., शिलांग	7217.36	5082.79	7353.36
16.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	2441.43	2089.06	2134.61
17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडेचेरी	1682.70	2494.52	5562.68
18.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	2109.45	750.26	2039.50
19.	विश्व भारती शांतिनिकेतन	4023.31	4940.46	6649.43
	कुल	98528.53	112197.42	149091.56
सम विश्वविद्यालय				
1.	अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ होम साईस, महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा, कोयंबतूर	952.70	081.77	1263.18
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	439.68	424.11	357.08
3.	बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलोजी और साईसेस, पिलानी	250.34	61.56	550.85
4.	भारती विद्यापीठ, पुणे	110.46	7.92	9.09
5.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेसरा, रांची	290.58	129.02	90.35
6.	भातखंडे संगीत इंस्टीट्यूट, लखनऊ	0.00	1.50	0.44
7.	सी.आई.ई.एफ.एल., हैदराबाद	1112.71	1305.31	1444.44
8.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ उच्चतर तिब्बतन शिक्षा, वाराणसी	1.32	41.50	40.00
9.	दयालबाग एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	477.09	556.21	772.32

1	2	3	4	5
10.	दक्कन कॉलेज पी.जी. और अनुसंधान इंस्टीट्यूट, पुणे	107.31	77.00	7.92
11.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	1111.27	1196.95	1268.85
12.	गोखले इस्टीट्यूट ऑफ पालिटिक्स एंड इकनोमिक्स पुणे	40.54	992.54	11.53
13.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	808.39	120.63	1059.02
14.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	634.99	893.21	824.67
15.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईस, बैंगलौर	398.31	301.44	379.45
16.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद	2.91	6.16	35.89
17.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन	0.00	0.00	0.40
18.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	0.00	300.00	4.44
19.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	607.39	704.55	672.23
20.	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लैडन्न	9.86	15.56	95.48
21.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कुरूक्षेत्र	0.00	1.67	2.39
22.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर	3.67	2.88	3.44
23.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रुड़की	9.97	0.00	0.00
24.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, वारंगल	0.62	4.68	8.71
25.	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	41.70	16.01	3.45
26.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	539.45	670.79	603.79
27.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एज्यूकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा	0.00	100.00	280.00
28.	श्री चंद्रशेखरांदर सरस्वती विश्व विद्या, कांचीपुरम	60.50	61.52	46.00
29.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	554.05	897.67	852.05
30.	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लरनिंग, पराशांतिनिलयम	123.35	115.76	64.50

1	2	3	4	5
31.	श्री राम चंद्र मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	0.00	2.80	3.94
32.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, देवनार, मुंबई	1231.18	1259.60	1184.54
33.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	4.38	69.20	56.25
34.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक., हैदराबाद	252.37	160.15	143.85
35.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक. वेल्लोर. तमिलनाडु	3.99	0.00	0.00
36.	विश्वसारया नेशनल इंस्टीट्यूट एण्ड टेक., नागपुर	1.11	0.00	1.96
37.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी, हैदराबाद	0.00	5.45	6.64
38.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सिलचर	0.00	0.00	2.25
39.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कर्नाटक	0.00	0.00	0.75
40.	इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	25.01	33.00	40.22
41.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलोजी, नई दिल्ली	11.55	15.00	17.00
42.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली	17.19	14.00	0.00
43.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	3.27	7.17	2.47
44.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सैंटर, गुड़गांव	4.44	3.83	7.50
45.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	0.00	1.11	0.00
46.	जवाहरलाल नेहरू सैंटर फोर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलौर	0.00	1.11	6.92
47	मनीपाल एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन, मनीपाल, (कर्नाटक)	3.20	0.00	0.00
48.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंस, बंगलौर	0.00	7.12	20.00
49.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन, ग्वालियर	34.00	33.00	0.00

1	2	3	4	5
50.	सी.आई.एफ.ई., वरसोवा, मुंबई	0.00	4.33	0.00
51.	पद्मश्री डा. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुंबई	0.00	0.00	0.75
52.	मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, जयपुर	0.00	0.94	0.75
53	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, त्रिचुरापल्ली	6.83	0.00	0.46
54.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, चेन्नई	0.00	3.00	0.00
55.	इंडियन वैटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर	3.33	2.22	3.29
56.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	2.38	3.08	0.00
57.	जे.आर. हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	5.46	1.14	130.85
58.	फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	0.00	1.25	1.13
59.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोरमेशन टैक्नोलोजी इलाहाबाद	0.00	1.16	0.00
	कुल	10298.75	11717.58	12383.48
	राज्य विश्वविद्यालय (राज्यवार)			
	आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	216.34	612.78	1229.50
2.	सी.ई.सी.आर.आई., हैदराबाद	0.19	0.00	0.00
3.	जवाहरलाल नेहरू टेक., हैदराबाद	336.71	37.55	311.66
4.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	70.42	156.91	228.69
5.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	50.74	119.11	24.13
6.	नेशनल इंस्टीट्यट्र ऑफ टैक्नोलाजी, हैदराबाद	1.42	0.00	0.00
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	496.15	454.15	1295.87
8.	पोत्ती श्रीरामुलू तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	106.13	48.75	78.97
9.	श्री कृष्णदेव राय विश्वविद्यालय, अनंतपुर	195.35	51.01	221.59

1	2	3	4	5
10.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	415.64	301.46	456.64
11.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	200.07	138.61	130.63
12.	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.00	49.45	163.14
13.	डा. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.00	3.00	0.00
14.	नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी	0.00	174.63	130.46
15.	एम.जी. नारायण इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड सोशल, हैदराबाद	0.00	0.00	8.20
16.	द्रविडियन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	105.60
	कुल	2089.16	2147.41	4385.08
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	अरुणाचल विश्वविद्यालय, ईटानगर	1082.86	180.61	164.50
	कुल	1082.86	180.61	164.50
	असम			
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	401.15	62.80	193.15
2.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	387.10	158.86	100.42
3.	असम कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	60.75
	कुल	788.25	221.66	354.32
	बिहार			
1.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	116.47	42.18	209.50
2.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	78.80	183.02	91.51
3.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	7.15	95.72	95.48
4.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय,. दरभंगा	44.36	12.00	65.59
5.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	20.87	62.38	62.97
6.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	109.30	158.32	77.63

1	2	3	4	5
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	129.41	159.76	168.70
8.	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	0.00	1.11	0.00
9.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0.00	0.00	64.43
10.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	0.00	0.00	131.10
	कुल	506.36	714.49	966.91
	छत्तीसगढ़			
1.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	207.94	34.43	96.99
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	10.37	4.96	205.32
3.	पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	151.28	55.88	247.07
4.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	0.00	4.75
5.	हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	0.00	0.00	116.50
	कुल	369.95	95.27	670.63
	दिल्ली			
1.	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	54.52	54.49	135.87
	कुल	54.52	54.49	135.87
	गुजरात			
1.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	146.24	15.11	137.30
2.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	162.28	172.72	164.64
3.	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा	229.62	597.69	398.55
4.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन	153.73	67.00	114.47
5.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	393.46	187.81	195.07
6.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	115.30	145.69	150.67
7.	दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	20.24	48.74	204.58

1	2	3	4	5
8.	भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	0.00	0.00	5.95
	कुल	1220.87	1234.76	1341.23
	गोवा			
1.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	174.17	23.70	277.04
	कुल	174.17	23.70	277.04
	हरियाणा			
1.	सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	2.31	1.55	2.32
2.	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	172.14	88.88	108.33
3.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	131.78	218.32	325.11
4.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	127.36	147.53	304.67
	कुल	433.59	456.28	740.43
	हिमाचल प्रदेश			
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	313.24	805.79	131.55
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	0.00	3.44	0.00
3.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	0.00	2.40	0.00
4.	चौधरी स्वर्ण कुंवर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	7.60
	कुल	313.24	811.63	139.15
	जम्मू-कश्मीर			
1.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	243.21	231.21	229.21
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	331.09	184.20	352.07
3.	शेर-ए-कश्मीर कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	0.00	1.84	20.00
	कुल	574.30	417.25	601.28

1	2		3	4	5
	झारखंड				
1.	रांची विश्वविद्यालय, रांची		124.35	59.23	89.66
2.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग		110.31	57.27	229.84
	कुल		234.66	116.50	319.50
	कर्नाटक				
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर		232.47	237.45	277.64
2.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा		168.90	26.64	197.61
3.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी		124.18	84.01	141.20
4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़		232.64	131.44	357.92
5.	कोवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा		110.07	240.00	120.41
6.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर		176.89	103.26	222.38
7.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर		278.11	360.58	380.70
8.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बंगलौर		50.00	75.50	106.75
9.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर		0.00	0.00	0.00
10.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर		0.00	1.11	1.11
11.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़		0.00	0.00	2.70
12.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर		0.00	0.00	149.65
	कुल		1373.26	1259.99	1958.07
	केरल				
1.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड	94.44	180.93	180.93	212.73
2.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि	232.64	169.26	169.26	1460.03
3.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	395.64	256.18	256.18	290.49
4.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	196.19	75.41	75.41	115.12
5.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	2.92	0.00	0.00	0.00

1	2		3	4	5
6.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	206.60	69.00	69.00	293.96
7.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी	2.37	127.24	127.24	41.01
	कुल	1130.80	878.02	878.02	2413.34
	मध्य प्रदेश				
1.	अवधेश पी. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा		150.56	73.86	159.36
2.	बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल		249.11	63.35	79.62
3.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट		166.23	76.98	121.60
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर		162.22	208.91	308.03
5.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर		141.51	133.44	193.06
6.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर		68.62	106.36	98.88
7.	महात्मा पफुले कृषि विद्यापीठ, परभनी		0.00	0.00	0.75
8.	एम.पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल		0.00	0.00	1.65
9.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल		1.50	86.00	172.16
10.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर		48.62	299.71	129.21
11.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन		41.63	195.60	176.25
	कुल		1030.00	1244.21	1440.57
	महाराष्ट्र				
1.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती		191.53	141.77	135.27
2.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फोर पोपुलेशन स्टडीज, बंबई		0.00	3.12	18.85
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंबई		1.28	0.00	0.00
4.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई		1266.34	1475.14	722.00
5.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद		268.64	71.01	151.57

1	2	3	4	5
6.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	292.33	94.06	343.88
7	नार्थ महाराष्ट्र, जलगांव	159.51	65.85	151.95
8.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	1430.86	1010.86	528.54
9.	एस.एन. डी.टी. वीमेंस विश्वविद्यालय, मुंबई	274.95	113.64	163.59
10.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	122.49	233.27	404.62
11.	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय नासिक	0.00	0.00	0.46
12.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़	4.22	179.28	65.31
13.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर	0.00	1.15	0.97
14.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी	0.00	12.50	0.00
	कुल	4012.15	3401.65	2687.01
	उड़ीसा			
1.	बेरहमपुर विश्वविद्यालय, बेरहमपुर	121.98	43.09	231.21
2.	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर	160.82	80.44	328.81
3.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	4.67	94.90	92.25
4.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	142.96	290.87	376.17
5.	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बडीपाड़ा	1.74	7.44	85.00
6.	इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलोजी, भुवनेश्वर	0.00	0.00	5.75
7.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	0.00	0.00	197.94
8.	उड़ीसा विश्वविद्यालय ऑफ कृषि और टेक्नोलोजी, भुवनेश्वर	0.00	0.00	3.00
	कुल	432.17	516.74	1320.13
	पंजाब			
1.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	310.36	276.02	158.05

1	2	3	4	5
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	353.06	790.94	379.76
3.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	53.90	25.84	203.63
4.	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	152.08	124.92	350.05
	कुल	869.40	1217.72	1091.49
	राजस्थान			
1.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	0.91	0.00	0.00
2.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	198.84	104.23	315.15
3.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	16.76	191.93	134.25
4.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	114.09	168.18	107.08
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	319.37	629.45	885.51
6.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	0.00	0.00	2.99
	कुल	649.97	1093.79	1444.98
	तमिलनाडु			
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	124.07	106.43	182.29
2.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	204.21	434.61	348.98
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	358.37	413.44	609.36
4.	भरतीयार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	164.34	149.66	166.71
5.	भारतीदेसन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	173.71	127.81	296.34
6.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	1007.98	3470.53	383.46
7.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	290.14	1160.03	407.84
8.	मदर टैरेसा यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कोडाईकनाल	17.37	35.53	52.93
9.	एम. सुंदरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेले	36.10	107.81	123.06

1	2	3	4	5
10.	तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, तंजावुर	25.99	1080.38	121.31
11.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर	14.52	1.01	6.41
12.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम	0.00	28.57	194.10
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस, कोयम्बटूर	0.00	0.00	2.00
	कुल	2416.77	7115.81	2894.79
	त्रिपुरा			
1.	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	1001.74	235.02	63.03
	कुल	1001.74	235.02	63.03
	उत्तर प्रदेश			
1.	इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	4.91	3.63	4.23
2.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	278.16	34.01	90.65
3.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	156.70	70.87	139.31
4.	डा. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	27.49	0.72	51.47
5.	डा. राममनोहर लोहिया (अवध) यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	20.05	211.93	66.52
6.	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	148.18	235.45	215.51
7.	चौधरी शाहूजी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर	38.14	8.55	32.82
8.	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	373.61	203.77	555.45
9.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	68.72	130.26	54.73
10.	एम.जे.पी. रूहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली	19.30	5.05	59.73
11.	वी.वी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	53.16	35.62	46.68
12.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	75.96	0.20	97.17
	कुल	1264.38	940.06	1414.27

1	2	3	4	5
	उत्तरांचल			
1.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी, ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलोजी, पंतनगर	17.05	12.25	2.60
2.	एच.एन.बी. (गढ़वाल) यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	57.48	14.95	290.04
3.	कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल	170.90	38.24	306.98
	कुल	245.43	65.44	599.62
	पश्चिम बंगाल			
1.	बर्दवान यूनिवर्सिटी, बर्दवान	172.34	172.93	191.13
2.	कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1076.98	3477.58	670.58
3.	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	1205.38	1214.07	2620.85
4.	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	85.56	106.85	103.23
5.	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, कोलकाता	245.94	81.69	319.05
6.	रविंद्र भारतीय यूनिवर्सिटी, कोलकाता	28.12	48.89	321.93
7.	विद्या सागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	168.65	97.50	99.46
8.	बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा	72.28	169.46	1093.83
9.	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया	0.00	0.55	1.15
10.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, ऑफ टेक्नोलोजी, कोलकाता	0.00	0.00	6.13
	कुल	3055.25	5369.52	5427.34

कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क

2676. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों में से किसी राज्य सरकार से, विशेषतः आंध्र प्रदेश सरकार से देश के रेशम उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्षों तक और बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) रेशम उत्पादक किसानों के हितों के रक्षार्थ मलबेरी कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अनुसार पाटननरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने हेतु समीक्षा जांच की शुरूआत पहले ही कर दी है। इस संदर्भ में, यह सूचना दी जाती है कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 15/12/2007-डीजीएडी के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के परिणामस्वरूप, दिनांक 1 जनवरी, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 01/2008 सीमाशुल्क द्वारा मलबेरी कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि को 1 जनवरी, 2009 तक बढ़ा दिया गया है।

'सिमी' से खतरा

2677. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबन्धित स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य आधुनिक तरीकों से महत्वपूर्ण संस्थापनों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थापनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा अत्याधुनिक तरीकों से महत्वपूर्ण संस्थापनों पर हमला करने की किसी विशिष्ट योजना को दर्शाने वाली वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, एक गिरफ्तार व्यक्ति ने रहस्योद्घाटन किया कि वह सिमी के साथियों के साथ क्रमिक विस्फोट और अन्य गंभीर अपराध करने की योजना बना रहा है।

(ग) सरकार राज्य सरकारों के साथ आसूचना जानकारी का आदान प्रदान करने के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध करवाकर संबंधित राज्य सरकारों की सहायता करती है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जब भी अनुरोध किया जाता है उनको यथा सम्भव वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।

वाघा बार्डर पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली

2678. श्री रेवती रमन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा के बढ़ते खतरों तथा अटारी-वाघा बार्डर और अंतर्राष्ट्रीय अटारी रेलवे स्टेशन पर आगन्तुकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) सरकार ने अटारी सीमा और अटारी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा संबंधी और अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार और उन्नयन करने का निर्णय लिया है।

(ख) प्रस्तावित तरीके निम्नलिखित हैं:—

सुरक्षा बाड़ और संतरी पोस्ट के पास मालवाही ट्रकों के यातायात के लिए पृथक कारिडोर विकसित करना।

(i) कारगो की 100% स्कैनिंग।

(ii) कम्प्यूटरीकृत एकल प्रवेश पद्धति शुरू करना।

(iii) ट्रकों की सूक्ष्म जांच पड़ताल पद्धति।

(iv) अटारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का उन्नयन और आधुनिकीकरण।

[हिन्दी]

एफआईआर दर्ज न करना

2679. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री रमेन बर्मन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बलात्कार, दहेज की मांग तथा दहेज हत्याओं सहित अनेक मामलों की दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर न दर्ज करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके लिए दोषी पाए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में भी एफआईआर दर्ज की जाएं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में दूषित भोजन परोसा जाना

2680. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय (जे. एन.वी.) के बच्चों को संदूषित भोजन परोसे जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें बच्चे बीमार पड़ गए थे;

(ख) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों को दूषित भोजन परोसे जाने से संबंधित दो शिकायतें मिली हैं।

(ख) नवोदय विद्यालय समिति ने सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपलों को निदेश जारी किया है कि वे विद्यालय मेस के प्रबंधन का प्रभावी रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करें। विद्यालयों की स्टाफ नर्सों को भी निदेश दिया गया है कि वे विद्यालय के मेस एवं डाइनिंग हॉल में स्वास्थ्य, साफ-सफाई की एवं स्वच्छता की जांच करने के साथ-साथ भोजन की गुणवत्ता का भी जांच करे।

(ग) जवाहर नवोदय विद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) में केटरिंग सहायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय, नागौर (राजस्थान) में 8 किलो मीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए स्कूल को पूर्ति किए जाने वाला पीने का पानी दूषित हो गया था। इसके अतिरिक्त, स्कूली बच्चे, स्थानीय मेले में गए हुए थे और वहां उन्होंने दूषित भोजन किया था। दोषी विद्यालय स्टाफ को ज्ञापन जारी किया गया है।

[अनुवाद]

सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

2681. श्री राम कृपाल यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू सीमेंट विनिर्माताओं ने मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि करने के लिए उत्पादक संघ बनाया है जैसा कि एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग (एमआरटीपीसी) द्वारा सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो एमआरटीपीसी ने विनिर्माताओं को सीमेंट के मूल्य में गड़बड़ी रोकने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा एमआरटीपीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) एमआरटीपी आयोग ने हाल ही में घरेलू सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध दो आदेश पारित किए हैं और पाया है कि सीमेंट विनिर्माताओं ने मूल्यों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए उत्पादक संघ बना लिए हैं। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	मामला सं.	पार्टिया-ब्यौरे
1	2	3
1.	आरटीपीई 99/1990	महानिदेशक (जांच व पंजीकरण) बनाम मैसर्स सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन (सीएमए) और 44 अन्य सीमेंट कंपनियां।

1	2	3
		एमआरटीपीसी ने सीएमए और 41 अन्य सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध एक आदेश जारी किया कि वे सीएमए के जरिये या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी व्यवस्था में लिप्त न हों जिससे उनके उत्पादों के मूल्य सामंजस्य में या सामंजस्य के प्रवाह के तौर पर तय हों। आयोग ने यह भी आदेश दिया कि वे आदेश की घोषणा के आठ सप्ताह के भीतर इस संबंध में अनुपालन का शपथ-पत्र दायर करें। इस आदेश से असंतुष्ट होकर, सीमेंट कंपनियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 8.2.2008 को सिविल अपील पर नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश जारी करके अनुपालन का शपथपत्र दायर करने संबंधी आयोग के निर्देशों पर रोक लगा दी।
2.	आरटीपीई 21/2001	श्री सरबजीत एस. मौखला और अन्य बनाम मैसर्स सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन और अन्य सीमेंट कंपनियां। एमआरटीपीसी ने 29.2.2008 को सीएमए और नौ अन्य सीमेंट कंपनियों के विरुद्ध 'सीज एंड डिजिस्ट' (समाप्त करना और विरत होने का) आदेश जारी किया क्योंकि उन्होंने जुलाई, दिसंबर 2000 और जनवरी, 2001 के महीनों में जबलपुर में सामंजस्यपूर्ण तरीके से सीमेंट के बोरों के मूल्य बढ़ाने का काम किया था। आयोग ने सीमेंट कंपनियों को निर्देश दिया कि वे बाजार में सीमेंट के बिक्री मूल्य तय करने के लिए सीएमए के जरिये या अन्यथा किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने से बचें। आयोग ने सीमेंट कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन का शपथ-पत्र दायर करें।

"जोधा अकबर" चलचित्र का विरोध

2682. श्री अधीर चौधरी :
श्री संजय धोत्रे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में हाल ही में जारी की गई हिन्दी चलचित्र "जोधा-अकबर" के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इतिहास के तथ्यात्मक चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए कोई मानदण्ड तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में हिन्दी फिल्म 'जोधा अकबर' के खिलाफ कुछ जाति-आधारित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों के प्रमाणन के लिए दिशा-निर्देश 2 (xviii) के अनुसार "किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय की मानहानि अथवा न्यायालय की अवमानना वाले दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं"। दिशा-निर्देश 3 के अनुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि (i) फिल्म पर इसके समग्र प्रभावों के दृष्टिकोण से इसकी सम्पूर्णता में निर्णय लिया जाता है और (ii) फिल्म में चित्रित अवधि तथा देश के समकालीन मानकों एवं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जाती है, जिनसे यह फिल्म संबंधित है, बशर्ते यह फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो। इसके अतिरिक्त, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 41(4)(ग) के अनुसार उन मामलों में जहां जांच समिति के सदस्य फिल्म की जांच के पश्चात् अध्यक्ष के समक्ष यह इंगित करते हुए एक अनंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि फिल्म में चित्रित विषयों पर जैसेकि रक्षा से संबंधित विषयों या

विदेशी संबंधों अथवा किसी धर्म विशेष या विधि अथवा आयुर्विज्ञान या किसी अन्य विषय पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विशेषज्ञ राय मांगी जानी चाहिए, अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् विशेषज्ञ राय प्राप्त करने और तत्पश्चात् जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बाबत समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा

2683. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम देश के सभी जिलों, जिनमें आतंकवाद तथा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं, में क्रियान्वित किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना और बजट में नक्सल प्रभावित 33 जिलों को प्राथमिकता दी जाए। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, ऐसे बीस जिलों में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय हैं और 31 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

खनन प्रचालन का प्रभाव

2684. श्री के.एस. राव :
श्री अमिताभ नन्दी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बाक्साइट एवं अन्य खनिजों के खनन कार्य में संलग्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि में इसकी देश में खपत और किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाक्साइट एवं अन्य खनिजों के खनन क्षेत्र के उदारीकरण से जनजातियों सहित कितने लोगों के विस्थापित होने अथवा प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय विघटन तथा प्रभावित लोगों विशेषकर जनजातिय लोगों का पुनर्वास तथा पुनर्विस्थापन मुद्दों के निपटान हेतु खनन नीति में प्रावधान करने का है जिससे हमारी खनिज नीति का कार्यकुशलता पूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार ने व्यापक राहत तथा पुनर्वास पैकेजों के माध्यम से आदिवासियों सहित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति प्रतिपादित की है।

(घ) और (ङ) नई राष्ट्रीय खनिज नीति, जैव विविधता-मुद्दों का ध्यान रखने, परिस्थितिकी संतुलन बहाल करने, स्टेक होल्डरों के हितों की व्यवस्था करके आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करने तथा राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अनुरूप व्यापक राहत और पुनर्वास के सतत विकास की रूपरेखा प्रदान करती है।

आतंकवादी संगठनों के साथ नक्सलियों की सांठ-गांठ

2685. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माओवादी, एएएनएलए, बिरसा कमांडो फोर्स तथा नक्सली समूहों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही संगठनों के साथ सांठ-गांठ कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ऐसी सूचना का कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता। तथापि, सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और चीन का सहयोग

2686. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने नैनो प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) इससे अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन से अन्य क्षेत्रों में दोनों देश संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) बायो नैनो पर बल देते हुए समुन्नत पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नैनो प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी तथा औषधि के क्षेत्रों में सहयोग पर चीन के साथ वार्ता चल रही है।

(घ) भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के जिन अन्य क्षेत्रों पर बातचीत जारी है, वे हैं : भूकंप इंजीनियरी और जलवायु परिवर्तन तथा मौसम पूर्वानुमान।

शिक्षकों की भर्ती

2687. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में स्थित विद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदण्डों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें शिक्षकों की भर्ती में यूजीसी द्वारा अधिक बल दिया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 14.06.2006 के अपने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता और उनके कैरियर प्रौन्नति के लिए अपने विनियामक के संशोधन को परिचालित किया है।

पुलिस सुधार

2688. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी में पुलिस को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों तथा की गई सिफारिशों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 से 20 दिसम्बर, 2007 तक नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें एक मद के रूप में 'पुलिस सुधारों' पर चर्चा की गई थी और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:-

(i) पुलिस को राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से अलग रखने की जरूरत है।

(ii) पुलिस की सकारात्मक छवि के लिए मीडिया, एन जी ओ और लोकमत प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

(iii) भ्रष्ट/राजनीति से प्रेरित अधिकारियों को अलग रखना।

(iv) स्थिरता के लिए परिवर्तन लाना।

(ग) पुलिस की भूमिका और कार्यों को नयापन देने के उद्देश्य से पुलिस अधिनियम, 1861 के स्थान पर नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने हेतु सोली सोराबजी समिति का गठन किया गया

था। तदनुसार मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसमें पुलिस के कर्तव्यों को स्पष्ट करने, पुलिस पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखे जाने में उनकी भूमिका, जनता के प्रति और विशेष रूप से समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता तथा कानून के प्रति उनकी जवाबदेही को स्पष्ट किया गया है। उक्त संगोष्ठी में की गई विभिन्न सिफारिशों में से अधिकांश सिफारिशों को मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे में शामिल कर लिया गया है। समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे की एक प्रति, विचारार्थ और उचित कार्रवाई के लिए पहले ही सभी राज्यों को भेज दी गई है क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'कानून और व्यवस्था' राज्य के विषय हैं।

पेटेंट दवाओं का उत्पादन

2689. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्प विकसित देशों में पेटेंट दवाओं के निर्यात के लिए दवा निर्माता कंपनियों को इन दवाओं के उत्पादन की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 92क में, पेटेंटीकृत भेषज उत्पाद बनाने एवं उसे किसी ऐसे देश को निर्यात करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का प्रावधान मौजूद है, जहां जन स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित उत्पाद को बनाने की क्षमता पर्याप्त न हो या बिलकुल न हो, बशर्ते ऐसे देश ने अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया हो या ऐसे देश ने अधिसूचना के जरिये या किसी अन्य तरीके से भारत से पेटेंटीकृत भेषज उत्पादों के आयात की अनुमति प्रदान की हो। हर प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर फैसला लिया जाता है।

स्कूली शिक्षा में निजी भागीदारी

2690. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट क्षेत्र ने स्कूली शिक्षा में वाउचर प्रणालियों के अनुकरण तथा निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मूलभूत शिक्षा की खामियों को निजी विद्यालयों के विस्तार के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग से संबंधित परिषद की बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र को भूमिका दी जा सकती है। प्रारम्भिक स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन अवसंरचना में राज्य नीति के विस्तृत पैरामीटरों के भीतर प्राइवेट क्षेत्र की सहभागिता का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान और 'विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा' तथा 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने' जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यवहारिक सहभागिता की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका सरकारी प्रयासों में सहायता करने की है। प्राइवेट विद्यालयों के विस्तार के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की भी आवश्यकता है। केन्द्र सरकार वर्ष 2001-02 से प्रारम्भिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेश ध्यान देना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने

और सभी को इसे सुलभ कराने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया है। ये योजनाएं मुख्यत: सरकारी स्कूलों की सुलभता तथा गुणवत्ता में सुधार करने पर बल देती है।

खाद्यान्नों की लिफ्टिंग

2691. श्री रघुनाथ झा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्नों की लिफ्टिंग लगातार कम होती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर भारी असर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों द्वारा समय से एवं उचित मात्रा में खाद्यान्नों की लिफ्टिंग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उठाए गए खाद्यान्नों, शामिल किए गए बच्चों एवं स्कूलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उठाए गए खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	शामिल किए गए बच्चों की संख्या	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या
2004-05	2189188.00	108922164	903778
2005-06	1792069.23	119381379	953661
2006-07	1705792.68	106856483	991867

मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल स्कूलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है, 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या में जनसांख्यिकी रूझान के प्रतिकूल होने के कारण वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में शामिल किए गए बच्चों की संख्या कम हुई है। सितम्बर, 2004 से पहले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न 3 किलोग्राम प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से प्रदान किए जा रहे थे। केवल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी शामिल हैं, में पक्का हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता था। इस योजना को सितम्बर, 2004 में संशोधित किया गया। संशोधित योजना में 300 कैलोरी युक्त तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाले पके हुए मध्याह्न भोजन का प्रावधान है तथा 100 ग्राम प्रति बच्चा/प्रति स्कूल दिवस की दर से खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। एक माह में औसतन 25-26 स्कूल दिवस होते हैं। अतएव खाद्यान्नों का उपयोग 3 कि.ग्रा. प्रति बच्चा प्रतिमाह से कम होकर 2.5 कि.ग्रा. प्रति बच्चा प्रतिमाह हो गया है। 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इस योजना को सितम्बर, 2006 से संशोधित किया गया।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निधियों का आवंटन

2692. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कुल कितनी निधियां आबंटित एवं जारी की गई; और

(ख) शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम को वर्ष 2003-04 में पुन: तैयार किया गया है और अब इसे कैरियर ओरियंटेशन टु एजुकेशन/कैरियर ओरियंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। कैरियर ओरियंटेड प्रोग्राम की 10वीं योजना के अनुसार मानविकी एवं वाणिज्य विषयों में 5 वर्षों के लिए ''सीड मनी'' नामक एक कालिक के रूप में प्रति पाठ्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए और विज्ञान विषयों के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति पाठ्यक्रम के लिए 7 लाख रु. की ''सीडी मनी'' नामक एक कालिक सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध कराई गई थी तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुजरात राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के लिए कैरियर ओरियंटेशन प्रोग्राम की योजना के अंतर्गत अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान आबंटित और जारी किया है।

2004-05	—	1.58 करोड़ रु.
2005-06	—	0.14 करोड़ रु.
2006-07	—	0.17 करोड़ रु.
कुल		1.89 करोड़ रु.

पिछड़े आरक्षित क्षेत्रों में उद्योग

2693. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में पिछड़ा आरक्षित क्षेत्र, शून्य औद्योगिक क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्षेत्र में बेरोजगारी में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) उक्त क्षेत्रों के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार का उक्त स्थानों पर उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उद्योगों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) अतीत में विभिन्न अध्ययनों ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने की मांग की है। अभी हाल ही में औद्योगिक पिछड़ेपन के विशिष्ट मामलों के जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से अन्तःमंत्रालयीय बैठकें आयोजित की गई हैं और उपलब्ध संगत आंकड़ों का, विभिन्न जिलों में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों का समाधान करने के उद्देश्य से ठोस नीतिगत निर्णयों को अन्तिम रूप देने व उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।

(ग) से (च) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् निवेश निर्णय उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़े दिये गये हैं। सरकार द्वारा अदा की गई भूमिका में नियंत्रण करने से आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाकर तथा विलम्बों को समाप्त कर के सहायता तथा निर्देशन प्रदान करने तक एक बदलाव आ गया है। तथा 1991 की औद्योगिक नीति का वक्तव्य समुचित प्रोत्साहनों, संस्थानों तथा अवसंरचनात्मक निवेश के जरिये देश के पिछड़े जिलों को औद्योगिकीकरण के प्रसार तक सरकार के इरादे को रेखांकित करता है। पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए पहल प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है। ये योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों तक पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फिलहाल उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें से कुछ परियोजनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों पर बल दिया गया है:-

(i) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना;

(ii) विकास केन्द्र योजना;

(iii) परिवहन राजसहायता योजना;

(iv) पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति, 2007 (एनईआईआईपीपी); तथा

(v) विशिष्ट श्रेणी के राज्यों हेतु नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें।

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

2694. श्री सुग्रीव सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के द्वारा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण और जनजातीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों/निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार उक्त नई इकाइयां स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार लघु उद्योगों, जो अब सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के रूप में जाने जाते हैं, की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण कर रही है और इस प्रकार विशिष्ट योजनाओं, जैसे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रेड), आदि के माध्यम से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सहित रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता कर रही है। इसके अलावा सरकार ने 27 फरवरी, 2007 को लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बढ़ावा देने हेतु पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ''महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के सशक्तीकरण'' हेतु व्यवस्था की गई है, जहां क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत 80 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है और एमएसई क्लस्टर विकास योजना के तहत 9 करोड़ रु. की उच्चतम सीमा के अधीन 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता, आदि प्रदान की जाती है। पैकेज में महिलाओं और अन्य लाभवंचित वर्गों के लिए बिना किसी लागत के प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 500 रु. की छात्रवृत्ति के प्रावधान सहित विशिष्ट कौशल विकास/उद्यमिता विकास/प्रबंधकीय विकास भी संचालित किए जाने की व्यवस्था है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में उत्कृष्ट महिला उद्यमी के लिए एक विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार 24 लाख महिलाओं से अधिक के ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसई में रोजगार पाने का अनुमान है।

(ग) और (घ) उद्यम की स्थापना एक वैयक्तिक उद्यमिता प्रयास है। तथापि केन्द्र/राज्य सरकार योजनाओं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट की सरल उपलब्धता के लिए सहायता, उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, बाजारों तक पहुंच बनाना, सुधरी हुई आधारभूत संरचना, आदि के माध्यम से उद्यमों की स्थापना के लिए और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करती है। केन्द्र सरकार की योजनाएं/प्रोत्साहन राज्य विशिष्ट नहीं है और उड़ीसा राज्य सहित देश भर में एकरूपता से कार्यान्वित की जाती हैं। अत: वैयक्तिक राज्यों में उद्यमों की स्थापना/रोजगार के सृजन के लिए राज्य विशिष्ट लक्ष्य नियत नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना (2001-02) के अनुसार उड़ीसा में ऐसी इकाइयों में 224846 महिलाएं नियोजित थीं जिसमें से 209039 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

मदरसों को आबंटन

2695. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संशोधित मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत योजना आयोग से लगभग 600 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग 250 करोड़ रुपये से काफी कम धनराशि प्रदान करने पर सहमत है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ङ) मंत्रालय ने संशोधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किस सीमा तक विचार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए आवंटन सहित समग्र रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को संशोधित किया जा रहा है तथा आवंटन में और अधिक वृद्धि इस स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करना

2696. श्री एल. राजगोपाल :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अनुमोदन से देश में लगभग 95 केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विगत में निर्धारित नए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में कटौती की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) प्रायोजक प्राधिकारियों से बिना किसी प्रस्ताव के वर्ष 2003-04 और 2004-05 कि दौरान 95 केन्द्रीय विद्यालय सिविल सैक्टर में संस्वीकृत किए गए। उन केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल किए छात्रों की शैक्षिक जरूरतों पर विचार करते हुए, सरकार ने बाद में कार्योतर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना

2697. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर, कर्नाटक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य विदेशी एजेंसियों की सहायता से स्थापित अथवा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेष रूप से कर्नाटक को इस उद्देश्य से आबंटित की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ ने 2004-05 से 2007-08 की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर भारत सरकार को सर्व शिक्षा अभियान हेतु कुल 4710 करोड़ रुपये की राशि आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की है।

केन्द्र सरकार की निधियां प्रतिवर्ष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई राशियां और 31.03.2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गए नए स्कूल संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

जारी की गई केंद्रीय निधियां और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गए स्कूल

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी की गई कुल केंद्रीय निधियां (रु. लाख में)			31.3.2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गए नए प्राथमिक विद्यालय
		2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28000	37999	46245.56	2989
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009	4442.51	7143.74	574
3.	असम	20654	13850	51464.72	0
4.	बिहार	31970.56	32399.56	107744.39	15521
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	30184.39	50182.2	8868
6.	गोवा	0	728.12	724.12	5

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	14072	15084.84	14806.97	101
8.	हरियाणा	12881.55	10196.55	25647.12	821
9.	हिमाचल प्रदेश	6144	7614.66	6250.75	0
10.	जम्मू-कश्मीर	7747.18	18530.65	22083.37	3542
11.	झारखंड	16568.5	28568.5	51515	16854
12.	कर्नाटक	26280.7	28303.78	54206.98	1301
13.	केरल	8939	5939	6382	0
14.	मध्य प्रदेश	44608.919	77173.12	110879.68	25968
15.	महाराष्ट्र	35489.79	50235.31	52158.56	590
16.	मणिपुर	1225	3208.44	9.24	0
17.	मेघालय	2930.81	1921	4294	1337
18.	मिजोरम	3300.24	2559.15	3441.69	167
19.	नागालैंड	2088.49	2323.01	2315.2	0
20.	उड़ीसा	21807.27	32792.5	44010.95	3030
21.	पंजाब	3040	14683.89	12879.92	1093
22.	राजस्थान	23549.397	60313.43	75809.82	4162
23.	सिक्किम	1000.25	1062.5	402.14	5
24.	तमिलनाडु	26517	35329.53	37329.65	1400
25.	त्रिपुरा	4703.96	7070.19	5330.01	674
26.	उत्तर प्रदेश	87761	182799	206654	11677
27.	उत्तराखंड	9144.705	10004	16934	611
28.	पश्चिम बंगाल	46024.36	34199.79	61736.8	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	163	419.62	4

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	447.95	350	300	6
31.	दादरा और नगर हवेली	111.91	0	100	42
32.	दमन और दीव	0	111.91		0
33.	दिल्ली	0	1100	4230.24	2
34.	लक्षद्वीप	12.03	0	87.47	0
35.	पांडिचेरी	225.53	529.4	0	0
	कुल	511314.441	751770.73	1083719.91	101344

केबल आपरेटरों द्वारा कदाचार

2698. श्री असादूद्दीन ओवैसी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री उदय सिंह :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केबल आपरेटरों द्वारा स्थानीय स्तर पर टेलीविजन पर अवांछनीय कार्यक्रम दिखाकर मानदण्डों का उल्लंघन करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों से आज की तारीख तक प्रत्येक वर्ष का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम के अंतर्गत प्रसारण संहिता की निगरानी करने के लिए स्थानीय स्तर पर तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यक्रमों का निरीक्षण करने और केबल टी.वी. नेटवर्क को विनियमित करने के लिए राज्य स्तर निगरानी समिति की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कदम केबल टेलीविजन नेटवर्क को किस सीमा तक नियमित कर पाएंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार स्थानीय केबल ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायतों पर प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जाती है जो कि उल्लंघन करने वाले स्थानीय टी.वी. चैनलों अथवा केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार, सरकार ऐसी शिकायतों का रिकार्ड नहीं रखती है जिन पर राज्य स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (च) जी, हां। चूंकि यह पाया गया था कि देश के कई भागों में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का प्रवर्तन संतोषजनक नहीं है, इसलिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों की विशिष्ट भूमिकाओं और कार्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 19.2.2008 के आदेश के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जो कि मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस आदेश के प्रवर्तन से देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क काफी हद तक विनियमित हो जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

2699. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में और अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना के लिए क्षेत्रों का चुनाव करने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) 2006-07 और 2007-08 के दौरान इस उद्देश्य से आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अब तक खोले गए नए विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को शामिल करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) भारत सरकार ने देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं, के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूल खोलने के लिए अब तक 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए हैं। वर्ष 2004 में शुरुआत से ही यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े उन ब्लॉकों जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13% जनगणना 2001) से कम थी तथा साक्षरता में महिला-पुरुष अन्तराल राष्ट्रीय औसत (21.59% जनगणना 2001) से अधिक था, में लागू की गई थी।

410 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, जिनमें 30% से कम महिला साक्षरता दर वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े 316 अतिरिक्त ब्लॉक और राष्ट्रीय औसत (53.67%) से कम महिला साक्षरता दर वाले 94 अल्पसंख्यक बहुल कस्बे/शहर शामिल हैं, को शामिल करने के लिए पात्र ब्लॉकों के मानदण्डों को 1 अप्रैल, 2008 में संशोधित किया गया है।

संस्कृति विद्यालय

2700. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विद्यालयों का वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्कृति विद्यालय, दिल्ली में बच्चों के प्रवेश हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सीएसएस संवर्ग के व्यक्तियों के बच्चों को संस्कृति विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता;

(ङ) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संस्कृति विद्यालयों में सभी श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्र सरकार ने संस्कृति स्कूल, दिल्ली को पूंजीगत व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की है।

(ख) वर्ष 1994-95 से 2007-08 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्कृति स्कूल को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	मंत्रालय	प्रदान की गई राशि
1	2	3
1.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	650

1	2	3
2.	रक्षा मंत्रालय	500
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	500
4.	रेल मंत्रालय	20
5.	वित्त मंत्रालय	300
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1.5

(ग) छात्र प्रवेश परीक्षा के माध्यम से (i) सरकारी कर्मचारियों के 60 प्रतिशत बच्चे (ii) आम जनता के 20 प्रतिशत बच्चे और (iii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 20 प्रतिशत बच्चे दाखिल किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारत पाक सीमा पर भूमि की बिक्री

2701. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि राजस्थान में पोखरन नाभिकीय परीक्षण स्थल स्थित फायरिंग रेंज सहित उच्च सुरक्षा क्षेत्र के भूखण्डों तथा ''नो मैन्स लैण्ड'' में सीमा पर फैले भूखण्डों को बेच दिया गया है जैसा कि 25 जनवरी, 2008 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के सौदे की जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूखण्डों की सौदेबाजी हुई है।

(ख) से (घ) राजस्थान राज्य सरकार को इस समाचार के सभी पहलुओं को कवर करते हुए विस्तृत जांच करवाने और तदनुसार उपयुक्त प्रशासनिक, कानूनी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया गया है। राजस्थान राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

चीन के साथ व्यापार

2702. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अध्ययन ने चीन से होने वाले प्रमुख विनिर्माण वस्तुओं के आयात में अत्यधिक वृद्धि को स्पष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2001-02 से 2006-07 तक भारत के आयात में चीन का हिस्सा कितना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान चीन को किए गए निर्यात का हिस्सा कितना है; और

(ङ) चीन को किए जाने वाले निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत-चीन आर टी ए की व्यवहार्यता की जांच करने से संबंधित संयुक्त कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-2006 के दौरान चीन से भारत के आयातों की औसत वृद्धि प्रति वर्ष 43.97 प्रतिशत बताई गई है जो वर्ष 2001-2006 के दौरान विश्व से भारत के आयातों की प्रति वर्ष 21.89 प्रतिशत की तदनुरूपी औसत वृद्धि दर से दुगुनी बताई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया है कि चीन के निर्यातों में मुख्यत: विनिर्मित और मूल्यवर्धित मदें शामिल हैं।

(ग) इस तालिका में चीन को हुए निर्यातों में भारत का हिस्सा दर्शाया गया है।

वर्ष	भारत के कुल निर्यातों में चीन को किए गए निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा
2001	2.14
2002	2.50
2003	4.32
2004	5.31
2005	7.13
2006	6.78
2007	6.56

स्रोत: विश्व व्यापार एटलस।

(घ) निम्नांकित तालिका में चीन के समग्र आयातों में भारत का हिस्सा दर्शाया गया है:-

वर्ष	चीन के कुल आयातों में भारत से हुए आयातों का प्रतिशत हिस्सा
2001	0.79
2002	0.75
2003	0.94
2004	1.56
2005	1.74
2006	1.32
2007	1.55

स्रोत: विश्व व्यापार एटलस।

(ङ) दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/वस्तु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, संयुक्त आर्थिक समूह और संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठकों भारत विशिष्ट क्षेत्रों में बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दे उठा रहा है। अक्तूबर 2007 में संपन्न भारत-चीन आर टी ए की व्यवहार्यता की जांच करने संबंधी जे टी एफ वार्ताएं भी उस दिशा में एक कदम है।

समाचार पत्रों का पंजीकरण

2703. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित देश के अन्य राज्यों से भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) के पास आज की तारीख तक पंजीकृत समाचार पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) से विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों का राज्य-वार, समाचार पत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक तथा अन्य राज्यों से समाचार पत्रों का पंजीकरण कराने के कुछ अनुरोध आर एन आई के पास लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सहित विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समाचार पत्रों का पंजीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर एन आई) में पंजीकृत समाचारपत्रों की कुल संख्या 88763 है, जिसमें कर्नाटक से पंजीकृत 3447 समाचारपत्र शामिल हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस समय विज्ञापनों हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी) के पैनल में 3697 समाचार/आवधिकियां शामिल हैं। राज्य-वार, समाचार-पत्र ब्यौरा डी ए वी पी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, आर.एन.आई. में पंजीकरण हेतु कोई भी अनुरोध सामान्यतया दो महीने से अधिक लंबित नहीं रहता है। पंजीकरण हेतु कुल लंबित अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) आर एन आई सामान्यतया दो महीने में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर देता है बशर्ते दस्तावेज हर लिहाज से पूर्ण हों।

विवरण-I

दिनांक 01.03.2008 तक पंजीकृत समाचारपत्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65
2.	आंध्र प्रदेश	4484
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	673
5.	बिहार	1818
6.	चंडीगढ़	363
7.	छत्तीसगढ़	222
8.	दादरा व नगर हवेली	3
9.	दमन व दीव	7
10.	दिल्ली	12307
11.	गोवा	120
12.	गुजरात	3966
13.	हरियाणा	1695
14.	हिमाचल प्रदेश	265
15.	जम्मू-कश्मीर	631
16.	झारखण्ड	282
17.	कर्नाटक	4267
18.	केरल	3447
19.	लक्षद्वीप	5
20.	मध्य प्रदेश	5854
21.	महाराष्ट्र	18855
22.	मणिपुर	199
23.	मेघालय	53
24.	मिजोरम	147
25.	नागालैंड	20
26.	उड़ीसा	1722
27.	पांडिचेरी	115
28.	पंजाब	2563
29.	राजस्थान	5066
30.	सिक्किम	81
31.	तमिलनाडु	6003
32.	त्रिपुरा	112
33.	उत्तर प्रदेश	13600
34.	उत्तरांचल	1368
35.	पश्चिमी बंगाल	6375
	कुल	88763

विवरण-II

दिनांक 01.03.2008 तक पंजीयन हेतु लंबित आवेदनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	08

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	01
4.	असम	88
5.	बिहार	01
6.	चंडीगढ़	02
7.	छत्तीसगढ़	03
8.	दादरा व नगर हवेली	शून्य
9.	दमन व दीव	शून्य
10.	दिल्ली	09
11.	गोवा	02
12.	गुजरात	शून्य
13.	हरियाणा	08
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
15.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
16.	झारखण्ड	04
17.	कर्नाटक	58
18.	केरल	25
19.	लक्षद्वीप	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	03
21.	महाराष्ट्र	01
22.	मणिपुर	शून्य
23.	मेघालय	01
24.	मिजोरम	02
25.	नागालैंड	शून्य
26.	उड़ीसा	03
27.	पांडिचेरी	02
28.	पंजाब	10
29.	राजस्थान	18
30.	सिक्किम	02
31.	तमिलनाडु	शून्य
32.	त्रिपुरा	01
33.	उत्तर प्रदेश	40
34.	उत्तरांचल	04
35.	पश्चिमी बंगाल	14
	कुल	231

भाषाओं का विकास

2704. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं अनुसूची के अंतर्गत जाने वाली मान्यता प्राप्त भाषाओं के विकास के लिए चालू स्कीमों के नाम और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : भाषाओं के विकास हेतु पूरे देश में निम्नलिखित स्कीमें संचालित की जा रही हैं:—

1. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय** एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में हिन्दी को प्रोत्साहित करने और हिन्दी का प्रचार करने और देशभर में हिन्दी को एक सम्पर्क भाषा के रूप में इसको विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रमों, हिन्दी लेखकों को पुरस्कार, विस्तार सेवाओं और कार्यक्रमों,

कैसेटस के माध्यम से हिन्दी आदि योजनाओं को लागू करता है।

2. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग** संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड(4) के प्रावधानों के तहत गठित समिति की सिफारिस के अनुसार स्थापित एक अधीनस्थ कार्यालय है। आयोग हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों के विकास, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने, पारिभाषिक शब्दावली और विभिन्न संदर्भ साहित्यों के कार्य में लगा है।

3. **केन्द्रीय हिन्दी संस्थान** एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जो हिन्दी के प्रचार और इसके उपयोग के विस्तार एवं और हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से इसके अध्यापन के लिए उत्तरदायी है।

4. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद** उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है।

5. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद** सिंधी भाषा को विकसित करने, प्रोत्साहित करने और इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए है।

6. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान** भारत सरकार की भाषा नीति का विकास/लागू करने एवं भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा तकनीकी और समाज में भाषा के प्रयोग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करके भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए एक अधीनस्थ कार्यालय है।

7. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान** एक सम विश्वविद्यालय (10 परिसरों सहित) है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा में परम्परागत अध्ययन एवं अनुसंधान को संरक्षित करना, प्रचार करना एवं आधुनिकीकरण करना है।

8. **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान**, उज्जैन एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वेद पाठशालाओं की स्थापना एवं सहायता के माध्यम से वैदिक अध्ययन के विकास, संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए की गई है।

9. **"भाषा अध्यापकों की नियुक्ति"** की योजना तीन विशिष्ट घटकों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान करती है:-

(क) गैर हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को वेतन।

(ख) राज्य सरकार के उन स्कूलों के उर्दू अध्यापकों को वेतन जो शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़े अल्पसंख्यक/जनसंख्या बहुल ब्लॉक/जिलों में स्थित हैं।

(ग) आधुनिक भारतीय भाषा घटक के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा के लिए (मातृभाषा/राजभाषा/राज्य की प्रथम भाषा के अलावा) जो तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, किसी भी अध्यापक का वेतन वहन किया जाता है।

यह एक मांग आधारित योजना है और राज्य सरकार द्वारा अनुमानित जरूरतों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

10. **शास्त्रीय तमिल भाषा का विकास**—इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

(क) शास्त्रीय तमिल भाषा के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को सम्मान प्रमाणपत्र।

(ख) तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड।

(ग) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में शास्त्रीय तमिल भाषा के विकास के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र।

(घ) शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए शिक्षावृत्तियां।

राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी नीति

2705. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री नन्द कुमार साय :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति से देश कितना लाभान्वित हुआ है; और

(घ) अब तक लाभान्वित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति को स्वीकृत होने के उपरांत, कुछ मुख्य निर्णयों जैसे कि एक स्वायत्त राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना, सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रमों में वृद्धि, मानव संसाधन की बेहतर गुणवत्ता, नए उत्कृष्टता केन्द्रों एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, सार्वजनिक निधि प्राप्त अनुसंधान एवं विकास में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए नए विधान को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) बड़ी संख्या में मुख्य पहलों की शुरूआत की गई है:-

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी-एसबीआईआरआई स्कीम के तहत अब तक 35 परियोजनाओं को सहायता दी गई है तथा देश भर में 8 उत्कृष्टता केन्द्र परियोजनाओं को सहायता दी गई है।

(ii) दो नए केन्द्रों—स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ट्रांसलेशनल केन्द्र तथा यूनेस्को विज्ञान शिक्षा एवं खोज क्षेत्रीय केन्द्र को स्वीकृति दे दी गई है।

(iii) गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष मानव संसाधन पहल की गई है जैसे कि स्टार कॉलेजों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2706. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का विस्तार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से विशेषकर कर्नाटक से प्राप्त इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के 17 जिलों में चलाया जा रहा है। देश के सभी जिले सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत पात्र हैं। चूंकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रत को बंद किया गया है अतएव संबद्ध जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

2707. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में सर्व शिक्षा अभियान में भागीदारी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उक्त उद्देश्य से जारी की गई निधियों के अन्यत्र उपयोग/दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार, संघ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम

उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की 'नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा' नामक योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा उन गैर-सरकारी संगठनों को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार तथा संघ राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के उन बच्चों जिनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं है, को शामिल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा नवाचारी एवं प्रायोगिक परियोजना केन्द्रों को संचालन किया जाता है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों को अन्य कार्य में लगाने/दुरुपयोग करने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

2004-05 में नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा के तहत जारी अनुदान

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी राशि
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय सेवा समिति, आंध्र प्रदेश	4,17,264
	दिल्ली	
2.	जन जागृति एजूकेशन सोसाइटी	4,22,500
3.	लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली	9,16,889
4.	दिशा, नई दिल्ली	2,61,250
5.	प्रयास, नई दिल्ली	27,00,000
	मध्य प्रदेश	
6.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सतना, मध्य प्रदेश	2,94,211
7.	एकलव्य फाउंडेशन, भोपाल	22,27,684
	मणिपुर	
8.	उरिपोक एजूकेशन सेल्फ सर्विस एसोसिएशन, इम्फाल	86,905
	उड़ीसा	
9.	श्री रामकृष्ण आश्रम, उड़ीसा	12,48,000
10.	संकल्प, उड़ीसा	7,50,000
11.	छात्र विकास परिषद, उड़ीसा	2,11,250
12.	आर्ट वर्क फॉर अवेयरनेस एंड जील आवास, उड़ीसा	2,11,250
	तमिलनाडु	
13.	कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, चेन्नई	32,36,784
	उत्तर प्रदेश	
14.	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र, बहजोई	12,00,000
15.	भूमिहीन सेवा समिति, इलाहाबाद	42,489
16.	बरेली डायोसेसन सोशल सर्विस सेंटर, बरेली	2,46,000
17.	सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रीयल ट्रांसफार्मेशन (स्मार्ट), लखनऊ	1,47,875
	पश्चिम बंगाल	
18.	विक्रमशिला एजूकेशन रेजीडेंट्स सोसाइटी, कोलकाता	7,13,491

1	2	3
19.	इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजूकेशनल रिसर्च, कोलकाता	16,54,065
	कुल योग	1,69,87,907

2005-06 में नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा के तहत जारी अनुदान

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी राशि
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	ऋषि वैली, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन	15,39,483
2.	डेक्कन डवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	6,00,000
3.	भगवतुला चेरिटेबल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश	12,49,47,500
4.	एम.वी. फाउंडेशन, सिकंदराबाद	7,40,836
	बिहार	
5.	आलोक, बिहार	17,30,083
6.	प्रथम, मुम्बई फॉर बिहार प्रोजक्ट	51,52,000
7.	अपराजिता, बिहार	1,72,500
	दिल्ली	
8.	जन जागृति एजूकेशनल सोसाइटी, एम.-186, मंगोलपुरी दिल्ली-110083	2,11,250
9.	दी इनेबलिंग सेंटर, लेडी इरविन, नई दिल्ली	3,72,666
10.	प्रयास, दिल्ली	27,00,000
11.	नव ज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन	18,33,400
12.	कथा, दिल्ली	42,250
	जम्मू-कश्मीर	
13.	सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन, हरियाणा फॉर जम्मू-कश्मीर स्टेट	10,33,840
	झारखंड	
14.	बदलाव फाउंडेशन, जमतारा, झारखंड	15,96,240
	हरियाणा	
15.	स्मार्ट, लखनऊ फॉर मेवात हरियाणा	10,50,000
	कर्नाटक	
16.	राष्ट्रोत्थान परिषद, 'केशव शिल्प', के.जी. नगर, बंगलौर-560019 (कर्नाटक)	44,85,074
	नागालैंड	
17.	कोन्यक वूमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी	1,25,000
	उड़ीसा	
18.	आवाज, उड़ीसा	1,05,625
19.	भारत सेवा परिषद, पुरी, उड़ीसा	3,91,540
20.	संकल्प, उड़ीसा	7,50,000
21.	श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी	5,65,500
	राजस्थान	
22.	बोध शिक्षा समिति, जयपुर	7,66,832
	उत्तरांचल	
23.	बरेली डायोसन सोशल सर्विस सेंटर, सुचेतना सोशल सर्विस सेंटर, फौंसेका एस्टेट, काठगोदाम-263126, जिला नैनीताल (उत्तरांचल)	2,13,830
	उत्तर प्रदेश	
24.	सर्वदलीय मानव विकास केंद्र, बहजोई-202410, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	12,00,000

1	2	3
25.	प्रथम, मुम्बाई फॉर उत्तर प्रदेश	1,56,80,600
26.	भूमिहीन सेवा समिति, इलाहाबाद	48,383
	पश्चिम बंगाल	
27.	रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर	24,37,372
28.	इंडियन माइम थिएटर, कोलकाता	6,00,000
29	आई.पी.ई.आर., कोलकाता	8,27,384
30.	साइंस कम्यूनिकेटर फोरम, कोलकाता	6,00,000
	कुल योग	6,25,19,188

2006-07 में नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा योजना के तहत जारी अनुदान

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी राशि
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	3,00,000
2.	भगवतुला चेरिटेबल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश	1,56,54,110
	बिहार	
3.	प्रथम, मुम्बाई फॉर बिहार प्रोजेक्ट	1,55,93,000
4.	अपराजिता, कटिहार	1,72,500
	छत्तीसगढ़	
5.	रूपांतर, छत्तीसगढ़	6,07,500
	दिल्ली	
6.	जन जागृति एजूकेशनल सोसाइटी, एम.-186, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	2,11,250
	हरियाणा	
7.	स्मार्ट, लखनऊ फॉर मेवात, हरियाणा	5,25,000
	मध्य प्रदेश	
8.	एकलव्य, भोपाल	32,72,538
०	उत्थान, भोपाल	37,20,000
	उड़ीसा	
10.	गजपति समाज कल्याण समिति	2,90,800
11.	आवाज, उड़ीसा	1,05,588
12.	छात्र विकास परिषद, उड़ीसा	1,23,229
	उत्तरांचल	
13.	बरेली डायोसेसन सोशल सर्विस सेंटर, सुचेतना सोशल सर्विस सेंटर, फॉसेका एस्टेट, काठगोदाम-263126, जिला नैनीताल (उत्तरांचल)	1,14,030
	उत्तर प्रदेश	
14.	प्रथम, मुम्बाई फॉर उत्तर प्रदेश	1,86,08,872
	पश्चिम बंगाल	
15.	इंडियन माइम थिएटर, कोलकाता	3,00,000
	कुल योग	5,95,98,417

इंडियन साइंस कांग्रेस

2708. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए इंडियन साइंस कांग्रेस का औचित्य उत्तरोत्तर समाप्त होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा साइंस कांग्रेस के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इसे बढ़ावा देने तथा इसके पुनरोत्थान के लिए एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक सत्र सामान्य व्यक्ति में वैज्ञानिक प्रवृत्ति जगाने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सामाजिक विकास की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए सरकार और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ 1914 से संचालित किया जाना आरंभ हुआ था। समय के साथ-साथ सहभागियों की संख्या और प्रसंगों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है और इसी कारण किसी भी संचालक के लिए उपयोगी विचार-विमर्श कराना असंभव सा हो गया है। तथापि, प्रत्येक वार्षिक सत्र में की गयी सिफारिशों को सरकार के संबंधित विभागों को उनके कार्यकलापों में आवश्यक सूचनाओं के रूप में अग्रेषित कर दिया जाता है। विज्ञान कांग्रेस का वार्षिक सत्र महाअध्यक्ष और अनुभागीय अध्यक्षों के मार्गदर्शन में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित किया जाता है।

भारत सरकार इस प्रकार के विज्ञान सम्मेलन के लिए संभवत: अधिक प्रभावी, वैकल्पिक कार्यतंत्र तैयार करने पर विचार कर रही है। विज्ञान कांग्रेस और इसके आयोजक संगठन की पुनर्संरचना इस तरीके से करने के लिए स्वतंत्र है जो उनके हितों के अनुरूप हो।

एनसीटीई को बंद करना

2709. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एनसीटीई) को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिषद के कार्य को सहज बनाने और इसे समाप्त करने की बजाय इसके कार्यकरण के बारे में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की अनुपालना में सांविधिक निकाय के रूप में 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना देश भर में अध्यापक शिक्षा के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करने और शिक्षक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने, बनाए रखने व समन्वित करने तथा स्तरहीन संस्थानों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए की गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व उसकी क्षेत्रीय समितियों के कार्यों का गहन अध्ययन करने के लिए इस विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तत्कालीन सलाहकार श्री सुदीप बैनर्जी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 को निरस्त किए जाने की सिफारिश की है। सरकार समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

2710. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के खनिजों का किस दर पर और कितनी मात्रा में देश-वार और खनिज-वार निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निर्यात और मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रमुख खनिजों के संबंध में निर्यातित कुल मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार तथा खनिजवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) लौह अयस्क के संबंध में निर्यात नीति की समीक्षा करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वारा क्रोम अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के संबंध में निर्यात नीति की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस्पात उद्योग के नियंत्रण मुक्त होने के बाद लौह अयस्क की कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यह बाजार मांग और आपूर्ति की स्थिति ही है जिससे लौह अयस्क की कीमतें निर्धारित होती हैं।

विवरण

भारत: देश-वार लौह अयस्क का निर्यात

मात्रा मिलियन टन (मूल्य करोड़ रुपये में)

देश	2004-2005		2005-06		2006-07 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	59.40	11,132.69	74.13	15,186.31	80.16	16,609.22
जापान	11.13	1,128.00	10.33	1,506.18	8.63	1,492.42
दक्षिण कोरिया	2.18	397.60	1.32	158.18	1.91	280.64
ताइवान	0.61	111.25	0.14	15.88	—	0.02
यूरोप	2.89	527.09	2.10	350.28	2.07	303.22
अन्य	1.94	353.83	1.25	158.17	1.02	150.57
कुल	78.15	13,650.46	89.27	17,375.00	93.79	18,836.09

स्रोत: (1) निर्यात-मात्रा: गोवा मिनरल और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (जी एम ओ ई ए) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि. (केआईओसीएल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) एमएमटीसी लि. तथा निजी निर्यातक

(2) मूल्य: ये मूल्य केवल अनुमान हैं जो पिछले वर्षों के दौरान मात्राओं तथा कीमत एवं जी एम ओ ई ए के आई ओ सी एल तथा एम .एम टी सी द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं।

(3) विनिमय दर: अम.डा. 44.03 रुपये (वित्त मंत्रालय की अगस्त, 2007 की रिपोर्ट के अनुसार)

भारत: मैंगनीज अयस्क का देशवार निर्यात

स्रोत: एम एम टी सी लि.

(मात्रा मिलियन टन. मूल्य करोड़ रुपये)

देश	2004-2005		2005-06		2006-07 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
चीन	0.26	49.52	0.15	22.58	0.08	18.27

1	2	3	4	5	6	7
जापान	0.04	7.46	0.05	14.31	0.06	14.43
दक्षिण कोरिया	0.03	5.31	0.03	9.08	—	—
पाकिस्तान	—	—	—	—	0.03	8.18
बंगलादेश	0.01	3.78	0.00	0.90	—	—
कुल	0.33	66.07	0.24	46.87	0.17	40.88

भारत: क्रोम अयस्क/कंक्रीट का देशवार निर्यात

स्रोत: एम एम टी सी लि. (मात्रा मिलियन टन. मूल्य करोड़ रुपये)

देश	2004-2005		2005-06		2006-07 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	1.17	885.00	1.33	905.00	1.35	990.00
कुल	1.17	885.00	1.33	905.00	1.35	990.00

[अनुवाद]

भारत और चीन के बीच व्यापार

2711. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चीन ने दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार अंतर को पाटने के लिए भारत से बड़ी मात्रा में सब्जियों और फलों को खरीदने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। चीनी सीमाशुल्क विभाग के व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 में भारत तथा चीन द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में हुए 25 बिलियन अम.डा. से बढ़कर 38.6 बिलियन अम.डा. हो गया है।

(ग) से (ङ) जनवरी, 2008 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया था। चीन के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वे भारत से अधिकाधिक वस्तुएं खरीदने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत में एक खरीद मिशन भेजने की कार्यवाही करेंगे। भारत फल तथा सब्जियों, मांस, भेषज, इलेक्ट्रॉनिक मदों, ऑटोमोबाइल के पुर्जों आदि के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

"सेज" में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उत्पादों का विनिर्माण

2712. श्री उदय सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोन (सेज) क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उत्पादों जैसे सिगरेट और अन्य तम्बाकू संबंधी मदों के विनिर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) वर्तमान में विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) में सिगरेटों के विनिर्माण हेतु किसी नई इकाई को अनुमोदित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

"सेज" में औद्योगिक इकाइयां

2713. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक जोन में स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार और सेज-वार ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों ने किस तारीख से काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं, उनकी कीमत तथा किए गए निर्यात का राज्य-वार और सेज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा कितनी कीमत के माल का आयात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 लागू होने के बाद से विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेडों) की स्थापना हेतु 439 औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 205 जोन अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। इन विशेष आर्थिक जोनों को आई टी/आई टी ई एस/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर/सेमीकण्डक्टर; वस्त्र, परिधान, ऊन, भेषज तथा रसायन; जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरी; बहु सेवाओं/सेवाओं; इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों; विमानन, एयरोस्पेस तथा आटो संबंधित; विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा सहित ऊर्जा संबंधित; फुटवियर एवं चर्म; रत्न एवं आभूषण; मुक्त व्यापार भाण्डागार जोनों; धातुओं; खाद्य प्रसंस्करण; हस्तशिल्प; कृषि उत्पादों आदि के क्षेत्र में विनिर्माण/सेवाओं हेतु बहु-उत्पाद तथा क्षेत्र विशिष्ट एस ई जेडों की स्थापना हेतु अनुमोदित किया गया है। एस ई जेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुमोदित एवं अधिसूचित एस ई जेडों को, जो फरवरी, 2006 के बाद अस्तित्व में आए हैं, 177 अनुमति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये एस ई जेड अपनी-अपनी यूनिटों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006-07 में इन एस ई जेडों में पूंजीगत वस्तुओं सहित किये गए आयात 26942.37 करोड़ रुपये के थे, जबकि इसी अवधि के दौरान इन जोनों द्वारा 34615 करोड़ रुपये का वास्तविक निर्यात किया गया। आयातों के मूल्य में कच्चे माल तथा सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 (आर टी ए) के अंतर्गत कवर किए गए उत्पादों के विनिर्माण हेतु आयातित संघटकों, जिनकी घरेलू क्षेत्र में आपूर्ति को एस ई जेड नियमावली, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करना माना जाता है, का मूल्य शामिल है। तथापि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी आपूर्तियों के मूल्य को निर्यात आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता।

विवरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	औपचारिक अनुमोदनों में से अधिसूचित एस ई जेडों की सं.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	70	54
चंडीगढ़	2	2
छत्तीसगढ़	1	–
दिल्ली	2	–
दादरा एवं नगर हवेली	4	–
गोवा	7	3
गुजरात	38	18

1	2	3
हरियाणा	35	16
हिमाचल प्रदेश	–	–
झारखंड	1	1
कर्नाटक	40	20
केरल	11	8
मध्य प्रदेश	12	3
महाराष्ट्र	88	24
नागालैंड	2	–
उड़ीसा	9	3
पांडिचेरी	1	–
पंजाब	7	2
राजस्थान	6	4
तमिलनाडु	57	32
उत्तर प्रदेश	23	8
उत्तरांचल	3	1
पश्चिम बंगाल	20	6
कुल योग	439	205

[अनुवाद]

चीन को तम्बाकू का निर्यात

2714. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय तम्बाकू का आयात करने में रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने इस संबंध में कोई पूर्व-शर्त रखी है और दोनों देश तम्बाकू संबंधी प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने ही वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रोटोकोल की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) जी, हां। चीन को भारत से तम्बाकू की पत्तियों के निर्यात हेतु भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय एवं चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा संगरोध संबंधी सामान्य (ए क्यू एस आई क्यू) के बीच पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के संबंध में एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 14 जनवरी, 2008 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

चीन को तम्बाकू की पत्तियों का निर्यात प्रोटोकॉल में यथा निर्धारित निम्नलिखित पूर्व-शर्तों के अध्यधीन होगा:-

1. चीन को निर्यातित तम्बाकू कर पत्तियां, जिनका उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में किया गया हो और इन्हें संसाधित तथा पुनः सुखाया गया हो, चीन के संगत पादप स्वच्छता एवं स्वच्छता कानूनों एवं स्वच्छता कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए और इन्हें प्रोटोकॉल में यथा-निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

2. तम्बाकू आयातकों द्वारा व्यापारिक संविदाओं पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एक्यूएसआईक्यू से आयात संगरोध परमिट प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र तम्बाकू ब्ल्यू मोल्ड से मुक्त है कृषि मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में कारगर निगरानी उपाय किए जाएंगे। यदि तम्बाकू ब्ल्यू मोल्ड पाई जाती है, तो कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना ए क्यू एस आई क्यू को तुरंत दी जाएगी और तदनुसार तम्बाकू व्यापार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा।

4. तम्बाकू ब्ल्यू मोल्ड तथा अन्य संगरोध कीटों के संदूषण को रोकने के लिए तम्बाकू की पत्तियों को वायुरोधी तरीके

से अच्छी तरह डिब्बाबंद किया जाना चाहिए। प्रसंस्करण तथा परिवहन के दौरान तम्बाकू की पत्तियों का उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्रों से होने वाले सन्दूषण को रोकने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। तम्बाकू की पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री साफ, स्वच्छ, अप्रयुक्त तथा चीन की पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक डिब्बे पर लेबल लगाकर उसमें निम्नलिखित सूचना शामिल की जानी चाहिए: तम्बाकू का प्रकार, उत्पादन स्थान, कटाई का वर्ष तथा प्रसंस्करण संयंत्र/तम्बाकू की ढुलाई में प्रयुक्त कंटेनर साफ, मृदा तथा अन्य अवांछित सामग्री से रहित होने चाहिए।

5. तम्बाकू चीन के लिए चिंताजनक किसी अन्य संगरोध तथा पौधों के कचरे तथा मिट्टी से मुक्त होनी चाहिए। यदि टोबैको बीटल (लेसियोडर्मा सेरीकॉर्न) जैसे जीवित कृमि पाए जाते हैं, तो उस खेप का प्रधूमन अथवा अन्य उपाय किए जाने चाहिए।

6. कृषि मंत्रालय द्वारा तम्बाकू की पत्तियों का निर्यात संगरोध निरीक्षण किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाली तम्बाकू की पत्तियों की खेप के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त घोषणा के रूप में निम्नलिखित वक्तव्य सहित आई पी पी सी मानक के अनुसार एक पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा; "यह खेप भारत से चीन को तम्बाकू की पत्तियों के निर्यात हेतु बीजिंग में दिनांक 14 जनवरी, 2008 को हस्ताक्षरित पादप स्वच्छता अपेक्षाओं से संबंधित प्रोटोकॉल में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप है और तम्बाकू ब्ल्यू मोल्ड तथा अन्य संगरोध कीट से मुक्त हैं।"

7. जब तम्बाकू की पत्तियों की खेप प्रवेश पत्तनों पर आ जाती है तो एक्यूएसआईक्यू द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र, लेबलों की जांच की जाएगी और निरीक्षण एवं संगरोध जांच की जाएगी। यदि आगमन पर तम्बाकू ब्ल्यू मोल्ड पाया जाता है तो वह खेप लौटा दी जाएगी अथवा नष्ट कर दी जाएगी। एक्यूएसआईक्यू द्वारा कृषि मंत्रालय को इस आशय की तुरंत सूचना दी जाएगी कि भारत से तम्बाकू की पत्तियों का आयात अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। दोनों पक्ष कारणों का पता लगाने और कारगर निवारक उपाय करने के लिए जांच करेंगे। यदि खेप के आगमन पर उसमें कोई जीवित कृमि पाया जाता है तो खेप का प्रधूमन किया जाएगा। यदि कोई अन्य असंगतता पाई जाती है तो इस खेप के संबंध में पशु एवं पौध संगरोध के प्रवेश एवं निर्गम के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य के कानून के संबंधित अनुच्छेदों तथा कार्यान्वयन हेतु इसके विनियमनों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी।

8. इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसका आकलन करने के लिए एक्यूएसआईक्यू द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में मौके पर निरीक्षण हेतु विशेषज्ञों को भेजा जाएगा।

प्राकृतिक रबड़

2715. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रबड़ उद्योग अपने अस्तित्व और विस्तार के लिए स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ पर निर्भर है जबकि विश्व में सिन्थेटिक्स तथा नए पोलिमरों को अपनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सस्ते दामों पर सिन्थेटिक पोलिमरों तथा रसायनों के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) घरेलू रबड़ उद्योग ज्यादातर प्राकृतिक रबड़ (एन आर) पर निर्भर करता है जबकि वैश्विक खपत में संश्लेषित रबड़ का हिस्सा प्राकृतिक रबड़ की तुलना में अधिक है। देशी और वैश्विक खपत में एन आर का हिस्सा निम्नानुसार है:-

खपत में एन आर का हिस्सा (%)

वर्ष	भारत	विश्व
2004	77	42
2005	77	43
2006	75	43

संश्लेषित रबड़ (एस आर) प्राकृतिक रबड़ और उसके अनुप्रयोग को संपूरित और प्रतिस्थापित करती है। एस आर का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त और नियंत्रण मुक्त है। घरेलू उद्योग स्टाइरीन ब्यूटाडाईन रबड़ (एस बी आर), पाली ब्यूटाडाईन रबड़ (पी बी आर), नाइट्राइल ब्यूटाडाईन रबड़ (एन बी आर) आदि जैसी संश्लेषित रबड़ की विभिन्न किस्मों का विनिर्माण करता है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति में एस आर का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है।

श्रीलंका के साथ व्यापार

2716. श्री जुएल ओराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक श्रीलंका को निर्यात की गई तथा वहां से आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी कीमत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यापार समझौते की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दोनों देशों के बीच व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन अम.डॉ. में)

वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर, 2007)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
	1413.18	378.40	2024.67	577.70	2254.11	470.52	1390.21	277.25

वस्तुओं का ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट: http://docnic/ पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने वस्तु व्यापार के लिए मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो मार्च, 2000 से लागू है। अब दोनों देश एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी ई पी ए) पर वार्ताएं कर रहे हैं। इस करार से सेवा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को शामिल करके मौजूदा मुक्त व्यापार करार के दायरे को गहन और व्यापक बनाया जाएगा।

हिरासत में मौत से संबंधित कानून में संशोधन

2717. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड़ यास्खी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है जैसाकि 7 मार्च, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विधि आयोग ने सरकार से साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि विचारण न्यायालय हिरासत में बंद कैदी को चोट पहुंचाने वाले पुलिस कर्मी को दोषी मान सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) 'द हिन्दू' दिल्ली संस्करण में 7 मार्च, 2008 में प्रकाशित

समाचार में एक श्री महेन्द्र कुमार के मृत्यु दंडादेश के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है। उक्त निर्णय में उत्तर प्रदेश, राज्य बनाम राम सागर एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का हवाला दिया गया है कि कानून में उचित रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति पर अत्याचार करने वाले पुलिस कार्मिक उचित कार्रवाई से बच न सके।

भारत के विधि आयोग ने 'हिरासत में अपराध' के संबंध में अपनी 152वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अनुवर्ती संशोधन करने की सिफारिश की कि हिरासत में हुई मौत के मामले में निर्दोषिता सिद्ध करने का दायित्व पुलिस पर डाला जाए। तथापि, अपनी 154वीं रिपोर्ट में जिसमें 152वीं रिपोर्ट सहित पहले की सभी रिपोर्टों की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है, आयोग ने उपर्युक्त संशोधन की सिफारिश नहीं की है।

ए एस आई डी ई योजना

2718. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात अवसंरचना विकसित करने और अनुषंगी क्रियाकलाप (ए एस आई डी ई) योजना हेतु राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन किए जाने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को राज्य-वार और क्षेत्र-वार कुल कितनी निधियां मुहैया कराई गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वाणिज्य विभाग, निर्यातों के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन सम्बद्ध सहायता उपलब्ध कराकर उनके निर्यात प्रयासों में राज्यों को शामिल करने के उद्देश्य से ''निर्यात अवसंरचना का विकास करने तथा संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता'' (ए एस आई डी ई) स्कीम का प्रचालन कर रहा है। इस स्कीम के परिव्यय के दो संघटक हैं। देश से कुल निर्यातों में राज्य के हिस्से तथा पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातों में वृद्धि के आधार पर निधियों का 80 प्रतिशत भाग (राज्य संघटक) राज्यों को आबंटन करने के लिए रखा जाता है। शेष 20 प्रतिशत भाग (केन्द्र संघटक) और पिछले वर्ष/वर्षों में राज्यों को आबंटित निधियों के अप्रयुक्त भाग के समतुल्य राशियों, यदि कोई हों, को अंतर्राज्य परियोजनाओं, एस ई जेड्स के पूंजीगत परिव्ययों, पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन से जुड़े कार्यकलापों आदि हेतु अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर रखा जाता है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस एल ई पी सी) स्कीम के अनुमोदित प्रयोजनों के अनुसार स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत लिए जाने हेतु परियोजना को अनुमोदित करती है।

(ग) से (ङ) स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आबंटन वाणिज्य विभाग द्वारा आबंटन संबंधी मानदंडों के आधार पर किया जाता है तथा निधियां क्षेत्र-वार जारी नहीं की जाती हैं। राज्य-वार आबंटित और जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	आबंटित राशि 04-05	जारी की गई राशि 04-05	आबंटित राशि 05-06	जारी की गई राशि 05-06	आबंटित राशि 06-07	जारी की गई राशि 06-07	आबंटित राशि 07-08	जारी की गई राशि 07-08 (की स्थिति 12.03.08)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1385.00	1385.00	1545.00	1545.00	1700.00	1700.00	2120.00	2,120.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
3.	बिहार	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
4.	चंडीगढ़	200.00	0.00	320.00	320.00	350.00	175.00	350.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	500.00	500.00	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00	160.00
6.	दादरा व नगर हवेली	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
7.	दमन व दीव	200.00	0.00	200.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8.	दिल्ली	265.00	0.00	265.00	265.00	290.00	145.00	290.00	0.00
9.	गोवा	373.00	373.00	609.00	609.00	670.00	0.00	670.00	670.00
10.	गुजरात	3578.00	3578.00	4338.00	4338.00	4770.00	4770.00	6035.00	3017.50
11.	हरियाणा	849.00	849.00	1405.00	1405.00	1545.00	772.50	1545.00	1545.00
12.	हिमाचल प्रदेश	500.00	500.00	553.00	553.00	600.00	600.00	600.00	600.00
13.	जम्मू-कश्मीर	500.00	500.00	525.00	525.00	580.00	580.00	580.00	580.00
14.	झारखंड	500.00	0.00	500.00	0.00	550.00	275.00	550.00	275.00
15.	कर्नाटक	2414.00	2414.00	3399.00	3399.00	3740.00	3470.00	4262.00	4262.00
16.	केरल	930.00	930.00	1069.00	1069.00	1175.00	1175.00	1175.00	1175.00
17.	लक्षद्वीप	200.00	0.00	200	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1435.00	1435.00	1435.00	1435.00	1580.00	790.00	1580.00	1580.00
19.	महाराष्ट्र	5709.00	5709.00	6552.00	6552.00	7210.00	7210.00	8200.00	8200.00
20.	उड़ीसा	605.00	605.00	693	693.00	765.00	765.00	892.00	892.00
21.	पांडिचेरी	200.00	0.00	200	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
22.	पंजाब	968.00	968.00	1217.00	1217.00	1340.00	670.00	1340.00	670.00
23.	राजस्थान	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	1453.00	726.50	1453.00	1453.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	3919.00	3919.00	3919.00	3919.00	4312.00	4312.00	4988.00	4988.00
25.	उत्तर प्रदेश	1259.00	1259.00	2100.00	2100.00	2310.00	155.00	2310.00	2310.00
26.	उत्तरांचल	500.00	500.00	527.00	527.00	580.00	0.00	580.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	1491.00	1491.00	2009.00	2009.00	2210.00	2210.00	2210.00	1101.00
	कुल	30400.00	28235.00	36000.00	34300.00	39600.00	32321.00	43600.00	35598.50
	पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1.	अरुणाचल प्रदेश	251.00	0.00	251.00	251.00	276.00	138.00	276.00	138.00
2.	असम	1149.00	1149.00	1257.00	1257.00	1383.00	691.50	1383.00	691.50
3.	मणिपुर	200.00	200.00	206.00	206.00	227.00	227.00	227.00	227.00
4.	मिजोरम	200.00	200.00	324.00	324.00	356.00	356.00	356.00	356.00
5.	मेघालय	572.00	572.00	834.00	834.00	917.00	917.00	917.00	0.00
6.	नगालैंड	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00	220.00	220.00	220.00
7.	सिक्किम	200.00	0.00	200.00	200.00	220.00	220.00	220.00	110.00
8.	त्रिपुरा	828.00	828.00	728.00	728.00	801.00	801.00	801.00	400.50
	कुल	3600.00	3149.00	4000.00	4000.00	4400.00	3570.50	4400.00	2143.00
	कुल योग	34,000.00	31,384.00	40000.00	38300.00	44000.00	35891.50	48000.00	37741.50

रबड़ का उत्पादन

2719. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक देश-वार कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ और रबड़ उत्पादों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने तथा रबड़ उत्पादकों के कल्याण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान

तथा चालू वर्ष में निर्यातित प्राकृतिक रबड़ तथा रबड़ उत्पादों की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार विवरण निम्नानुसार है:-

प्राकृतिक रबड़ का देश-वार निर्यात

(टन में)

देश	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल)
बेल्जियम	212	2501	2324	1552
चीन	16485	26521	16592	7033
जर्मनी	2779	5680	2658	1352
मलेशिया	4388	6363	10412	7751
श्रीलंका	10246	7556	4760	2426
यूएसए	—	1954	1567	2141
अन्य	12040	23255	18232	9825
कुल मात्रा (टन में)	46150	73830	56545	32080
कुल मूल्य (मिलियन अम.डा. में)	50.08	104.16	113.51	65.10

रबड़ उत्पादों का निर्यात

वर्ष	मात्रा (किग्रा. में)*	मूल्य (मिलियन अम.डा. में)
2004-05	187647642	712.33
2005-06	226710545	942.41
2006-07	250012692	1086.20
2007-08 (अप्रैल-मई)	33178093	168.09

*टायर तथा ट्यूब की मदों के निर्यात की मात्रा नगों में (2004-05 के लिए 79323318, 2005-06 के लिए 69891218, 2006-07 के लिए 79523755, 2007-08 (अप्रैल-मई) के लिए 23025178) जबकि रबड़ उत्पादां की अन्य मदों के निर्यात की मात्रा किग्रा. में है।

रबड़ उत्पादों के निर्यात से संबंधित देश-वार आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट (http://commerce.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रबड़ बागान विकास स्कीम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत नवरोपण, पुरानी तथा अलाभकारी जोतों के पुनर्रोपण, वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि, अच्छी गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियां तैयार करने, रबड़ के पेड़ों की वैज्ञानिक ढंग से कटाई करने में उपजकर्त्ताओं/कामगारों को प्रशिक्षित करने, लेटेक्स का अच्छी गुणवत्ता वाले शीट रबड़ में प्राथमिक प्रसंस्करण आदि की परिकल्पना की गई है।

छोटे उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन पद्धतियां कृषकों के खेतों में प्रदर्शित की जाएंगी। मृदा संरक्षण, जल संरक्षण उपायों को अपनाने, लेटेक्स/शीट/स्क्रैप संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता भी दी जाएगी। रबड़ उत्पादक समितियों (आर पी एस) तथा अन्य स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) जैसे कृषक संगठनों के माध्यम से सामूहिक प्रसंस्करण केन्द्रों (जी पी सी), मधुमक्खी पालन इकाइयों आदि को सहायता प्रदान की जाएगी। XIवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा 2200 आर पी एस के अलावा 750 आर पी एस/एस एच जी का गठन किया जाएगा। XIवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त आय उपार्जन कार्यकलाप के रूप में रबड़ बागानों में 15,000 मधुमक्खी पालन इकाइयों की स्थापना की जानी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कर रियायत

2720. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए एक अध्ययन में यह उद्घाटित हुआ है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र आधारित इकाइयों के लिए कर रियायतों के कारण अनुमानित हानियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन में यह भी उद्घाटित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थिति इकाइयों को ऐसे प्रोत्साहनों से उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हैं: अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन; वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात संवर्धन; घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन; और अवसंरचना सुविधाओं का विकास। उपलब्ध सचूना के अनुसार एस ई जेड अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एस ई जेडों ने 67347 करोड़ रुपए का निवेश सृजित किया है और 61015 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। वर्ष 2006-07 तथा चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) में एस ई जेडों से निर्यात में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसम्बर, 2007 तक एस ई जेडों से लगभग 49000 करोड़ रुपए का निर्यात हो चुका है। इस प्रकार एस ई जेडों में निवेश तथा अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों के बहुमुखी प्रभाव से उद्भूत लाभ और सृजित रोजगार से राजस्व छूट के कारण हुए घाटे की काफी हद तक भरपाई हो जाएगी।

पाकिस्तान तथा चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार

2721. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री गणेश सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान तथा चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात तथा आयात के लिए चयन किए गए एवं सहमत मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत का विचार पाकिस्तान तथा चीन पर कुछ आयात प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक व्यापार करार नहीं है। जहां तक पाकिस्तान से आयातों का संबंध है, भारत ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा दिया है। जहां तक भारत से पाकिस्तान को किए जाने वाले निर्यातों का प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत से आयात योग्य मदों की एक सूची बनाई है, जिसे सकारात्मक सूची कहा जाता है, जिसमें इस समय 1802 मदें हैं। भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों के समाधन के लिए संयुक्त विचार-विमर्श के कार्य ढांचे के भीतर संयुक्त अध्ययन दल के माध्यम से वार्ताएं कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ है।

जहां तक चीन का प्रश्न है, जनवरी, 2008 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को 40 बिलियन अम. डालर से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 60 बिलियन अम. डालर करने का निर्णय लिया था।

(ख) पाकिस्तान ओर चीन को निर्यात एवं आयात के संबंध में कोई सूची नहीं बनाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं व्यापार संतुलन दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मूल्य : मिलियन अम. डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
2004-05	521.05	94.97	616.02	426.08
2005-06	689.23	179.56	868.79	509.67
2006-07	1348.32	323.19	1671.51	1025.13
2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर, 2007)	980.92	149.37	1130.29	31.5

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस, कोलकाता, एन.आई.सी. वाणिज्य विभाग।

भारत-अमरीकी व्यापार

2722. श्री जुएल ओराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आगामी वर्षों में भारत-अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। मार्च, 2006 में राष्ट्रपति श्री बुश के भारत दौरे के समय दोनों सरकारों ने तीन वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का निर्णय लिया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है।

(मूल्य : मिलियन अम. डालर में)

वर्ष	निर्यात	वृद्धि(%)	आयात	वृद्धि(%)	व्यापार संतुलन
2004-05	13765.75	19.81	7001.35	39.06	(+)6764.40
2005-06	17353.06	26.06	9454.74	35.04	(+)7898.32
2006-07	18851.42	8.963	11726.96	24.03	(+)7124.46

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता।

द्विपक्षीय व्यापार, जिसका संवर्धन भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टी पी एफ) और वाणिज्यिक संवाद के माध्यम से किया जा रहा है, के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों में कृषि, सेवाएं, निवेश, अभिवीनता एवं रचनात्मक और टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना/उनमें कमी करना शामिल है। विनिर्माणन/सेवा क्षेत्रों में दोनों देशो के लघु तथा मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत से यू एस ए को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में रत्न एवं आभूषण, सिले-सिलाए परिधान, सहायक सामग्री सहित कपास, मशीनरी एवं उपस्कर, धातु की बनी वस्तुएं, औषधियां, भेषज, परिष्कृत रसायन शामिल हैं। यू एस ए से भारत में आयात की प्रमुख मदों में परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी मदें, उर्वरक विनिर्मित तथा व्यावसायिक उपस्कर शामिल हैं।

(घ) भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने व विविधीकृत करने के लिए सरकार व्यापार नीति मंच तथा वाणिज्यिक संवाद सहित अमेरिका सरकार से नियमित विचार-विमर्श करती है। भारतीय दूतावास तथा चारों भारतीय महावाणिज्य दूतावासों (अमेरिका में स्थित) द्वारा भारत से निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारत से दौरे पर आने वाले व्यावसायिक शिष्टमंडलों की सहायता, बाजार सर्वेक्षण तथा व्यापारिक पूछताछ का उत्तर देने सहित नियमित बाजार संवर्धन कार्यकलाप किए जाते हैं।

नकदी फसलों का निर्यात

2723. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान नकदी फसलों विशेषकर काजू नट एवं काजू गिरी के निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं इनके मूल्य का मद-वार एवं देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नकदी फसलों के निर्यात में वृद्धि करने तथा नई प्रौद्योगिकी शुरू कर उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) नकदी फसलों सहित विभिन्न वस्तुओं के लिए देश-वार और वर्ष-वार निर्यातों एवं आयातों (मात्रा एवं मूल्यवार) का ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तथापि वर्ष 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल 07 से फरवरी, 08) के लिए क्रमशः काजू गिरी एवं काजू नट के देशवार आयात और निर्यात (मात्रा एवं मूल्यवार) संबंधी एक विवरण संलग्न है

(ख) संगत निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों के जरिए वाणिज्य विभाग संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों को उनके संयंत्र/कारखानों के आधुनिकीकरण, नवीनतम पैकेजिंग सुविधाएं हासिल करने और आई एस ओ/एच ए सी सी पी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना स्कीम का प्रचालन करता रहा है। कार्यान्वित स्कीमों से निर्यातकों को उनकी उत्पादकता गुणवत्ता मानकों

में सुधार करने और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु उन्हें सशक्त बनाने में लाभ मिला है।

परिषदें तथा बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भागीदारी, व्यापक शिष्टमंडल प्रायोजित करने बाजार सर्वेक्षण, व्यापार पूछताछों, बाजार सूचना का प्रसार करने, आंकड़े पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने जैसे विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रम भी चलाते हैं और निर्यातकों की सहायतार्थ बाजार विकास सहायता (एम डी ए) स्कीम, बाजार सहायता पहल (एम ए आई) स्कीम और ए एस आई डी ई जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करते हैं।

विवरण

भारत से काजू गिरी का निर्यात

(स्रोत: विभिन्न सी.शु. गृह)

देश	2006-2007		2007-08 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा (मि.ट.)	मूल्य रु. (करोड़)	मात्रा (मि.ट.)	मूल्य रु. (करोड़)
1	2	3	4	5
यूएसए	46245	959.51	38021	736.39
नीदरलैंड	19360	385.07	12458	229.80
यूएसई	9523	207.63	11510	246.91
जापान	4279	91.26	4591	93.80
फ्रांस	3558	73.17	3606	66.62
यू.के.	4715	95.50	3399	69.81
स. अरब	3357	66.55	3226	65.13
स्पेन	2457	52.42	2607	53.26
आस्ट्रेलिया	1344	25.85	2494	44.34
बेल्जियम	2380	48.99	2286	44.07
ग्रीस	1870	40.83	1740	37.08
जर्मनी	1770	32.79	1593	29.63
कनाडा	1308	26.04	595	11.18
इटली	1208	26.18	540	10.44
रूस	1163	19.20	873	14.34
नार्वे	1105	22.72	921	17.49
इजराइल	995	22.74	615	13.45
कुवैत	964	21.17	646	14.58
हांगकांग	659	16.66	587	14.48
लेबनान	483	10.35	312	7.16
बहरीन	477	9.42	395	7.93
कोरिया गण.	397	8.50	673	14.16
सिंगापुर	318	6.90	379	8.13
न्यूजीलैंड	212	4.23	386	7.13
मलेशिया	161	3.11	296	6.08
अन्य	8230	168.38	8390	1.70
कुल	118540	2455.15	103139	2033.18

भारत से काजू गिरी का निर्यात

(स्रोत: विभिन्न सी.शु. गृह)

आईवरी कोस्ट	187613	547.72	203871	478.69
जेनेवा बिसाऊ	76126	240.91	98056	256.66

1	2	3	4	5
तंजानिया	66600	225.52	62177	268.36
बेनिन	65420	205.16	57725	164.19
इंडोनेशिया	60959	213.81	35335	139.74
घाना	39804	118.35	30430	74.36
मोजाम्बिया	26367	77.26	19764	74.58
घाम्बिया	22508	70.21	21653	53.99
नाइजीरिया	21154	55.73	18991	39.91
सेनेगल	10084	31.47	10064	24.71
गिनी	4388	11.89	8937	20.90
मेडागास्कर	2243	4.79	171	0.56
केन्या	1719	5.44	4139	10.49
टोगो	403	1.18	122	0.36
अलसेल्वाडोर	259	0.90	183	0.61
फिलिपिंस	249	0.81	0	0.00
पनामा	149	0.48	100	0.24
अन्य	0	0.00	1374	4.00
कुल	586044	1811.62	573092	1612.37

न्यायालयीय विज्ञान सेवाएं

2724. श्री नन्द कुमार साय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयीय विज्ञान सेवाओं में अपर्याप्तताओं के चलते आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित अत्याधुनिक न्यायालयीय विज्ञान के विशेषज्ञों के कोर समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सभी राज्यों में सिफारिशें क्रियान्वित करने तथा देश में न्यायालयीय विज्ञान सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) देश में मौजूदा विधि विज्ञान ढांचे का अध्ययन करने तथा इसे सुदृढ़ करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न वर्ष 1998 में विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।

(ग) कोर ग्रुप ने केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय विधि विज्ञान संगठन का सृजन करने, संबंधित राज्यों के गृह कार्य विभाग के अधीन राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की स्थापना करने, प्रत्येक राज्य में राज्य विधि विज्ञान विकास बोर्ड की स्थापना करने, प्रत्येक पुलिस मुख्यालय में एक रेंज विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने सहित कई उपायों की सिफारिश की है।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुरूप ''पुलिस'' और ''कानून एवं व्यवस्था'' राज्य का विषय हैं, अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ कोर ग्रुप द्वारा की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ङ) राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में विधि विज्ञान ढांचा संबंधित गृह विभाग के अधीन है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा राज्य सरकारों ने विधि विज्ञान विकास बोर्डों का गठन किया है।

(च) और (छ) कोर ग्रुप की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है क्योंकि ''पुलिस'' तथा ''कानून एवं व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार कोर ग्रुप की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिए सभी राज्यों

को समय-समय पर परामर्शी पत्र भेजती है। विधि विज्ञान निदेशालय राज्यों में विधि विज्ञान ढांचे का स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण करने का अपेक्षित मार्गदर्शन देता है। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ योजना) के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करने सहित प्रयोगशाला भवनों का निर्माण और उपकरणों का प्रापण करने के लिए निधियाँ दी जाती हैं।

शैक्षिक योजनाएं

2725. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए राज्य तथा संघ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना आबंटन नियत किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमों और कार्यक्रमों का विवरण उनके आबंटन सहित संलग्न है। पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आबंटन नहीं किये गये।

विवरण

XIवीं योजना के दौरान आबंटनों सहित योजनाएं/कार्यक्रम

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	XIवीं योजना का आबंटन (रु. करोड़ में)
1	2	3
	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
क.	**प्रारंभिक शिक्षा**	
1.	सर्व शिक्षा अभियान	71000
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	130
3.	मध्याह्न भोजन	48000
4.	शिक्षक शिक्षा	4000
5.	महिला समाख्या	210
6.	बाल भवन	35
7.	शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद	5
	कुल जारी स्कीमें	123380
1.	बाल्यकाल पूर्व देखभाल शिक्षा (नई स्कीम)	2000
	कुल (प्रारंभिक शिक्षा)	125380
ख.	**प्रौढ़ शिक्षा**	
1.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	50
2.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	20
3.	जीवपर्यंत शिक्षा और जागरुकता कार्यक्रम	3800
4.	गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान (जन शिक्षण संस्थान+राज्य संसाधन केन्द्र+ कौशल विकास मिशन शामिल है)	673
5.	निरक्षता को समाप्त करने के लिए परियोजना	1000
6.	35 वर्ष की आयु समूह से अधिक के निरक्षरों के लिए साक्षरता कार्यक्रम	400
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता	27
8.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अध्ययन	30
	कुल प्रौढ़ शिक्षा	6000
ग.	**माध्यमिक शिक्षा**	
	जारी स्कीमें	
1.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	254

1	2	3
2.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	100
3.	नवोदय विद्यालय	4600
4.	केन्द्रीय विद्यालय	1500
5.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	41
6.	संयुक्त इंडो-मंगोलियन स्कूल, मंगोलिया	5
7.	व्यावसायिक शिक्षा	2000
8.	स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	6000
9.	विकलांग बच्चों के लिये समेकित शिक्षा	1000
	कुल जारी स्कीमें	15500
1.	माध्यमिक स्तर पर सभी को सुलभता और गुणवत्ता के लिये स्कीम	
	(क) नये मॉडल स्कूल	12750
	(ख) माध्यमिक स्कूलों के लिये अवसंरचना	18250
	(ग) शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण	870
2.	विज्ञान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के लिये सहायता	1000
3.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आवासीय स्कूलों का स्तरोन्नयन	2000
4.	निगरानी समिति (ओएससी) योग्यता छात्रवृत्ति	1680
5.	बालिका संतान प्रोत्साहन	1500
	कुल नई स्कीमें	38050
	कुल (माध्यमिक शिक्षा)	53550
	कुल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	184930

1	2	3
	उच्चतर शिक्षा विभाग	
क.	**विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा**	
	जारी स्कीमें	14130
	नई स्कीमें	
1.	शामिल न किये गये राज्यों में 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2000
2.	नये विश्वविद्यालयों में 5 मेडिकल एवं इंजीनियरी कॉलेज	1000
3.	14 विश्व स्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2800
4.	नये विश्व स्तरीय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 5 मेडिकल एवं इंजीनियरी कॉलेज	1700
5.	370 नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना	782
6.	विस्तार, समावेश एवं श्रेष्ठता के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन	6200
7.	150 शामिल न किये गये राज्य विश्वविद्यालयों और 6000 कॉलेजों को सहायता	7000
8.	पहले से ही शामिल किये गये 160 विश्वविद्यालयों एवं लगभग 5500 कॉलेजों को अतिरिक्त सहायता	3000
9.	अध्येतावृत्ति को छोड़कर विज्ञान आधारित उच्चतर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान (एम.एम. शर्मा समिति)	1200
10.	नीति एवं मूल्यांकन के लिये अंत: विश्वविद्यालय अनुसंधान	100
11.	नेट उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण पी.एच.डी. विद्यार्थियों के लिये अनुसंधान अध्येतावृत्ति में बढ़ोतरी	2300
12.	शैक्षिक ऋण ब्याज छूट	4000

1	2	3
13.	बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण	1000
14.	क्षेत्रीय असमानता, सामाजिक अंतर एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहन में कमी	2141
15.	7 तकनीकी संस्थाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर तक प्रौन्नत करना	700
	कुल नई स्कीमें	35923
	कुल (विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा)	50053
ख.	**दूरस्थ शिक्षा, छात्रवृत्ति और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**	
	जारी स्कीमें	659
	नई स्कीमें	
1.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नया राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	5000
2.	कुल विद्यार्थियों के 2 प्रतिशत के लिये छात्रवृत्ति	1000
3.	इग्नू-कौशल विकास	50
4.	210 नये सामुदायिक कॉलेज-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौशल विकास	100
	कुल नई स्कीमें	6150
	कुल दूरस्थ शिक्षा, छात्रवृत्ति और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निगरानी समिति को शामिल करके	6809
ग.	**पुस्तक प्रौन्नयन एवं कापी राइट**	70
घ.	**भाषा विकास**	599
ङ	**आयोजना और प्रशासन**	78
च.	**तकनीकी शिक्षा**	
	जारी स्कीमें	12884

1	2	3
	नई स्कीमें	
1.	200 राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और स्तरोन्नयन	910
2.	3 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को स्थापित करना (मोहाली, तिरूवनंतपुरम और भोपाल)	1700
3.	अग्रणी क्षेत्रों में 50 प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना	150
4.	संकाय विकास	950
5.	20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करना	940
6.	2 नये आयोजना एवं वास्तु कला विद्यालयों को स्थापित करना	240
7.	8 नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करना	2000
8.	20 नये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करना	500
9.	6 नये भारतीय प्रबंध संस्थानों को स्थापित करना	600
10.	एम.टेक. के छात्रों के लिये अध्येतावृत्ति को राशि बढ़ाना	1000
11.	कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय को स्थापित करना	
12.	नये पॉलीटेक्निकों को स्थापित करना	1320
13.	400 पॉलिटेक्निकों को सुदृढ़ करनां	1000
14.	580 नये सामुदायिक पॉलीटेक्निक	580
15.	इंजीनियरी कॉलेजों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये सहायता	1000
16.	500 पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास	500

1	2	3
17.	समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं/सामाजिक अंतरों को कम करना	1000
	कुल नई स्कीमें	14450
	कुल (तकनीकी शिक्षा)	27334
	कुल (उच्चतर शिक्षा विभाग)	84943
	कुल योग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	269873

सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिलाओं की भर्ती

2726. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन महिलाओं को सौंपे जाने वाले दायित्वों का ब्यौरा क्या है तथा वे कौन-कौन से सीमा क्षेत्र हैं जहां इन महिलाओं को पदस्थापित/तैनात किया जाएगा;

(घ) क्या ये महिला कांस्टेबल नौकरी की तनाव और दबाव को झेल पाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महिला कांस्टेबलों की भर्ती सामान्य रूप से करती है। सीमा सुरक्षा बल भी महिला कंपनियां (कोए) गठित करने के लिए अधिकृत हैं। एकीकृत जांच चौकियों, आप्रवासन स्थलों, विमानपत्तनों, संस्थापनाओं आदि में महिलाओं की जांच/तलाशी का कार्य महिला कांस्टेबलों को सौंपा जाता है।

(घ) और (ङ) तैनाती कार्मिक की क्षमताओं के अनुरूप की जाती है।

पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधी

2727. श्री के.एस. राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संरचना और आयात/निर्यात के आंकड़ों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन देशों के संबंध में व्यापार संरचना और आयात/निर्यात के आंकड़ों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों में संपर्क स्थापित करके इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए व्यापार पद्धतियों को और उदार बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. भारत के भूटान और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार हैं। भारत की नेपाल के साथ व्यापार संधि भी है जिसके अंतर्गत भारत नेपाली वस्तुओं को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है। बंगलादेश के साथ भारत ने एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का कोई औपचारिक व्यापार करार नहीं है। यद्यपि भारत ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया है तथापि पाकिस्तान के पास भारत से आयात योग्य मदों की एक सूची है जिसे सकारात्मक सूची कहा जाता है जिसमें इस समय 1802 मदें शामिल हैं।

2. भारत और चीन ने किसी द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि जुलाई, 1975 में बैंकाक करार के रूप में हस्ताक्षर और 2.11.2005 को संशोधित एशिया-प्रशांत व्यापार करार (ए पी टी ए) के अनुसार चीन ने खाद्य मदों, रासायनिक उत्पादों, औषधियों, वस्त्र उत्पादों तथा मशीनरी उत्पादों सहित 1697 मदों पर भारत को टैरिफ अधिमान प्रदान किए हैं। भारत ने इसके प्रत्युत्तर में प्राथमिक रसायन, कागज, इस्पात, रबड़, विद्युत मशीनरी,

रेलवे उत्पादों तथा खिलौनों सहित 570 मदों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं।

3. पिछले तीन वर्षों के लिए भारत के निर्यात और आयात के देशवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(आंकड़े मिलियन अम.डॉ. में)

देश	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
बंगलादेश	1631.12	59.37	1664.36	127.03	1628.58	228.3	1221.35	147.96
भूटान	84.58	71	99.17	88.77	58.68	141.44	45.76	116.87
नेपाल	743.14	345.83	859.97	379.85	931.45	306.02	668.03	220.29
पाकिस्तान	521.05	94.97	689.23	179.56	1348.32	323.19	980.92	149.37
श्रीलंका	1413.18	378.4	2024.67	577.7	2254.11	470.52	1390.21	277.25
चीन	5615.87	7097.98	6759.10	10868	8284.19	17406	4577.70	15309.56

स्रोत: एन आई सी, डी ओ सी के माध्यम से डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता।

(ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई सी आर आई ई आर) ने "पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार पर गैर टैरिफ बाधाएं" विषय पर एक अध्ययन किया है जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों का निवारण किया गया है।

(ग) और (घ) भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश भी है और साफ्टा के सदस्य देश इस समय गैर-टैरिफ तथा अर्द्ध-टैरिफ उपायों सहित अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने तथा व्यापार सुविधा से जुड़े उपायों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जेलों का दौरा

2728. श्री नन्द कुमार साय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) नियमित रूप से देश के विभिन्न कारागारों में कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण की निगरानी हेतु दौरा करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान अब तक कारागार-वार तथा राज्य-वार एनएचआरसी द्वारा दौरा किए गए कारागारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएचआरसी द्वारा ऐसे दौरों के आधार पर राज्य सरकारों को कारागार-वार तथा राज्य-वार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनएचआरसी को राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो एनएचआरसी द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी हां।, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान निम्नलिखित दौरे किए:-

वर्ष		स्थान जहां का दौरा किया
2006-07	1.	जिला जेल, जेवाई और जिला जेल शिलांग, मेघालय
	2.	यर्वदा केन्द्रीय जेल, पुणे महाराष्ट्र
	3.	नाहारलागुन जिला, अरुणाचल प्रदेश
	4.	जोधपुर जेल, राजस्थान
2007-08	1.	केन्द्रीय कारागार, दीमापुर, नागालैंड
	2.	केन्द्रीय कारागार, जोरहाट, जिला जेल, गोलारघाट और ओपन एयर जेल, महेन्द्रनगर, असम
	3.	विशेष कारागार, भुवनेश्वर, केन्द्रीय कारागार कटक, चौद्वार उपजेल, नयानगर और ओपन एयर आश्रम, जुमआरी, उड़ीसा
	4.	गोपालगंज जेल, बिहार
	5.	जिला जेल आगरा, उ.प्र.
	6.	केन्द्रीय जेल, तिहाड़, दिल्ली

(ग) एनएचआरसी द्वारा की गई सिफारिशों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) एनएचआरसी को केवल मेघालय सरकार से ही की गई कार्रवाई रिपोर्ट मिली है। अन्य राज्यों से की गई कार्रवाई रिपोर्टें आनी हैं। एनएचआरसी ने राज्य प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने का अनुरोध किया है।

(ङ) मेघालय सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर आयोग में विचार किया गया जिनका दृष्टिकोण था कि न्यायालया में लंबित विचारणाधीन कैदियों के विचारण मामलों में कार्रवाई ही वह क्षेत्र है जिस पर सामयिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने की जरूरत है। इस पहलू की जिला जज जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस मजिस्ट्रेटी समन्वय समिति की बैठकों में सघन एवं नियमित रूप से समीक्षा किए जाने की जरूरत भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने दिनांक 29.8.2007 के पत्र के द्वारा मेघालय सरकार से विचारणाधीन कैदियों के लंबित विचारणाधीन मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपर्युक्त पुनरीक्षा समिति, यदि मौजूद नहीं है तो, गठित करने का अनुरोध किया है।

विवरण

जेल दशाओं में सुधार करने के लिए एनएचआरसी की राज्यवार सिफारिशों/पर्यवेक्षण का ब्यौरा

मेघालय

(i) राज्य में जेल अवस्थापना बहुत कमजोर है और उसे सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है।

(ii) 7 जिलों में से केवल चार में जिला जेल है। राज्य में कोई भी केन्द्रीय जेल नहीं है।

(iii) स्वच्छता सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(iv) स्वास्थ्य देखभाल, हालांकि संतोषजनक है, फिर भी उसमें सुधार करने की जरूरत है। टी.बी. के रोगियों की चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

(v) विचारणीय कैदी जेल उद्योग में कार्य कर रहे हैं परंतु उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है।

(vi) जेल के कुल कैदियों में से 90 प्रतिशत कैदी विचारणाधीन हैं।

(vii) असम जेल मैनुअल के अंतर्गत प्रदत्त पैरोल प्रणाली, जिसका मेघालय में अनुसरण किया जाता है, विगत कई वर्षों से आपरेशन में नहीं है।

(viii) बोर्ड ऑफ विजिटर्स प्रणाली को अप्रचलित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र

(i) पैरोल की शक्तियां संभागीय आयुक्त के पास हैं। उन्हें डीआईजी (कारागार) को प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

(ii) आजीवन कारावास की न्यूनतम अवधि 14 वर्ष की है तदुपरांत मामले को राज्य सरकार के पास यह निर्णय लेने

के लिए भेज दिया जाता है कि कैदी को छोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। कैदी महसूस करते हैं कि यह सब्जेक्टिव एवं विवेकाधीन है और इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए जाएं।

(iii) आयोग ने कैदियों की समयपूर्व (प्रीमैच्योर) रिहाई से निपटने के लिए इन एच आर सी के दिशानिर्देश भेजे हैं।

(iv) कैदी महसूस करते हैं कि अर्धकुशल कामगार की औसत दैनिक मजदूरी बहुत कम है और उसमें सुधार करने की जरूरुरत है।

अरुणाचल प्रदेश

(i) पुलिस हवालात, जिनका जेल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, में स्वच्छता का अभाव है।

(ii) किशोरों के लिए सुविधाएं मौजूद न होना।

(iii) विभिन्न मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए आवास, वाहन, फर्नीचर वैज्ञानिक गैजेटस जैसी सुविधाओं की अभाव।

(iv) आतंकवादी अपराधों के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की जरूरत; और

(v) राज्य मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता।

नागालैंड

(i) स्वच्छता सुविधाएं अल्प हैं।

(ii) मनोरंजन की सुविधाएं सीमित हैं।

(iii) शैक्षणिक सुविधाएं मौजूद नहीं है।

(iv) जेलों की अपनी निजी चिकित्सा सुविधा नहीं है।

(v) जेलों में मौत की घटनाएं सामान्य हैं।

(vi) मौत की सूचना के पश्चात् मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट देने से संबंधित एन एच आर सी के निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(vii) वर्क्स प्रोग्राम न होने जिससे कैदियों की रिहाई के पश्चात् उनमें सुधार करने एवं उनका पुनर्वास करने की सुविधा का पूर्ण अभाव है।

(viii) अधिकारी स्तर पर अपर्याप्त प्रशिक्षण और कार्यात्मक स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था न होने के कारण जेल स्टाफ के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

(ix) स्टाफ अधिकारियों को कैदियों के अधिकारों का अल्प ज्ञान है।

(x) कैदियों को वस्त्र एवं बिछावन की मूलभूत जरूरतों के अधिकार से मनाही की जाती है।

(xi) जेल मैनुअल में उल्लिखित पैरोल व्यवस्था को कभी भी व्यवहार में नहीं लाया गया।

(xii) बोर्ड आफ विजिटर्स प्रणाली अप्रचलित है।

(xiii) जेल क्रियाकलापों में एन जी ओज संलिप्तता नहीं है।

असम

दौरा करने वाले अधिकारी ने कई सकारात्मक टिप्पणियां की हैं। तथापि निम्नलिखित कुछ मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:-

(i) महिला जेलें ने होना।

(ii) ओपन एयर जेल का कम उपयोग होना।

(iii) असंतोषजनक स्वच्छता सुविधाएं।

(iv) जलापूर्ति जनक स्वच्छता सुविधाएं।

(v) 27 जेलों में से 15 जेलों में मौजूद वर्क प्रोग्राम का विस्तार किए जाने की जरूरत है।

(vi) वेतन का भुगतान युक्ति किए जाने की जरूरत है।

(vii) मनोरंजन की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(viii) बच्चों के खाने एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

उड़ीसा

(i) संबंधित न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में असाधारण विलम्ब।

(ii) विचाराणाधीन कैदियों (यू टी पी) के साथ बातचीत करने से यह सामने आया कि निम्नलिखित कारणों से जमानत पर जल्दी रिहाई नहीं हो पा रही है।

(क) जनमत याचिकाएं निपटान हेतु न्यायालयों में जांच हेतु लंबित है।

(ख) जमानत हेतु याचना अस्वीकार कर दी गई है लेकिन संबंधित अधिवक्ता ने जमानत याचिका को अस्वीकार किए जाने के कारणों को अभी तक संप्रेषित नहीं किया है।

(ग) उनकी जमानत याचिकाओं के निपटान में विभिन्न यू टी पी के लिए कथित विभेदक निरूपण मौजूद हैं।

(घ) दोषसिद्ध द्वारा की गई अपीलों के निपटान में अत्यधिक विलंब।

(iii) अविचारित जारी मामलों का प्रायः विलेन होना और लंबी अवधि के लिए बोर्ड के समक्ष लंबित हैं, अंतिम निर्णय लिए जाने के बावजूद भी और ये समय से संप्रेषित नहीं किए गए हैं।

(iv) कैदियों के परिवार सदस्यों के साथ साक्षात्कार हेतु उपलब्ध स्थान कम हैं और जिसमें भीड़ बढ़ रही है।

(v) निर्वाह योग्य स्थितियां खराब हैं।

(vi) रसोई में अंधेरा है और गंदगी है, यह दूषित और अस्वास्थ्यकर है और भोजन मानवीयस्पर्श से नहीं परोसा जाता है।

(vii) कैदियों को भोजन परोसने में भी कमियां है। इसे खुला ले आया जाता है और परोसे जाने के समय यह गर्म नहीं होता है।

(viii) पेयजल को फिल्टर करने अथवा उसे शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है; नमूने नियमित रूप से जांच के लिए नहीं भेजे जा रहे हैं।

(ix) स्वच्छता की सुविधाएं अल्प हैं। कमोडो की संख्या जेल मैनुअल के अनुरूप अपेक्षित संख्या से काफी कम है। बुजुर्ग शारीरिक एवं आर्थोपैडिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा गठिया से पीड़ित लोग भारतीय कमोडो पर, स्वयं को नुकसान पहुंचाएं बिना, शौच नहीं कर सकते हैं।

(x) दोषसिद्ध एवं यूटीपी दोनों के लिए वस्त्र एवं बिछावन की मात्रा का निर्धारण जलवायिक दशाओं ओर जेल की सुरक्षा एवं अनुशासन के मद्देनजर किया जाना चाहिए।

(xi) खाटों की संख्या माडल जेल मैनुअल में निर्धारित संख्या से काफी कम है। कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

(xii) साक्षरता एवं शिक्षा न तो जेल प्रशासन और नहीं कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले अध्यापकों के पास कार्यात्मक साक्षरता बनाम अल्फाबेटिकल साक्षरता से संबंधित कोई क्लू नहीं है।

(xiii) रक्षक स्टाफ के 187 पद रिक्त हैं। अधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के 160 पदों में से 25 पद रिक्त हैं।

(xiv) महानिरीक्षक कारागार के कार्यालय में कंप्यूटरीकृत डाटाबेस बनाने की जरूरत है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केन्द्र

2729. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केन्द्र (रिक्रिएशन सैन्टर) का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो मनोरंजन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उसमें एनडीएमसी द्वारा अतिरिक्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा इस केन्द्र का अतिक्रमण कर लिया गया है और वे इसका इस्तेमाल गोदाम के तौर पर कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के लिए एनडीएमसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ख) जी हां, श्रीमान। तथापि, सरोजनी नगर मार्केट स्थित क्रिएशन सेंटर 2002 से बंद है।

(ग) और (घ) अतिक्रमण के एक दृष्टांत की सूचना जनवरी, 2008 के महीने में दी गई थी जिसे तत्काल हटा दिया गया था।

एस ई जेड का विरोध करने के कारण घाटा

2730. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में एस ई जेड की स्थापना के खिलाफ व्यापक विरोध के कारण राजस्व की भारी हानि का अनुमान लगाया है तथा देश में कुछ एस ई जेड के संबंध में प्रक्रिया रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा

2731. **श्री रघुनाथ झा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बरामदों सहित दो कक्षाएं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए एक कक्ष होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो बिहार में ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां केवल एक कक्षा है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए कोई भी कक्ष नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिहार में भवन रहित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनकी बिल्डिंग नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार में इन विद्यालयों में आवश्यक संख्या में कक्षाओं तथा भवनों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक शिक्षक अथवा प्रत्येक ग्रेड/श्रेणी जो भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर में निम्न हो, के लिए एक कमरे तथा कम से कम दो शिक्षकों वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए बरामदे सहित दो शिक्षण कक्षा का प्रावधान किया गया है। उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में प्रधानाध्यापक के लिए एक कमरे का प्रावधान है।

(ख) से (घ) बिहार राज्य में एकल शिक्षण कक्षों वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 2005-06 में 4753 से कम होकर वर्ष 2006-07 में 4257 हो गई। वर्ष 2006-07 में भवन रहित स्कूलों की संख्या 2095 थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08 तक बिहार राज्य को 13104 स्कूल भवन तथा 97380 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष संस्वीकृत किए गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : क्या मैं यह अपील कर सकता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री एक वक्तव्य दें?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन के नेता से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए। मेरे विचार से, यदि सभा सहमत हो, तो पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने से पहले वह वक्तव्य दें...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, किस विषय पर?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सरबजीत सिंह, जो पाकिस्तान की जेल में है, के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पाकिस्तान की हिरासत में एक भारतीय नागरिक, सरबजीत सिंह का मामला

***विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह से संबंधित मसले के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, जिसे पाकिस्तान की जेल में मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी है। मीडिया में रिपोर्टें आयी हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उसकी दया-याचिका को ठुकरा दिया है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से हमें कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। परंतु प्रेस रिपोर्टों के अनुसार ब्लैक वारंट जारी कर दिया गया है और सजा 1 अप्रैल, 2008 को दी जाएगी। इस्लामाबाद स्थित हमारे भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में ब्यौरे मांगे हैं।

18 अगस्त, 2005 को सुनाए गए एक फैसले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तान में अनेक स्थानों पर विस्फोट करने के आरोप में सरबजीत सिंह को दिए गए मृत्युदंड को बहाल रखा। हमारे अनुरोध पर पहली बार 30 अगस्त, 2005 को भारतीय उच्चायोग के जरिए सरबजीत सिंह को कौंसुली संपर्क उपलब्ध कराया गया। तदुपरांत उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की गयी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में मृत्युदंड के विरुद्ध एक समीक्षा याचिका भी दायर की गयी। मार्च, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तदुपरांत पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समक्ष एक दया-याचिका दायर की गयी, जिसे अब, समाचार रिपोर्टों के अनुसार ठुकरा दिया गया है। इस पूरी अवधि के दौरान भारत सरकार इस मामले पर पाकिस्तान से सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय रवैया अपनाने का अनुरोध करती रही है।

माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि जनवरी, 2007 में पाकिस्तान की मेरी यात्रा के बाद दोनों सरकारों ने कौंसुली मुद्दों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कतिपय संस्थागत व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें कौंसुली संपर्क से संबद्ध एक नया करार और एक संयुक्त न्यायिक समिति का गठन शामिल है। गुमशुदा भारतीय रक्षा कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने पिछले वर्ष पाकिस्तान का दौरा भी किया। इन पहलकदमियों से हमारे कैदियों की स्थिति में सुधार आने की संभावना है।

इसी संदर्भ में और इसी भावना से हम पाकिस्तान सरकार से सरबजीत सिंह के मामले पर मानवीय आधार पर दया के साथ विचार करने की अपील करते हैं।...*(व्यवधान)*

*[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8431/08]

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय, सदस्यगण सबसे पहले मुझे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्य पूरा करने दीजिए। उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में कुछ निवेदन करना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसी परम्परा नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पेपर्स ले होने के बाद आपको जो कहना हो, कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : स्टेटमेंट के ऊपर इस हाउस में बहस नहीं होती है। हर किसी को बयान देने के अधिकार है। बात सुनने के बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी, हम करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे पेपर्स ले करवाने दीजिए। उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले पेपर ले कराने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले पेपर ले कराने दीजिए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुशी : आपकी बात ढंग से सुनेंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* एल.टी. सं. 8336/2008]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* एल.टी. सं. 8337/2008]

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* एल.टी. सं. 8338/2008]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* एल.टी. सं. 8339/2008]

(2) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* एल.टी. सं. 8340/2008]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खान मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* एल.टी. सं. 8341/2008]

[अनुवाद]

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* एल.टी. सं. 8342/2008]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* एल.टी. सं. 8343/2008]

(2) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8344/2008]

(4) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2008 जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8345/2008]

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8346/2008]

(6) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8344/2008]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8347/2008]

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8348/2008]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए एल.टी.सं. 8349/2008]

(3) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी.सं. 8350/2008]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8351/2008]

(7) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8352/2008]

(9) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8353/2008]

(11) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8354/2008]

(13) (एक) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8355/2008]

(15) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8356/2008]

(17) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8357/2008]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8358/2008]

(18) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8359/2008]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8360/2008]

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8361/2008]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8362/2008]

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8363/2008]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : मैं योजना आयोग के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8364/2008]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं-

(1) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय (खंड-I)

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय (बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-II)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8365/2008]

(2) गृह मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8366/2008]

(3) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के 38वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8367/2008]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च, 2008 को जारी उद्घोषणा, जिसके द्वारा नागालैंड राज्य के संबंध में उनके द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी की गई पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. सं. 8368/2008]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (परिवहन) और असिस्टेंट कमांडेंट (परिवहन) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8369/2008]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 2 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अपर महानिदेशक और अपर उप महानिरीक्षक) भर्ती नियम, 2007 जो 30 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए एल.टी. सं. 8370/2008]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं, श्रीमती सूर्यकांता पाटील की ओर से दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या पचास तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8371/2008]

2. विवरण संख्या छत्तीस बारहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8372/2008]

3. विवरण संख्या सैंतीस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8373/2008]

4. विवरण संख्या उनतीस पंद्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8374/2008]

ग्यारहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या छत्तीस दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8375/2008]

6. विवरण संख्या बत्तीस पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8376/2008]

बारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या बयालीस दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8377/2008]

8. विवरण संख्या सैंतीस तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8378/2008]

तेरहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या उनतालीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8379/2008]

10. विवरण संख्या बयालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8380/2008]

11. विवरण संख्या छत्तीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8381/2008]

12. विवरण संख्या चौंतीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8382/2008]

13. विवरण संख्या तैंतालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8383/2008]

14. विवरण संख्या बयालीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8384/2008]

15. विवरण संख्या उनतीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8385/2008]

16. विवरण संख्या अट्ठाईस नौंवा सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8386/2008]

17. विवरण संख्या चौबीस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8387/2008]

18. विवरण संख्या तेईस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8388/2008]

19. विवरण संख्या इक्कीस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8389/2008]

20. विवरण संख्या अठारह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8390/2008]

21. विवरण संख्या सत्रह चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8391/2008]

चौदहवीं लोक सभा

22. विवरण संख्या पंद्रह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8392/2008]

23. विवरण संख्या तेरह तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8393/2008]

24. विवरण संख्या तेरह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8394/2008]

25. विवरण संख्या दस पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8395/2008]

26. विवरण संख्या नौ छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8396/2008]

27. विवरण संख्या आठ सातवां सत्र, 2006 (खंड एक और दो)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8397/2008]

28. विवरण संख्या छह आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8398/2008]

29. विवरण संख्या पांच नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8399/2008]

30. विवरण संख्या चार दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8400/2008]

31. विवरण संख्या दो ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8401/2008]

32. विवरण संख्या एक बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी. सं. 8402/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8403/2008]

(3) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8404/2008]

(5) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8405/2008]

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन, त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन, त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8406/2008]

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8407/2008]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8408/2008]

(3) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8409/2008]

(5) (एक) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8410/2008]

(6) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स प्रोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8411/2008]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8412/2008]

(3) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8413/2008]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8414/2008]

(7) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8415/2008]

(9) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8416/2008]

(11) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8417/2008]

(13) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8418/2008]

(15) (एक) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8419/2008]

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8420/2008]

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8421/2008]

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* एल.टी. सं. 8422/2008]

(23) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष

2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8423/2008]

(25) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8424/2008]

(27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8425/2008]

(29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8426/2008]

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8427/2008]

(33) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8428/2008]

(35) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8429/2008]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेलवी) : पंजाब मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (3) के अंतर्गत चंडीगढ़ मूल्यवर्धित कर नियम, 2006 जो 26 मई, 2006 के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 978-एफआईआई (8)-2006/2967 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल.टी. सं. 8430/2008]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 4 दिसम्बर, 2007 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : मैं "दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

66वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मैं सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपकी सुविधा के लिए, मैं सभा में गत सप्ताह किए गए प्रमुख कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

प्रश्नकाल के दौरान, सूचीबद्ध 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 23 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। शेष तारांकित प्रश्नों के

उत्तर इस अवधि के 1230 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है सभा ने रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प; रेल (संशोधन)—विधेयक 2008; बजट (रेल)—2008-09 पर सामान्य चर्चा; अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—2007-08 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2005-06 पर संयुक्त चर्चा जारी रखी। यह संयुक्त चर्चा 10 घंटे 51 मिनट चली और रेल मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई। सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया और रेल (संशोधन) विधेयक 2008 पारित किया गया। 2008-09 के लिए लेखा (रेल) पर अनुदानों की मांगें और 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) के पक्ष में पूर्ण मतदान किया गया तथा इनसे संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए। इसके बाद सभा ने कर्नाटक राज्य के लिए 2008-09 हेतु बजट; और वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (कर्नाटक) को चर्चा के लिए लिया। यह चर्चा वित्त मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई तथा इसके बाद 2008-09 के लिए लेखानुदान की मांगें और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (कर्नाटक) 2007-08 के पक्ष में पूर्ण मतदान हुआ। संबंधित विनियोग विधेयक भी पारित किए गए।

इस सप्ताह के दौरान हुई अन्य महत्वपूर्ण चर्चा थी बजट (सामान्य) 2008-09 पर सामान्य चर्चा; लेखानुदान की मांगें (सामान्य) 2008-09, और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2007-08, यह चर्चा 16 घंटे 17 मिनट तक चली। यह चर्चा वित्त मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त हुई तथा इसके बाद लेखानुदान की मांगें (सामान्य) 2008-09 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें 2007-08 के पक्ष में पूर्ण मतदान हुआ और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए गए।

दूसरी संयुक्त चर्चा परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश 2008 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2008 और जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2008 पर सांविधिक संकल्प को वापस लेने से पहले 3 घंटे तक हुई और ये विधेयक पारित किए गए।

इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

इस सभा में मंत्रियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर नौ वक्तव्य दिए।

इस सप्ताह के दौरान सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के 45 मामले उठाए। नियम 377 के अधीन भी 54 मामले उठाए गए।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने गत सप्ताह के दौरान दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

गत सप्ताह व्यवधान एवं स्थगन के कारण 3 घंटे 32 मिनट बर्बाद हुये और इस समय की क्षतिपूर्ति हमने 12 घंटे 28 मिनट देर तक बैठकर की।

मैं इस समय कार्यवाही का निर्बाध संचालन करने में अध्यक्षपीठ को दिए गए सहयोग के लिए माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—जारी

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 तथा 2007-2008) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशानुसार कोयला और इस्पात संबंधी समिति की 21वीं और 24वीं रिपोर्ट में शामिल खान मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 21वीं और 24वीं रिपोर्ट, लोक सभा में क्रमशः 19.12.2006 और 27.04.2007 को प्रस्तुत की गई है जो खान मंत्रालय की वर्ष 2006-07 और 2007-08 की अनुदान मांगों के लिए थी। इस पर की गई कार्रवाई का विवरण दिनांक 5.12.2007 और 7.11.2007 को समिति कार्यालय को भेज दिया गया है। समिति की 21वीं रिपोर्ट में 6 सिफारिशें और 24वीं रिपोर्ट में 17 सिफारिशें थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करना अपेक्षित था।

इनके कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I और II में बतायी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं, इस अनुबंध को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और यह अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा गया मान लिया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. सं. 8432/2008]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले दासमुंशी जी को सुन लीजिये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष जी, आप सब को जरूर सुनेंगे और सब को सुनना भी चाहिये लेकिन मेरा एक आग्रह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी का कालिंग अटेंशन लगा हुआ है, उसे पहले कर लें। बाद में मैम्बर्स को सुनिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

आप सब बैठ जायें। प्रभुनाथ सिंह जी और गुरूदास दासगुप्ता जी आप भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोशिश करता हूं कि पहले हर पार्टी के दो-चार मैम्बर्स के, जिनके इम्पार्टेंट मैटर्स हैं, सुन लेता हूं। आप भी कोशिश करें कि शोर न हो। मैं एक-एक करके सब को बुलाऊंगा। दो-चार सदस्यों के जो इम्पार्टेंट मैटर्स हो, वे उठाये। सब से पहले सुखदेव सिंह ढींडसा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ ढींडसा जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, महंगाई के मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। सब को टाइम मिलेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

पाकिस्तान की हिरासत में एक भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह को फांसी की सजा दिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने कह दिया है कि सब को टाइम दूंगा तो पहले ढींडसा जी को सुन लीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत सीरियस मामला है। आप पहले इन्हें सुन लीजिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज विदेश मंत्री ने सरबजीत सिंह मामले पर बयान दिया है लेकिन आपको मालूम है कि उसे फांसी किसी और नाम से दी जा रही है। सरकार ने बयान में यह नहीं बताया कि अब वह क्या कर रही है, क्योंकि एक आदमी की जान जा रही है। मैं टी.वी. पर देख रहा था कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि यहां हमारे आदमी भी हैं। इसका मतलब यह है कि वह कोई सौदेबाजी करना चाहता है। उसके बारे में सरकार बताये कि जो पाकिस्तान के आदमी इधर हैं या ऐसा करते हैं कि इधर के दो आदमी छोड़ दो और दो उधर के छोड़ दो? एक आदमी की जान बचाने के लिये सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहता हूं और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब हम इस हक में है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के आपस के संबंध ठीक होने चाहिये, फिर अगर उसे फांसी लग जायेगी तो दोनों देशों के बीच में दूरी और बढ़ जायेगी। इसलिये सरकार को और कोशिश करनी चाहिये कि इस मामले को सुलझाये। आपने कल टी.वी. पर देखा होगा कि उसकी बहन और एक नौजवान राहुल गांधी जी से मिले हैं। उन्होंने एश्योरेंस दी थी, उसका अभी तक क्या हुआ? क्या सरकार उसे बचाने के लिए कोई कोशिश कर रही है? मैं चाहूंगा कि इन्हें, यह एश्योरेंस भी देनी चाहिए कि ये आगे क्या कर रहे हैं? यह ठीक है कि पिछले फेक्ट्स इन्होंने दे दिए, लेकिन अभी तक इन्होंने यह नहीं बताया कि ये क्या कर रहे हैं? यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को इन्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक इंसान की जान बचानी चाहिए और उसके लिए पूरा जोर लगाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रूपचंद पाल जी की स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इनके साथ एसोसिएट करना है, वे अपने नाम भिजवा दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं श्री सरबजीत सिंह के बारे में अपने सम्मानित सहकर्मियों द्वारा व्यक्त भावनाओं और सरकार की चिन्ता से सहमत हूं लेकिन इसके साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहता हूं कि महंगाई की हालत ऐसी हो गई है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह मामला उठाने के लिए आपको बाद में समय दूंगा। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। मैंने वादा किया है कि आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जिन-जिन माननीय सदस्यों ने एसोसिएट करना है, वे अपने नाम भिजवा दीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विदेश मंत्री जी का बयान हुआ। सर्वजीत के फांसी के सवाल पर पूरा देश चिन्तित है और इसके लिए जगह-जगह दुआएं हो रही हैं। पंजाब विधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है और प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह किया है कि सर्वजीत के मामले में पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करके उसकी जान बचाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वजीत सन् 1990 से पाकिस्तान की जेल में बंद है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों को भी सर्वजीत से मिलने नहीं दिया गया। वहां सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति जी के पास उसकी जो दया याचिका गई, वह भी खारिज कर दी गई। यह स्थिति बहुत ही हृदय विदारक है। आज अखबारों में सर्वजीत की दोनों बेटियों, सपनदीप और पूनम का बयान छपा है। पूनम ने कहा कि मैंने अपने पिता को देखा भी नहीं, मैं उस समय दो महीने की थी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि जिस वक्त हमारे पिता जी को फांसी दी जाएगी, हम भी उसी वक्त खुदकशी कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मैं आपके मार्फत चाहूंगा कि लोक सभा सर्वजीत की जान को बचाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करे। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, हम सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप बातचीत के जरिए कोई हल निकालें क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया जो होनी थी वह पूरी हो चुकी है। हम विश्वास करते हैं कि भारत सरकार इस पर प्रभावी पहल करेगी और सर्वजीत की जान को बचाने का काम सरकार जरूर करेगी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल साहब को एसोसिएट कर लें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री ढींडसा साहब ने सर्वजीत के मामले में जो सेंटीमेंट सदन में व्यक्त किए हैं, उसकी जान बचाने के लिए केन्द्र सरकार को जो भी पहल या जो भी डिप्लोमेटिक रणनीति या तरीका हो, उस तरीके को एडोप्ट करना चाहिए, क्योंकि आज सम्पूर्ण देश इस बात के लिए चिन्तित है और यह सेंटीमेंट का सवाल है। आज इस सवाल पर समूचा देश एकमत है। यह सर्वोच्च संसद है, इसलिए केन्द्र सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि पहले भी अदला-बदली की परम्परा रही है, जो भी हो, इसे आप डिप्लोमेटिक तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन

इस मामले को जरूर गंभीरता से लेना चाहिए और हर हालत में सर्वजीत को फांसी से बचाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति है, उससे पूरे देश में एक अजीब माहौल पैदा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग माननीय सदस्य के सेंटीमेंट्स के साथ हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक मिस्टेकन आईडेंटिटी है। श्री मंजीत सिंह के नाम से मामला दर्ज हुआ और श्री मंजीत सिंह की बजाय फांसी श्री सर्वजीत सिंह को लगाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि डी.एन.ए. टैस्ट करा लिया जाए। सब चीजें देखने के बाद भी एक निर्दोष आदमी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। वहां नए लोग चुन कर आए हैं। वहां एक नई सरकार बनी है। उनसे बातचीत की जा सकती है और श्री सर्वजीत सिंह को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। यह सारे सदन की भावना है जिसे हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में लोकतन्त्र की वापसी हुई है। चुनाव हुए हैं। एक नयी सरकार ने कार्यभार संभालना है। मैं पाकिस्तान के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस मुद्दे को भारत की जनता के प्रति सद्भावना की दृष्टि से समझें क्योंकि भारत और पाकिस्तान की आपसी सद्भावना से दोनों देशों को मदद मिलेगी अतः मैं पाकिस्तान की संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे पाकिस्तान की सरकार के तानाशाह मुखिया पर क्षमादान आदेश जारी करने हेतु दबाव बनाएं। मैं पाकिस्तान की संसद के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों और पाकिस्तान की जनता से अपील करता हूं। भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्वक रहना चाहिए न कि परस्पर विरोध के साथ। यदि ऐसा होता है तो यह दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान की नयी सरकार को नयी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई निर्दोष आदमी फांसी पर न चढ़े, माननीय मंत्री जी से थोड़ा और दृढ़ एवं सक्रिय होने और तेजी से कार्रवाई करने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, ...*(व्यवधान)* अरे भाई हमें बोलने दीजिए न आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश से प्राइस राइस के इश्यू पर धरना देने के लिए लोग जन्तर-मन्तर पर आए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी की बात सुनने के बाद, मैं आपको बोलने का समय दूंगा। इसलिए अभी आप कृपया बैठ जाइए। अब श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई। आप हमें बोलने ही नहीं देते हैं। प्राइस राइज का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है और श्री सर्वजीत सिंह की रिहाई के मामले पर पूरा सदन एक है, तो फिर इस मामले पर अब आगे बहस की क्या जरूरत है। अब आप हमारा इश्यू ले लीजिए और हमें बोलने का अवसर दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : अरे भाई, आप बैठ जाइए। हमारी बात खत्म होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, आपने मुझे सुबह आश्वासन दिया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं इसके बाद आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद आप सदन की बैठक लंच के लिए एडजर्न कर देंगे और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मैं वॉक-आउट करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.29 बजे

इस समय मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि बृज किशोर त्रिपाठी जी की बात सुनने के बाद मैं आपका इश्यू लूंगा और आपको बोलने के लिए अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी के बाद आपका इश्यू लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सैकंड के लिए त्रिपाठी जी को सुन लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनेंगे या नहीं। आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने मुझे नोटिस दिया है...

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने कहा है कि त्रिपाठी जी के बाद मैं आपको बोलने, गुप्ता जी को बोलने के लिए टाइम दूंगा। मेरा ख्याल है कि सरबजीत सिंह के केस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। हाउस इसमें एग्री है कि सरकार को इस बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर सदस्यों का समर्थन करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि सरकार को एक संकल्प पारित करना चाहिए ताकि इस सभा के सर्वसम्मत विचार पाकिस्तान की सरकार तक पहुंच सकें और वे नरम रूख अपना सकें। एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह निर्दोष है। इसलिए हमारी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अन्य सदस्यों का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार शीघ्र आगे आए और इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया बताए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा के सभी सदस्य इस मुद्दे पर सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : महोदय, मैं डीएमके की ओर से, इस मुद्दे पर यहां जो भी विचार अभिव्यक्त किए गये हैं उनका समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी-अपनी पर्ची भेजने वाले माननीय सदस्यों, नामत: डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य, श्री महावीर भगोरा, श्री धनसिंह रावत, श्री अनन्त नायक, श्री गनेश सिंह, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्री काशीराम राणा, डा. वल्लभभाई कथीरिया, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री रामस्वरूप कोली,

को इस विषय के संबंध में अपना समर्थन देने की अनुमति दी जाती है।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि कूटनीतिक तरीके से और उच्चतम पद के उपयोग से एक जीवन बचाए जाने के जांचोपाय का पता लगाए जाने को लेकर सरकार और इस सदन के सदस्यों की दो राय नहीं है। लेकिन न्यायालय के निर्णय पर संकल्प पारित किए जाने के मामले में, जैसा कि मुझे लगता है, हम लोगों ने किसी भी संसद को ऐसा करते हुए नहीं सुना है। इसलिए संदन से मेरा आग्रह है कि उस देश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं। माननीय और कूटनीतिक तरीके तथा उच्चतम पद का उपयोग करते हुए हम 2005 से ही उस मामले पर क्रमागत रूप से वार्तालाप कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय विदेश मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य जो कि महत्वपूर्ण हैं, के अंतिम पैरे में स्पष्ट कहा, कि हम मानवीयता के आधार पर क्षमादान के लिए उस सरकार से आग्रह करें।...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : यह एक व्यक्तिगत विफलता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप अपना विचार जैसा चाहें वैसा व्यक्त कर सकते हैं लेकिन यह समझने की कोशिश कीजिए कि एक सरकार का दूसरे सरकार के साथ कैसा संबंध होता है। आपको जानना चाहिए। मैं आपको जवाब देने नहीं आ रहा हूं...*(व्यवधान)*। इसलिए, महोदय, मैं निष्ठापूर्वक इस सदन की भावना से प्रधानमंत्री महोदय को अवगत करा दूंगा। जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले को लेकर हर रोज और हर मिनट वार्ता हो रही है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं इस भावना से प्रधानमंत्री महोदय को निष्ठापूर्वक अवगत करा दूंगा। हम सब सदन की भावना के साथ हैं। यदि आप सरकार को इस या उस संकल्प को पारित करने के लिए बाध्य करते हैं, तो मेरे लिए इस समय कुछ कह पाना कठिन होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं, खाद्यान्न कोटा में कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से उत्पन स्थिति पर श्री रूपचंद पाल से बोलने का आग्रह करूंगा।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, हम सरकार से बार-बार अनुरोध करते रहे हैं कि चूंकि इस बढ़ती महंगाई का गरीबों पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस बात को प्रधानमंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है, इसलिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की बजाय उन्होंने केरल के संबंध में चावल के आवंटन में भारी कटौती कर दी है जो कि 88 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में गेहूं के आवंटन में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस देश की समस्त जनता आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत, विशेषकर खाद्यान्नों की बढ़ती कीमत से त्रस्त है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए। इसमें केवल रूपचंद पाल के वक्तव्य को शामिल किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय इस राष्ट्र को आश्वस्त करें कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत को कम करने और देश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत विशेषकर खाद्यान्नों की बढ़ती कीमत से बचाने के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी।...*(व्यवधान)*

हजारों लोग जंतर-मंतर में इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा विधानसभाओं के विधायक वहां आए। संसद सदस्य भी धरना पर बैठते रहे हैं। हम इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय से मिलने जा रहे हैं ताकि सरकार लोगों को महंगाई से बचाने; सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ बनाने और केरल को चावल का कोटा और पश्चिम बंगाल को गेहूं का कोटा तथा अन्य राज्यों को इसी प्रकार का कोटा आवंटित करने तथा बहाल करने के लिए जिन-जिन कदमों को उठाए जाने पर विचार कर रही है, उसके बारे में वक्तव्य दे।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, इस संबंध में मैं सम्पूर्ण सभा का ध्यान चाहता हूं। बढ़ती महंगाई का मुद्दा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बैठक करने का कोई स्थान नहीं है। श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल, कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें। श्री गुरूदास दासगुप्त बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हरेक वस्तु की कीमत में आग लगी हुई है और सर्वत्र उस आग को महसूस किया जा रहा है। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और असहनीय है। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में चौतरफा वृद्धि हुई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में श्री गुरूदास दासगुप्त के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, ऐसा नहीं होगा। रिकार्ड पर आपका कुछ नहीं आ रहा है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे महंगाई रूपी दानव के विस्तार को समझने की कोशिश करें क्योंकि यह देश को अपने चपेट में ले रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए बजट जिम्मेदार है। आर्थिक सुधार जिम्मेदार है। सट्टेबाजी पर आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित की गई है। वही सट्टेबाजी आधारित अर्थव्यवस्था कब चुनौती बन गई है। महंगाई के मामले में सरकार का रवैया संदेहास्पद रहा है। विगत चार वर्षों से हम इसी पर चर्चा करते रहे हैं। श्री पी. चिदम्बरम यह कहते रहे हैं कि वह महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय कर रहे हैं। लेकिन श्री चिदम्बरम महंगाई को काबू करने में बुरी तरह असफल रहे...*(व्यवधान)[हिन्दी]* आप सुनो न, क्या कर रहे हो। हमको बोलने दो। *[अनुवाद] (व्यवधान)*...श्री डी.पी. यादव, क्या मुझे आपके अनुसार बोलना चाहिए?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त, कृपया आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिए। आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : सवाल यह है कि सरकार का आश्वासन अर्थव्यवस्था के संबंध में बेअसर रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपको ही बोलने की आदत हो गई है...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप एक नियम बना दीजिए कि हाउस में जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ हैं उस हिसाब से आप बुलाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : हमने कुछ नहीं बोला।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अब संसद नियम के अनुसार चलेगी। जिस पार्टी की नियम से जितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से बुलाइये। ...*(व्यवधान)* उसी आधार पर बुलाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ...*(व्यवधान)* हम नहीं मानेंगे।... *(व्यवधान)* हमने आपसे रिक्वैस्ट की थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारी पार्टी के 25 मैंबर्स लोकसभा में हैं।...*(व्यवधान)* यह संसद की परंपरा है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंग्थ के हिसाब से बुलाया जाता है।...*(व्यवधान)* बराबर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम इस अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे। आप संख्या के हिसाब से बोलने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : महोदय, सबसे कम मौका बीजेपी के लोगों को मिलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, मुझे किसी से न तो खास हमदर्दी है और न किसी से नफरत है। आपको शायद यह पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तो नेम अंडरलाइन नहीं किया, इसके बाद आपका ही नाम था। अगर आपको ही ऐतराज है, तो मैं किसी और को चांस देता हूं। आप चेयर के बारे में ही ऐसा क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सदन की परंपरा और नियमों के तहत ही हाउस चलेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियम के तहत ही चला रहे हैं। हमें पता है कि कैसे हाउस चलाना है? आप बगैर मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : न्यूमेरिकल स्ट्रेंग्थ के हिसाब से हाउस चलाना चाहिए।...*(व्यवधान)* सोमवार को कहा गया था कि मंगलवार को हमें समय दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं केवल एक मिनट में समाप्त करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त जी, कृपया एक मिनट इन्तजार करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए। मैं उपलब्ध समय में कुछ करूंगा। आप सदन का समय बर्बाद कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक ओर मूल्य बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह समाप्त होती जा रही है। यह राजनीतिक कारणों से हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार की नीति के विरुद्ध बहिर्गमन करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

इस समय, श्री गुरूदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ये आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य है जहां राशन के लिए दंगा हुआ है क्योंकि पूरे सार्वजनिक वितरण खाद्यान्न भंडार को कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा लूट लिया गया है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बगैर मतलब रोड़ा खड़ा कर दिया, जिसका रिजल्ट यह निकला।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं चार दिन से लगातार नोटिस दे रहा हूं। मैं मतलब से यह बोल रहा हूं। चेयर से इसके लिए नियमन हुआ था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : बगैर मतलब आपने रोड़ा खड़ा कर दिया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, फ्राइडे को चेयर से नियमन हुआ था, जब माननीय सदस्य रामकृपाल जी ने इस सवाल को उठाया था और चेयर से कहा गया, तब मैंने इस सवाल का नोटिस दिया है कि आप इसे सोमवार को उठायें। यह चेयर से नियमन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपका नाम आलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, यह विषम परिस्थिति है कि चेयर से कोई बात कही जाए, और उसके नियमन का अनुपालन न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही लिस्ट किया हुआ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिस पार्टी की जितनी न्यूमैरीकल स्ट्रैन्थ है, उसके अनुसार उन्हें समय दिया जाए। हम जनता से मैनडेट लेकर आते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में ऐसा नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : किसी भी सब्जैक्ट पर आप उसका ध्यान नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में करैंट मसलों, महत्वपूर्ण मसलों को लेना पड़ता है, लीडर्स की बात भी सुननी पड़ती है। उसे चेयर को देखना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, चेयर को अथाह पावर है, आसन के पास पूरी ताकत है, लेकिन आसन की शक्ति का इस्तेमाल भी ठीक होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस चेयर पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हम उसका अनुपालन करते हैं। हम कार्य संचालन नियमावली का अक्षरशः पालन करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आप अपना विशेष उल्लेख प्रारंभ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के अत्यन्त गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज असम में चाहे असंगठित मजदूर हों, बिहारी मजदूर हों, हिन्दी भाषा-भाषी मजदूर हों या देशभर के गैर-असमी मजदूर हों, उग्रवादियों द्वारा संगठित रूप से लगातार निशाना बनाकर उन पर हिंसक हमले किए जा रहे हैं और नरसंहार किया जा रहा है। यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। यह चिन्ता का विषय है। 9 मार्च, 2008 को डिब्रूगढ़ जिले में पांच ईट-भट्टे मजदूरों की हत्या कर दी गई। फरवरी में उग्रवादियों द्वारा नार्थ कछार हिल जिले में चार लोगों को जिन्दा जला दिया गया। 24 फरवरी को दो हिन्दी भाषा-भाषी लोगों को करबी आलोंग जिले में मार दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज असम में जो गतिविधि हो रही है, चाहे उग्रवादी संगठनों द्वारा हुई हो, वहां जिस तरह का वातावरण पनप रहा है, उससे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्य नहीं रहेगी। इस तरह की घटनाएं लगातार हों, उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए, असम सरकार केवल मूकदर्शक बनी हुई है। केन्द्र सरकार से कहा जा रहा है कि पैरा-मिलिट्री फोर्स जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि यह सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? बस सकता है, रोजी-रोटी कमा सकता है।...*(व्यवधान)* इसके बावजूद संविधान में दिए गए प्रावधान को खंडित किया जा रहा है।

हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और वहां तुरंत ज्वाइंट आपरेशन चलाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीरेन रिजीजू को भी इनके साथ एसोसिएट किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, हमें भी बोलने का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी, मेरे पास आपका नोटिस नहीं है, लेकिन इनका नोटिस आ गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य इनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वे मुझे स्लिप भेज दें।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह बात सही है कि असम में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, बिहार के हिन्दी भाषी लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हमने कई बार इस विषय को उठाया है। असम सरकार और केन्द्र सरकार को इस बारे में रिस्पौंड करना चाहिए। हमारा मानना है कि फैडरल सिस्टम में एक-एक इंच जमीन पर किसी भी व्यक्ति को जाने का अधिकार है।...*(व्यवधान)* आज लोग नौकरी की तलाश में अरब कंट्रीज और अमरीका जा सकते हैं तो वे अपने देश में भी कहीं जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषी लोगों की रक्षा होनी चाहिए। यह सरकार हिन्दी भाषी लोगों की रक्षा करने में नाकामयाब रही है क्योंकि बिहार में कांग्रेस को केवल नौ सीटें मिली हैं।...*(व्यवधान)* इन्हें बिहार के लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। ...*(व्यवधान)* बिहारी लोगों की हत्याएं हो रही हैं और कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हिन्दी भाषी लोगों पर इस सरकार के जमाने में जो जुल्म, ज्यादती हुई है, उसके लिए सरकार नींद से जागेगी और हत्याओं को रोकने का प्रयास करेगी। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* आज बड़ी तादाद में लोग वहां से पलायन कर गये हैं। लोगों की हत्या हो रही है।...*(व्यवधान)* यह विषय बहुत गंभीर है इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उन लोगों की रक्षा की जाये।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के साथ अपने को संबद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रिजीजू जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करिये।

(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : मैं एसोसियेट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके साथ मेरा एक टॉपिक बम ब्लास्ट का भी जुड़ा हुआ है। मैं इसे कैसे एसोसियेट करके छोड़ दूं।...*(व्यवधान)* मैं इस बारे में आपको रेगुलर नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैंने दो इश्यू पर नोटिसेज दिये हैं।...*(व्यवधान)* राम कृपाल जी आप सुनिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस इश्यू पर उन्होंने नोटिस दिया है। उनका नाम लिस्ट में है।

(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : इन दोनों इश्यूज को समझना होगा।...*(व्यवधान)* राम कृपाल जी, आप एसोसियेट कर दीजिए।...*(व्यवधान)* यह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रिजीजू जी, आप अपनी बात कन्टीन्यू रखिये।

(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू : मैं दो मुद्दे उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक बार में केवल एक मामला ही उठा सकते हैं। मैं आपको दो मामलों की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : अगर ऐसा है, तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

मैं एक मिनट में अपनी बात कैसे खत्म कर सकता हूं।...*(व्यवधान)* मैंने जो नोटिसेज दिये हैं, उनको आप देखिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, वहां हिन्दी भाषियों को लगातार मारा जा रहा है, यह एक मुद्दा है। इस बारे में अभी दो माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं उनके साथ अपने को एसोसियेट करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां लगातार बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं। यह बात भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर दिल्ली में हर दिन बम ब्लास्ट होगा, तो क्या सांसद चुप बैठेगा? वहां हर दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं जिसमें काफी लोग मारे जा रहे हैं। यह भी एक सोची समझी साजिश है। वहां हिन्दी भाषियों को मारकर भगाया जा रहा है। सारे बंगलादेशी आसाम में आकर बैठे गये हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसे समझना चाहिए। अपर आसाम से लगभग 80

[श्री कीरेन रिजीजू]

प्रतिशत बिहारी और अन्य हिन्दी भाषी लोग पलायन कर चुके हैं। हमारी मांग है कि इस पर सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। वहां राज्य सरकार बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी सभी नोटिसेज शाम को लिये जायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों श्री गिरधारी यादव और श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव को श्री डी.पी. यादव द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी सभी नोटिससेज शाम को लिये जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी के नोटिसेज शाम को लेंगे। मैं खुद ये नोटिस लूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेगौडा जी की स्पीच के अलावा कोई और बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.52 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक में तम्बाकू के अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रति खलिहान कोटे में वृद्धि किए जाने और तम्बाकू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें:

> "कर्नाटक में तम्बाकू के अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रति खलिहान कोटे में वृद्धि किए जाने और तम्बाकू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता।"

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस वक्तव्य से पढ़ना नहीं चाहता परन्तु यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। 12 मार्च को, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जो देश में तम्बाकू उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य हैं, के तम्बाकू उत्पादकों का एक शिष्टमंडल मुझसे मिला और मैंने उनके साथ दो घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप ये टिप्पणियां उत्तर देते समय कर सकते हैं।

श्री जयराम रमेश : महोदय, ठीक है। वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

***1. किसानों पर लगे जुर्माने को हटाना**

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग, बचे हुए भंडारों, व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा अनुमानित मांग और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन परिदृश्य पर विचार करते हुए तम्बाकू बोर्ड प्रत्येक वर्ष फसल की मात्रा निर्धारित करता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष उत्पादक प्राधिकृत कोटे से अधिक तम्बाकू का उत्पादन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप फार्म कीमतों में गिरावट आई है। इसके कारण किसानों द्वारा बार-बार आन्दोलन किए जाते हैं और सरकार को कानून का पालन करने वाले किसानों के हितों के संरक्षण करने की दृष्टि से अधिक फसल उत्पादन पर जुर्माना लगाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भारत डब्ल्यू एच ओ के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण संबंधी कार्यढांचा अभिसमय का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता है और भारत के लिए तम्बाकू की मांग के साथ-साथ आपूर्ति में कटौती करने के लिए समुचित उपाय करके अपनी वचनबद्धता को पूरा करना अनिवार्य है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

प्राधिकृत फसल मात्रा से अधिक उत्पादन हेतु जुर्माना इस समय 2 रुपए प्रति किग्रा. और 15 प्रतिशत सेवा प्रभार है। इसे वर्ष 2005-06 में काफी विचार-विमर्श करने के बाद निर्धारित किया गया था जब सरकार इस विचार पर पहुंची कि अधिक/अनधिकृत फसल के विपणन पर जुर्माना लगाने से तभी निवारक प्रभाव पड़ेगा यदि ये कुछ अधिक हों और प्राधिकृत फसल के साथ घोषित किए जाएं।

इस संबंध में वर्ष 2000-01 के पूर्ववर्ती अनुभव पर विचार करने की जरूरत है जब वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में अनधिकृत फसल उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण कीमतों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के कारण आंध्र प्रदेश में फसल अवकाश घोषित करना पड़ा था। तथापि आंध्र प्रदेश में फसल अवकाश के बाद अनधिकृत फसल मात्रा में पुनः वृद्धि होनी शुरू हो गई और अकेले आंध्र प्रदेश में 2004-05 में ये 41.94 मि. किग्रा. तक पहुंच गई। परिणामस्वरूप सरकार को जुर्माने को 1 रुपए प्रति किग्रा. और 1 प्रतिशत के सामान्य सेवा प्रभारों से बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक लाना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अनधिकृत फसल में भारी गिरावट आई थी।

तथापि, तम्बाकू उत्पादकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस तथ्य पर तम्बाकू बोर्ड के विचार मांगे हैं कि क्या बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए जुर्माने को घटाने के बजाय फसल आकार को बढ़ाने की जरूरत है। बाजार मांग द्वारा समर्थित उच्चतर फसल आकार से जुर्माने की दर पूर्ववत रहने पर भी समग्र जुर्माने में कमी आ जाएगी। तम्बाकू बोर्ड के विचार प्रतीक्षित हैं।

जहां तक जुर्माने की राशि के उपयोग का संबंध है, सरकार ने बोर्ड को यह सलाह दी है कि वे तम्बाकू किसानों के लाभार्थ और वैकल्पिक फसलों/मूल्यवर्धित उत्पादों के जरिए उनकी आय को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए उनके पास उपलब्ध बेशी निधि के उपयोग के बारे में नवीकारी तरीकों की सलाह दें। तम्बाकू बोर्ड के संबंध में परिपूर्ण समीक्षा की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जुर्माने की राशि को फसलोत्तर चरण में तम्बाकू किसानों के लिए पुनः उपयोग में लाया जाए और उसका उपयोग तम्बाकू प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण में किया जाए।

2. बार्न संबंधी कोटे और प्राधिकृत फसल आकार को बढ़ाना

तम्बाकू बोर्ड के प्रमुख कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप एफ सी वी तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करना है ताकि उत्पादों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित की जा सकें और अतिरिक्त उत्पादन के कारण बाजार में तम्बाकू की भरमार से बचा जा सके। इस उद्देश्य को व्यापार (आई टी) द्वारा प्रदत्त निर्यात मांग संबंधी पूर्वानुमानों वैश्विक उत्पादन परिदृश्य, अग्रनीत स्टॉक तथा घरेलू अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखने के बाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के लिए प्रति वर्ष फसल आकार निर्धारित करके प्राप्त किया जाता है।

पिछले 7 वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए निर्धारित फसल आकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो वर्ष 2001-02 में 38.07 मिलि. किग्रा. से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 95.00 मिलि. किग्रा. हो गया है। कर्नाटक में निर्धारित फसल आकार तथा वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादकों की संख्या	बार्नों की संख्या	निर्धारित फसल आकार (मिलि. किग्रा.)	10 प्रतिशत प्राकृतिक अनुकूलता सहित फसल आकार	उत्पादित-वास्तविक फसल (मिलि. किग्रा. में)	प्रति सिम्पलैक्स बार्न कोटा
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	18751	25207	38.07	41.87	57.68	1500
2002-03	19351	25886	50.00	55.00	63.26	1900
2003-04	19702	26330	53.00	58.30	73.69	1750

[श्री जयराम रमेश]

1	2	3	4	5	6	7
2004-05	39702	55425	67.00	73.70	90.34	1750
2005-06	40544	56630	76.56	84.21	82.91	1350
2006-07	40641	56531	84.00	92.00	96.98	1480
2007-08	40740	56514	95.00	95.00	87.66*	1675

*निर्धारित फसल आकार से भी कम।

यह नोट किया जा सकता है कि कर्नाटक में अनधिकृत बार्नों को नियमित किए जाने के कारण वर्ष 2004-05 के दौरान बार्नों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1997 से 2004 के बीच उपजकर्त्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में बार्नों का अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया था और इन उपजकर्त्ताओं ने अनधिकृत रूप से तम्बाकू की खेती करनी शुरू कर दी थी। इन अनधिकृत बार्नों को नियमित करने संबंधी मुद्दों को उपजकर्त्ताओं, उपजकर्त्ता सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों तथा कर्नाटक सरकार द्वारा उठाया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2004-05 के दौरान भारत सरकार ने बोर्ड को 29374 अनधिकृत बार्नों को नियमित करने का निर्देश दिया था और वर्ष 2005-06 के दौरान एक बार फिर 1247 अनधिकृत बार्नों को नियमित किया गया था। इन अनधिकृत बार्नों को नियमित किए जाने से सभी बार्नों के बीच फसल की मात्रा को पुनर्वितरित किया गया था और प्रति बार्न कोटा 1750 किग्रा. से कम होकर 1350 किग्रा. हो गया है। फसल मात्रा में बढ़ोतरी होने से अब पिछले मौसम के दौरान प्रति बार्न कोटा को बढ़ाकर 1675 किग्रा. कर दिया गया है।

तम्बाकू बोर्ड की परिपूर्ण समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 13.12.2007 को आयोजित बैठक, जिसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य सचिव उपस्थित थे, के दौरान एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि तम्बाकू बोर्ड द्वारा फसल मात्रा निर्धारित करने संबंधी वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तम्बाकू बोर्ड बाजार की मांग पर विचार करके फसल की एक उचित मात्रा निर्धारित कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006-07 के दौरान तम्बाकू का वास्तविक उत्पादन 96.98 मि.किग्रा. (जो कर्नाटक की अभी भी अधिकतम विपणित मात्रा है।) था जबकि वास्तविक फसल मात्रा 92.00 मि.किग्रा. थी। वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परवर्ती वर्ष अर्थात् वर्ष 2007-08 में फसल मात्रा को बढ़ाकर 95.00 मि.किग्रा. कर दिया था जो उच्चतम उत्पादन के करीब थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 87.66 मि.किग्रा. था जो निर्धारित फसल मात्रा से 7.34 मि.किग्रा. कम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने कर्नाटक के लिए फसल मात्रा को उदारतापूर्वक निर्धारित किया है। बोर्ड द्वारा अधिकृत वास्तविक फसल मात्रा और कोटा का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया था। इसके बावजूद बोर्ड ने दिनांक 15.03.2008 को बेंगलूर में आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2008-09 के लिए कर्नाटक हेतु 100.00 मि.किग्रा. फसल मात्रा की अनुशंसा की है। इसे भी किसी मध्यावधि समीक्षा के अधीन किया गया है। यह कर्नाटक के लिए अब तक निर्धारित सर्वाधिक फसल मात्रा है और कर्नाटक. सर्वाधिक फसल मात्रा है और यह कर्नाटक में अब तक दर्ज किए गए वास्तविक उत्पादन से भी अधिक है। एफसीवी तम्बाकू हेतु, भावी मांग का एक अत्यधिक आशावदी चित्र प्रस्तुत करने के बावजूद व्यापार इस वर्ष कर्नाटक में केवल 50 रुपए/किग्रा. (और वह भी अनेक शर्तों के अध्यधीन) की न्यूनतम गारंटीशुदा कीमत देने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है हालांकि कर्नाटक में पिछले वर्ष की औसत प्राप्ति 59.23 रुपए/किग्रा. थी। इस प्रकार कर्नाटक के किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है।

इस संबंध में एफसीटीसी के अंतर्गत भारत सरकार की वचनबद्धताओं को भी ध्यान में रखना होता है। एफसीटीसी संबंधी वचनबद्धताओं के बावजूद फसल का उत्पादन वर्ष दर वर्ष बढ़कर कर्नाटक के किसानों के हित का संरक्षण किया जाता है।

3. एसओपी पर सब्सिडी

तम्बाकू बोर्ड बैंकों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण प्रदाय की व्यवस्था के अंतर्गत सीटीआरआई की सिफारिशों के अनुसार उपजकर्त्ताओं को अपेक्षित उर्वरकों की प्रतिवर्ष आपूर्ति कर रहा है।

तम्बाकू की खेती में म्यूरेट ऑफ पोटाश (एफओपी) का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह तम्बाकू की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अत: तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को अनिवार्यत: सल्फेट ऑफ पोटाश (एसओपी) का ही उपयोग करना पड़ता है। सल्फेट ऑफ पोटाश (एसओपी) की लागत में 2008-09 मौसम में भारी वृद्धि हुई है। 2007-08 मौसम में एसओपी की कीमत 16729/- रुपए प्रति टन थी। एसओपी का विनिर्माण हमारे देश में नहीं किया जाता और इसकी समस्त आवश्यकता की पूर्ति आयातों से की जाती है। देश में एसओपी की कुल खपत लगभग केवल 27000 मी. टन है। भारत सरकार म्यूरेट ऑफ पोटाश पर सब्सिडी दे रही है। एसओपी पर सब्सिडी देने के संबंध में तम्बाकू उत्पादकों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए मैने एमओपी के समान स्तर पर एसओपी पर भी सब्सिडी देने के संबंध में रसायन एवं उर्वरक मंत्री को दिनांक 11.8.2006 को पत्र भेजा था। यह मामला अब रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के विचाराधीन है जिसे इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना है।*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैंने सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य को पढ़ा है। मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादक प्राधिकृत कोटे के अतिरिक्त तम्बाकू का बहुत अधिक उत्पादन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप खेती के मूल्यों में कमी आ रही है। साथ ही, मैंने तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिकतम सीमा 100 मिलियन कि.ग्रा. तक बढ़ाए जाने के लिए पारित संकल्प को भी देखा है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यदि उत्पादन प्रत्येक वर्ष गिरता जाएगा तो कोटा 100 मिलियन कि.ग्रा. तक बढ़ाए जाने का निर्णय लेने की आवश्यकता है।

एक अन्य मुद्दा और जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है वह यह है कि वर्ष दर वर्ष कोटा की समीक्षा की जाएगी। उनके विवरण में दी गई सारणी के अनुसार, 2001-02 से 2007-08 तक फसल उगाने वालों की संख्या 18,751 से बढ़कर 40,740 हो गई है। यह प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। पैदावार 95 मिलियन कि.ग्रा. है। यह 56 मिलियन कि.ग्रा. से आरंभ हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर के अलावा और जिसकी 40 देशों में मांग है। वस्तुत: कर्नाटक के किसानों की समस्या क्या है जो बेहतरीन गुणवत्ता के तम्बाकू का उत्पादन करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब वे इतनी अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, फिर कर्नाटक के फसल उगाने वालों पर प्रतिबंध क्यों है?

माननीय वाणिज्य मंत्री ने 2005 में मुझे आश्वस्त किया कि यह एक रुपए की शास्ति केवल एक अस्थायी उपाय है बशर्ते कि वही एक रुपए की शास्ति लौटाई जाए। परन्तु, आज शास्ति को बढ़ाकर दो रुपए कर दिया गया है और जो अन्य उपकर लगाया गया है 15% तक बनता है। इस पर लगभग 10 लाख परिवार निर्भर हैं। मैं इसे पढ़ कर सुनाता हूं। आज अकेले फसल वर्ष 2006-07 में एफ सी वी तम्बाकू कृषकों को उपकर सेवा प्रभार और 25 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज के अतिरिक्त शास्ति के रूप में 9.2 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

क्या किसानों के प्रति इससे अधिक क्रूर या कठोर कोई निर्णय हो सकता है?

एक ओर, सरकार किसानों को 60,000 करोड़ रुपए की रियायत देने के लिए आगे आई है और दूसरी ओर सरकार उन किसानों पर शास्ति लगा रही है जो देश को इतनी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता दे रहे हैं और जो केन्द्र सरकार के खजाने में योगदान दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कर्नाटक के किसानों के प्रति इतना कठोर निर्णय क्यों लिया गया। मैं यह समझने में असमर्थ हूं। मैं सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 12.58 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं न ही मुझे आंध्र प्रदेश के किसानों को मिलने वाले लाभों से ईर्ष्या है। उनको उस लाभ का आनंद लेने दें। मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहता। वहां सरकार ने उन्हें प्रति खलिहान 4500 किग्रा. दिया है जबकि कर्नाटक में हमने केवल प्रति खलिहान 2500 किग्रा की मांग की हैं। कृषक समुदाय के हित में उनके अनुरोध पर विचार करने में क्या समस्या है?

मैंने वह विवरण पढ़ा है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि प्राधिकृत फसल क्षेत्र से अधिक पर उत्पादन के लिए वर्तमान में शास्ति 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और 15% सेवा शुल्क है। कर्नाटक के 60000 किसानों के लिए कुल मिलाकर यह राशि 25 करोड़ रुपए होगी।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

अपराह्न 1.00 बजे

आपने यह भी कहा कि इस शास्ति का उपयोग फसल बदलने के लिए किया जाना है ताकि तंबाकू उगाने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जाए और दूसरी फसलें उगाई जा सकें। परन्तु क्या किसी ने इसका परीक्षण किया है? यह भूमि, यह मिट्टी किसी अन्य फसल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यही यह एफसीवी तंबाकू ही एकमात्र फसल है जो इन दो जिलों के विशेषरूप से इन पांच या छः ताल्लुकों में आने के लिए उपयुक्त है। कोई अन्य फसल यहां आना संभव नहीं है लोगों का इतना उत्पीड़न क्यों किया गया है? मैंने सभा में ही 2004-05 में भी यह मुद्दा उठाया था। मैं उन्हीं वाणिज्य मंत्री जी द्वारा दिए गए विवरण को पुनः नहीं दोहराना चाहता। वह अत्यन्त सहृदय थे। मुझे अत्यन्त स्पष्ट ढंग से बात कहनी होगी। उन्होंने उगाए गए सारे अतिरिक्त तंबाकू को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। अब बोर्ड द्वारा अधिकतम सीमा का विर्धारण 100 मिलियन किग्रा. किया गया है। यदि यह स्थिति है तो यह शास्ति क्यों? कृपया इस शास्ति को हटाया जाए। जैसा कि आपने कहा 9 करोड़ रुपए की इस राशि का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा। वे कर्नाटक के किसानों का खून चूसकर इसे अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि अन्य क्रिया-कलाप कौन से हैं? फसल परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। मिट्टी किसी भी अन्य फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मेरा पहला अनुरोध है।

मैंने उर्वरक पर राजसहायता की मांग की थी। आज सरकार का उत्तर यह है कि उन्हें विदेश से आयात करना होता है; उन्हें 16,729 रुपए प्रति टन देना होता हैं। क्या आप उत्पादन लागत की गणना कर सकते हैं? पिछले वर्ष अधिकतम दर 59 रुपए प्रति किलो थी। यदि आप स्वयं 16729 रुपए प्रति टन एसओपी की बात स्वीकार करते हैं तो कृपया जो शास्ति लगाई गई है उसका पुनर्भुगतान कर दें।

वर्ष 2004 में इसी सभा में मैंने यह मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री जी इतने सहृदय थे कि उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन को स्वीकृति देने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि 1 रुपए की जो शास्ति लगाई गई थी वह गरीब किसानों को लौटा दी जाए।

अतएव मेरे दो मुद्दे हैं: पहला खलिहान की सीमा 2500 किग्रा. तक बढ़ाना और दूसरा किसानों पर से 9 करोड़ रुपए की शास्ति हटाना।

श्री जयराम रमेश : मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, परन्तु मैं यह अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम तंबाकू के मामले में उत्पादन की अधिकतम सीमा क्यों तय करते हैं? पहली बात यह कि भारत ने विश्वस्वास्थ्य संगठन के ''तंबाकू नियंत्रण संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेंशन'' पर हस्ताक्षर किया है और हमने उस समझौते के प्रति निष्ठा बनाई है जिसमें दीर्घावधि में तंबाकू को चरणबद्ध रूप से हटाने की शपथ ली गई है। तथापि, यह भी फसल की सीमा निर्धारित करने का मुख्य कारण नहीं है। अब हम केवल कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए ही फसल सीमा का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है, कि हमने भूतकाल में बार-बार देखा है और माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, कि जब भूतकाल में उत्पादन सीमा निर्धारित नहीं की गई थी तब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, दोनों ही राज्य जो देश के मुख्य तंबाकू उत्पादक राज्य हैं, में अत्यधिक उत्पादन किया गया और जिससे मूल्य गिर गए और किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इसी कारण से हमने उत्पादन सीमा लागू की, क्योंकि हम किसानों की परेशानी को समाप्त करना चाहते हैं। उत्पादन संबंधी इन सीमाओं की वर्ष दर वर्ष आधार पर सीमाक्षा की जाती है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य कोई भेदभाव नहीं है। यह उत्पादन सीमाएं बाजार मांग, मिट्टी की गुणवत्ता और पूर्व उत्पादन प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मैं समय-समय पर तंबाकू उत्पादकों से मिलता रहा हूं।

मैंने तंबाकू उत्पादक जिलों का दौरा किया है। 12 मार्च, 2008 को कर्नाटक के तंबाकू उत्पादकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझ से मिला। मैंने धैर्यपूर्वक उनकी सारी बात सुनी। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे ठीक वही मुद्दे हैं जो माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाए हैं।

पहले मैं उर्वरक पर राजसहायता मुद्दा सुलझा हूं क्योंकि वह उत्पादन पर सीमा निर्धारित करने के मुद्दे से कुछ आसान है। उर्वरक पर राजसहायता मामले में तंबाकू उत्पादकों ने सल्फेट ऑफ पोटाश पर राजसहायता की मांग की है जिसका तंबाकू की कृषि में प्रयोग होता है। महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं दुर्भाग्यवश पोटाश वाला दूसरा उर्वरक एमओपी, जो कि म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसे तंबाकू की कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जहरीला पोटाशियम क्लोराइड होता है। अतएव, सल्फेट ऑफ पोटाश प्रयोग किया जाता है। महोदय, अन्य तथ्य यह है कि भारत पिछले कई दशकों से और भविष्य मे भी पोटाश वाले उर्वरक आयात करता रहेगा। हम नाइट्रोजन वाले उर्वरक भारत में ही बनाते हैं; हम फॉस्फेट वाले उर्वरक भी स्वदेश में बनाते हैं परन्तु हमारे पास भारत में पोटाश वाले उर्वरक

का कोई स्रोत नहीं है। अतएव, पोटाश वाले उर्वरक शत प्रतिशत आयात किए जाते हैं। सल्फेट ऑफ पोटाश का आयात होता है। 50,000 टन सल्फेट ऑफ पोटाश का उपयोग होता हैं, जिसमें से लगभग 27000 टन तंबाकू उत्पादकों के लिए है। हमारी गणनाएं दर्शाती हैं कि तंबाकू किसानों को पांच रुपए प्रति किलोग्राम पर सल्फेट ऑफ पोटाश बेचने के लिए 1200 करोड़ रुपए वार्षिक की राजसहायता की आवश्यकता होगी। मैंने पिछले अगस्त में माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री को सल्फेट ऑफ पोटाश पर पूर्ण राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए लिखा था। तंबाकू उत्पादन इस मुद्दे से पूर्णतः अवगत हैं। मैंने इस मामले को उर्वरक विभाग के साथ परसों ही पुनरीक्षा की, और मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उर्वरक विभाग सल्फेट ऑफ पोटाश को राजसहायता प्रणाली के तहत लाने के लिए केबिनैट नोट की अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

अब, माननीय सदस्य देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वे जानते हैं कि केबिनैट के पास जाने से पूर्व परामर्श की प्रक्रिया होती है। मुझे उर्वरक विभाग के मेरे सहयोगियों ने बताया है कि अगले दो से तीन माह में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। महोदय मैं पुनः दोहरा दूं कि जो प्रस्ताव मैंने उर्वरक विभाग के समक्ष रखा है और जिसे स्वीकृति दे दी गई है, वह हैं सारे सल्फैट ऑफ पोटाश को उर्वरक राजसहायता प्रणाली के तहत लाना। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की कुल राजसहायता की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य को इस बात से अवगत होना चाहिए कि आगामी वर्ष अर्थात् 2008-09 में केवल उर्वरक सब्सिडी बिल्ल ही 90,000 करोड़ रुपये तक होने की सम्भावना है।

यदि आगामी वर्ष में कुल उर्वरक सब्सिडी बिल ही 90,000 करोड़ रुपये का है तो मैं यह नहीं मानता कि इस सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाए कि यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है या किसानों को परेशान कर रही है। तथापि, मैंने तम्बाकू उत्पादकों को जो आश्वासन दिया है, मैं उस पर कायम हूं और मैं उसे सभा में दोहराता हूं कि हमारा यह प्रस्ताव है कि सभी प्रकार पोटाश-सल्फेट उर्वरकों पर सब्सिडी प्राप्त हो और सम्पूर्ण सब्सिडी बिल भारत सरकार वहन करे। यह प्रस्ताव उर्वरक विभाग को भेज दिया गया है। अब यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ भेजा जा सकता है।

महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा मुद्दा उत्पादन की अधिकतम सीमा के बारे में उठाया है। परिस्थितिवश या संयोगवश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित हैं और मेरे पीछे बैठे हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुझसे रोज कहते हैं कि, "आप तम्बाकू की खेती को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं?" यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु में तम्बाकू की खेती नहीं होती है। अन्यथा वे यह प्रश्न नहीं उठाते। चूंकि तमिलनाडु में तम्बाकू पैदा नहीं किया जाता है इसलिए उन्हें यह कहने की आजादी है कि तम्बाकू को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। अब, मुझे अपने सम्मानित सहयोगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात सुननी है, और आंध्र प्रदेश के अपने निर्वाचकों जो तम्बाकू उत्पादक हैं, की भी बात सुननी है।

मुझे अपने कर्नाटक राज्य के लोगों की भी बात सुननी है। वे भी तम्बाकू का उत्पादन करते हैं। इस तरह मैं तीन भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों के बीच फंसा हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, मैंने वक्तव्य दिया है और जो परिचालित भी किया गया है तथा उनके पास भी है यदि वह उसे देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि 2007-08 में कर्नाटक के लिए तम्बाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा 95 मिलियन किग्रा. रखी गई थी। जबकि वास्तविक उत्पादन लगभग 88 मिलियन किग्रा. हुआ है। उत्पादन की अधिकतम सीमा 95 मिलियन किग्रा. है। वास्तविक उत्पादन लगभग 88 मिलियन किग्रा. है। वास्तविक उत्पादन की अधिकतम सीमा से कम है। तथापि, इसके बावजूद, मैंने तम्बाकू बोर्ड से अनुरोध किया है। तम्बाकू बोर्ड कर्नाटक के लिए 2008-09 में उत्पादन की अधिकतम सीमा 100 मिलियन किग्रा. निर्धारित करने पर विचार कर रहा हैं।

ऐसा क्यों है? लोग कह सकते हैं कि माननीय सदस्य इस मुद्दे में इसलिए रुचि ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मैं ऐसी किसी राजनीतिक इच्छा को कोई महत्व नहीं देता। लेकिन विश्व बाजार में भारतीय तम्बाकू की मांग है। डा. अम्बूमणि रामदास इसे चाहें या नहीं, ऐसे देश हैं जो भारतीय तम्बाकू खरीदना चाहते हैं। जिम्बाब्वे की फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गायब हो गई है। अमरीका चरणबद्ध तरीके से अपने तम्बाकू का उत्पादन बन्द कर रहा है, और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, कर्नाटक में पैदा होने वाली तम्बाकू की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेष मांग है।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री चीन गए थे और मुझे माननीय सदस्य को यह जानकारी देने में खुशी है कि 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन ने भारत से चीन को प्रति वर्ष 10 मिलियन किग्रा. तम्बाकू निर्यात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन विश्व में तम्बाकू का सबसे बड़ा और तेजी से उभरता हुआ बाजार है। इस समझौते से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों को बहुत फायदा होगा।

[श्री जयराम रमेश]

ऐसे परिप्रेक्ष्य में, जब जिम्बाब्वे को नुकसान हो रहा है, अमरीकी तम्बाकू फसल चरणबद्ध रूप से समाप्त हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विशेषकर चीन में तम्बाकू की खपत में वृद्धि हो रही हैं, वाणिज्य मंत्रालय ने तम्बाकू बोर्ड से उच्चतर उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अनुरोध है क्योंकि तम्बाकू बिक्री की संभावना अधिक है।

महोदय, इस वर्ष 2007-08 में हमने तम्बाकू निर्यात से करीब 410 मिलियन डालर अर्जित किए हैं। हमारा आकलन है कि हम तम्बाकू निर्यात से 410 मिलियन कमायेंगे और जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश में 60,000 से 67,000 किसानों और कर्नाटक में तकरीबन 45,000 से 50,000 के बीच किसानों ने इस निर्यात निष्पादन में योगदान दिया है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हमने इस वर्ष उच्च उत्पादन की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया है, और मैं माननीय सदस्य द्वारा दण्ड प्रभार के बारे में उठाए गए मुद्दे से सहमत हूं। यह दण्ड प्रारम्भ में एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया और इसके बाद यह बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया जो मूलत: अतिरिक्त उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है जिससे किसानों के ऊपर अनुचित दबाव पड़ेगा।

मैंने इस मामले को तम्बाकू बोर्ड में व्यक्तिगत रूप से उठाया है कि यह जांच की जाए कि हम कितनी जल्द दण्ड को 15 प्रतिशत से कम कर सकते हैं। तम्बाकू उत्पादन स्वयं पांच प्रतिशत से अधिक दण्ड नहीं चाहते हैं। वे इससे सहमत हैं कि दंड होना चाहिए। अत: इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने न केवल फसल के आकार में वृद्धि की है बल्कि हमने दंड की समीक्षा करने हेतु कदम भी उठाए हैं।

तम्बाकू बोर्ड की अगली बैठक में हम निर्णय लेंगे और मेरे विचार से माननीय सदस्य को कोई संदेह नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : और कोई प्रश्न नहीं। कृपया बैठ जाइए कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

श्री जयराम रमेश : यदि मैं अपनी बात समाप्त कर लूं तो मुझे माननीय सदस्य की बात का उत्तर देने में भी उतनी ही खुशी होगी।

सभापति महोदय : जी नहीं, नियम इसकी अनुमति नहीं देता है।

श्री जयराम रमेश : हम दोनों विकल्पों की जांच कर रहे हैं। हम फसल का आकार बढ़ा रहे हैं और दंड कम कर रहे हैं। तम्बाकू बोर्ड में दोनों मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और हमारा इरादा देश में तम्बाकू उत्पादकों को हर प्रकार की सहायता देने का है।

महोदय, मैं एक या दो बहुत छोटी टिप्पणियां दूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने तम्बाकू के संबंध में कुछ बड़े मुद्दे उठाए हैं। महोदय, तम्बाकू ऐसी फसल है जिसकी आलोचना की जाती है क्योंकि इससे कैंसर होता है। लेकिन तम्बाकू एक ऐसी फसल भी है जिसे विषम परिस्थितियों में उगाया जा सकता है और यही एक फसल है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इन जिलों की इस मिट्टी में पैदा हो सकती है। इसलिए, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वाणिज्य मंत्रालय और तम्बाकू बोर्ड ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तम्बाकू के गैर-कैंसर जनित प्रयोग हेतु एक विशेष परियोजना तैयार की है। अब तक हमने तम्बाकू को केवल कैंसर के परिप्रेक्ष्य में ही जाना है। लेकिन अब तम्बाकू से रसायन निकालने के लिए अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं और धीरे-धीरे तम्बाकू की फसल के भेषजीय एवं न्यूट्रास्यूटिकल मूल्यों की पहचान की जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगले पांच से दस वर्षों में तम्बाकू का उत्पादन न केवल सिगरेट के लिए किया जाएगा बल्कि इसका उत्पादन न्यूट्रासीयुटिकल्स एवं भैषजीय क्षेत्र के लिए मूल्यवान रसायनों को प्राप्त करने हेतु भी किया जाएगा।

अंतत: हमारी सरकार किसानों को तम्बाकू से हटकर कोई अन्य फसल उगाने हेतु प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है। यह तर्कसंगत है कि जब सिंचाई की सुविधा दी जाएगी तो किसान स्वयं तम्बाकू से हटकर धान या किसी अन्य फसल की खेती करेंगे। लेकिन, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, मिट्टी की गुणवत्ता घटिया है वहां तम्बाकू सबसे बेहतर विकल्प होता है। फिर भी, हम अगले पांच से दस वर्षों में स्थानीय सस्यविज्ञानी दशाओं के आधार पर तम्बाकू की खेती के क्षेत्र का विविधीकरण कर कृषि वानिकी, औषधीय पौधों, सुबाबुल की खेती को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन किसानों की भागीदारी के बगैर कुछ नहीं होगा। तम्बाकू बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय में किसानों की पूरी भागीदारी के बिना कुछ नहीं होगा।

माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि वर्ष 2004 और 2007 के बीच कर्नाटक राज्य में लगभग 24,000 अनधिकृत उत्पादकों को नियमित किया गया। अत: परेशानी से उबारने के लिए हमने लीक से हटकर वस्तुत: किसानों को इतनी सहायता दी है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भी आश्चर्य होगा। हमने न केवल बोर्ड के तम्बाकू के

उत्पादन करने का जिम्मा लिया है बल्कि, हमने 24,000 अनधिकृत उत्पादकों को नियमित किया है जिन्हें वास्तव में तम्बाकू बोर्ड से तम्बाकू का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी।

महोदय, अंततः मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाएंगे कि उत्पादन की अधिकतम सीमा तर्कसंगत हो, जुर्माना तर्कसंगत हो तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादकों के हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित हो। इस मामले में माननीय सदस्य को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : महोदय, कृपया अनुमति दीजिए। मैं अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपने देखा है। मैं सबसे अन्त में ऐसा करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए। आप प्रश्न पूछ चुके हैं। कृपया स्पष्टीकरण मांगिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया दो मिनट मेरी बात सुनिए। इसमें चुनावी उद्देश्य नहीं है।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : वर्ष 2005 में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि वे सोचते हैं कि मैंने चुनावी लाभ के उद्देश्य से ऐसा किया है। वर्ष 2005 में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था। माननीय मंत्री महोदय के पास उस समय वाणिज्य मंत्रालय भी था। उत्तर दिया गया था। यह यहां विद्यमान है।

यह चुनाव का प्रश्न नहीं है। मैं चुनाव परिणामों से चिन्तित नहीं हूं। जब किसान इतनी बुरी तरह परेशान हैं तो एक किसान होने के नाते इस मुद्दे को उठाना मेरा कर्तव्य है। महोदय, माननीय मंत्री ने कुछ प्रयास किए हैं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देनी होगी। जब आपने चीन को प्रति वर्ष 10 मिलियन किग्रा. तम्बाकू निर्यात करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो अब प्रश्न यह है कि क्या सभी किसानों को तम्बाकू उत्पादन कम करने हेतु हतोत्साहित करें। मेरे विचार से मैं तम्बाकू उत्पादन के प्रश्न से आश्वस्त नहीं हो सकता। फिर भी, आपने कहा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने अपनी स्थिति अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : हां, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और मुझे प्रधानमंत्री के साथ चीन जाने के लिए उन्हें बधाई देनी होगी। चीन को प्रति वर्ष बिक्री किए जाने का कोटा बढ़कर 10,000 मिलियन किग्रा. होने वाला है। जहां तक व्यापार समझौते का प्रश्न है यह चीन और भारत के बीच आपसी सहमति है। इस संदर्भ में वे यह भी कहते हैं कि हमने मात्रा को बढ़ाकर 100 मिलियन किग्रा. तक कर दिया है। यदि ऐसा है तो इससे न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने से केन्द्र सरकार के खजाने में वृद्धि होगी।

आपने अभी यह उल्लेख किया कि आप पांच प्रतिशत जुर्माना घटाने जा रहे हैं। अपने ही स्पष्टीकरण में आपने यह कहा है। क्या मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर सकता हूं? कृपया दो मिनट मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय : कृपया, माननीय मंत्री से सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : ऐसा उल्लेख किया गया है कि जुर्माने की धनराशि तम्बाकू के किसानों को फसल कटने के बाद के चरण में वापस की जा सकती है और इसका प्रयोग तम्बाकू प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु किया जा सकता है। मैं भी किसान हूं। वे मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में तम्बाकू पैदा कर रहे हैं। किस प्रकार की आधुनिकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है? कृपया इसके बारे में मुझे बताइए।

दूसरी बात यह है कि मैंने एक साधारण प्रश्न पूछा है। कृपया 1675 किग्रा. प्रति खलिहान के बदले 2500 किग्रा. प्रति खलिहान की अनुमति दी जाए। आंध्र प्रदेश के लिए प्रति खलिहान 4500 किग्रा. की अनुमति है, लेकिन कर्नाटक के लिए प्रति खलिहान 1675 किग्रा. की अनुमति है। ऐसा क्यों है? क्या आपके लिए यह इतना कठिन है कि आप ऐसा करने हेतु विचार भी नहीं कर सकते? कृपया, मुझे इसके बारे में बताइए। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं करने का सही कारण क्या है?

मैं आंध्र प्रदेश के विरुद्ध आरोप नहीं लगाना चाहता। बोर्ड आंध्र प्रदेश में है। उसमें कर्नाटक के कितने प्रतिनिधि हैं? सौभाग्यवश, मंत्री जी कर्नाटक से हैं, और मुझे आपको बधाई देनी होगी।

श्री जयराम रमेश : मैं आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुझे इसका पता है। लेकिन बोर्ड में कितने लोग हैं? गत 10 वर्षों से केवल 18 महीनों को छोड़कर मैं

[श्री एच.डी. देवेगौडा]

लगातार यहां हूं। मैं अन्य मुद्दे नहीं उठाता हूं, और मैं केवल चुप रहता हूं और अंतिम पंक्तियों में बैठता हूं। किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर वे आपसे मिले थे। उनको क्या राहत दी जाती है? यदि किसानों की राजसहायता 90,000 करोड़ रुपये है तो यह तम्बाकू उत्पादकों के लिए नहीं है। कुल राजसहायता घटक 90,000 करोड़ रुपये पूरे देश के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे गृह राज्य के 60,000 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है...*(व्यवधान)*

श्री बाडिगा रामकृष्णा (मछलीपत्तनम) : बोर्ड ने इसकी सिफाशि की है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बाडिगा रामकृष्णा : अब, आपको जुर्माने पर विचार करना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए.डी. देवेगौडा : जब एक रुपये का जुर्माना लगाया गया तब कर्नाटक के पक्ष में बमुश्किल दो संसद सदस्य थे। मुझे पता है कि यह सभा किस प्रकार कार्य करने वाली है। मुझे इसके बारे में कुछ अनुभव है।

सभापति महोदय : पुस्तकों में कतिपय नियमों का उल्लेख है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : मैं तो इससे सहमत हूं, और इसीलिए मैं शांत रहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे नियमों का पालन करना है।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदय, क्या आपने मुझे कभी अध्यक्ष या अध्यक्षपीठ के निदेशों का उल्लंघन करते देखा है? नहीं, मैंने ऐसा किसी भी परिस्थिति में नहीं किया है। इसलिए, कृपया मेरी बात सुनिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उस समय, एक रुपये के लगाए गए जुर्माने के लिए भी माननीय मंत्री ने कहा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश के 25 या 28 संसद सदस्य...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : महोदय, मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। फसल के आकार के निर्धारण में कोई राजनीति नहीं है। फसल के आकार का निर्धारण संसद सदस्यों के आधार पर नहीं होता है। यह आरोप पूर्णतः निराधार है।

सभापति महोदय : कृपया, कुछ देर उनकी सुनिए।

श्री एच.डी. देवेगौडा : क्या मैं आपके पास सारे कागजात भेजूं?

श्री जयराम रमेश : महोदय, यह आरोप पूर्णतः निराधार है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं आरोप लगाने नहीं जा रहा हूं। मैंने वर्ष 2005 में जो वर्तमान प्रधानमंत्री को लिखा था उसे सभा पटल पर रखूंगा। ये कागजात दर्शाते हैं कि किस प्रकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इनके अपने मंत्री ने ही मुझसे संपर्क किया और मुझे राजी करने का प्रयास किया...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : महोदय, माननीय सदस्य राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं। कर्नाटक के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। कर्नाटक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री एच.डी. देवेगौडा : वह इसे नकार सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी शास्ति लगाई गई है?

श्री जयराम रमेश : महोदय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए शास्ति समान है।

सभापति महोदय : देवेगौड़ा जी, नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा : कर्नाटक में उत्पादित तम्बाकू ही एकमात्र उत्तम किस्म की तम्बाकू है जिसका निर्यात किया जाता है। क्या वह बता सकते हैं कि क्या गुंटूर में उत्पादित तम्बाकू का निर्यात किया जाता है? क्या वह ऐसा कह सकते हैं? वह इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? वह सभा को क्यों गुमराह कर रहे हैं?

श्री जयराम रमेश : मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य के तथ्य पूर्णतः गलत हैं।

सभापति महोदय : यह उचित तरीका नहीं है।

श्री जयराम रमेश : महोदय, कर्नाटक में उत्पादित 62 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में उत्पादित 58 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात किया जाना है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : ऐसी उत्तम किस्म की तम्बाकू का उत्पादन करने के लिए क्या आप कर्नाटक पर शास्ति लगाना चाहते हैं?

सभापति महोदय : देवेगौड़ा जी, कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री जयराम रमेश : महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि खेती के क्षेत्र या खलिहान के क्षेत्र के निर्धारण में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। शास्ति के मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। चूंकि माननीय सदस्य को लगता है कि हम कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रहे हैं लेकिन नवीनतम आंकड़े यही हैं कि मोटेतौर पर वर्ष 2007-08 में, कर्नाटक की लगभग 62 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात किया गया था, और आंध्र प्रदेश की लगभग 58 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात किया गया था। कर्नाटक के तम्बाकू की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। हम इसे बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सदस्य इससे राजनीतिक फायदे में रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* एल.टी. सं. 8433/08]

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.34 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.34 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

(एक) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता

[हिन्दी]

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एक अहम योजना है। जिसमें केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास योजना के लिये उचित धनराशि प्रदान करती है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस पर धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण विद्युतीकरण योजना जिसके अंतर्गत 2009 तक लगभग 2000 गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा होना था, अभी तक इसका प्रथम चरण पूरा नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे-

(क) यह विद्युतीकरण योजना कब पूरी होगी;

(ख) इस योजना के लिये कितना बजट आवंटित किया गया है तथा अभी तक इस योजना पर कितना इस्तेमाल हुआ है;

(ग) कितने चयनित गांवों में यह योजना पूरी हो चुकी है तथा जहां यह योजना पूरी हो चुकी है, वहां उसके बोर्ड लगे हुए हैं या नहीं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी समिति ने इस योजना का निरीक्षण किया है?

(दो) गुजरात के साबरकंठा जिले में पुलिस फायरिंग में मारे गए जनजातीय परिवारों को प्रधानमंत्री राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, गुजरात के साबरकंठा जिले में विजयनगर तालुका में अतन्तारसुबा में वन भूमि में खेती के विवाद पर 13 फरवरी, 2008 को पुलिस गोलीबारी में दो जनजातीय लोग मारे गए और तीन घायल हुए। गुजरात सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, पीड़ित परिवारों और गंभीर कठिनाइयां झेल रहे परिवारों

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

के लिए किसी प्रकार की धन राहत की घोषणा नहीं की गई है अथवा प्रदान की गई है।

ऐसी स्थिति में, मैं मांग करता हूं कि इन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से धन राहत प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस फैन्थम - उपस्थित नहीं।

श्री दीप गोगोई।

(तीन) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नागीन-डिब्रूगढ़ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर) : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपीएनई) के अंतर्गत नौगांव से डिब्रूगढ़ तक 315 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 को चार लेनों का बनाने का कार्य शामिल किया गया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कार्य को शीघ्रतिशीघ्र शुरू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. करण सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

डा. सत्यनारायण जटिया।

(चार) मध्य प्रदेश के शहरों के लिए रैल संपर्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में रेल यात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश देश का मध्य प्रदेश है जहां से प्रायः उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम की रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। आवश्यकता के अनुरूप नयी रेल गाड़ियां चलाये जाने की जरूरत को पूरा करने के उपाय नहीं किये गये हैं।

उज्जैन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के संदर्भ में रेलगाड़ियों के विस्तार की आवश्यकता है जहां टर्मिनल एवं प्लेटफार्म्स उपलब्ध हैं। उज्जैन से अमृतसर के लिए नई रेल सेवा की मांग की गई है जिसे नागदा-कोटा के रास्ते चलाया जाना चाहिये। जयपुर-शामगढ़ यात्री गाड़ी को नागदा-खाचरोद-रतलाम तक बढ़ाने की जरूरत है। 2415/2416 इंटरसिटी का स्थायी स्टापेज महिदपुर रोड पर देने तथा 2465/2466 रणथम्बोर एक्सप्रेस का विक्रमगढ़ आलोट 9303/9304 इटरसिटी का तथा इन्दौर-पुणे रेलगाड़ी का खाचरोद तथा बांद्रा-निजामुद्दीन गरीब रथ का स्टापेज नागदा जंक्शन पर करने सहित रेल सुविधायें स्वीकृत कर माननीय रेल मंत्री जनता को राहत प्रदान करें।

(पांच) नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंसेस, शिलांग को सरकारी-निजी भागीदारिता के तहत संचालित किए जाने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग की स्थापना एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर भारत के लोगों विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उन्नत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य की गई थी। किन्तु वर्तमान सरकार इसे एक प्राइवेट पार्टी अर्थात् मैसर्स फ्रंटीयर लाइफलाइन, चेन्नई को बेचने पर विचार कर रही है।

कार्डियोलॉजी और कार्डिएक सर्जरी विभाग समस्त सुविधाओं से सुज्जित होने के बावजूद निजी-सरकारी भागीदारी की आड़ में चेन्नई के एक प्राइवेट नर्सिंग होम को दिया जा रहा है। सरकारी राजकोष के व्यय पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके पीछे चेन्नई में संबंधित प्राइवेट अस्पताल के कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार है। यहां बस कुशल तकनीशियनों की कमी है जिनकी प्रतिनियुक्ति एम्स जैसे सरकारी संस्थानों से आसानी से की जा सकती है। निजी-सरकारी भागीदारी के लिए उपयोग की गई राशि का उपयोग खर्चीली प्रक्रियाओं जैसे एंजियोप्लास्टी और बायपास सर्जरी को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। इस सरकारी-निजी भागीदारी से कम खर्चीली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान करने का निश्चित रूप से प्रश्न ही नहीं उठता।

इसलिए मैं प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एनईआईजीआरआईएचएमएस के विकास तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए कार्य करने के लिए कहें।

(छह) गुजरात में राज पिपला-अंकलेश्वर और कौशाम्बा-उमरपाड़ा मीटर गेज खंडों में गेज परिवर्तन की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में आजादी से पहले रेलवे की कई मीटरगेज लाइनें थी परन्तु उनमें से किसी को भी ब्राड गेज लाईन में परिवर्तन नहीं किया गया है जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को मांग के अनुसार रेलवे की आधुनिक सुविधा नहीं मिल रही है। राजपिपला से अंकलेश्वर में जो मीटर गेज लाईन है, उसको ब्रॉड गेज में बदलने हेतु पिछले रेलवे बजट में प्रावधान किया गया था परन्तु उसमें काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से कौशाम्बा-उमरपाड़ा रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग की जा रही है, वह भी नहीं हुआ है। आज से 14 साल पहले भरूच में बाढ़ आई थी जिसके कारण पानी रेलवे लाईन पर आने से अंकलेश्वर से नेत्र मीटर गेज लाईन को बंद कर दिया गया जिसे आज तक शुरू नहीं किया गया है। भरूच समनी जंबोसर मीटर लाईन को ब्राड गेज में परिवर्तित करके बंद लाईन को चालू करना। मेरा अधिकांश क्षेत्र आदिवासी (ओ.बी. सी.) बाहुल्य है और यहां के लोगों को परिवहन के सस्ते साधन नहीं मिलते हैं। इसलिये इन क्षेत्रों में रेलवे की सुविधा के लिये सर्वेक्षण किया जाये। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग यहां पर मजदूरी करने आते हैं और अपने परिवारों का लालन पालन करते हैं परन्तु कई रेल सेवाएं अंकलेश्वर और भरूच में नहीं रुकती है जिसके कारण बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूरों को बहुत दिक्कत होती है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज लाईन में परिवर्तन करने हेतु और बंद लाइनों को पुनः चालू करने हेतु रेलवे विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये जिससे मेरे क्षेत्र के आदिवासी (ओ.बी.सी.) लोगों को रेलवे की सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी भार्गव - उपस्थित नहीं।

(सात) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सब-स्टेशन की स्थापना के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उड़ीसा राज्य में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के कार्यान्वियन के लिए 592.22 करोड़ रुपए की प्राक्कलित राशि स्वीकृत की है। इसमें से, 74.02 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं और इस राशि को परियोजना कार्यान्वियन वितरण समिति के पास भेज दिया गया है।

इसी बीच एपीडीआरपी संचालन समिति ने इस परियोजना के लिए 592.22 करोड़ रुपए से 506.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिसमें से 295.40 करोड़ रुपए संचालन समिति द्वारा मंजूर किए गए हैं। नई एपीडीआरपी योजना का कार्यान्वियन ग्यारहवीं योजना के लिए पुनर्गठित एपीडीआरपी के नए निबंधन और शर्तों द्वारा किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा पत्र सं. यूएमआई 106/96 सीएम दिनांक 18.03.2006 के माध्यम से इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाए जाने के बावजूद एपीडीआरपी के लिए 264.94 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है।

इसलिए, यह अनुरोध है कि निधियां जारी की जाएं ताकि कालाहांडी जिले में 132 केवीए का भवानीपटना सब-स्टेशन, जिसके लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, स्थापित किया जा सके।

(आठ) देश में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किए जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत योजनाओं को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : बाजार के रुखों के अनुसार समय-समय पर नई-नई योजनाएं रहने से एक समय लोकप्रिय रही राष्ट्रीय बचत योजनाएं सरकार की नीतियों के कारण अपनी लोकप्रियता खोती जा रही हैं। ब्याज दरों की पुनरीक्षा नहीं किए जाने और एमआईएस बोनस समाप्त कर दिए जाने से राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या पहले ही कम हो चुकी है। बचत के क्षेत्र में विशेषकर निवेश करनेवाले लोगों की रुचि के अनुसार तैयार की गई अल्पकालिक जमा योजना के मामले में वाणिज्यिक बैंकों और निजी बैंकों का वर्चस्व कायम है। अतः इन प्रतिकूल परिस्थितियों में राष्ट्रीय बचत योजनाओं को चालू रखने के लिए इन्हें ब्याज दरों में वृद्धि करके, एमआईएस खाते में बोनस की पुनः शुरूआत करके, संस्थागत जमा योजना की अनुमति देकर, एजेंटों को निवेशकों के संदेशवाहक के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान करके और आकर्षक नई योजनाओं की शुरूआत करके उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

[श्रीमती पी. सती देवी]

अत: मैं वित्त मंत्रालय से देश में राष्ट्रीय बचत योजनाओं को सुदृढ़ करने और संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन—उपस्थित नहीं।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद।

(नौ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में "कृषि विज्ञान केन्द्र" की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फतेहपुर की ओर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर, जो कि एक पिछड़ा जनपद है, वहां पर आम जनजीवन कृषि पर ही आधारित है। लेकिन जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र न होने के कारण यहां के आम किसानों को उन्नत तरीके से कृषि कार्य करने हेतु परामर्श नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है।

अत: मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में यथाशीघ्र कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु कदम उठाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती अर्चना नायक - उपस्थित नहीं।

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक।

(दस) उत्पादन लागत के आधार पर फार्म उत्पाद के मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या का मुद्दा हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पैकेजों की घोषणा किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं होने से इस समस्या ने भयावह रूप ले लिया है।

विगत 30 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए किया जानेवाला बजटीय आवंटन धीरे-धीरे 36 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गया है। कठिनाइयों से जूझ रहे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए हम अल्पकालिक उपाय करते रहे हैं।

कृषि उत्पादों के लिए गारंटीशुदा मूल्य दिया जाना किसानों की समस्याओं के निराकारण का एक समाधान है। वर्तमान में सभी कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली उत्पादन लागत आधारित न होकर उपभोक्ता आधारित है। यही कारण है कि किसान अपने कठिन श्रम के बावजूद कुछ भी हासिल न कर पाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अत्यधिक ऋण के बोझ से उत्पन्न अवसाद के कारण आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करते हैं। इस प्रकार चीनी जैसे तैयार उत्पाद की लागत में गिरावट आई है जिससे चीनी कारखानों और किसानों के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। यदि चीनी के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया होता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कृषि उत्पादों की मूल्य निर्धारण प्रणाली पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और उत्पादन लागत के आधार पर सभी कृषि उत्पादों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त सरकार को मूल्य निर्धारण नीति के मामले में सहायता करने के लिए निधियां प्रदान करनी चाहिए क्योंकि इससे किसान को उचित लाभ के साथ अपनी उत्पादन लागत प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(ग्यारह) दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर-गोकुलपुर खण्ड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को स्वीकृत किए जाने के अलावा गोकुलपुर और मिदनापुर के बीच में कोशी नदी के ऊपर एक दूसरे पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : संप्रग सरकार के पिछले रेल बजट में दक्षिण-पूर्व रेल के खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत गोकुलपुर और मिदनापुर रेलवे स्टेशनों के बीच कोसी नदी पर दूसरे रेल पुल के निर्माण की परियोजना शामिल की गई थी। किंतु आज तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस मुद्दे को सदन में, परामर्शदाती समिति की बैठक में और महाप्रबंधक स्तर पर हुई बैठकों में कई बार उठाया गया है। साथ ही इस डिवीजन में गोकुलपुर से खड़गपुर तक रेल लाईन के दोहरीकरण को स्वीकृति देने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है। अद्यतन सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मार्ग पर प्रतिदिन लगभग सत्तर यात्री गाड़ी, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट तथा राजधानी एक्सप्रेस रोजाना चलती हैं। खड़गपुर

से आद्रा तक रेल लाइन के दोनों ओर बड़े-बड़े औद्योगिक परिसरों का निर्माण हो रहा है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े उद्योग ने अपना निर्माण कार्य शुरू किया है। इन सभी को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त रेल सेवा की आवश्यकता है। किंतु अभी तक इस मार्ग पर दोहरी लाईन नहीं हैं और न ही दूसरा पुल है। अतः मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इस मामले को अत्यावश्यक मामले के रूप में ले और आगामी वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू करवाने हेतु आवश्यक उपाय करें।

(बारह) तमिलनाडु में होगेनक्कल वन क्षेत्र में एक हाथी अभयारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा के दोनों ओर होगेनक्कल जलप्रपात के आस-पास वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। संगम-ऋतु और गर्मी के मौसम में जब पानी की भारी कमी हो जाती है, ये वन क्षेत्र के आसपास बसे गावों में चले आते हैं और अक्सर अपराधियों द्वारा मार दिए जाते हैं। पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में धर्मपुरी-बंगलौर रेल लाइन पार करते समय तीन हाथियों को मार दिया गया था।

हाथियों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए उनकी रक्षा के लिए मैं सरकार से होगेनक्कल वन क्षेत्र में एक हाथी अभयारण्य स्थापित किए जाने का अनुरोध करता हूं। धर्मपुरी जिला में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की यह मांग रही है। अतः मैं पर्यावरण और वन मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस अनुरोध पर सकारात्मक ढंग से विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं।

(तेरह) तमिलनाडु में विरूधुनगर शॉर्ट डिस्टेंस चार्ज एरिया (एस डी सी ए) को दो भागों में बांटे जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी) : शॉर्ट डिस्टेंस चार्ज एरिया (एस.डी.सी.ए.) की क्षमता के आधार पर इसके द्विमासिक किराये को बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है जो कि कुल मिलाकर अधिक है और ग्रामीण लोग इसका वहन नहीं कर सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई उपयोक्ताओं ने 180 रुपये प्रतिमास अत्यधिक किराया होने के कारण अपना-अपना फोन जमा करवा दिया है। मैं यह दुहराना चाहता हूं कि विरूधुनगर शॉर्ट डिस्टेंस चार्ज एरिया के विभाजन की आवश्यकता है जिसमें विरूधुनगर, सत्तूर और शिवकाशी तालुका शामिल है ताकि इनका मासिक किराया कम किया जा सके। यदि एसडीसीए में किराया 180 रु. प्रतिमाह से घटाकर 120 रु. प्रतिमाह कर दिया जाए तो ग्राहकों के असंतोष को कम किया जा सकेगा और इससे किसी प्रकार का राजस्व घाटा नहीं होगा और न ही लोग टेलिफोन के कनेक्शन कटवाएंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण जनता के हित में इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

अपराह्न 2.51 बजे

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन किए जाने के बारे मे सांविधिक संकल्प

और

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 25 और 26 पर चर्चा करेंगे।

श्री मोहन सिंह - उपस्थित नहीं

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' - उपस्थित नहीं

प्रो. रासा सिंह रावत

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सांविधिक संकल्प पर मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं?

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, आर्डीनेंस के बदले जो विधेयक लाया जा रहा है, इस संबंध में मै कहना चाहता हूं कि जब यह विधेयक पारित होकर अधिनियम बना था, तब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन मंत्रालय को इसका गजट नोटीफिकेशन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। जब इस अधिनियम का

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

नोटीफिकेशन नहीं हुआ, तो यह इनफोर्स ही नहीं हुआ। जो एक्ट इनफोर्स ही नहीं है, उसे अमेंड करने का क्या मतलब है? मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : यह अधिनियम लागू है। कतिपय धाराओं को अधिसूचित किया जा चुका है। धारा 4 से 10, धारा 87, 88, 91 और 101 अधिसूचित की जा चुकी हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*, मेरी जानकारी के अनुसार अधिनियम लागू नहीं किया गया।

[हिन्दी]

आज जब पूरा बिल लागू ही नहीं है, तो इसमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, जब पूरा कानून सरकार ने लागू नहीं किया, तो फिर उसमें संशोधन लाने की क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कानून देश में लागू नहीं हुआ, तो फिर इसमें संशोधन कैसे लाया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत जी, अब जो कहना चाहें, वह कह सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे इसके डिस-एप्रूवल की आज्ञा दी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि डिस-एप्रूवल का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब किसी वृक्ष का मूल ही नहीं है, तो उसके पत्ते कहां से आएंगे? जब वर्ष 2006 में यह एक्ट मूल रूप से पास हुआ और जब मंत्री जी स्वयं लिख रहे हैं कि यह विधेयक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए है। यह इन्होंने इसमें स्वयं लिखा है। वर्ष 2006 में यह एक्ट बना था और पार्लियामेंट ने इसे पारित कर दिया था, लेकिन उसके बाद 19 अगस्त, 2007 तक यह लागू ही नहीं हुआ। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। मैं बताना चाहूंगा कि जस्टिस ए.के. माथुर और दलवीर भंडारी जी की बैंच ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, इस मामले में केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उसने केन्द्र सरकार से पूछा था कि जब संसद से अधिनियम पारित हो चुका और पिछले साल अगस्त में जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल चुकी थी, उसके बावजूद इसे लागू क्यों नहीं किया गया? अदालत ने एडीशनल सॉलीसीटर जनरल मोहन पारासरन को निर्देश दिया कि वे इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 सितम्बर तक बताएं कि इसे नोटीफाई क्यों नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं कि एक साल तक तो लागू नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सी तारीख को नोटीफाई हुआ, सदन को मंत्री जी पहले यह बताने का कष्ट करें?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत जी, पहले आप अपना अमेंडमेंट मूव करें।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चूंकि हम कार्यसूची की दोनों मदों पर चर्चा करेंगे, मैं उस समय विस्तार से स्पष्टीकरण दूंगा। मैं इस समय, जो हो रहा है, उस पर स्पष्टीकरण दूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, पहले आप बिल को कंसीडरेशन के लिए मूव कीजिए। उसके बाद बोलिए।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को समेकित करने की दृष्टि से संसद ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया था।

उपर्युक्त एफएसएस अधिनियम की धारा 5 की अपधारा (4) केन्द्र सरकार को प्रवर समिति की सिफारिशों पर खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करती है। एफएसएस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को कोई और पद धारण करने से निषिद्ध करती है। यह खाद्य प्राधिकरण इस पूरे खाद्य अधिनियम की धुरी है।

केन्द्र सरकार का मत था कि खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों की अंशकालिक आधार पर इसमें नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि विख्यात लोगों को खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त करना इसलिए संभव नहीं है कि हो सकता है कि वे किसी उद्योग या उपभोक्ता मंच के संगठन, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, में किसी अन्य पद पर हो सकते हैं। इसलिए एफएसएस अधिनियम की धारा 5 में संशोधन किया गया है। एफएसएस अधिनियम की धारा 7(1) में भी संशोधन किया गया है ताकि सदस्यों को उन उपबंधों के दायरे से अलग रखा जा सके जो सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक प्रतिबंधित करते हैं ताकि हम देश के विभिन्न भागों से और अधिक अनुभवी तथा विशेषज्ञ हासिल कर सकें।

खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन में तीव्रता लाने की दृष्टि से 7 फरवरी, 2008 को अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया। खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 को अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है।

यह एक छोटा अध्यादेश है और इसका संबंध सबसे पहले आयुसीमा और उसके बाद अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्यों से है, अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, रूल बुक के रूल 71 और 72 के अंतर्गत फिर आपत्ति है कि जब पूरी तरह से कोई एक्ट प्रभाव में ही नहीं है, तब उसमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने एक्ट के कुछ सैक्शन्स को गजट में नोटीफाई किया था। कृपया मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक्ट के कुछ सैक्शन्स को उन्होंने गजट में नोटीफाई किया था।

[अनुवाद]

पूरा अधिनियम राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। फिर इसकी अनुमति क्यों?

[हिन्दी]

वे कह रहे हैं कि हम 2006 के एक्ट के कुछ प्रॉवीजन्स को रिप्लेस करने के लिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। जब एक्ट ही प्रभाव में नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट कैसे लाया जा सकता है, कृपया इसे स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को पहले ही बता चुका हूं कि वे सभी धाराएं, जिनका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं, 15 अक्टूबर 2007 को अधिसूचित की जा चुकी हैं. ..*(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अधिनियम कहां है?

डा. अंबुमणि रामदास : वह बाद में आएगा। आपको समझना चाहिए कि अधिनियम का आधार प्राधिकरण है। सबसे पहले अधिनियम

[डा. अंबुमणि रामदास]

को क्रियान्वित और लागू किए जाने के लिए आपको इस प्राधिकरण का गठन करना है। प्राधिकरण के बिना आप अधिनियम को लागू नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम यह संशोधन ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने इस कानून को लागू ही नहीं किया, तो इसमें संशोधन कैसे लाया जा सकता है, इसकी क्या जरूरत है? पहले इसे लागू करिए, फिर संशोधन लाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून तो बन चुका है।

श्री गणेश सिंह : लागू तो नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : कमेंसमेंट का मतलब यह नहीं है कि वह बिल एक्ट नहीं बना।

[अनुवाद]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसकी कुछ धाराएं लागू है, लेकिन पूरा अधिनियम नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास : हम लागू की गई धारा में ही संशोधन ला रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : जी नहीं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सवाल यह नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : इसे अधिसूचित नहीं किया गया। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि जब कभी विधेयक पारित हो जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे विधिवत अधिसूचित किया जाता है। सरकार ने इस अधिनियम को अधिसूचित ही नहीं किया है और इस प्रकार इसे लागू नहीं किया गया इसलिए, जब अधिनियम लागू ही नहीं है, तो उस अधिनियम में संशोधन कैसे किया जा सकता है? यह मेरा प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं स्पष्ट रूप से माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि हमने इस अधिनियम की कतिपय धाराएं अधिसूचित की हैं और इस अधिनियम को खाद्य प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य प्राधिकरण गठित करने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि हमें देश के विभिन्न भागों से विशेषज्ञ इसमें शामिल करने थे।

अपराह्न 3.00 बजे

यह इस देश में सर्वोच्च खाद्य विनियामक निकाय है और इस लिए प्रधानमंत्री महोदय ने यह कार्य दिया है...*(व्यवधान)* और हमने उसके लिए इन धाराओं को लागू किया है। अतः हम उन धाराओं में संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस प्राधिकरण की स्थापना आसानी से की जा सके।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमने इसे लागू नहीं किया है। यह तथ्य गलत नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए।

यदि किसी अधिनियम के लागू होने की तारीख अधिसूचित नहीं की गई है, तो इस आधार पर ऐसे अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक विफल नहीं हो जाता। मूल अधिनियम सांविधिक ग्रंथ में है और वह संसद द्वारा पारित किया गया था। संसद को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार है।

जहां तक मूल अधिनियम को लागू करने का सवाल है, यह उस अधिकारी द्वारा तय किया जाना है जिन्हें मूल अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक, 2008 की मंशा तो बहुत अच्छी है और इसी मंशा की दृष्टि से मैं इसका विरोध नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जैसा हमारे कई साथियों ने कहा कि सरकार की मंशा इस संबंध में स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। एक छोटी सी बात, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कुछ सदस्यों को पार्ट टाइम करना है, वह फुल टाइम नहीं हो सकते हैं और किसी का कार्यकाल घटाने के लिए, आपने स्वयं स्वीकार किया कि बहुत छोटा सा संशोधन है। छोटे से संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है?

अपराह्न 3.02 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

यह जो संशोधन लाया गया है, मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इन्होंने स्वयं लिखा है कि यह अमेंडमेंट 7 फरवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और नीचे लिखा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, जो मूल अधिनियम है, उसमें सदस्य के अंतर्गत, इन्होंने खाद्य प्राधिकरण का जो ट्रिब्यूनल गठित होगा, उसका कोई अंशकालिक सदस्य और अध्यक्ष भी है, एक तो इसे क्लैरिफाई किया है। दूसरे में, धारा 5 में संशोधन किया है कि अध्यक्ष और सदस्य जिसके अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों से भिन्न अंशकालिक सदस्य भी हैं, चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। यानी पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी। सदस्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं और खाद्य प्राणिकरण का अध्यक्ष कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ये छोटी सी तीन बातें हैं और छोटी सी बातों के लिए दो साल तक सरकार कान में तेल डाले बैठी रही और बहरे कानों पर जूं नहीं रेंगी।

महोदय, इसी संसद में एक बार कोकाकोला का सवाल उठा था। इस विषय पर ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनी थी। पेप्सी तथा दूसरी बोतलों में मिलावट पाई गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन-कौन से कैमिकल्स पाए गए, उसकी जांच के लिए, एक प्रकार से बहुत भारी हुड़दंग हुआ था और उस समय सरकार ने आश्वस्त किया था और तब उस समय फूड सेफ्टी एक्ट वगैरह मानक का स्टैंडर्ड तय करने के बारे में सारी बातें तय हुई थीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है इस सरकारी कछुआचाल के बारे में, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो बताएं कि यह एक्ट वर्ष 2006 में पास हुआ और आज वर्ष 2008 चल रहा है, कब आपने कौन-कौन सी धाराओं को नोटिफाई किया, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें क्या ऐसा हो सकता है कि कानून पूरा लागू हुआ ही न हो और सकी एक-दो धाराओं को इन्होंने नोटिफाई कर दिया हो और उसी म आज संशोधन ला रहे हों।

महोदय, आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हम आपसे भी आश्वासन चाहेंगे। जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, वह लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करने वाला है। पार्लियामेंट द्वारा जो बिल पास होने के बाद एक्ट बना, लेकिन लागू नहीं हुआ और लागू होने से पहले ही इसमें संशोधन आ गया, यह क्या बात है? आप कहेंगे कि कैसे सरकार ने अपने प्रश्नों में उत्तर दिया है। यह पूछा गया था कि क्या यह सच है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 अभी तक लागू नहीं हुआ है और फिर उसके बाद इसके कारण पूछे थे। तब सरकार ने जवाब दिया कि यह अधिनियम उस तारीख को लागू होगा, जब खाद्य प्राधिकरण के गठन के पश्चात् केंद्र सरकार अपने राज-पत्र में अधिसूचित करेगी। यह बिल अभी लागू ही नहीं हुआ है, यह कह रहे हैं कि नोटिफाई किया है, मैं समझता हूं कि पता नहीं यह सूचना कहां तक सही है, आप इसे मालूम करें। सरकार ने स्वयं टाल दिया है, हालांकि यह जवाब 16 मार्च 2007 का है। मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि खाद्य प्राधिकरण के गठन के बाद केंद्र सरकार इसे राज-पत्र में अधिसूचित करेगी। यह वर्ष 2007 की बात है। अब एक साल बाद गठन करने की बात समझ में नहीं आई। जब गठन हुआ ही नहीं, तो पहले ही नोटिफाई कैसे कर दिया?

महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य प्राधिकरण का गठन करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन दल का गठन कर दिया गया। इन्होंने यह जरूर किया कि संचालन दल का गठन कर लिया, लेकिन नोटिफाई करने वाली बात शायद मंत्री जी वैसे ही कह गए हैं, यह कहां तक सत्य है, वे स्वयं बताएंगे। लेकिन 16 मार्च 2007 को सदन में दिए गए उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसके बाद 23 नवम्बर 2007 एक प्रश्न और पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 को अधिसूचित न किए जाने और एक वर्ष पूर्व राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद भी इसे लागू करने में विफल रहने पर उसे फटकार लगाई है। दूसरा था, कि यदि हां, तो सरकार ने खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं? यह पूछा गया था। सरकार ने जवाब दिया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना और अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अन्तर मंत्रालयी समन्वय शामिल है। इसमें एक मंत्री, दूसरे मंत्री, एक विभाग, दूसरे विभाग, इसमें कई विभागों को शामिल कर लिया है। इन्होंने उत्तर दिया है कि सभी सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिवों सहित मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के आधार पर स्वायत्त खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की देखरेख करने के लिए एक परिचालन समूह का गठन किया गया है। वही बात कही गई है, इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, केवल परिचालन समूह गठित कर दिया गया है। खाद्य प्राधिकरण की बात तो आज होगी, आज जब सारा सदन इसे पास करेगा, तब खाद्य प्राधिकरण का गठन होगा।

महोदय, समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, दो साल हो चुके हैं, हम सब कहते हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो, शुद्ध खाद्य पदार्थ

[प्रो. रासा सिंह रावत]

मिले, सही तोल, सही मोल, सही बोल और सही माल मिले। बाजार के अंदर उचित दाम, उचित माल मिले। यह तो सरकार का कर्तव्य है, इसके लिए फूड इन्स्पेक्टर्स भी हैं। लेकिन मिलावट का बोलबाला है, दूध में मिलावट, कोकाकोला में मिलावट, पेप्सी में मिलावट, मसालों में मिलावट, मावे में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज नकली और मिलावटी है। सरकार दो साल से कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई थी और दो साल तक चेती नहीं, अब चेती है। मैं चाहूंगा कि आप, आसन की तरफ से सरकार को थोड़ी फटकार लगाएं कि क्यों इतना विलम्ब किया गया और इस प्रकार का विधेयक पहले ही क्यों नहीं लाया गया?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पार्ट टाइम छोटी सी बात है, जैसा मंत्री जी ने बताया। कोई आपातकाल लागू हो रहा हो, संकट आ गया हो, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई हो, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है कि आर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन वह विदेशी खतरा हो, कोई अन्य खतरा हो, लेकिन ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं हुई। एकदम मंत्री जी की नींद जगी, जब जागे, तब सवेरा, क्या करें? तब इन्होंने अध्यादेश का सहारा लिया। 25 फरवरी से सदन प्रारम्भ होने वाला था और लिखा है कि 7 फरवरी को लागू होगा। इसमें कितने दिन का टाइम था, केवल 15 दिन का। इतने छोटे समय के लिए आर्डिनेन्स लाना, मक्खी को मारने के लिए तलवार का प्रयोग, धन्य हैं।

इसलिए कि सरकार की जो यह प्रवृत्ति है, सरकार की ढिलाई है, सरकार की कुम्भकर्णी प्रवृत्ति और सरकार की ऐन टाइम पर जगने की बात है और अध्यादेश जैसी महत्वपूर्ण चीज का दुरुपयोग करने की बात है, हर चीज में आर्डिनेंस लाने की बात में हम जानना चाहेंगे, अगर कमेटी से यह 2006 में पास हो गया और इतना समय हो गया तो आखिर इसके विलम्ब का क्या कारण था, इसके बारे में बतायें।

बाकी तो इस बिल में जो बातें हैं, खाद्य प्राधिकरण का गठन हो, इसके केस वगैरह जो भी फूड इंसपैक्टर मिलावट के नमूने वगैरह बाजार से लाते हैं, लाकर उनकी जांच होती है और जांच करके जो दोषी पाये जाते हैं, उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं करेगा, क्योंकि सारे देश में नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, कभी हैजा फैलता है, कभी उल्टी होने लग जाती है, कभी दस्त होने लग जाते हैं, जो बड़े-बड़े स्वायत्तशासी निकाय हैं, वे दूषित पानी पिलाते हैं, मिलावट के ऐसे घोटाले हो रहे हैं कि उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं करेगा। मैं सरकार की अध्यादेश प्रवृत्ति की निन्दा करता हूं और इसीलिए मैंने निरनुमोदन प्रस्ताव पेश किया है।

बाकी बिल के प्रावधान से मैं सहमत हूं, सरकार की भावना पर तो मुझे शंका है कि बहुत सुस्ती से यह बिल लाई है, लेकिन जो बिल लाई है, वह ठीक है। कुछ नहीं से कुछ भला। अगर इस प्राधिकरण का गठन हो जायेगा तो कम से कम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी, मिलावट नहीं होगी।

मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो मेरा अधिकार है कि पेप्सीकोला के बारे में जो इसी सदन में कमेटी बैठी थी, जोइंट पार्लियामेंटरी ग्रुप बैठा था, उसकी सारी रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार बड़ी-बड़ी कम्पनियों के दबाव में आ गई थी और दबाव में आकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तभी सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार भी इनके ऊपर पड़ी और उसमें आया है कि मैलाफाइड इंटैंशन थी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक लाइन पढ़ दूं। इसमें आया है कि राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई और प्रकाशित हो गई इसे तो लागू करने में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने कहा कि सी.पी.आई.एल. के वकील का यह आरोप सही मालूम हो रहा है कि सरकार इस अधिनियम को लागू करने में कतरा रही है। जस्टिस माथुर ने कहा, आरोपों का औचित्य है, आपकी जानी-बूझी निष्क्रियता इस तरह के आरोप लगाने का मौका दे रही है और सरकार बाजीगरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे शब्द हैं कि सरकार बाजीगरी कर रही है।

दूसरे बाजार में फूड इंस्पैक्टरों की बहुत कमी है और काम बहुत लम्बा-चौड़ा है, क्योंकि दुकानें बहुत खुल गई। आजकल गन्ने का रस खुला बिक रहा है, खाने की खुली चीजें, मिठाई वगैरह बिक रही हैं। अब होली का त्यौहार आ रहा है, बारावफात आ रही है, गुड फ्राइडे आ रहा है, इसलिए दूध के अन्दर मिलावट और सारी चीजों की मिलावट रुकनी चाहिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए और फूड इन्सपैक्टरों की नियुक्ति ज्यादा हो, राज्य सरकारों से पूछकर इनकी संख्या बढ़ाई जाये, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जायें।

यह मंत्री जी जरूर बतायें कि इस अधिनियम के बनने के बाद कितने लोगों के खिलाफ आपने इस खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है? जो पहले फूड एडल्ट्रेशन कानून बना हुआ था, उसके अंतर्गत कितने लोगों को सजा मिली है, इसके

बारे में बतायें? बाकी सब लोग भी विलम्ब के कारण बता ही देंगे।

आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। इस नाते कि अच्छे उद्देश्य के लिए प्राधिकरण का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार की जो निष्क्रियता है, उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए निरनुमोदन का प्रस्ताव मैंने दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

"कि खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका कारण है कि मैंने प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुना है। यद्यपि वे विधेयक के पक्ष में हैं लेकिन उनकी शिकायत यह है कि इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तथा बिना क्रियान्वयन के आप कोई संशोधन कैसे ला सकते हैं?

2006 के पूर्व अधिनियम में विहित है कि अध्यक्ष या खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि अनिवार्यत: उन्हें पूर्णकालिक सदस्य बने रहना है। अत: पूरे अधिनियम का क्रियान्वयन केवल भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। इस अधिनियम को 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी और जब इस प्राधिकरण के गठन के लिए प्रयास शुरू किए गए तो विशेषज्ञों की आवश्यकता हुई जो कि मानक एवं गुणवत्ता की जांच कर सकें—इसके लिए न तो आम नागरिकों की जरूरत थी न ही किसी संसद सदस्य की और न ही किसी क्षेत्र के अधिकारी की। इसके लिए अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता है। वे मानकों का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर करना चाहते थे न कि परम्परागत आधार पर और न ही ऐसे मानकों के आधार पर जो देश के गांवों में उपलब्ध है या देश के किसी राज्य के जिले में उपलब्ध हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानक अपनाना चाहते थे।

अब, हम इस पर केवल स्थानीय स्तर पर ही कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अनेक वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और साथ ही साथ अनेक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक समुद्री उत्पाद उद्योग जिससे हजारों करोड़ रुपये का अर्जन होता था केवल इस तर्क पर रोक दिया गया कि अमरीकी सरकार ने कहा कि इस विशेष प्रकार के झींगा एक ऐसा तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अत:, उन्होंने पूरा आयात रोक दिया। इसी प्रकार एक बार हमारे सभी कुक्कुट उत्पादन केवल इस साधारण कारण से जांच के विषय बन गए कि मुर्गियों को दिया जाने वाला भोजन दूषित है या उसमें कोई ऐसा तत्व है जो मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अत:, इसका अर्थ है कि वे इतनी बारीकी से हर पहलू की जांच एवं विश्लेषण करते हैं कि मामूली सा बदलाव भी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। आप और हम खाद्य में छोटे-मोटे परिवर्तन हो जाने से या पेयजल के थोडे-बहुत संदूषित हो जाने से परेशान नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे देश हैं जहां लोग इन छोटे-मोटे परिवर्तन का बहुत ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे मित्र प्रो. रासा सिंह रावत बता रहे थे कि जब समाचारपत्रों ने यह सूचना दी कि शीतल पेय में कीटनाशकों के कुछ अवशेष हैं तो इससे देश में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई। हर व्यक्ति इस बात से परेशान था कि इससे उसके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उन्होंने परीक्षण किया। इसलिए, मंत्री जी को इसके बारे में प्रावधान करने में और सावधान रहने की आवश्यकता है। जब उन्होंने महसूस किया कि इसके सदस्यों के रूप में इसकी अध्यक्षता करने के लिए सक्षम एवं सटीक व्यक्ति की पहचान करने हेतु यह संशोधन आवश्यक है। अत:, इसीलिए वे यह संशोधन लाए थे।

मुझे खुशी है कि सभी सदस्यों ने एक मत से कहा था कि यह अधिनियम अच्छा है और इसका क्रियान्वयन किया जाना है। हम भी इसके पक्ष में हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के क्रम में उन्हें पता चला कि इसमें कुछ निहितार्थ हैं जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आड़े आ रहे हैं। इसलिए, वे हमारे पास संशोधन के लिए आए। उस समय सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए वे अध्यादेश लाए। अन्यथा वे अध्यादेश नहीं लाते। जैसा कि वे कहते हैं कि यदि इस अधिनियम का क्रियान्वयन करने में विलम्ब करने का इरादा होता तो वे एक वर्ष और प्रतीक्षा कर सकते थे। उन्हें अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं थी। आज संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अत: सदस्य महोदय, यह नहीं कह सकते कि इस अधिनियम को लाने या इसके क्रियान्वयन में विलम्ब करने की कोई दुर्भावना

[श्री के.एस. राव]

है। अत: इस आरोप में इस बात के अलावा कोई तथ्य नहीं है कि वे विपक्ष में हैं इसलिए उन्हें निश्चित तौर पर कोई न कोई आरोप लगाना है और कमियां ढूंढ निकालनी हैं। उस आधार पर उन्होंने यह आरोप लगाया है लेकिन मुझे इसमें कोई तथ्य नहीं दिखाई देता है।

इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य मानक एवं गुणवत्ता बनाए रखना है तथा इस अधिनियम से लगभग अन्य आठ कानूनों का निरसन हो गया है जो पहले विद्यमान थे और इनके स्थान पर एक समेकित अधिनियम बनाया गया जिससे कानून की जटिलता और विभिन्न कानूनों का पालन करने में होने वाले विलम्ब में कमी आई है। यह भी एक लाभ है। वे केवल एक ही लेखा से कार्य करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य ही एक बड़ी बात है। उपभोक्ता के हित ही मानदण्ड हैं और विशेष रूप से संदूषण, मिलावट, कीटनाशी और कीटाणुनाशी अवशिष्ट से बचना है। कभी-कभी कोई रंग बहुत आकर्षक होता है लेकिन वह रंग या रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वह आकर्षण या ऊपरी स्वरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।

इस विधेयक के प्रावधानों का प्रयोजन न केवल उत्पादकों को विनियमित करना है बल्कि इन बातों का ध्यान रखना है कि भण्डारण कैसे किया जाता है; इसका वितरण कैसे किया जाता है। इन सब बातों के लिए व्यापक मानकीकरण करने की जरूरत है। यह अधिनियम निश्चित रूप से प्रत्येक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं मानक को विनियमित करने में मदद करेगा।

मेरे मन में केवल यह आशंका है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को यदि रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे व्यापारियों पर लागू किया जाता तो उनका जीना दूभर हो जाता। वे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले छोटे-मोटे लोग हैं जिन्हें इन प्रावधानों के ब्यौरे के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे परम्परागत तरीके से खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि खाद्य पदार्थ में की गयी मिलावट को स्वीकार किया जाए, भले ही ऐसा करने वाले फेरी वाले और छोटे-मोटे व्यापारी ही क्यों न हों, बल्कि माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि सरकार को उनके प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसकी बजाए उन्हें बड़े व्यापारियों एवं विनिर्माताओं पर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए जो इस प्रकार की मिलावट जानबूझकर एवं पूरी जानकारी में करते हैं। यदि कोई उत्पादक बड़ी मात्रा में उत्पाद तैयार करता है तो उसे निर्धारित मानकों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करने हेतु सतर्क रहना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और स्वास्थ्य के लिए क्या खतरनाक है। उसे उत्पाद पर धन व्यय करना पड़ता है और वह इस व्यय की वसूली उपभोक्ता से करता है। उपभोक्ता उस भार को एक हद तक वहन कर सकते हैं। लेकिन, जब यह बोझ रेहड़ी-पटरी वालों पर आता है, तो उन्हें परेशानी होगी। मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि खाद्य निरीक्षक, खाद्य अधिकारी छोटे-मोटे व्यापारियों एवं विक्रेताओं को परेशान न करें।

इसके अलावा विधेयक के सामान्य सिद्धान्त एवं प्रावधान अच्छे हैं। किसी खतरनाक सामग्री, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, के प्रयोग के लिए अधिनियम में कड़े दण्ड का प्रावधान है। मृत्यु हो जाने की स्थिति में सात वर्ष का दण्ड, या 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का दण्ड निर्धारित है। ऐसी स्थिति में कोई विचार या सहानुभूति नहीं होनी चाहिए जब यह पाया जाए कि किसी उत्पादक ने अपमिश्रित खाद्य के उत्पादन में गलत साधनों का इस्तेमाल किया है। ऐसे उत्पादक पर दया दिखाए बिना उसे कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। गलती करने वालों को, कुछ लोगों को इस स्तर पर निश्चित रूप से ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिए; तभी अन्य लोग सतर्क रहेंगे और हम सभी को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलेगा।

मेरी अन्तिम बात जल की आपूर्ति के बारे में है। नागरिक निकायों द्वारा जिस जल की आपूर्ति की जाती है। वह जल इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर है। मेरे विचार से माननीय मंत्री को यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तरीका निकालना चाहिए कि नागरिक निकायों द्वारा जिस जल की आपूर्ति की जा रही है, वह जल उनके द्वारा निर्धारित स्तर एवं मानदंड के अनुरूप हो।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विपक्ष को सरकार के इरादे को गलत नहीं समझना चाहिए। पहले एक अध्यादेश लाया गया और इसके तुरंत बाद उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लाया गया है।

***श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी)** : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सभा में खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विधेयक 2008 के समर्थन में बोल रही हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। यह विधेयक 2006 में पारित हुआ था। इसे कुछ संशोधनों के साथ पुन: पुर:स्थापित किया गया है। यहां पर

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

न तो मेरा दल और न ही मैं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। क्या समिति का सभापति पूर्णकालिक होगा या अंशकालिक; क्या उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी या 65 वर्ष, वह मेरे लिए महत्वहीन है। समिति की स्थापना हुए दो वर्ष बीत चुके हैं। समिति का कार्य खाद्य गुणवत्ता, विनिर्माण, भंडारण, वितरण विक्रय, आयात और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता पर ध्यान देना था। समिति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य अभी भी काफी दूर है।

भारत एक ऐसा देश है जो कुपोषण की समस्या से ग्रस्त है और देश में खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षित स्तर का नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात् इतने वर्ष बीत चुके है; अब यह एक स्वतंत्र देश जिसकी सरकार स्वतंत्र है और लोग स्वतंत्र हैं जिन्होंने यह उम्मीद की थी कि सरकार उन्हें राहत प्रदान करेगी। परंतु हमारे अनुभव कहते हैं कि राहत और संतोष मिलने के स्थान पर असुविधा कई गुना बढ़ गई है। आज हम अपने असहाय चेहरों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कवि ने कहा है कि फर्श पर अलग-अलग आकार और माप के अनेक गड्ढे थे। अत: मैंने उन्हें कवर करने के लिए दस×दस आकार की दरी खरीदी।

अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र के 77% कारीगरों, 88% दलितों, 80% जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान समुदाय की दैनिक आय केवल 20 रुपए है। हम विश्व खाद्य पोषण सूचकांक में 49वें स्थान पर हैं और इस प्रकार हम भूखे देशों के मध्य अग्रणी हैं। मान विकास सूचकांक में हमारा स्थान 127वां है। जब हम कोलकाता में बस या ट्राम से यात्रा करते हैं, तो कंडक्टर कहता है "आगे चलो" हम चल रहे हैं परंतु आगे की ओर नहीं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार "तीन वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक बच्चा सामान्य से कम वजन का है और पांच में से तीन महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं।"

भारत में 59% लोगों के पास ईंटों के पक्के मकान नहीं हैं, 58% लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता, 55% लोगों को सैनिटरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, 32% लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है। सरकार ने उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अन्त्योदय में विभक्त किया है। गरीब लोगों की जाति, धर्म या रंग नहीं होता। गरीब की आगे और भी कोटियां बनाई गई हैं, गरीब नहीं इतना गरीब नहीं और गैर-गरीब। ऐसे मानदण्डों के तहत क्या उन्हें सस्ती दरों पर अनाज खरीदने दिया जाएगा? क्या स्वसहायता समूहों में शामिल लाखों महिलाओं को ऋण मिलेगा? क्या उन्हें रूग्णता की स्थिति में उचित चिकित्सा सहायता मिलेगी?

आसमान छूते मूल्य एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों नहीं लागू की गई? देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समान दर पर क्यों नहीं की जाती? गरीब लोगों की स्थिति अत्यन्त करुण है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार ने कुछ राज्यों में धान, गेहूं, चीनी का कोटा कम कर दिया है। जिन राज्यों में केन्द्र में सत्ताधारी दल का शासन नहीं है, वे अधिक परेशानी उठा रहे हैं। अत: केरल और पश्चिम बंगाल इस आघात को झेल रहे हैं। 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' के वायदे पूरे नहीं किए गए हैं।

देश के नागरिकों की देखभाल करना सरकार का दायित्व है। इसके लिए राजनैतिक इच्छा और स्तरीय दृष्टिकोण आवश्यक है। परंतु इस सरकार का राजनैतिक इरादा और दृष्टिकोण गरीब लोगों के पक्ष में नहीं है। सरकार को आम आदमी के लिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय, वस्त्र की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि ये उसके मूल अधिकार हैं।

हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? यह प्रति हजार जीवित शिशु जन्म पर 63 है; मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित शिशु जन्म पर 407 है कुपोषण की दर 52.5% है। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने राष्ट्रीय पोषण प्राधिकरण बनाए जाने की सिफारिश की थी। इसने पोषण सुरक्षा पर बल देने तथा प्रोटीन, विटामिन के उपयोग और कैलोरी हमारे बच्चों द्वारा ली जा रही की मात्रा पर भी ध्यान देने के लिए कहा था। परंतु उसके लिए कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं अपनाई गई है।

भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। परंतु हम उस प्रौद्योगिकी का भोजन और दवाओं के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। देश में कितनी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं? यहां तक कि विद्यमान प्रयोगशालाओं की पर्याप्त अवसंरचना, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भी नहीं हैं।

स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी, फसलों, अनाज, दालों, चाय कॉफी, दवाओं में मिलावट होना जारी है। कालाबाजारी करने वाले, बिचौलिए, जमाखोर दिन प्रति दिन फल फूल रहे हैं। भारत में, लगभग 30% नकली दवाएं बेची जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकली औषध बाजार में 38% योगदान भारत का है और दिल्ली ऐसे क्रियाकलापों का केन्द्र है। बहुत से लोग टी.बी., मलेरिया, कैंसर आदि रोगों से पीड़ित हैं। परंतु दवाएं इतनी महंगी हैं कि आम आदमी उनका खर्च नहीं जुटा सकते। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डॉक्टरों और व्यापारियों के मध्य सांठ-गांठ

[श्रीमती मिनाती सेन]

के कारण स्थिति बदतर होती जा रही है। औषधियों के क्षेत्र में सरकार द्वारा निगरानी और निरीक्षण का पूर्णतः अभाव है। इस बुराई को कौन नियंत्रित करेगा?

कोका कोला कंपनी, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कीटनाशकों से भरे सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रही थी। इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था परंतु इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। फॉस्ट फूड और जंक फूड जिनमें रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है, का व्यापार फल फूल रहा है। इनसे मानव स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

हमें भोजन, आश्रय और कपड़ा चाहिए। हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं हमें उज्जवल और स्वस्थ जीवन चाहिए और उसके लिए हमें दिल से हिम्मत, स्वयं पर विश्वास और अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। केवल तभी इस विधेयक का उद्देश्य प्राप्त होगा। एक बार फिर मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं और अपना भाषण यहां समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट बना था। उसके बाद फिर एक आर्डीनैंस प्रमलगेट किया गया जबकि स्वस्थ परंपरा यह है कि नॉर्मली कोई भी आर्डीनैंस प्रमलगेट न किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इंफार्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री ने भी एक आर्डीनैंस पहले प्रमलगेट किया था, उसके बाद बिल लाए। यह स्वस्थ पार्लियामैंट्री पद्धति है कि यदि बहुत ही बाध्यकारी हो, तभी आर्डीनैंस प्रमलगेट करना चाहिए। जब हाउस शुरू होने वाला था तब आर्डीनैंस की क्या जरूरत थी? माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया, सन् 2006 के एक्ट में जो अमैंडमैंट किया है, आप कोई भी एक्ट बना लें लेकिन जब तक उसे ठीक ढंग से लागू नहीं करेंगे, तब तक आम आदमी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप संसद में कानून बनाते हैं और बाहर उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, उसका कोई पालन नहीं होता, कोई मॉनीटरिंग नहीं होती। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें, हमारे देश में पचास हजार करोड़ रुपये की फेक ड्रग्स चल रही हैं, जिनके खाने से बहुत से लोग बीमार होकर मर जाते हैं, बहुत लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साठ साल की आजादी के बाद भी हम फेक दवाइयों को रोक नहीं सके हैं, वे आज भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। हम यहां क्यों नहीं प्रावधान करते कि जो ट्रेडर्स इस तरह की फेक ड्रग्स बनाते हैं, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिससे देश की जनता के सामने एक सबक आए कि इस तरह के काम करने वाले बक्शे नहीं जाएंगे।

मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज खाद्य पदार्थ में जितनी मिलावट हो रही हो और जिस तरह की घातक चीजें मिलाई जा रही हैं, वह बहुत चिन्ता का विषय है। एक अफ्रीकन नेशनल यहां आया था। मैंने उससे पूछा कि आपके यहां भी बहुत गरीबी है, क्या आपके यहां भी मिलावट होती है? उसने कहा कि नहीं, हमारे यहां गरीबी के बाद भी कोई मिलावट नहीं होती। यह सवाल ईमान का है। क्या पूरी दुनिया में बिना ईमान वाले राष्ट्र हम ही हैं जहां दवा, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मिलावट न हो रही हो?

मंत्री जी, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। आपने सैम्पल लिए हैं। कितने थोड़े सैम्पल लिए जा रहे हैं। उसमें कितने लोगों को पनिश किया गया है, कितने लोगों को जेल भेजा गया है, इसका कहीं कोई ब्यौरा नहीं है। आज खाद्य पदार्थों में जितनी मिलावट हो रही है, बाजार में कोई वस्तु शुद्ध नहीं है। चरबी और हड्डी मिलाकर देशी घी बनाया जा रहा है। डालडा में भी मिलावट है। सरसों के तेल में भी मिलावट है। इतना ही नहीं, ऑक्सीटोन सुई लगाकर गाय, भैंसों का दूध निकाला जा रहा है। इसका हर शहर में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, गांवों में भले ही न फैला हो, लेकिन हिन्दुस्तान के हर शहर में यह पद्धति जारी है। क्या मंत्री जी इसे रोक पाएंगे? अब सब्जियों में भी इंजैक्शन लगाया जाता है। लौकी एक दिन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन इंजैक्शन लगा देते हैं तो दूसरे दिन वह काफी बड़ी हो जाती है। अपने एक्ट में जो प्रोवीजन किया है, पता नहीं यह सब्जियों को भी देखेगा या नहीं? हमारे फ्रूट्स में भी जहर फैल गया है और बहुत से देश हमारी सब्जियां और फ्रूट्स लेने से इंकार कर रहे हैं। हमारे यहां सब्जी दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होती हैं। फल में भी हम चाइना के बाद शायद दूसरे या तीसरे नम्बर पर हैं। जब हम शुद्ध पदार्थ नहीं बना पायेंगे, हम शुद्ध चीज नहीं सप्लाई कर पायेंगे, तो हमारे देश का हैल्थ हैजार्ड होगा और उसके साथ-साथ हमारा देश दुनिया में बिना ईमानवाला देश बन कर रह जायेगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज बाजार में जो समान बिक रहा है, उसमें 95 परसेंट

सामान एडल्ट फेटिड है। माननीय मंत्री जी, आपने एक्ट में जो प्रावधान किया है, क्या उससे आप इसे रोक पायेंगे? आप क्या इस बात से आश्वस्त हैं कि इसे रोकने में आप सक्षम हो पायेंगे? मैं आपके इस एक्ट के समर्थन के लिए खड़ा हूं, लेकिन जो बातें हम देख रहे हैं, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस पर और भी कड़े कानून बनने चाहिए। वे कानून बने ही नहीं, बल्कि लागू भी होने चाहिए।

आज देश के 83 प्रतिशत लोग केवल 20 रुपये में रोज अपना गुजारा करते हैं। इस बारे में हम मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी भी लिखते हैं। अगर किसी गरीब आदमी को कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गयी, किडनी फेल हो गयी, तो वह दवा नहीं करा सकता, क्योंकि हर आदमी लोक सभा के मैम्बर के पास एप्रोच नहीं कर सकता। अब प्रधान मंत्री कोष से उसे केवल 20 या 30 परसेंट पैसा ही मिलता है। संभवत: माननीय मंत्री जी के फंड से उन्हें यह पैसा मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उसके लिए कोई अलग से प्रावधान किया है? क्या ऐसे गरीब लोगों के लिए, जिसकी आबादी हमारे देश में 63 प्रतिशत है और जिनकी आमदनी आठ रुपये से लेकर 20 रुपये तक है, क्या उनके लिए माननीय मंत्री जी अपने बजट में अलग से कोई प्रावधान करेंगे या सैंटर बजट, जो अभी पास होने वाला है, उसमें इस बात का प्रावधान करेंगे कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की बीमारी का पूरा खर्चा, पूरी दवाई का प्रबंध सरकार ऐज ए वेल्फेयर स्टेट के नाते करे।

हमारा भारत गणतंत्र एक वेल्फैयर स्टेट है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंग्लैंड, यू.के., अमेरिका आदि तमाम देशों में हैल्थ एश्योरेंस है। लेकिन अगर हमारे यहां हैल्थ एश्योरेंस की कोई स्कीम है, तो वह नाकाफी है, क्योंकि उसका सीधा फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वे जवाब दें, तो जो बातें हमने उठाई हैं, उन बातों का निराकरण करें जिससे यह संसद संतुष्ट हो जाये। अभी माननीय सदस्या पेय पदार्थों में मिलावट के बारे में बता रही थीं। इस संबंध में एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनी थी। हमें आज तक यह नहीं मालूम कि उसकी क्या रिपोर्ट आई? उसी तरह आज बहुत तरह के मिनरल वाटर निकले हुए हैं। उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है और न ही उनकी जांच पड़ताल होती है। खासतौर से रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्म्स पर पेय पदार्थ या पेय जल मिलता है, वह शुद्ध नलके का पानी होता है। उस पर कॉर्क लगाकर बेच देते हैं। यहां पर लालू प्रसाद जी बैठे नहीं हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि रेलवे जो नीर देता है, उसे आप रेलवे की तरफ से क्यों नहीं डिब्बों में सप्लाई करते? यह व्यवस्था रेलवे की तरफ से होनी चाहिए न कि प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू होना चाहिए, जो वहां सप्लाई करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, तो सभी माननीय सदस्यों और हमने शंकाएं उठायी हैं,? उनको संतुष्ट करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानंद पंडा (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर देने के लिए तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम एक असुरक्षित विश्व में रह रहे हैं पीने का पानी, दवाएं और अधिकांश खाद्य पदार्थ, जिनका हम आजकल उपयोग कर रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी देश के आम लोगों के बृहत हित में यह सशक्त विधेयक लाए हैं। बेशक यह विधेयक स्वागत योग्य है और हम सभी इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

अपराह्न 3.45 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

सर्वप्रथम मैं उनके विचारार्थ कतिपय बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच हेतु हमारे पास पर्याप्त प्रयोगशालाएं हैं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सभी खाद्य पदार्थों की जांच हेतु पर्याप्त संख्या में खाद्य निरीक्षक मौजूद हैं। तीसरी बात यह है कि इस माननीय सदन में निर्वाचित होने से पूर्व एक फौजदारी वकील के रूप में मैंने अपनी प्रैक्टिस के 31 वर्षों के दौरान एक हजार से अधिक मामले लड़े हैं। मेरा अनुभव यह है कि कुछ मामले उच्चतम न्यायालय में आते हैं। अधिकांश मामलों में मुलजिम को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि अदालत में यह सिद्ध करना था कि भंडारण उपयुक्त है। यदि अभियोग पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाता कि भंडारण उपयुक्त नहीं है, तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। जब निरीक्षक इन खाद्य मदों का निरीक्षण करता है वे कुछ मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए। उसके विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाती है और यदि यह पाया जाता है कि खाद्य वस्तुएं मानव उपभोग

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

के लिए ठीक नहीं है, तो वह मुकदमा चलाने का आधार बनता है। इन बातों की पुष्टि खाद्य निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

अब हम पाते हैं कि खाद्य गुण्वत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं।

इस माननीय सदन में मेरा यह सादर अनुरोध है कि अनेक कानून पुर:स्थापित किए जा रहे हैं। यह कानून बहुत अच्छे हैं और आम आदमी के हित में हैं। परन्तु वास्तविक रूप से इन कानूनों को लागू नहीं किया जाता। आम आदमी के हितों की रक्षा कभी भी नहीं की जाती।

यह पाया जाता है कि ऐसे मामलों में व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अंतत: ये लोग सत्ता के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बच जाते हैं। वे निरीक्षक पर प्रभाव डालते हैं। मानलीजिए खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला में जांच हेतु ले जाया गया। यह देखा जाता है कि इसी दौरान इसके मूल पदार्थों को बदल दिया जाता है और उसके स्थान पर कुछ और रख दिया जाता है जो सार्वजनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुरूप होता है और अंतत: वे लोग बच निकलते हैं। ये दवाओं और अन्य मामलों में भी मेरा अनुभव ऐसा ही रहा है। मैं एक मामले में कार्य कर रहा था जहां एक आदमी मोबिल ऑयल युक्त घी बेच रहा था। दुकान के सामने यह उल्लिखित था कि देसी घी उपलब्ध है। परन्तु उसके नीचे छोटे अक्षरों में यह लिखा था कि यह केवल दीपक जलाने के लिए है। खाद्य सतर्कता कार्मिक वहां गए; उन्होंने दुकान पर छापामारा और सब कुछ जब्त कर लिया। मामले का संचालन करने हेतु दो विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए गए। अंतत: यह पाया गया कि यह मानव उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। अत:, अभियुक्त को लाभ मिल गया। ऐसी परिस्थितियों में इस माननीय सभा के समक्ष मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून को कानून की भावना के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। यदि इसे उपयुक्त तथा न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाता है तो हमें कोई रास्ता मिल सकता है। जब तक कठोर सजा नहीं दी जाती, जब तक कानून के तहत मुकदमें की कार्रवाई त्वरित रूप से नहीं की जाती, तब तक हम इस तरह के अपराधों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे हैं।

यदि हम नकली दवाओं की बात करें तो इनका स्रोत उत्तर प्रदेश है और यह मेरे राज्य में फैल गया है। कान्ताबंजी में भारी मात्रा में नकली दवाएं पकड़ी गई थीं।

यह पाया गया कि इन सभी वस्तुओं का भंडारण बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता था और स्थानीय पुलिस, स्थानीय नेताओं और अन्य अभिकर्त्ताओं पर प्रभाव डाल कर वे बाजार में नकली दवाएं बेच सकें। मान लीजिए, मैं एक व्यक्ति की हत्या कर रहा हूं, परन्तु जो व्यक्ति इन नकली दवाओं को बेच रहा है वह प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों की हत्या कर रहा है। अतएव, ऐसी परिस्थितियों में, क्या इन कानूनों के तहत मृत्यु दंड दिया जाएगा ताकि लोगों को कानून की सख्तियों का पता चल सके।

इस मुद्दे का अध्ययन किया जाना है।

महोदय मैं उन कानूनों का स्वागत करता हूं जो आम जनता के व्यापक हितों के लिए पुर:स्थापित किए जाते हैं न कि उन कुछेक लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो अपने जीवन में आए सारे अवसरों का उपयोग कर रहे हैं। गांव के भीतरी भाग में रहने वाले व्यक्ति को अच्छी दवाएं और अच्छा भोजन नहीं मिलता और उसके दैनिक उपयोग का पेयजल भी सुरक्षित नहीं है।

महोदय, जैसा कि हाल ही में यह देखा गया कि आस्ट्रेलिया से कुछ गेहूं आयात किया गया और वह मानकों के अनुरूप नहीं था। अतएव, यह पता लगाने के लिए कानून के तहत उपलब्ध उपाय क्या हैं और हम किस आधार पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं? जब तक हमें उपायों का पता नहीं चलता तबतक इसका कोई उपयोग नहीं है। हम केवल गर्व महसूस करेंगे कि अत्यन्त सशक्त कानून इस सम्माननीय सभा में पुर:स्थापित किए गए हैं, परन्तु इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत: व्यापारी, कालाबाजारी करने वाले, जमाखोर और जिन लोगों को ऐसे जघन्य कार्यों द्वारा पैसा बनाने की आदत है उन पर नजर रखी जाए। इसीलिए, मैं इस सम्माननीय सभा में यह प्रश्न उठाना चाहूंगा कि मिलावट स्वास्थ्य के लिए हानिकर है तो अब देश में बढ़ रहे ऐसे स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर ध्यान देने के लिए कौन सा अभिकरण है इन खतरों से कैसे बचा जाए?

अब, आप कहते हैं कि देश में 350 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। परन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में एक भी प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है। मेरे राज्य में भी इन सब चीजों की जांच के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित एक भी प्रयोगशाला नहीं है।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि खाद्य पदार्थ बनाते समय निषिद्ध रंगों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आजकल देखा गया है कि देश में पैक किए हुए मदों की बहुतायत है। अधिकांश पैकेजिंग

बड़े व्यापारियों द्वारा अपने कर्मिक लगाकर की जा रही है। ऐसे मामलों में, उनके लिए कोई सुरक्षा और कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह पता नहीं है कि इन मदों की सुरक्षा और मानदण्डों का पता लगाने के लिए वास्तव में निरीक्षण करने वाला व्यक्ति कौन है।

अतएव, इन स्थितियों मे, जब माननीय मंत्रीजी कानून लागू करने जा रहे हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे इसके वास्तविक रूप में ही लागू किया जाए: और ऐसा नहीं किए जाने पर लागू किया गया कोई भी कानून आम लोगों के हित की पूर्ति नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, आम आदमी जिसके लिए लोग इस सम्माननीय सभा में सदन कर रहे हैं, वह वर्षों तक कष्ट झेलता रहेगा।

छः दशक बीत गए हैं, परन्तु आम लोगों के हित में सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित खाद्य और कुछ भी सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए कोई सुरक्षा और मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए ह्रदय से शुक्रिया अदा करता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया जा रहा है, इसके संबंध में पहले मेरी एक आपत्ति थी, जो कि अभी भी है। आपत्ति यह है कि जब पूरा अधिनियम जो पूर्व में पारित किया गया था और जिस पर राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, उसे पूरा का पूरा गजट में प्रकाशित किया जाना चाहिए। किन्तु संभवत: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वयं से संबंधित कुछ धाराओं को प्रकाशित कराया गया और शेष को छोड़ दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरा अधिनियम एक ही है, इसके हिस्सों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह एक त्रुटि है, अभी भी अगर कोई वैधानिक संशोधन इसमें हो सकता है तो करके इस त्रुटि को दूर करना चाहिए, अन्यथा इसके बारे में आपत्तियां उठेंगी।

यह विधेयक केवल सीमित प्रयोजनों के लिए लाया गया है। अध्यक्ष और सदस्य, जिसके अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य और उनसे भिन्न अंशकालिक सदस्य हैं, चयन समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। इसका दूसरा प्रयोजन यह है कि अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं कर सकेगा। बहुत सीमित प्रयोजन हेतु हुए भी, इस प्रसंग का लाभ लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मूल अधिनियम में कुछ बातें कही गयी हैं। जिसमें स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता, उसके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात, इन सभी को शामिल किया गया है। इसमें आपके लिए बातें कही गयी हैं कि आप किस प्रकार का स्वास्थ्यप्रद खाद्य उपलब्ध कराते हैं उनके विनिर्माण के लिए आपके पास क्या उपबंध हैं, भंडारण की क्या स्थिति है, जो चीजें आप आयात करते हैं, वह स्वास्थ्यप्रद है या नहीं, इन सभी चीजों का विनिश्चय करना आपका काम है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं कि आज बाजार में जिस प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं और उनके ऊपर आपके मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर चाहे इसका नियंत्रण फूड इंसपेक्टर्स के जरिए हो या भले ही इसके लिए आप राज्य सरकारों पर कुछ काम डाल दें, लेकिन केंद्र सरकार का भी कुछ कर्त्तव्य बनता है और केन्द्र सरकार के अधीन भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उपयुक्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं जहां पर वस्तुओं का ठीक से परीक्षण हो सके और साधनयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित हों। आज पेयजल को देखिए जो पैक्ड होता है, जिस पर आईएसआई का लेबल लगा होता है, उसमें भी कीटाणु और कचरा मिलता है। क्या कभी आपने इसको चेक किया है और रोकने के लिए प्रयास किए हैं? इसी तरह अन्य बहुत सी खाने की वस्तुएं, जैसे हल्दी, धनिया, तेल, आटा इन सभी में मिलावट हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा कह दिया जाता है कि यह राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन आपके कानूनों में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि आप इन चीजों को रोक सकें।

आपने अपने उद्देश्य में कहा है कि हम मानक स्तर पर अच्छा खाद्य मिल सके, इसकी गारंटी देते हैं और देश में रहने वाले सभी लोगों को एक मानक के अनुसार ठीक कैलौरी वाला खाद्यान्न मिल सके। मैं जानना चाहूंगा कि आज देश की आबादी की आधे से ज्यादा संख्या गरीबों की है, क्या उनके बच्चों को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ठीक, उपयुक्त कैलोरी युक्त पोषक आहार मिलता है? अगर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप उत्तरदायी हैं, आपने उसके लिए क्या प्रयास किए हैं? इस विधेयक को लाकर कुछ बातों की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा। माननीय सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी ने ठीक कहा है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास खाद्य अपमिश्रण कानून के अंतर्गत, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए, कितने लोगों को आज तक सजा हुई है, उन मुकदमों का क्या परिणाम आया, उसको ठीक ढंग से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके पास कानून अभी

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

भी हैं, आज भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अभी भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसमें यह विषय आपके मंत्रालय के साथ ही बहुत कुछ कृषि मंत्रालय से भी संबंधित है। कृषि मंत्रालय ने भी फूड सिक्योरिटी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने वर्ष 2012 तक, अगली पंचवर्षीय योजना में फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत घोषित किया है कि हम अगले पांच वर्षों में 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 8 लाख मीट्रिक टन चावल, 2 लाख मीट्रिक टन पल्सेज का अतिरिक्त उत्पादन करेंगे। आज हम बाहर से आयात कर रहे हैं, आयातित गेहूं इतना खराब है कि आज जानवर भी उसको खाने से मुहं मोड़ लेता है। क्या इसके बारे में आपने कभी ध्यान दिया है?

अपराह्न 4.00 बजे

मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो इस बारे में भी कहें कि क्या स्थिति है। आज स्थिति बदलती जा रही है, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज के समाचार पत्रों में भी कहा गया है कि जिस तेजी से हिमखंड पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे वर्षा और बाढ़ का खतरा हो सकता है। इस दृष्टि से प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आज जो फल और सब्जियां पैदा होती हैं, उन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। आज केमिकल्स के जरिए सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। ये भी हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेंगी। आज पैक्ड फूड बाजारों में काफी मिलता है। इसमें भी केमिकल्स का काफी प्रयोग होता है, जिससे हमारे शरीर पर विपरीत असर पड़ता है।

ये सब विषय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इन पर ध्यान देकर इन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होनी चाहिए। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज औषधियां भी बाजार में नकली मिल रही हैं। यह बात सही है। औषधियों के व्यापार में करीब 50 प्रतिशत दवाएं नकली बनाकर बेची जा रही हैं। आप कहेंगे कि इन पर रोकथाम राज्य सरकार का विषय है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में आगे आए और कड़ा कानून बनाकर आपको हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए।

आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति पर विपरीत असर पड़ रहा है, उससे हमारा उत्पादन भी काफी प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ मानव जीवन पर भी उसका अनुकूल असर नहीं पड़ रहा है। आज डिब्बा बंद खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता काफी हो रही है। लोग भी धड़ल्ले से इन्हें खरीद रहे हैं, जबकि उनमें गुणवत्ता की काफी कमी है। इस बारे में भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, उसे रोकने के लिए जो हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत काम कर रहे हैं और नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने भी प्रस्ताव दिया है, उस पर विचार करना चाहिए। आपने इस बारे में लगभग लगभग देश के 305 जिलों को चिन्हित किया है, जिन पर काम हो रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम प्रमुख हैं। इन जिलों में अगली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर कितना खाद्यान्न बढ़ सकेगा, इसका प्रयास किया जाएगा। आप 16 राज्यों के 305 जिलों में कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर जो कम करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा उस पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। खाद्यान्नों की सुरक्षा के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज लोगों में खाने की आदतों के बारे में भी परिवर्तन हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस बिल में मूल धाराओं में दो संशोधन करने की बात है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जिस चीज की आज आवश्यकता है और जो स्थिति बन रही है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए आपको निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डा. रामदास के नेतृत्व में लाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं संबंधित मंत्री महोदय स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। यह व्यापक रूप से सिद्ध हो चुका है। उन्होंने पहले ही धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध लड़ाई आरभ की हुई है। हम धूम्रपान करने वाले लोग उनके कठोर अभियान के द्वारा संसद प्रांगण में पहले ही इन सामान्य सुविधाओं से वंचित कर दिए गए हैं। अतएव, जब एक विधेयक उनके मार्गदर्शन में लाया गया है तो हमें आशा है कि इसका कार्यान्वियन भी सही तरीके से किया जाएगा।

विधेयक की कुछ तकनीकी बातों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया गया था। तथापि, 14 मार्च 2008 को प्रश्न सं. 1640 के संबंध में संबंधित मंत्रालय द्वारा यह कहा गया था:-

"खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना और अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए महत्वपूर्ण अंतरमंत्रालयीन सहयोग की आवश्यकता होती है। एफ एस एस ए अधिनियम, 2006

के आधार पर स्वायत्त खाद्य प्राधिकरण की स्थापना की देखरेख करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सचिवों का एक संचालन समूह गठित किया गया है। उक्त प्राधिकरण जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आगे कदम उठाएगा की स्थापना संभव करने के लिए 15 अक्तूबर 2007 से एफ एस एस ए 2006 की धारा 4 से 10 (सहित) धारा 87,88,91 और 101 का अधिनियमित किया गया है। प्राधिकरण की स्थापना अंतिम चरण में है।''

यह सामान्य रूप से विदित है कि जब हम एक भवन का निर्माण करते हैं तो पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। बाद में हमें निधियां जुटानी होती हैं। तीसरे, हमें अनुमान लगाना होता है और चौथे हमें इसे बनाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण की पहचान करनी होती है। अत: यह पहले ही लागू हो चुका है, परन्तु खाद्य प्राधिकरण के रूप में आधार बनाना अभी बाकी है क्योंकि स्वयं खाद्य प्राधिकरण मुख्य भूमिका निभाएगा। खाद्य प्राध्सिकरण के बिना विधेयक के मूल तत्व और विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

हम कितने सभ्य हैं यह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य की गुणवत्ता से पता चलता है। यह वास्तव में अफसोसजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह में अपनी स्थिति में सुधार करने के बाद भी हम खाद्य गुणवत्ता के मामले में पीछे हैं। वर्ष 2006 में संसद में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक पारित किया गया था। परन्तु पुनः इस बार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक संशोधन विधेयक पारित किया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक के कार्यान्वयन का उत्तरदयित्व अनेक संस्थाओं पर डालना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें खाद्य, विनिर्माण, प्रसंस्करण आयात आदि के विभिन्न खंड शामिल हैं। अत: सर्वप्रथम मेरा प्रस्ताव है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्रणाली को पूर्ण रूप से एक छतरी के अंतर्गत लाया जाए ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक को नियमानुसार लागू किया जा सके। अन्यथा यह केवल कागज पर लिखा रह जाएगा।

इस देश में, यहां तक कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के भी कुछ बातें होती हैं। मैं ''टाइम्स आफ इंडिया'' की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है:

''धनिया पाउडर में घोड़े की लीद, खोए में पेट्रोलियम उत्पाद और सलाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए ढेर सारा कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। त्यौहारों का मौसम खाद्य मिलावट अपराधों के जनकों के लिए तेजी का समय होता है। पिछले दस महीनों में शहर के 27 में से एक भी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने अपने संबंधित क्षेत्रों से प्रति माह 20 से 24 नमूने एकत्र नहीं किए है जो अनिवार्य है।''

आप यह जानकर हैरान होंगे कि चूंकि पिछले दस वर्षों में कभी भी किसी आम आदमी ने नमूना लेकर जांच के लिए नहीं भेजा है; इसलिए दिल्ली सरकार ने इस प्रावधान को व्यापक प्रचार देने का निर्णय किया है। इसका क्या अर्थ है। मिलावटी खाद्यों को रोकने के लिए 1958 से कानून लागू है। परन्तु अब भी आम आदमी को जानकारी नहीं है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपयोग का अधिकार है और यदि किसी व्यक्ति ने मिलावट करने की कोशिश की तो उन्हें विद्यमान कानूनों के तहत अधिकार है ताकि वे मिलावट का विरोध कर सकें और जिसके द्वारा वे मिलावट से अपने आपको बचा सकें।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में खाद्य सुरक्षा और मानकों के संबंध पहले से विद्यमान आठ कानूनों को दोहराया गया हैं क्योंकि कानूनों और विनियमों की अधिकता खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि में अवरोधक है, जबकि इस क्षेत्र में हमारे पास विशाल सभावनाए हैं, अतएव, कानून लागू किया गया परन्तु इस संशोधन में सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 5 के तहत बहुत कम प्रावधान किए हैं क्योंकि उपधारा 5 में खाद्य प्राधिकरण के सभापति और सदस्यों द्वारा किसी अन्य पद को धारण करने का निषेध किया गया है। जिसके कारण खाद्य प्राधिकरण के गठन में कठिनाइयां हुई। अत: एक सक्षम खाद्य प्राधिकरण, में जो कठिनाईयों से मुक्त हो, के गठन के लिए सरकार यह छोटा सा संशोधन लाई थी। इसके अलावा केन्द्र सरकार का विचार था कि खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों को नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जाए क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्तियों को खाद्य प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करना संभव नहीं होगा, इसका कारण है कि वे जिस किसी औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें वे किसी न किसी पद पर कार्यरत होंगे। इसलिए, खाद्य प्राधिकरण के गठन में गतिशीलता लाने हेतु एफएसएफ अधिनियम की धारा 7(1) सहित संशोधन लाया गया है। इसलिए, हम सभी को इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए।

महोदया, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि गत दिसम्बर से पश्चिम बंगाल राज्य बर्ड फ्लू से बुरी तरह प्रभावित है। यह बात सबकी जानकारी है और जब स्थिति खतरनाक हो गई तो पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे साधारण

[श्री अधीर चौधरी]

व्यक्तियों को नियुक्त कर संक्रमित मुर्गियों को मारने का अभियान शुरू किया जिन्हें इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसके बाद सरकार ने उन क्षेत्रों में मुर्गीपालन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बर्ड फ्लू से प्रभावित थे। सरकार ने घोषणा की कि उन क्षेत्रों में संक्रमित मुर्गियों को समाप्त कर दिया जाएगा, यह कार्य पूरा होने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया और लोगों को चिकन खाने की अनुमति दे दी गई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के पशुपालन मंत्री ने भी 'चिकन फेस्टिवल' का आयोजन किया ताकि चिकन लोगों के बीच पुनः लोकप्रिय हो। लेकिन, इसी बीच पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण आर्थिक ढांचा चरमरा गया। लेकिन, राज्य के विभिन्न भागों में बर्ड फ्लू पुनः शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश के अनुसार जिन क्षेत्रों में बर्ड फ्लू फैला है वहां तीन माह तक चिकन पालन की अनुमति नहीं दी जा सकती लेकिन इस बात पर कौन ध्यान देगा जब सरकार स्वयं लोगों से चिकन खाने को कह रही है। चिकन पालन शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए निर्देश का पालन किया जाए। जब राज्य सरकार ही इस खतरनाक स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो आम आदमी क्या करेगा?

महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने लोगों द्वारा पिए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया है। मेरा जिला मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के आठ अन्य जिले आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित हैं। वहां भूमि के नीचे से जल निकालकर पैदा किए जा रहे हैं यह जल 'आर्सेनिक' युक्त होता है जो उन सब्जियों और फलों के पौधों पर जमा हो जाता है और इस तरह हमें 'आर्सेनिक' से दूषित फलों एवं सब्जियों को खाना पड़ता है।

मैं, माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमीशन और विश्व व्यापार संगठन के अधीन 'सैनिटरी एण्ड फाइटोसैनिटारी एग्रीमेन्ट' पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन भारत में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों, जो रोज हमारे यहां समुद्री मार्ग से आ रहे हैं, को रोकने के लिए कोई तन्त्र विकसित किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमारे 'क्वारन्टाइन अधिकारियों ओर पत्तन अधिकारियों के पास सूक्ष्म जैविकीय संदूषण एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों, जो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, को रोकने हेतु पर्याप्त साधन हैं। इस विधेयक का समर्थन करने से पहले मैं मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी सक्षम क्रियान्वयन एजेन्सी के बिना वह वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदया, हमने 2006 में जब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को पारित किया था तो उस समय यदि उस विधेयक का प्रारूपण उचित प्रकार से किया गया होता तो आज इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। उस विशेष विधेयक में, जो 2006 में अधिनियम बना था एक साधारण प्रावधान होना चाहिए था। यदि हम उद्योग क्षेत्र से लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि वे किसी न किसी पद पर होंगे। यदि हमें बेरोजगार लोगों को नियुक्त करना हो तो यह बात समझ में आती है, लेकिन जब अधिनियम में ही यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि उद्योग और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, तो जब मूल विधेयक का प्रारूप बना तो उसमें इन प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

तथापि, मैंने अध्यादेश का विरोध करते हुए एक सांविधिक संकल्प केवल इस कारण से पेश किया है कि मैंने सदैव महसूस किया है कि कोई भी अध्यादेश अपवादात्मक परिस्थिति में, जब कि संसद का सत्र बुलाए जाने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है, जारी किया जाना चाहिए। इस विशेष मामले में मुझे ज्ञात नहीं है कि वह कौन सी अत्यावश्यकता थी जिससे सरकार को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए, मैं इस अध्यादेश के प्रख्यापन का विरोध करता हूं।

महोदया, सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है इसलिए मैं अपने मित्र स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्राधिकरण के गठन एवं प्रचालन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो अध्यादेश जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी अत्यावश्यकता थी जिससे सरकार अध्यादेश लाने को बाध्य हुई।

इसके अलावा क्या उन्होंने उन व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली है जिनकी नियुक्ति होने जा रही है? उनकी नियुक्ति करना संभव नहीं था क्योंकि अधिनियम ऐसा करने से रोकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया गया है, और यदि ऐसा किया गया है तो ऐसा कौन सा आधार है जिस पर ये नियुक्तियां की गई हैं। हमें यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यादेश पहले ही जारी किया गया था।

महोदया, इस विशेष विधेयक के द्वारा अधिनियम में तीन संशोधन करने का प्रयास किया गया है। जबकि वास्तव में, यह एक ही संशोधन है। यह संशोधन इसलिए लाया गया है ताकि अन्य पद पर कार्यरत लोग प्राधिकरण में नियुक्त किए जा सकें। यदि वे संशोधन पर विचार कर रहे हैं तो संभवतः उन्होंने उम्र में छूट देने का निर्णय लिया हो और इसे बढ़ाकर 62 तक है। उसके बाद तीसरे संशोधन का उद्देश्य परिभाषा के खंड में ही सुधार लाना है। इस तरह मूल रूप से उनका एक ही संशोधन है।

नियुक्ति संबंधी समिति के अनुसार जो धारा 6 के अंतर्गत बन रही और जिसमें यह गया है कि कैबिनेट सचिव नियुक्ति संबंधी समिति का अध्यक्ष होगा। यह अधिनियम में ही है। इसलिए, इसमें ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो उद्योग जगत के, गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के लोग होंगे या अच्छे वैज्ञानिक होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है और समिति में कैबिनेट सचिव अनिवार्य रूप से होंगे जैसा कि उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है।

वास्तव में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यद्यपि यह कानून का अंग है, वह इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन जब वे इस प्रकार की समिति का गठन कर रहे हैं विशेषकर जब वे देश में उपलब्ध प्रतिभा की खोज करना चाहते हैं तो उन्हें अपने को अधिनियम में विहित प्रावधानों तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। दूसरे, यदि वे चाहते हैं, तो भी परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि विधेयक अब पारित किया जा रहा है। वास्तव में, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं क्योंकि हमने यह कार्य इस सदन की सामूहिक इच्छा से किया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि वे कोई ऐसी खोज समिति बनाना चाहते हैं तो वे सरकार को यह तय करने का अधिकार दे सकते हैं कि इस खोज समिति में कौन-कौन होगा।

महोदया, मैं परिभाषा खंड: खंड 3 उपखंड ज को देख रहा था। यदि आप इस पर ध्यान दें तो यह विशेष कानून सच में स्वागत योग्य है। वास्तव में, हम सबने इसका समर्थन किया है और मैं भी इस संशोधन का स्वागत करता हूं। लेकिन उस समय हमने इस संशोधन विशेष के बारे में कभी महसूस नहीं किया जिसे मैं आज देख रहा हूं जिसमें उल्लेख है कि केवल उन खाद्य पदार्थों को छोड़कर, जिनका प्रयोग पशु करते हैं, केवल वही खाद्य पदार्थ इसमें माननीय मंत्री ने बताया है कि जानवरों के खाद्य पदार्थों को छूट है। क्या उनके कहने का अर्थ यह है कि पशुओं का जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि मनुष्य का जीवन?

अतः मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह धारा 3(ज) के उपबंध को देखें ताकि वह पक्के तौर पर यह जानने की कोशिश कर सकें कि पशु आहार और पैकेट बंद आहार इस अधिनियम में भी कवर नहीं होता है, और वे उन्हें इसमें शामिल करने के लिये विधान लाने की आवश्यकता पर विचार कर सकें। इस विशिष्ट धारा में मंत्री जी ने पैक बंद आहार के बारे में बात तक नहीं की, उन्होंने खाद्य पदार्थ के वास्तकि अर्थ के व्यापक दायरे और व्यापक परिभाषा के बारे में बात की है। वस्तुतः धारा 3 (ज) में खाद्य पदार्थ के वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है। उसमें उन्होंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है। अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हे पशु आहार को भी किसी न किसी रूप में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए।

महोदया, वास्तव में अहम बात यह है कि जब हम सचमुच इसे इस विशेष ढंग से कर रहे हैं और जब हम विशेष रूप से मानक निर्धारित करने जा रहे हैं तो इस परिदृश्य में हमें इसका अनुपालन स्वेच्छा से करना चाहिए। हमें इसे इस तरह से अमल नहीं करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक निरीक्षकों को रखना पड़े जो इसके उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिये इधर उधर भाग दौड़ करते।

माननीय मंत्री जी सभी संबंधित संगठनों, विनिर्माताओं से बात करें और ऐसे मानक निर्धारित करने की कोशिश करें जो बहुत कड़े हो और मानक इस ढंग से निर्धारित करें कि अगले दो या पांच वर्षों में क्रियान्वित किया जानेवाला यह मानक अगले छः महीने में ही क्रियान्वित किया जा सके। अतः इसका अनुप्रयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हे एक अच्छा विनियामक तंत्र स्थापित करना चाहिए। यदि वे किसी को इन मानकों का उल्लंघन करते हुए पाते हैं, तो उन्हें उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि वह उन सबको इसमें शामिल करें जो वास्तव में इससे जुड़े हुये हैं और वे इसे एस आर ओ, स्वविनियामक संगठन या ऐसा ही कुछ कह सकें। अतः मैं मंत्री जी से वास्तन में ऐसा करने का आग्रह करता हूं।

महोदया लैबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो इसका हिस्सा बनने जा रही है। वस्तुतः आज मैं हिन्दुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार पढ़कर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जिसमें यह कहा गया था कि शराब पीने से आपके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कल तक हमें यह कहा जाता था कि यदि आप एक ग्लास शराब प्रत्येक दिन पीते है तो आपका हृदय सुरक्षित रहता है। अतः अब आपका हृदय ठीक है लेकिन आपका मस्तिष्क खतरे में है। अतः

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

हम मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि लैबलिंग का उपबंध इस प्रकार करें कि उस पर इन सारे तथ्यों की जानकारी सही तरीके से उल्लिखित हों क्योंकि शराब उद्योग का कहना है कि शराब पीएं और स्वस्थ रहे लेकिन अब शराब ठीक नहीं है और व्हीस्की और शराब जानलेवा हो गये हैं। फिर आप कैसे बचेंगे। निश्चित रूप से मैं अल्कोहल नहीं लेता हूं किंतु हमें उपभोक्ता की जानकारी के लिए तो कुछ करना चाहिए क्योंकि लैबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।

मैंने मंत्री जी का कहीं वक्तव्य पढ़ा था कि सभी प्रकार के प्रसंस्कृत आहार के पैकेट के ऊपर यह जानकारी मुद्रित होगी कि उसमें एच डी एल, एल डी एल ओर ऐसे घटकों की मात्रा कितनी है। यदि यही बात है, तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस पहलू पर शीघ्र काम करे। सभी प्रसंस्कृत आहारों के पैकेटों पर ये सारी जानकारी मुद्रित होनी चाहिए क्योंकि आजकल हमें उन खाद्य पदार्थों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते अन्यथा बाद में हमारे लिए ही समस्या उत्पन्न होगी।

महोदया, पोषाहार (न्यूट्रास्टिकल) इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। औषधि उद्योग और पोषाहार उद्योग साथ-साथ विकसित हो रहे हैं। लेकिन हमे वास्तव में अभी भी बहुत ही ऊंचे मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि इस विधेयक में यह सचमुच शामिल नहीं है लेकिन जिस प्रकार की औषधियां बनाई जा रही हैं, वें घटिया और नकली होती हैं और उनका सेवन रोगियों के लिए हानिकारक होता है। अतः मेरे विचार से, इस संबंध में एक उचित समझ-बूझ विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस विधेयक में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषाहारों, भेषजों को शामिल किया जा सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं केन्द्र सरकार की सीमा को समझता हूं। सभी राज्यों में काम करने के लिए हमारे पास तंत्र नहीं हैं। अतः मूल बात यह है कि आप मानक निर्धारित कर सकते हैं लेकिन उन मानकों का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होंगी। अतः मेरे विचार से मंत्री जी को राज्य स्तर पर महकमे को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वस्तुतः मैंने यह बात बजट पर बोलते समय भी उठाई थी। विभिन्न राज्य स्तरीय महकमों को सुदृढ़ करने के संबंध में इसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है। जब वें राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के विनियामक तंत्र सृजित कर रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद होती है कि ऐसा होगा क्योंकि वे कानून पारित कर चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए राज्यों को सुदृढ़ बनाना होगा। अतः मंत्री जी निवेदन है कि वह हमें बताएं कि राज्य स्तरीय महकमों को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा।

महोदया, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उत्पादन केन्द्र के स्तर पर काम करने की आवश्यकता है जहां इसका विनिर्माण किया जाता है क्योंकि दूसरे छोर, अर्थात् वितरण के स्तर पर यह काम बहुत कठिन हो जाता है। अतः उन्हें पता लगाना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियों को ऐसे उत्पाद को विनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जो इस विधि के दायरे में आते हैं। यही बात औषधियों के साथ भी है। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो नकली दवाओं के विनिर्माण और उन्हें पूरे देश में वितरित करने के लिए कुख्यात हैं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां उसके बाहर यह कहने वाले कोई न कोई मिल जाएंगे कि उन दुकानों में न जाओ क्योंकि वहां नकली दवाइयां बेची जाती हैं। यह भी सबको अच्छी तरह मालूम है। अतः वितरण के स्तर पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। अतः आप को उत्पादन के स्तर पर इसे नियंत्रित करना होगा जो कि निश्चित तौर पर अपेक्षित है।

अंत में मंत्री जी से अनुरोध है कि वह हमें बताएं कि सभी प्रमुख सामग्रियों के लिए चरणबद्ध तरीके से ऐसे मानक निर्धारित करने में उन्हें कितना समय लगेगा जो कठोर ही नहीं, बल्कि बहुत कठोर हों। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की कोशिश यथाशीघ्र करनी चाहिए और मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि वह सभा को यह तय करने की समय-सीमा के बारे में बताएं।

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : धन्यवाद महोदया, मैं, पट्टालि मक्कल काच्चि पार्टी की ओर से खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस छोटे से विधेयक के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला अध्यक्ष की उम्र 65 वर्ष निर्धारित करना है। स्पष्टतः यह न्यायसंगत है और मेरे विचार से इसके लिये और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उद्देश्य अंशकालिक सदस्यों को सदस्य और अध्यक्ष बनाना है।

महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने पहले उल्लेख किया है, इस अति विशिष्ट एजेंसी में हमें, विशेषज्ञों, वास्तव में तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है और प्राधिकरण के सदस्य बुनियादी रूप से कृषि, विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विशेषज्ञ होते हैं। अतः जब यह अनिवार्य व्यवस्था है कि उन्हें पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर रखना होगा, तो उन्हे विशेषज्ञ नहीं मिल पाएंगें।

यहां मैं भारतीय चिकित्सा परिषद से तुलना करना चाहता हूं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में यह उपबंधित है कि यदि सभी सदस्यों को पूर्णकालिक सदस्य बनाना चाहती हैं, तो साफ तौर पर उसे विशेषज्ञ नहीं मिलेंगे क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य अपनी प्रतिबद्धता से अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं अंशकालिक सदस्य के रूप में वे विशिष्ट क्षेत्र में काफी योगदान देते हैं। इसी प्रकार, यहां भी केवल विशेषज्ञ होने चाहिए। मेरे विचार से यह संशोधन उस उद्देश्य को पूरा करता है और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदया, मैं तमिलनाडु के एस ए जी ओ विनिर्माताओं को मदद करने के लिए मंत्री जी और उनके अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। पी एफ ए में एस ए जी ओ के कतिपय रसायनों, अर्थात् सायनाईड और क्लोराइड पर कतिपय सीमा निर्धारित करने का उपबंध किया गया है। मानदंडों के निर्वचन में कुछ संशय था जिसकी वजह से एस ए जी ओ उद्योगों के समक्ष कुछ समस्याएं आ गईं। मैं मंत्री महोदय के पास सहायतार्थ गया और उन्होंने तुरंत मेरी सहायता की। मैंने सोचा उनका धन्यवाद करना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

महोदया, कई माननीय सदस्यों ने संसद में जब फूड और डिब्बाबंद फूड की समस्याओं का उल्लेख किया। 1937 में जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास में उल्लेख किया था कि "हमें अंततोगत्वा पता चल जाएगा कि डिब्बाबंद फूड मशीनगन से भी अधिक घातक है"। महोदया, 70 वर्ष बाद भी वह उतने ही सही हैं। यह तेजी से सच हो रहा है और आश्चर्यजनक बात यह है कि खानपान की आदतें तेजी से बदल रही हैं। 1987-88 में ग्रामीण भारत के लोग अनाज पर 26% व्यय करते थे; परंतु, 2004 में यह व्यय केवल 16% था। इसी अवधि के दौरान प्रसंस्कृत भोजन और पेय पदार्थों पर व्यय 4% से 6% बढ़ गया। इसी प्रकार, एक बहुत गरीब व्यक्ति जिसकी आय मात्र 225 रुपए प्रतिमाह है वह प्रसंस्कृत खाद्यों पर 6 रुपए खर्च करता है और उसे अपेक्षाकृत एक धनी समकालिक व्यक्ति जो 950 रुपए प्रतिमाह कमाता है वह पैकेज खाद्यों पर 100 रुपए व्यय करता है। इस परिदृश्य में एनएसएसओ आंकड़ों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया गया है कि फास्ट फूड संस्कृति के आगमन से लोग पैकेज खाद्य तथा फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, अधिक खाते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। ग्रामीण और शहरी गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली वसा की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। मधुमेह के रोगी बढ़ रहे हैं। अब हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक संख्या में मधुमेह रोगी हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो सन् 2025 तक 25% भारतीयों को मधुमेह हो जाएगा। इस परिदृश्य में हमें जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए एक अत्यन्त कठोर विधान की आवश्यकता है। हमारे माननीय मंत्रीजी जितनी भी सभाओं में जाते हैं वहां वे इस चिंता को व्यक्त करते रहे हैं। जैसाकि सदस्यगण सुझाव दे रहे हैं, मेरा विचार है कि हमें न केवल खाद्य के विभिन्न अवयव, उसमें कैलोरी की मात्रा तथा अन्य तथ्य दर्शाने चाहिए अपितु सिगरेट पर दी गई सचित्र चेतावनी के समान जंक फूड के पैकेट पर भी जंक फूड की समस्या बताने वाली सचित्र चेतावनी प्रदर्शित करनी चाहिए।

इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज ग. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदया, मैं सरकार द्वारा सदन में लाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, वितरण हेतु अलग-अलग कानून होते हुए भी वर्ष 2006 में जब खाद्य सुरक्षा और मानक बिल लाया गया था, तब सरकार द्वारा कहा गया था कि यह संपूर्ण समग्र व अनिवार्य विधेयक है लेकिन दो वर्ष के अन्दर ही संशोधन विधेयक लाया गया तथा 7 फरवरी 2008 को इसके लिए अध्यादेश लाया गया। बजट सत्र के तीन सप्ताह रहते हुए यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, इसका मंत्री जी जवाब दें।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सदस्य की पुनः परिभाषा कर, इसे अंशकालीन सदस्य के रूप में परिभाषित किया जाना और धारा पांच को निरस्त किया जाना ताकि अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य के लिए अन्य पदों को धारण करने हेतु एक नया रास्ता बन जाए, वे अन्यत्र भी पद पर रह सकें, ऐसा प्रयास किया गया है। इनके अपने लोग जो अन्यत्र पदों पर आसीन हैं, उन्हें पिछले द्वार से पदों पर आसीन करने का प्रयास, इस संशोधन विधेयक के जरिए किया गया है। आप जिन का सदस्यों के रूप में चयन करेंगे, क्या वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे या उन्हें इसका काफी अनुभव होगा, इसके बारे में अवश्य बताया जाए।

महोदया, स्वास्थ्य मंत्रालय अति महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसके द्वारा एक छोटी सी बात जिस की बहुत जरूरत नहीं थी, अध्यादेश लाकर अमेंडमेंट लाया गया है। हमारे साथियों ने कहा कि फूड द्वारा लोगों

[श्री हंसराज ग. अहीर]

को जहर दिया जा रहा है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दवाइयों से लेकर खाने की चीजों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है जिससे कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। घरों में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनसे जो पौष्टिक आहार और विटामिन्स मिलने चाहिए, वे नहीं मिल रहे हैं। हर घर में छोटे बच्चें हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं पढ़ रहा था कि हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन संस्था द्वारा जो अभ्यास किया गया, उसमें पाया गया कि शहरों में अनेक बच्चों में विटामिन ए, बी-1 और सी की कम मात्रा पाई गई है और नियासिन, फोलिक एसिड, आयोडिन, आयरन इत्यादि कम पाए गए। अनाज, इत्यादि कम पाए गए। अनाज, सब्जियों और फलों में रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग होने से काफी दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और उनसे आने वाली जेनरेशन काफी प्रभावित हुई है। विधेयक के माध्यम से इन सारी बातों पर विचार होता तो अच्छा होता। हम जो चीजें घरों में यूज करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, उनसे कई बीमारियां हो रही हैं।

मेरे पूर्ववक्ता ने सिंथैटिक दूध के बारे में कहा है। हम ऐसी खबरें टेलीविजन में भी देखते हैं और अखबारों में भी आती हैं कि बच्चों को दूध द्वारा जहर पिलाया जा रहा है। साफ्ट ड्रिंक्स में भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके युवा पीढ़ी और बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर अंकुश और नियंत्रण लगाने के लिए अगर बिल में उल्लेख होता तो हम सब सहमत होकर इसका समर्थन करते। बिल द्वारा जो भी दुरुस्त करने का प्रयास हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे संशोधन भी लाए जाएं जिससे सामान्य जनता, देश के बच्चों को लाभ हो।

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदया, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जिसका अत्यंत विशिष्ट और सीमित उद्देश्य है और यह एक पहले से प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर रहा है।

इस विधेयक को तैयार करने में मार्गनिर्देशन और संचालन हमारे अत्यन्त उर्जावान और युवा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में इतने चिंतित हैं, चाहे वह धूम्रपान हो या कुछ और मुझे प्रसन्नता हुई कि एक पूर्ववर्ती वक्ताओं में से एक वक्ता मिलावट और नकली दवाओं के बारे में बात कर रहे थे जिसका आकार बढ़ा दिया गया है और प्रेस में उसे और बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया। बेशक यह समस्या मौजूद है परंतु, मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने औषधों और औषध-निर्माण के संबंध में एक विधेयक का मार्गदर्शन किया जो स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है। मुझे विश्वास है जब यह विधेयक पारित होने के स्तर पर पहुंचेगा तब विपक्ष के अधिकांश लोग अत्यंत संतुष्ट होंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे जो शीघ्र ही एक और उत्तम विधान प्रस्तुत करने वाले हैं। उनके अन्य वायदों के समान, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अन्य अनेक विधेयकों का दिशानिर्देशन कर उन्हें पुरःस्थापित किया है जैसे:- नैदानिक प्रतिष्ठान विधेयक जिसमें देश में पहली बार किसी ने चिकित्सा संस्थापन को विनियमित करने का विचार किया है। मुख्य कारण या चिंता यह है कि अपूर्ण सुविधाओं वाले नर्सिंग होम हैं जिनमें कोई सुविधाएं नहीं है; न ही कोई उचित प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर और नर्सिंग कार्मिक हैं। हमें इन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है; किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है।

'पैरामैडिकल और फिजियोथैरेपी बिल' एक अन्य विधेयक है जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और जो स्वास्थ्य समिति के विचाराधीन है। अब तक इस देश में, पैरामैडिकल कार्मिकों, तकनीशियनों, रेडियाग्राफर्स, परफ्यूजनिस्ट्स, ऑप्टिशियंस और वे सभी लोग जो इंसान के चिकित्सा उपचार में सहायता करते हैं की सेवाओं का विनियमन करने के संबंध में किसी ने नहीं सोचा है।

एक विधेयक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है, उसे संसद में पारित किया जाना है। मेरी इच्छा है कि यह अगले सत्र में पारित हो जाए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक इस देश में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ले आएगा। मैं इस अवसर पर हमारे युवा और ऊर्जावान मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पहली बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के सभी पहलुओं के संबंध में सोचा है और जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ तो एकमत से सभी ने इसका समर्थन किया कि यह उपयुक्त समय है जब देश भोजन में मिलावट के संबंध में सोचे।

महोदया, जब हम अखबार में इस संबंध में नियमित रूप से पढ़ते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं। केवल दो या तीन दिन पूर्व, उन्होंने एक फैक्टरी का भांडा फोड़ा है जहां मिलावटी वनस्पति या मिलावटी घी बनाया जा रहा है। अभी-अभी एक विद्वान सदस्य मिलावटी दूध

के संबंध में बात कर रहे थे। ये ऐसी चीज है जो हम अपने बच्चों को शुद्धतम रूप में देना चाहते हैं। परंतु, वहां भी रसायनों की मिलावट होती है। दूध में भी, जो गाय या भैंस से प्राप्त होता है हमें मिलावट मिलती है। गाय या भैंस को ऑक्सीटीसिन का डोज दिया जाता है ताकि वह बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन कर सके और उसमें वे हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। यही समय है जब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए था। जो 2006 में पारित हुआ यह अधिनियम यह खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन होने के उपरांत उस अंतर को पाट देगा।

इस विधेयक का उद्देश्य सभी की अनुमति लेना मात्र है ताकि इसके सदस्य अंशकालिक हो सकें। बेशक, मैं समझ सकता हूं कि जो लोग तकनीकीविद् हैं, वैज्ञानिक हैं, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, वे खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से पूर्णकालिक रूप से जुड़कर प्रसन्न नहीं होंगे। अत: मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति पूर्णत: नहीं बंध सकता उसे थोड़ी छूट दी जानी चाहिए। परंतु अपेक्षा यह है कि प्राधिकरण की अवसंरचना अच्छी हो, राज्य में अच्छी अवसंरचना, अच्छी प्रयोगशालाएं अच्छे विश्लेषण विशेषज्ञ हों और वे नमूना प्राप्त कर सकें। इन सबसे बढ़कर, जनजागरण की आवश्यकता है। उन्हें जानना होगा कि इस उद्देश्य से एक विभाग है और एक प्राधिकरण बनाया गया है। यदि आम लोग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को उपयुक्त नमूने भेजते हैं तो उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि इस तरह के विधान होने से भविष्य उज्जवल है और हम देखेंगे कि हमारे देशवासियों को मिलावट रहित खाद्य, मिलावट रहित दूध, मिलावट रहित घी, मिलावट रहित मसालें और त्यौहार के दिनों में मिलावट रहित मिठाइयां मिलें।

इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस विधेयक का सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : माननीय सभापति महोदया, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 में लाए गए संशोधनों का समर्थन करती हूं।

इस विधेयक में खाद्य क्षेत्र को अधिशासित करने वाले आठ कानूनों का समेकन करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य क्षेत्र को विनियमित करने हेतु इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के गठन की बात कहीं गई है। यह भारत सरकार का स्वागत योग्य कदम है।

इस कानून का अभिप्रेत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और स्थानीय स्तर के अधिकारियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह विधेयक वास्तव में प्रत्येक उत्पादक पर किसी खाद्य पदार्थ की पहचान करने की महती जिम्मेदारी डालता है तथा इसी प्रकार की जिम्मेदारी वितरक एवं विक्रेता के ऊपर भी डालता है। अधिनियम की प्रभावोत्पादकता इसके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में है। इसमें मेरा सरोकार स्थानीय स्तर के अधिकारियों पर प्रवर्तन की जिम्मेदारी का विधान करने वाले प्रावधान से है क्योंकि इस क्षेत्र में संयोगवश व्यापक भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है।

महोदया, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रत्येक खाद्य उत्पाद एवं उसके तत्वों का सार्वभौम मानकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोष रहित निगरानी एवं कठोरता से क्रियान्वयन एक पूर्व शर्त है। अनुभव यह बताता है कि भारत मे बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी रोज खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के लिए कानून की प्रत्येक खामी का फायदा उठा लेती हैं। खाद्य सुरक्षा के संबंध में सक्षम कानून बनाने के कार्य में साहस एवं शक्ति को इस लक्ष्य के लिए जुटाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रशासन तन्त्र में मौजूद खामियों पर विचार करते हुए मैं इस संबंध में अपनी आशंका व्यक्त करती हूं। मूलत: यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के आम आदमी के जीवन एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज बाजार में लाभ की प्रवृत्ति हावी है, उसमें आचार एवं नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। 'एअरेटेड ड्रिंक्स' पर विवाद इसका एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण और भी हैं। सब्जियां, फल एवं अन्य वस्तुएं जिनका हम सेवन करते हैं वे भी घातक रसायन एवं कीटनाशी के खतरे से बाहर नहीं हैं। फलों एवं सब्जियों को रंग देने के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है। मसालों को रंगीन एवं वजनदार बनाने के लिए खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस कानून से संबंधित कतिपय प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करना चाहती हूं। ये मुद्दे इस प्रकार हैं:-

1. असंगठित क्षेत्र जैसे कि फेरीवालों को तत्वों के विनिर्दिष्टीकरण आदि के संबंध में इस कानून का पालन करने में कठिनाई होगी। लेकिन संगठित और असंगठित दोनों खाद्य क्षेत्रों को एक ही खाद्य कानून का पालन करना होगा।

2. खाद्य पदार्थों के निर्माण या तैयारी में प्रयुक्त किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता का स्तर सक्षम एवं

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

अपेक्षित सुरक्षा मानकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. जानवरों का चारा तथा फसल काटने से पहले की योजनाएं इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं हैं और इस प्रकार यह विधेयक स्रोत पर ही भोजन में कीटनाशकों और एंटीबॉयोटिक्स के प्रवेश पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है।

4. किसी खाद्य प्रचालक के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार स्थानीय स्तर के अधिकारी को दिया गया है। इससे उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाएगी।

5. इस विधेयक में यह कहा गया है कि नये विधान के क्रियान्वयन की लागत राज्य सरकारों को वहन करनी होगी। किन्तु वित्तीय ज्ञापन में इन लागतों का आंकलन नहीं किया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा इस विधेयक में दिखाया गया, कि सबसे पहले जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 है, उसमें संशोधन लाकर माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है। इन दो वर्षों में ऐसी कौन सी बाध्यता थी कि इसे 2008 में लागू करने की जरूरत पड़ी? इसमें कहीं न कहीं कोई मकसद तो जरूर होगा, यह सम्मानित सदस्यों की चिंता रही है। हमारे संविधान में भी उल्लिखित है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सामग्री मिले और यह हर सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसमें खास तौर से स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता की बात कही गई है और इस विधेयक में भंडारण, वितरण और विक्रय की व्यवस्था पर भी विशेष निगाह रखने के बारे में कहा गया है।

अपराह्न 4.49 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

इस व्यवस्था के लिए खाद्य प्राधिकरण के गठन की भी बात कही गई है जिसमें चेयरमैन की उम्र 65 वर्ष से कम और सदस्य की उम्र 62 वर्ष रखी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसे लोगों को रखा जाए जो विशेषज्ञ हों। तब जाकर इस बिल का मकसद और महत्व बढ़ेगा। दूसरी बात जो अभी सुरेश प्रभु जी कह रहे थे कि हम मनुष्य के बारे में तो सारी व्यवस्थाएं करते हैं लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि मनुष्य के अतिरिक्त पशु-पक्षियों तथा जानवरों का आपस में समन्वय और मिलन कैसे हो उसके बिना कोई जीवन नहीं चल सकता। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने दूध के बारे में कहा कि दूध में बहुत ज्यादा रासायनिक मिलावट होती है। एक जानवर ही दूध देता है, उसके बाद उस दूध को मनुष्य और बच्चे पीते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। जिस प्रकार से मनुष्यों के बारे में व्यवस्था की गई है, उसी तरह से जानवरों, पशु-पक्षियों के बारे में भी, उनके स्वास्थ्य लाभ इत्यादि की व्यवस्था होती, तो मेरे ख्याल से अच्छा होता।

दूसरी बात, जिन वस्तुओं का भी निर्माण हो रहा है और जहां पर निर्माण हो रहा है, वहां हमें विशेष निगरानी रखनी होगी कि वहां किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं होती है। हमें वहां की वस्तुओं की क्वालिटी और मात्रा पर विशेष ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से अगर हम ध्यान देंगे, तो इस विधेयक की मंशा तभी पूरी हो पाएगी। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में जो प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है, उसमें एक्सपर्ट लोगों को जरूर रखें, तब जाकर इस बिल का मकसद पूरा हो पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, इस अधिनियम में जो संशोधन रखा गया है, मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं कहना है लेकिन कभी-कभी लगता है कि वास्तव में जो फूड सेफ्टी से संबंधित अधिनियम है, मनुष्य जो अन्न खाता है, यह केवल उसी से संबंधित है, ऐसा नहीं है। ओवरआल लगता है कि मनुष्य से लेकर सामान्य जीव जन्तु तक यह संबंधित है क्योंकि इसमें एनीमल फूड भी कहीं न कहीं शामिल है। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं पूरे वातावरण को यह प्रभावित करता है क्योंकि जिस तरीके से कई बार चित्र सामने आते हैं, जैसे अभी बीच में आया था कि गाय या भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध बढ़ाने की बात आती है, उससे क्या-क्या हो सकता है, इसमें सरकार की एक गंभीरता दिखनी चाहिए, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही है। आज जिस प्रकार से एक छोटा सा संशोधन आप ले आये हैं, वह भी लगता है कि अभी पूरा नहीं है। इसके बाद एकाध

और संशोधन लैबलिंग को लेकर आ सकता है। लेकिन आज भी जो संशोधन आप लाए हैं, मुझे नहीं मालूम कि मन में कुछ बात रखकर कि किसी को हटाना है, ऐसा कुछ मन में आया, सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी डांट पड़ी और फिर हम जल्दी में ले आये कि कुछ तो करके दिखाना है—कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान में रखते, जो हमेशा हम भूल जाते हैं कि अगर कोई भी ऑथोरिटी बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें क्या कोई एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या फूड टैक्नोलॉजिस्ट हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग में अहम भूमिका है या नहीं है, क्योंकि केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं, ये सारी की सारी बातें कहीं न कहीं हर चीज को अफैक्ट करने वाली बातें हैं ओर इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी जब मंत्री थी तो एक बात समझ में आई कि जैसे न्यूट्रीशन बोर्ड बना, न्यूट्रीशन बोर्ड में कोई न्यूट्रीशन एक्सपर्ट ही नहीं है, सिर्फ अधिकारी बैठे हुए हैं। इससे कोई क्या समझेगा? ठीक है, मैं अधिकारियों के प्रति भी सम्मान रखती हूं, लेकिन तकनीकी रूप से भी उस बात को समझने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, जिस बात को हम वास्तव में लागू करना चाहते हैं।

एक बात जो और ध्यान में आती है, मेरी समझ में नहीं आता कि मोनीटरिंग फूड क्वालिटी का जो मूल अर्थ है, क्योंकि अब प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट भी कहीं न कहीं इसमें समाहित हो गया है। इसलिए मोनीटरिंग ऑफ फूड क्वालिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम क्या एक्शन ले रहे हैं और यह इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य स्तर तक ही जाता है। उसके लिए कुछ नहीं है और हम एक छोटा सा संशोधन इसमें ले आये हैं। इसमें सरकार की कहीं गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि मुद्दे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन ग्राहक स्तर तक हम इसके साथ कैसे न्याय करेंगे—एक छोटे से उपभोक्ता को सही चीज कैसे मिलेगी, एक उपभोक्ता को न्याय कैसे मिलेगा, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि यह अधिनियम लागू होने के बाद छोटे-छोटे खोमचे वालों को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी अपने-अपने व्यवसाय की रजिस्ट्री उनको करानी पड़ेगी। यह बात ठीक है कि हर स्तर पर क्वालिटी फूड मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मुझे कई बार लगता है कि एक छोटे से स्टॉल पर अगर कोई गर्म-गर्म पकौड़े तल रहा है तो वे पकौड़े जंक्ड फूड की तुलना में ज्यादा सेफ हैं, इसलिए इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप किसे बचाना चाहते हैं? आपने ही एक प्रश्न के उत्तर में जो कहा था और उसमें कहा था कि *[अनुवाद]* ''सामग्री के तत्वों पर लेबल लगाने और उन्हें स्पष्ट करने के विनियमन से संबंधित अंतिम अधिसूचना'' *[हिन्दी]* इसके लिए आपने शायद कोई कमेटी भी बनाई और फिर आप कह रहे हैं कि एक प्रौसेस शुरू करने के लिए आप अलग से कुछ अमेंडमेंट और कुछ नोटिफिकेशंस लाएंगे। मैं जानना चाहती हूं कि किस बात से हम कतरा रहे हैं? *[अनुवाद]* हम यह क्यों नहीं कर रहे हैं? *[हिन्दी]* किसका हमें डर है? कौन सा हमारे ऊपर प्रैशर है क्योंकि अब इतनी एमएनसीज आ रही हैं और एक प्रकार से जो हमारा बाजार है, वह पूरा भर रहा है। हम पर अनेकानंक चीजें थोपी जा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। ठीक है, यह तो छोटा सा संशोधन है। अब आपने क्यों किया, क्या करा, यह आप भी जानते हैं। इसमें मैंने जो बात कही कि कोई एकाध साइंटिस्ट, किसी चीज को समझने वाला टैक्नीकल व्यक्ति जरूर होना चाहिए। यह आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इस बारे में भी आप सोचें। यह संशोधन तो आप करें, क्योंकि 65 साल हो या कितनी उम्र हो, ठीक है कि कुछ सोचकर ही आपने निर्णय लिया होगा, लेकिन यह निर्णय भी पहले क्यों नहीं हो पाया? एक साल तक इस पर विचार करने के बाद आपके ध्यान में बात नहीं आई तो लगता है कि मैंने शुरू में जो बात कही, मुझे आरोप नहीं लगाना है मगर व्यक्ति सामने आने के बाद संशोधन सूझता है, ऐसा कभी-कभी फिर मन में आता है, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन ऐसा जब होता है तो मन में कुछ बातें आ जाती हैं। इन चीजों की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दें और सरकार को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए क्योंकि यह एक्ट ऐसा नहीं है, कल को इस मुद्दे पर एक ग्लोबल इश्यू भी बन सकता है। इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : मैं संसद के समक्ष लाए गए सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर हो रहीं चर्चा में भाग लेने का अवसर, प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं। मैं इसके लिए माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को बधाई देता हूं।

आधुनिक विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा करने एवं सुखमय जीवन जीने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु हमारी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता

*मूलतः कन्नड़ में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

अच्छी होनी चाहिए और जिसमें मानक बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्य से आजकल हमें गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है।

मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं स्वस्थ हूं क्योंकि मुझे बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण मिला था। काफी समय पहले खाद्यान्न उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के बिना उगाया जाता था। इसलिए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता अच्छी थी। लेकिन अब तो जीवनकाल 100 वर्ष से घटकर 60-65 वर्ष हो गया है। हमारे बच्चों को उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है, शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित हमारे देश के लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता एवं व्यापक संदूषण के कारण गुर्दे और यकृत से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। यद्यपि हमारे पास घटिया प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री को रोकने के लिए अनेक कानून हैं, तथापि हम गुणवत्ता एवं मानक बनाए रखने की चिन्ता नहीं कर रहे हैं। बाजार में बिकने वाला स्वादिष्ट चूर्ण मात्र विष के अलावा कुछ नहीं है। यह घुलता नहीं है। यह गुर्दे को प्रभावित करता है।

अनेकों बार गरीब लोग, जैसे कि फेरी वाले या दुकानदार, जो सड़क के किनारे पकौड़ा, गोबी मंचूरियन और अन्य खाद्य पदार्थ बेचते रहते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले व्यक्ति और उद्योग छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए ऐसे उद्योगपतियों को दण्ड देना चाहिए और उनके उद्योग सील कर दिए जाने चाहिए। इसलिए, सरकार को देश के कानून उचित रूप से लागू करने चाहिए। हाल ही में, मुझे पता चला है कि सरकार का विचार देश में विद्यालय जने वाले सभी छात्रों को 'मिड डे मील' देने का प्रस्ताव है। मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों को 'पैक्ड मील' का वितरण नहीं किया जाए क्योंकि हम ऐसे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते।

मैं अपनी ओर से तथा अपने दल जे डी (एस) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। इस संशोधन विधेयक पर हमारे कई काबिल माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिये यह विधेयक लाया गया है। जब 2006 में यह विधेयक बना लेकिन इसे देश में लागू नहीं किया गया। हालांकि सदन ने उसे पारित किया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका अनुमोदन कर दिया था, उसके बावजूद यह कानून नहीं बन पाया और देश में लागू भी नहीं हो पाया। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि उस समय देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थीं कि जब यह विधेयक बना तभी बाजार में बड़े पैमाने पर मिलावट का काम हो रहा था, मिलावट पर रोक लगाई जा सकेगी इसीलिये यह प्रभावी अधिनियम लाया गया था। लेकिन मैं नहीं जानता कि किन कारणों से यह कानून लागू नहीं हो सका?

सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सभा में 16.03.2007 को एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि अधिनियम के अनुसार खाद्य प्राधिकरण गठित होने के पश्चात् केन्द्र सरकार इसे राजपत्र में अधिसूचित करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा जवाब देने की क्या जरूरत थी, जब इसे लागू ही नहीं करना था? फिर यह कहा गया कि मंत्रिमंडल स्तर की सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया जायेगा। उस समिति का गठन भी हो गया। उस समय कुछ शीतल पदार्थों में कीटनाशक दवाओं की मिलावट की जानकारी मिली। इस प्रकरण की जांच के लिये एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया कि वह जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय पर जिम्मदारी डाली गई कि वह इस के बारे में कार्यवाही करे लेकिन दुर्भाग्यवश कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो सकी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के ऊपर इतनी जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब फूड सिक्यूरिटी एक्ट संसद द्वारा बनाया गया है, फिर उसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि वह भारत सरकार से पूछकर 5 सितम्बर तक जवाब दे कि किन कारणों से इस एक्ट को भारत सरकार ने लागू नहीं किया है? फिर भी न जाने किस वजह से अध्यादेश के द्वारा विधेयक में संशोधन लाने का काम मंत्री महोदय ने किया है। वह अपनी जगह ठीक हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत थी। सब से ज्यादा जरूरत आज इस बात की है कि एक बार जब कानून बन गया तो उसे तत्काल पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिये था। अगर उसके बाद जरूरत होती तो उसमें संशोधन निश्चित तौर पर करने का काम किया जाना चाहिये था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है। इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी शामिल है। यह विषय न केवल इन्सानों का बल्कि जानवरों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है। हमारे देश में चिंता इस बात की है कि देश में मिलावट को कैसे रोका जाये? वर्तमान में बहुत सी वस्तुओं में मिलावट हो रही है। लेकिन प्रभावशाली कानून हमारे पास नहीं है जिसके चलते हम अपराधी को सजा दिलाने में कामयाब नहीं रहे। राज्य सरकारें निश्चित तौर पर अपना काम कर रही हैं लेकिन वहां भी कानून इतना प्रभावी नहीं जिससे कि मिलावट को रोकने का काम कर सके। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं। मैने एक बार सदन में यह सवाल उठाया था कि सेना के पास जो पैट्रोल जाता है, उसके टैंकर में पानी मिला हुआ था जो पकड़ा गया था। यह बात देश के तमाम अखबारों में उस समय छपी थी। मुझे नहीं मालूम उस पर क्या कार्यवाही सरकार ने की? गाजियाबाद में 25 क्विंटल खोया सिन्थेटिक दूध मिलावट वाला पकड़ा गया, मुझे नहीं मालूम, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? रेलवे द्वारा 'रेल नीर' बनाया जाता है, उसमें कई बार शिकायतें आई हैं लेकिन मालूम नहीं आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है? कई बार उपभोक्ता वस्तुओं—जैसे घी में चर्बी की मिलावट, मसाले में घोड़े की लीद और हल्दी में गेरूआ रंग मिला हुआ पाया गया है। इस देश में न जाने कितनी चीजों में मिलावट का काम किया जा रहा है? सरकार कोई प्रभावी कानून बनाकर उस पर कार्यवाही करे लेकिन सरकार चुप बैठी रहती है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम उपभोक्ताओं को क्वालिटी की चीजे नहीं दे सकते हैं, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? लाखों बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि देश में इतनी नकली दवायें बन रही हैं। लेकिप कोई कोई कारखाना इसलिये बंद नहीं किया गया क्योंकि वे नकली दवायें बना रहे थे। समाचार-पत्रों में छप गया, जांच कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई लेकिन उस पर कार्यवाही कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस गम्भीर स्थिति से लोगों को बचाने का काम हो पायेगा।

सभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि इस देश में एक मजबूत कानून बने। पैप्सी कोला के बारे में कई बार शिकायतें आई हैं। पहले आप बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद उसे चालू करा देते हैं। फिर न जाने कुछ दिनों बाद उसमें गुणवत्ता कैसे ठीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट का इशारा, पेप्सीकोला को बंद करने के बाद फिर चालू करने की अनुमति देना और सन् 2006 में बनाए हुए कानून को लागू न करना, कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि बड़े-बड़े पूंजीपति लोग सरकार को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। इसलिए ऐसे जनहित के जो कानून बने हैं, वे लागू नहीं हो पा रहे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विदेश से जो गेहूं आयात किया गया, जो लाल गेहूं गरीबों को दिया जा रहा है, वह गेहूं मानव उपयोग के लिए है ही नहीं। मेरे प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद एफसीआई में छापा डाल करके उस गेहूं की सेम्पलिंग कराई। उस सेम्पलिंग की रिपोर्ट आई कि यह गेहूं मानव उपयोग के लिए नहीं है। तभी भारत सरकार के एक मंत्री जी ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को अधिकार नहीं है कि एफसीआई में जाकर ऐसे अनाज का सेम्पलिंग कराए। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार भारत सरकार करना क्या चाहती है? आज हम घटिया स्तर का गेहूं विदेश से आयात करके उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, क्या उन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए?...*(व्यवधान)* मुंबई के भीतर 60 सेम्पल लिए गए और इन 60 सेम्पलों में तकरीबन 55 सेम्पल मानव के उपयोग के नहीं पाए गए। निम्न स्तर के गेहूं के ऐसे प्रमाण सामने आए, तब भी इसे रोका नहीं गया। आज पूरे देश में मिलावट का बाजार पूरी तरह से फलफूल रहा है। भारत सरकार की जवाबदारी है कि इस मिलावट के बाजार को बंद करे और आम उपभोक्ताओं को शुद्ध और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम करे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं।

सभापति महोदय : केवल आप ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : लेकिन, मुझे कुछ कड़वी सच्चाई बतानी है। अब, इस सरकार की आदत हो गई है कि वह ऐसे समय में, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा होता और यहां तक कि सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रत्येक बात के लिये अध्यादेश जारी कर देती है। यहां एक मामला है जिसमें अध्यादेश 7-2-08 को प्रभावी हुआ था जबकि सभा का सत्र 25-2-08 को आयोजित हुआ था।

सभापति महोदय : अब यहां इसकी क्या संगति है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : सत्र 25-2-08 को शुरू हुआ। मैं यह मानता हूं कि केन्द्रीय कैबिनेट ने बजट सत्र को आयोजित करने

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

का निर्णय काफी पहले ले लिया होगा। बजट सत्र आयोजित करने का निर्णय लेने के बाद, क्या अध्यादेश जारी करना उचित है?

सभापति महोदय : जब विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा था, तो उस समय अध्यादेश जारी करने के औचित्य पर सवाल उठाया जाना चाहिए था।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह संवैधानिक ओचित्य एवं लोकतांत्रिक मानदण्डों का उल्लंघन है।

अब, मैं आपको बताता हूं कि क्या अत्यावश्यकता थी। मैंने कारणों का औचित्य संबंधी विवरण पढ़ा है। कारणों का औचित्य संबंधी विवरण में उन्होंने कहा है कि अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियां मौजूद थी। मैं नहीं जानता कि क्या परिस्थितियां थीं। मैं नहीं मानता कि एम्स में जो परिस्थितियां थी वे यहां भी लागू होती हैं। यहां डा. वेणुगोपाल जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तो उन 18 दिनों में अध्यादेश जारी करने के पीछे क्या मंशा थी। मैं आपसे यह साधारण सा सवाल करता हूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, कोई संकेत तक नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह चर्चा विधेयक के पुरःस्थापन के समय की जानी चाहिए थी।

विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और हम इसे पारित करने के चरण में हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह तो हद हो गई। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ गई कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 123 का उपयोग करना पड़ गया। यह तो एक बात हुई।

अब हम दूसरी बात पर चर्चा करें। वह इस सभा द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का संशोधन नहीं है। वह विधेयक भी उनके द्वारा ही रखा गया और उनके दिशानिर्देशन में बना था। अब वह 2006 में पारित मूल विधेयक में संशोधन ले आए हैं। संभवतः चूक से यह बात शामिल किए जाने से रह गई कि खाद्य प्राधिकरण में प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है। वह स्थिति तब भी जब मूल, मुख्य विधेयक पारित हुआ। तो संभवतः वह उस बात को भूल गए हों। अतः वे सुविख्यात व्यक्तियों को खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में शामिल नहीं कर सके थे क्योंकि कोई भी पूर्ण कालिक अधिकारी नहीं आएगा क्योंकि वे किसी अन्य संगठन से जुड़े होंगे। इस कारण से ऐसा हो सकता है कि कोई सुविख्यात व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए आगे नहीं आए होंगे। सरकार ने सोचा कि 'पूर्णकालिक' को 'अंशकालिक' में बदलना बेहतर होगा। वह विधेयक का सार है। तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि मंत्री महोदय उस पहलू को भूल गए हो और फिर सरकार का विचार बदल गया तो भी अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? वह 25.2.08 तक इंतजार कर सकते थे और हम सामान्य विधेयक पारित कर सकते थे।

सभापति महोदय : अब हम संवैधानिक वैधता की बात नहीं कर रहे, हम संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया मेरी बात सुनें। उत्तेजित न हों।

आप कुछ और सोच रहे हैं। उसके बारे में मत सोचें ...*(व्यवधान)*। मैं इस सरकार का समर्थक हूं इसमें कोई शक नहीं है अतएव आप उत्तेजित न हों...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब मूल अधिनियम पारित हुआ तो वे उस बात पर विचार कर सकते थे। उन्होंने वह नहीं किया। गलती इंसान से ही होती हैं। अतएव, मैं मान लेता हूं कि भूल से उन्होंने समिति में अंशकालिक सदस्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया। अब कुछ समय पश्चात्, सरकार का यह विचार हुआ कि समिति में अंशकालिक सदस्य होने चाहिए। यह ठीक है मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। परन्तु क्या इसके लिए इस सभा की शक्तियां ले लेना आवश्यक है? इस विधेयक का उद्देश्य एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है और वर्तमान विधेयक यहां मौजूद है और हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और वहां पारित हुआ। अतएव यह मान लेना कोरी कल्पना है कि हम संशोधन कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं राज्य सभा ने पहले ही विधेयक को

स्वीकृति देकर पारित कर दिया है। हमें इसे यहां भी पारित करना होगा। चर्चा के लिए गुंजाइश कहां है? क्या हम संशोधन कर सकते हैं या क्या हम संविधिक संकल्प स्वीकार कर सकते हैं? अब सांविधिक संकल्प एक मजाक बन जाएगा क्योंकि विधेयक पहले ही राज्य सभा में पारित हो चुका है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपको संशोधन पर कोई आपत्ति है? विधेयक पहले ही राज्यसभा में पारित हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब विधेयक ऊपर के सदन में पारित हो चुका है तो यहां सांविधिक संकल्प पर चर्चा करने का क्या अर्थ है।

सभापति महोदय : इस विधेयक के पुरःस्थापन के समय वैधता का प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। क्या आपको संशोधन पर कोई आपत्ति है?

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : माननीय सदस्य को सांविधिक संकल्प वापिस लेना होगा। क्या संकल्प स्वीकार किया जा सकता है? नहीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन क्या आप संशोधन का समर्थन कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय हमें इस विधेयक को पारित करना ही है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं सरकार को दोष दे रहा हूं मुझे स्वास्थ्य मंत्री से कोई शिकायत नहीं है। मैं उनकी सेवाओं की प्रशंसा करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं स्वास्थ्य मंत्री की सेवाओं की प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे इस प्रकार के असंसदीय प्रक्रिया में भागीदार न बनें। सत्र बुलाने के पश्चात् कोई अध्यादेश जारी न करें। अब सत्र 25.2.08 को आरंभ हुआ। आपने 7.2.08 को अध्यादेश जारी किया। मेरे प्रिय अम्बुमणि, मुझे यही कहना था कि आप ऐसी चीजों में भागीदार न बनें और जब सरकार ने संसद सत्र बुलाने का निर्णय ले लिया हो तो उसके पश्चात् अध्यादेश पारी न करें और वह भी उससे केवल 18 दिन पूर्व।

मुझे यही कहना था और यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होगा। यह भावी पीढ़ी के लिए पूर्व उदाहरण बनेगा। जब आप और हम यहां नहीं होंगे तब भी भावी पीढ़ियों को पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। आपका तर्क भविष्य के लिए भी वैध है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : इससे यह बात पूर्णतया स्पष्ट होती है कि वे सभा सत्र बुलाने के पश्चात् भी अध्यादेश जारी कर रहे हैं। यह हद को पार करने की स्थिति है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं इन में कोई शक नहीं है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुत आवश्यक है कि सुविख्यात् व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में आएं। परन्तु मेरा विचार है कि जिस ढंग से यह किया गया वह उपयुक्त नहीं है।

सभापति महोदय : आपने अपने तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपने पहले ही अपने तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं।

अगले वक्ता श्री प्रबोध पाण्डा हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना-अपना भाषण कृपया पांच मिनट में पूरा करें क्योंकि अभी छः और माननीय सदस्य है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं और हमें यह विधेयक आज ही पारित करना है। अतएव, कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रूप में देकर अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही मैं इस संशोधन के बारे में कतिपय टिप्पणियां करना चाहता हूं।

[श्री प्रबोध पाण्डा]

इसी सम्मानित सभा में जब मूल विधेयक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था उस समय मेरे सहित अनेक माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया था और हमने कहा था कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें कई बातों पर चर्चा की जानी है। हम सभी ने महसूस किया कि एक पूरा विधेयक होना चाहिए, लेकिन उस समय वह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया और उस पर विचार नहीं किया गया; और अधिनियम अधिनियमित कर दिया गया।

संस्कृत में एक कहावत है:

''किंत्र वपां क्रियने धेनवा या न सुते न दुग्धतम।'' इसका अर्थ है कि ऐसी गाय का क्या उपयोग है जो दूध भी नहीं देती है और बछड़ा भी नहीं देती है? एक लम्बे समय के अन्तराल के बाद सरकार को महसूस हुआ कि यह अधिनियम पर्याप्त नहीं है, और इसमें एक संशोधन की जरूरत है। तदनुसार, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, और अब यह राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। हमें और कुछ नहीं कहना है, केवल इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति देनी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे महसूस करते हैं कि यह उपाय पर्याप्त है? क्या इससे इस अधिनियम को पर्याप्त शक्ति मिलेगी? इसमें क्या बाधाएं हैं और कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? प्रयोगशालाओं की संख्या पर्याप्त है। छोटे-छोटे बाजार भी ब्लाक एवं गांव स्तर तक फैले हुए हैं, खाद्य सामग्री देश के विभिन्न भागों गांवो और ब्लाकों, छोटे कस्बों और पगडंडियों पर बेची जा रही हैं। मेरे विचार से मंत्री जी ने कोलकाता शहर का दौरा किया, जहां पगडंडियों पर अत्यधिक संख्या में छोटे-छोटे विक्रेता खाद्य पदार्थ बेचते हैं। वहां खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे? इस बात का निर्णय एवं मूल्यांकन किया जाए कि वहां किस प्रकार का तंत्र लागू किया जाए।

वे इस सभा में फिर आएंगे, इस अधिनियम में और आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से हमें इस मामले पर विस्तार से बहस करनी चाहिए और कोई व्यापक संशोधन लाना चाहिए। दूसरी तरफ, हम इसका निरसन करके और कोई नया विधेयक लाएं ताकि इसे पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जा सके।

संदूषित खाद्य पदार्थों का मुद्दा केवल रेस्तराओं से ही संबंधित नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप पांच मिनट से अधिक पहले ही बोल चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पाण्डा : गरीब और आम लोग, जो अपनी खाद्य सामग्री सड़कों एवं छोटी दुकानों से खरीदते हैं, के बारे में आपका क्या कहना है? उनका क्या होगा? किसान फल सहित अपना उत्पाद, बाजार में बेचते हैं और अधिकांश मामलों में वे संदूषित और मिलावट वाले होते हैं।

अपराह्न 5.25 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

जहां तक शीतल पेय पदार्थों का संबंध है, जब राजग की सरकार थी और माननीय सुषमा स्वराज मंत्री थीं उस समय पेय पदार्थों में कीटनाशी के अवशेष का मामला प्रकाश में आया था। उसकी जांच के लिए एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की गई थी और उसने कतिपय सिफारिशें भी की थीं। उनका क्या हुआ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? इसके बाद क्या हुआ? इस संदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था? उनके विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

मैं इस प्रकार के संशोधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा विचार है कि यह पर्याप्त नहीं है। यह बहुत अच्छा विचार है, इसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि कोई व्यापक अधिनियम लाया जाए ताकि इसे पर्याप्त शक्ति दी जा सके, और इस प्रकार तन्त्र जमीनी स्तर तक विकसित किया जाए। इसके, अलावा, अधिक से अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना न केवल राजधानी के शहरों, जिलों, कस्बों और ब्लाक स्तर पर की जाए बल्कि पंचायत स्तर पर भी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए ताकि बहुत हद तक उद्देश्य पूरा किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस संबंध में अपनी आपत्तियां एवं टिप्पणियां दर्ज करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) **:** सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट हो

रही है। उसे कारगर ढंग से रोकने के लिए और हमारे मानक ठीक हों, यह मंत्री जी की सोच है और वे इस बिल के माध्यम से इन चीजों को कारगर ढंग से लागू करना चाहते हैं। इस प्रकार से देखें, तो मंत्री की जो सोच आम लोगों को राहत देने की है।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि कानून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन कानून बनें और उनका इम्पलीमेंटेशन सही ढंग से न हो, तो सारे कानून बेकार हो जाते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं, हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण वे असुरक्षित हो रहे हैं। हर किसी चीज में आपको मिलावट नजर आएगी। सब्जी, दाल, चावल, गेहूं, घी, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स आदि जितनी भी इस प्रकार की खाद्य सामग्रियां हैं, इनमें मिलावट अमूमन देखने को मिलती है।

महोदय, मिड डे मील, सरकार का बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, लेकिन अनेक केसेज ऐसे देखने में आए हैं कि बच्चों ने मिड डे मील खाया और वे बीमार पड़ गए। आमतौर पर यह देखने को मिलता है और प्रायः आए दिन समाचारपत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ असुरक्षित हो रहे हैं, उन्हें हम केवल नियम बनाकर ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें नियमों को कारगर ढंग से लागू भी करना पड़ेगा। जब तक हम नियमों को कड़ाई से लागू नहीं करेंगे, तब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट जारी रहेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट का परिणाम आज यह हो रहा है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी में भी मिलावट हो रही है। अभी हमारे साथी, गणेश प्रसाद जी बोल रहे थे और बता रहे थे कि पानी में भी मिलावट हो रही है। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने की सरकार की मंशा ठीक है और सरकार चाहती है कि आम लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं समझता हूं कि इसको कैसे और कारगर ढंग से लागू किया जाए, इस बारे में सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए।

महोदय, देश में प्रयोगशालाओं की कमी है। मुझे जानकारी है कि प्राथमिक दौर में, बिहार में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी पटना में भी एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मैं उसे देखने गया, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां ठीक प्रकार के उपकरण नहीं हैं। वह प्रयोगशाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। अब मुझे पता नहीं कि सरकार ने उसके मॉडर्नाइजेशन हेतु कोई उठाया है या नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है, जितने आदमियों की आवश्यकता प्रयोगशाला में है, उतने आदमी वहां उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यदि आपने प्रयोगशाला खोली हुई है तो उसकी कारगर ढंग से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके लिए साधन मुहैया करवाइए, आदमी मुहैया करवाइए। लेकिन उसका काम केवल बाजारों से सैम्पल कलैक्शन करने का है। आपकी स्टैण्डर्ड प्रयोगशालाओं से यह मालूम चलता है कि कहां किस चीज की मिलावट है?

महोदय, माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि खुले में मिलने वाली चीजों और जंक फूड से खास तौर से बीमारियां हो रही हैं। उन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर ऐसा प्रयास करें, ऐसा व्यापक कानून बनाएं, अन्य कानूनों में संशोधन करने की जरूरत हो तो उसमें संशोधन कीजिए। इसमें राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। कानून बनता है, लेकिन राज्य सरकार को इम्पलिमेंट करना है। आप केन्द्र की तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कानून तो बना देंगे, लेकिन लागू करने का काम राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को बैठकर के, मैं समझता हूं कि आप मंत्रियों के साथ बैठक लिया करते होंगे, उसमें किस तरह से इस कानून को सरजमीं पर लाया जाए। खाद्य में बड़े पैमाने पर मिलावट के कारण हम अस्वस्थ हो रहे हैं। जिस तरह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आम लोगों को हो रहा है, उसका मूल कारण मिलावट है। यदि मिलावट होती रही, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे खाद्य पदार्थों को उपजाने के लिए तरह-तरह के फर्टिलाइजर और रसायनों का उपयोग हो रहा है। लेकिन इसके साइड इफैक्ट क्या हैं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इन सब चीजों पर गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक आदमी मौत के घाट उतरता जाएगा और बीमारियों का अम्बार लगा रहेगा।

महोदय, क्या कोई भी आदमी आज स्वस्थ है? पहले के जमाने के लोग, आज भी 70 साल, 80 साल और 90 साल तक जी रहे हैं। लेकिन जब से खाद्य में मिलावट होनी शुरू हुई है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है और जब शुद्ध भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर बीमारी आमन्त्रित होगी। आज तो 10-11 साल के बच्चों को भी हार्ट की प्रोब्लम हो रही है, डायबटीज हो रही है। अब तो गांव भी असुरक्षित हो गए हैं। वहां हवा, पानी ठीक मिलते हैं, लेकिन वहां भी खाद्य में मिलावट आ गई है। हर जगह मिलावट आ गई है। शहरी वातावरण में जीने वाले लोग तो बीमारी से ग्रस्त हो ही रहे हैं, लेकिन गांव में भी ये सब चीजें आ रही हैं। इसलिए इन सब चीजों पर माननीय मंत्री जी, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण

[श्री राम कृपाल यादव]

मंत्रालय आपके पास है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है एक सौ करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके लिए जो भी कारगर कदम उठा सकते हैं, आप उठाइए। हम इस बिल का समर्थन करते हुए, इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से यह बिल कानून बनेगा, सरजमीं पर आएगा और खाद्य असुरक्षा पैदा हो गई है, उसको ठीक करने का आप काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, खाद्य सुरक्ष और मानक संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करने के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपनी सीट पर जाएंगे या यहीं से बोलेंगे?

श्री रामदास आठवले : महोदय, इन्होंने मुझे आगे आने के लिए बोला...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बाहर से बोलने की अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा आपको अपने स्थान पर वापस जाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं तो वहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे आगे आने के लिए बोला। आप कहेंगे तो मैं वहां चला जाता हूं।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : कभी-कभी मंत्री भी अपने स्थान से नहीं बोलते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आपने अनुरोध किया है, मैं आपको वहां से बोलने की अनुमति देता हूं। आप अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, रूल के मुताबिक ही हाउस चलना चाहिए और मैं सबसे ज्यादा रूल का पालन करने वाला सदस्य हूं।

महोदय, डा. अंबुमणि रामदास, इनका नाम रामदास है और मेरा नाम भी रामदास है और हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। मिलावट के संबंध में पहले भी कानून बने हैं, लेकिन मिलावट करने वाले जो व्यापारी होते हैं, उन पर सख्त कार्यवाही करने की बहुत आवश्यकता है। मिलावट होने से लोग बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए इस संबंध में कानून बनाने की बहुत आवश्यकता है। खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का है, इसमें सदस्य हैं, लेकिन इसमें एससी तथा एसटी वर्ग के सदस्य भी बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, स्कूलों में भी छात्रों को जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, उनमें भी बहुत मिलावट होती है, इसलिए मेरा कहना है कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे राधाकृष्णन जी ने कहा कि यह बिल पहले लोक सभा में आना चाहिए था, लेकिन यह पहले राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ। यह बिल पहले लोक सभा में मंजूर होने के बाद राज्य सभा में जाना चाहिए था। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है तथा मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, यह विधेयक मुख्य रूप से खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों की पदावधि निर्धारित करने तथा पूर्व में जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया था। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 थोड़ा-थोड़ा करके क्रियान्वित किया गया। माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया था। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि इतने महत्वपूर्ण कानून को जो वास्तव में हमारे नागरिकों, मुख्यतः भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है।

महोदय, जब अमरीका के स्वास्थ्य मंत्री यहां आए थे तब माननीय मंत्री ने जनवरी में लिखित रूप से कहा था कि जिस प्राधिकरण

के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका गठन करने में दो-तीन वर्ष लग जाएंगे। वास्तव में, मैं आशा करता हूं कि इस खाद्य प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस महत्वपूर्ण कानून के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करना है।

महोदय, इस कानून का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक खाद्य पदार्थों के संघटकों की जानकारी देना और उन पर लेबल लगाने पर बल प्रदान करना है। हमें आशा है कि इस कानून से खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु बेहतर एवं और कठोर व्यवस्था तंत्र की स्थापना होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खाद्य पदार्थों पर उसके तत्वों एवं संघटकों के ब्यौरा का लेबल लगाया जाए। केवल इसी तरीके से उपभोक्ता को किसी विशेष खाद्य पदार्थ के संघटकों के बारे में जानकारी मिल सकती है और इसकी खरीद के बारे में सही निर्णय ले पाएगा।

महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लेबलिंग उचित प्रकार से की जाए। मिलावट के मामले वायरस की तरह फैल रहे हैं। हमें नहीं पता कि इस देश का कौन सा खाद्य पदार्थ मिलावट से बचा है। आयायित खाद्य पदार्थों विशेषकर जीएम. फूड्स, जिसका इस देश में व्यापक मात्रा में आयात किया जा रहा है के मामलों में भी यही स्थिति है। वास्तव में, आयायित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बहुत बड़ा भाग जीएम फसलों और उनसे उत्पन्न फसलों का है। इन खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाले देश मुख्यत: अमरीका एवं यूरोप के देश, जीएम और गैर जीएम. प्रजातियों में भेद नहीं करते हैं और उनके लेबलिंग पर ध्यान नहीं देते हैं इन पदार्थों के बारे में उपभोक्ता की समझ में ही आता हे, उसे उन खाद्य पदार्थों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जिनका इस देश में उत्पादन किया जा रहा है और विपणन किया जा रहा है और जिनका अत्यधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है।

अत: महोदय, मुख्य प्रश्न है कि हम इस प्राधिकरण को, जिसका गठन किया जाना है शक्तिशाली कैसे बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी बातें स्पष्ट करेंगे।

जब हम मिलावट की चर्चा करते हैं तो कतिपय चिंताजनक सूचनाएं सभा को बताई जानी चाहिए। लोग दूध में मिलावट की चर्चा कर रहे थे। हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि दूध में पानी मिलाने के बाद इसे मूल रूप से वसायुक्त बनाने के लिए इसमें केंचुए, जोंक और कनखजूरा डाल दिए जाते हैं। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है। यही दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। हमें यह अच्छी तरह पता है क्योंकि हमारे यहां दूध की कमी है। वास्तव में, दूध तमिलनाडु से आता है और उसके बारे में शिकायतें मिली हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। केरल में उत्पादित दूध में भी मिलावट की जाती है। यह किसी राज्य विशेष का प्रश्न नहीं है।

हमारे पास पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं। केवल प्राधिकरण का गठन करने से ही कुछ नहीं होगा। हमारे पास आधुनिक परीक्षण सुविधाएं होनी चाहिए। जब हम किसी प्राधिकरण का गठन करते हैं और लेबलिंग पर जोर देते हैं तो अप्रत्यक्ष: इससे कृषि क्षेत्र को भी मदद मिलती है। इस संबंध में मैं वैनिला उदाहरण देना चाहता हूं। आइसक्रीम में वैनिला का प्रयोग स्वाद एवं सुगंध के लिए किया जाता है। अधिकतर बच्चे एवं युवा आईसक्रीम ही खाते हैं। वैनिला आइसक्रीम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। हमारे आइसक्रीम उद्योग में सिंथेटिक वैनिला का प्रयोग भारी मात्रा में होता है। प्राकृतिक वैनिला स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन यह थोड़ा महंगा है। सिंथेटिक वैनिला पेट्रोलिसम का सह उत्पाद है। यह कैंसरजनित (कारसिनोजेनिक) एवं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सभी उम्र एवं सभी प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले लोग आईसक्रीम खाते हैं। इस प्रकार हम धीरे-धीरे उनके शरीर में विष भर रहे हैं।

वैनिला उत्पादक किसान संघ की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि सरकार को उत्पादकों के ऊपर इस बात के लिए निर्देश दिए जाए कि वे अपने आइसक्रीम के ऊपर उसमें इस्तेमाल किए गए वैनिला की किस्म के बारे में एक लेबल लगाएं। मैं माननीय मंत्री से इस आशय का अविलंब आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा होता है तो इससे हमारे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी। वैनिला जो एक समय बहुत अच्छी कीमत देता था अब उसका कोई खरीददार ही नहीं है।

[अनुवाद]

हमने अत्यधिक प्रयास किए हैं और अब अंतत: अमूल ने अपने आइसक्रीमों में प्राकृतिक वैनिलिम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यदि लेबल लगाने के शर्तों को लागू किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि क्या विभिन्न उत्पादों के लिए कृत्रिम वैनिलिम अथवा प्राकृतिक वैनिलिम का उपयोग किया जाता है तो लोग निश्चित रूप से प्राकृतिक वैनिलिम वाले उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। अत: यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को भी लाभ मिलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस तथ्य पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस प्राधिकरण की स्थापना हेतु, विलंब से ही सही, यह संशोधन विधेयक लाने हेतु धन्यवाद देता हूं। इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना चाहिए ताकि हमारे देशवासियों को सहायता मिल सके।

अध्यादेश को प्रख्यापित करने का उल्लेख किया गया है। वास्तव में इसे जहां तक संभव हो सके रोका जाना चाहिए। इस शक्ति का उपयोग अपरिहार्य परिस्थितियों में किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय इन सभी सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक की भावना का विरोध करने हेतु कुछ भी नहीं कहना है। तथापि, मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह वर्ष 2006 में अधिनियमित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को क्रियान्वित करने में विफल रही? सरकार ने इस संबंध में इस प्रकार की ढुलमुल कार्यवाही क्यों की है? इसका संबंध देश के उपभोक्ताओं, बच्चों से है, इसका संबंध देश के आयात और निर्यात से है और इसका संबंध सभी लोगों से है। इसका हमारे देश में इसका विभिन्न प्रकार का उपयोग है। वर्ष 2006 का अधिनियम एक अच्छा विधान था। यह संशोधन खाद्य प्राधिकरण स्थापित करने और इसके लिए एक स्थायी सभापति और सदस्यों का एक पैनल तैयार करने हेतु लाया गया है ताकि यह प्रभावशाली बन सके।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित बजट में वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 की तुलना में लगभग 10 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में बजट को बढ़ाना होगा ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा के मानदंडों और जिस उत्पाद का उपभोग कर रहे हैं वह कितना सुरक्षित है, के बारे में जान सकें। यह लेबलिंग का एक भाग है।

मैं सेंटर फार साइन्स एन्ड एन्वाइन्मेंट को एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शीतल पेयों में कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में जांच करने और उसका निष्कर्ष प्रकाशित करने हेतु धन्यवाद देता हूं। यह विडंबना है कि बाद में दिए गए निर्णयों में यह कहा गया कि इन कंपनियों द्वारा जहां से जल प्राप्त किया जा रहा था, उस जल में कीटनाशकों की मात्रा थी। कृषि में रसायनों और कीटनाशकों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण आज भूजल में भी कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा रहती है। इसे ठीक करना होगा। इसके लिए देश भर में बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है। देश के प्रत्येक जिले में हमें जल परीक्षण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करनी होंगी ताकि सबसे निचले स्तर के उपभोक्ता भी सही प्रकार के खाद्य का उपयोग कर सकें।

आरजेडी के हमारे मित्र श्री राम कृपाल यादव ने मध्याह्न भोजन योजना में विषाक्त खाद्य का उल्लेख किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस तथ्य का निश्चित रूप से मूल्यांकन करें कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किसी बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए और किसी बच्चे को उसके शरीर और मस्तिष्क के स्वस्थ्य विकास हेतु कितनी मात्रा में पोषाहार चाहिए। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

पशु आहार, जिसे मूल विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। हम अपने पशुओं को खाद्य देते हैं और इसके बाद हमें दूध और दुग्ध उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे मुर्गी पालन और मवेशियों में बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, फुट एण्ड माऊथ डिजीज कई नए रोग फैल रहे हैं। मांस में कीटनाशकों की मात्रा भी पायी जा रही है। अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा देश 110 करोड़ लोगों वाला विशाल देश है। हमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रक्षा करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि मेरे जिले कालाहांडी में क्या हुआ था। गत वर्ष जिले में अतिसार के कारण मृत्यु हुई थी। लोगों द्वारा संदूषित जल का सेवन करने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं स्थिति को नियंत्रित करने हेतु मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए तात्कालिक कदमों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वहां एक केंद्रित दल भेजा था जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मेरे जिले में एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने इसके लिए 'शून्य काल' के अंतर्गत सूचना दी थी। यह ब्रेन मलेरिया से संबंधित है। अत: यह इस विधेयक के दायरे में नहीं आता है। मैं इसे 'शून्य काल' के दौरान उठाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस समस्या का समाधान करने हेतु सक्रिय कार्यवाही करेंगे।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, खाद्य मिलावट एक अत्यंत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्ति देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर

रहे है। इस संबंध में कठोर कानून बनाया जाना चाहिए और इस अपराध में संलिप्त लोगों को सजा दी जानी चाहिए।

खाद्य बाजार में नियमित रूप से निरीक्षण करने हेतु उपयुक्त संख्या में खाद्य निरीक्षकों, स्वच्छता निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कृत्रिम रंगों, रसायनों और आसवों के मिश्रण को सरकार के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप विनियमित किया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक जिले में खाद्य पदार्थ पर निगरानी रखने हेतु सीएफटीआरआई केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और अधिकारियों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए एवं खाद्य मिलावट, लोक स्वास्थ्य और खाद्य मिलावट की रोकथाम हेतु कानून का भी व्यापक प्रचारप्रसार किया जाना चाहिए।

खुले क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं की बिक्री बढ़ा, डोसा और इडली और कटे हुए फल बेचे जा रहे हैं; इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे कई रोग फैलते हैं। आयातित खाद्य पदार्थों और फास्ट फूड पदार्थों की भी नियमित जांच की जानी चाहिए क्योंकि इन दिनों बाजारों में आयातित खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं और फास्ट फूड पदार्थों की भी नियमित जांच की जानी चाहिए क्योंकि इन दिनों बाजारों में आयातित खाद्य पदार्थ और फास्ट फूड उचित पैकिंग के बिना भी भरे पड़े हैं। खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

खाद्य जिंदगी की आवश्यकता है। वास्तविक तथ्य यह है कि लोग अपने घरों में ही खाद्य पदार्थों का सेवन करने में आनंद उठाते हैं। लेकिन कभी-कभी दिन अथवा सप्ताह में एक बार, हम घर के बाहर भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें बाहर में प्राप्त होने वाले खाद्य उस समय अत्यंत स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन हमें इसके कारण होने वाले परिणाम को जीवन भर भुगतान होता है। इन दिनों रक्त चाप, मधुमेह रोग में वृद्धि हो रही है; एक 13 वर्ष के लड़के की मृत्यु भी हृदय गति रुकने के कारण हो रही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है अत: मैं केंद्र सरकार के मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

बाहर उपलब्ध कराए गए खाद्य पदार्थ, ढाबा वालों अथवा सड़क के किनारे बिक्री करने वालों के लिए आय का एक माध्यम है। खाद्य एक ऐसी वस्तु है जिसका संबंध राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से है चाहे वह किसान हो अथवा चाटवाला। लेकिन यहां चिंता का मुख्य विषय यही है। हम जिस चीज का सेवन करते हैं, वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है या नहीं। हमें ढाबा, फेरीवालों, सड़क के बगल में बने स्टालों और रेहड़ी वालों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों के इस पहलू पर भी विचार करना है। केवल भारत में ही हम इस तरह बाहर बेचने की अनुमति दे रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया और अमरीका जैसे देशों में बाहर दुकान खोलने वाले लोगों को दुकानें प्रदान की जाती हैं और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों की समुचित रूप से जांच की जाती है।

हम रोड़साइड पर बने भोजन का प्रत्येक दूसरे दिन सेवन करते है लेकिन हम उन स्थितियों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं जिनमें उस भोजन को तैयार किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कि रोडसाईड पर बने भोजन का सेवन आधिकांशत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या छोटे-मोटे काम करने वाले लोग करते हैं। आटोरिक्शा या रिक्शा चालक, ट्रक ड्राईवर राजमार्ग के बगल में बने भोजन का ही सेवन करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे स्थानों पर परोसा जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता वाला और अस्वस्थ्यकर होता है। भोजन में प्रयुक्त दालें, अनाज और तेल सभी घटिया किस्म के होते हैं और बड़े ही सस्ते दर पर मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसे भोजनालयों के मालिक अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए आज का भोजन कल भी परोसते हैं। यदि आज का तैयार खाना नहीं बिक पाता है, तो वे उसे अगले दिन बेचकर मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जिन स्थितियों में भोजन तैयार किया जाता है, वह बहुत ही खराब होती हैं। आमतौर पर भोजन इस तथ्य को दरकिनार करते हुए खुले स्थान में तैयार किया जाता हैं कि उनका भोजनालय सड़क के किनारे अवस्थित है, जहां हजारों वाहन चलते हैं और धुआं छोड़ते हैं या वे नाले के नजदीक पकाए जाते हैं जोकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और विगत वर्षों में उसके कारण महामारी भी फैली है।

खाद्य मानकों का सख्ती से क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को एक संकल्प पारित करना चाहिए ताकि उस गंभीर खतरे को रोका जा सके। घटिया खाद्यान और दालें दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरी राय यह है कि यदि खाद्यान्न और दालें घटिया किस्म के हैं, तो इसे उत्पादन स्तर पर ही रोका जाना चाहिए। इसके लिए हमें किसानों की प्रतिपूर्ति करनी होगी ताकि उन्हें घाटा सहना न पड़े और वे कमी को पूरा कर सकें। राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा इस मामले में और अधिकार दिए जाने चाहिए कि वे स्थिति के अनुसार राज्य व्यापार निगम, नैफेड आदि के माध्यम से खाद्यान्नों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए। आप लिखित भाषण से पढ़ रहे हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद : 2006 में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी कानूनों को एक ही अधिनियम अर्थात् खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के अंतर्गत समाहित करना था। इसके फलस्वरूप, एक केन्द्रीय खाद्य प्राधिकरण की स्थापना होगी जो खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करेगा और उस पर निगरानी रखेगा ताकि सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप तो पूरा भाषण ही पढ़ रहे है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री जे.एम. आरून रशीद : सरकार को खाद्य सुरक्षा आयोग नियुक्त करना होगा और उस अधिनियम को कारगर और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा। इस खतरे को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत प्रकल्पित पहल प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों आदि को प्रत्यायित या मान्यता देकर खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करना है। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

एफ एस एस अधिनियम के अंतर्गत मामलों के न्याय-निर्णयन के लिए उपभोक्ता न्यायालय की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा, अपीलीय अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध किया गया है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। आप तो पूरा भाषण ही पढ़ रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री जे.एम. आरून रशीद : मैं कुछ पंक्तियों के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

केन्द्र सरकार के पास खाद्य प्राधिकरण के प्रचालन संबंधी प्रतिवेदन और विवरण प्राप्त करने के लिए निदेश देने का अधिकार होगा।

सभापति महोदय : मैं दूसरे माननीय सदस्य, श्री बृज किशोर त्रिपाठी का नाम पुकार रहा हूं।

श्री जे.एम. आरून रशीद* : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

महोदय, इसे खाद्य प्रधिकरण के लिए सेवाओं और नियुक्ति संबंधी नियम बनाने के अधिकार होंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार रहा हूं और आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जे.एम. आरून रशीद : देश के सभी नागरिकों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यद्यपि खाद्य, राज्य सूची का विषय है, केन्द्र सरकार को उपयुक्त निदेश देने चाहिए ताकि लोग रक्त चाप और शुगर संबंधी रोग से मुक्त स्वरूप जीवन जी सकें।

सभापति महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी। श्री आरून रशीद, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सभापति महोदय, हम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : समय-सीमा का अनुपालन करने के संबंध में मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : एक वर्ष पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बावजूद उसे अधिसूचित और क्रियान्वित करने के किए कथित रूप से उच्चतम न्यायालय ने सरकार की खिंचाई की थी। इस अधिनियम का उद्देश्य शीतल पेय सहित पैकेट बंद खाद्य उत्पादों को विनियमित करना है।

महोदय, खाद्य अपमिश्रण निवारण निरीक्षक द्वारा लिए गये नमूनों में से प्रयोगशाला में मात्र छः प्रतिशत नमूनों का जांच की कसौटी पर सही न उतरना निश्चित तौर पर अधिकारियों और व्यापारिक के बीच मिलीभगत का संकेत है। खाद्य संबंधी कानूनों के प्रवर्तन में सरकार के तटस्थ रवैये से न तो उपभोक्ता की और न ही उपभोक्ता हितों या उनके स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में कुछ नहीं हो पाया हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और माननीय सदस्यों का ध्यान उस भोजन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो हम खाते हैं। एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हम जो भी पैकेट बंद आहार खा रहे हैं उसमें मिलावट पाई जाती है, उदाहरण के तौर पर, दूध, में ऑक्सीटासिन एडीटिव्स मिला दिया जाता है। सौभाग्य से हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर हैं और वह इन सारी बातों को भलीभांति समझते हैं। हालांकि, वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। वे जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। मैं उसके प्रभाव के बारे में बताना नहीं चाहता। दूध में ऑक्सीटासिन, कॉफी और चाय में कोलतार डाई, दाल में कोलतार डाई, हल्दी में लेड क्रोमेट, मिठाई में मेटानिल येलों; रोडैमिन बी, अचार में कापर साल्ट, सौंफ में मालाचाईट ग्रीन, वनस्पति में रैंसिड; पशु वसा, भिंडी में कापर सल्फैड, बैंगन में कार्बोफुरन, फूल गोभी में फास्फोमिडोन II; मिथाइल पैराथिन III, नमक में रंगोली और धनिया पाउडर में घोड़े की लीद होती है।

इन सभी पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में जिनका हम उपयोग करते हैं, ये अपमिश्रित चीजें पायी जाती हैं जो पूरे मानव समुदाय के लिए हानिकारक हैं। इन सभी पादार्थों की जांच अपमिश्रित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में की जाती है। पूरे देश में सरकार के पास प्रयोगशालाओं और प्रशीतन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

सायं 6.00 बजे

प्रयोगशालाओं में प्रशीतन सुविधा का अभाव है, इसलिए, लिए गए नमूने बेकार हो जाते हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में खाद्य परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं—यह भी एक कारण है जिससे पैकेज की उचित रूप से जांच नहीं हो पाती है। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत आवश्यकता है खाद्य गुणवत्ता की जांच करने हेतु प्रयोगशालाओं का होना। मैं जानना चाहता हूं कि देश में पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएं बनाने के लिए सरकार किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है।

सभापति महोदय : कृपया, अब मेरी बात सुनिए। अब सायं के 6.00 बजे हैं। हमें समय बढ़ाना है। मुझे विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ाए जाने हेतु सभा की अनुमति लेनी है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : हम विधेयक का कार्य निपटालें और उसके बाद, हम 'शून्य काल' के बारे में विचार करेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : यह अत्यंत आश्चर्यजनक है, सरकार के पास कोई कार्य नहीं है इसलिए वह इस विधेयक पर 3-4 घंटे से बहस जारी रखे हुए है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। सभा को 15 अप्रैल तक स्थगित किया जाना चाहिए। इस पर अनावश्यक चर्चा क्यों जारी रखी जाए?

सभापति महोदय : आप इससे सहमत हैं या नहीं?

श्री खारबेल स्वाईं : हम सहमत नहीं हैं। अब सायं के 6.00 बजे हैं; हमें 'शून्य काल' शुरू करना चाहिए....*(व्यवधान)* अब हम 'शून्य काल' शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हम 'शून्य काल' भी शुरू करेंगे लेकिन, इस विधेयक के पारित होने के बाद।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : सरकार के पास कोई अन्य कार्य नहीं है वे इस पर कितने देर से बहस जारी रखे हुए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : सभापति महोदय, अब जीरो आवर शुरू किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री त्रिपाठी, आप बोलना जारी रखें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : इस समय, प्रयोगशालाओं की कमी के कारण उत्पादों का परीक्षण करना कठिन हो रहा है। प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के अनेक छोटे उद्योगों में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि हो रही है तथा उनके पास प्रयोगशालाओं में जांच करने या गुणवत्ता की जांच करने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए, छोटे उद्योग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभाव के कारण गुणवत्ता मानदण्ड कायम नहीं रख पाते हैं।

जहां तक शीतल पेय का संबंध है गांगुली समिति की सिफारिश शीतल पेय, कारबोनेटेड जल आदि के हानिकारक प्रभाव की जांच के संबंध में है। जहां तक शीतल पेय में मिलावट का संबंध है, मैं इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गंगुली समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही कर रही है?

जो कुछ हो रहा है वह इस प्रकार है। चूककर्ताओं के मन में कोई भय नहीं है क्योंकि कानून इतना कठोर नहीं है; वे सोचते हैं कि वे मिलावट करें तब भी वे किसी भी समय छूट सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार भी कोई कठोर कानून बनाने के बारे में सोच रही है? महाराष्ट्र की स्थिति आदर्श है; इसने इसे संज्ञेय एवं गैर-जमानती बना दिया है। अत:, महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है, वह पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। यह अपराध संज्ञेय अपराध होना चाहिए और यह गैर- जमानती होना चाहिए ताकि चूककर्ताओं को मिलावट करने से रोका जा सके।

ऐसा समाचार है कि भारत अमरीका से गेहूं का आयात कर रहा है जिसमें खतरनाक खर-पतवार होने का आरोप है। अब, सरकार अमरीका से सहायता ले रही है जो मिलावट करने में माहिर है और हम खाद्य और औषधि प्राधिकरण के गठन में सहायता ले रहे हैं। अब, संशोधन पेश कर दिया गया है और इस प्राधिकरण का गठन करने के संबंध में अमरीका से सहयोग लेने के संबंध में सरकार पूर्णतया गंभीर है। हमारे पास योग्य लोग नहीं हैं, इसलिए, हम इस प्राधिकरण का गठन करने में अमरीका से सहयोग ले रहे हैं।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से एक अनुरोध करना चाहता हूं। हम भाग्यशाली हैं कि मंत्री जी एक डॉक्टर भी हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हें लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह संशोधन लाने में सरकार का क्या इरादा है। लेकिन मेरा कहना है कि किसी रसायन विशेषज्ञ को इस प्राधिकरण का प्रमुख होना चाहिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सके कि उचित जांच की जाए और यह कि प्राधिकरण उचित एवं संगत कार्यवाही करेगा।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : सभापति महोदय, जीरो आवर कब होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें 2-3 सदस्यों को दो मिनट देने दीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

मैं विधेयक पर विस्तार से बात नहीं करूंगा...*(व्यवधान)* यह अधिनियम 2006 में प्रख्यापित किया गया, लेकिन आज तक एफएसएस प्राधिकरण ने उचित रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है। इस अधिनियम का प्रख्यापन उन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करने हेतु किया गया था जिन्हें हमारे देश में लोग खाते हैं और जो बेचे जाते हैं।

मैं अपनी बात केवल 2-3 बिन्दुओं तक सीमित रखूंगा। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने किसी दुकान से मिठाई खाई, लेकिन वे अचानक अचेत हो गए और उन्हें 'सबकॉन्जेनियल हेमरेज' हो गया। जब पास के पीएचसी के ही स्वास्थ्य निरीक्षक ने पूछताछ की तो यह पाया गया कि इसका उत्पादन राज्य के बाहर किया गया था और यह बहुत दिन पुरानी थी लेकिन फिर भी दुकान में बेची गई। स्वास्थ्य निरीक्षक दुकानदार के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं परंतु उत्पादक के ऊपर नहीं कर सका। यही हो रहा है।

एक बात और है। प्रत्येक जगह एवं विशेषकर केरल में हम देख सकते हैं कि पान मसाला या पान पराग के रंगीन पैकेट बेचे जा रहे हैं। नारकोटिक कंट्रोलिंग एजेंसी कहती है कि ये उत्पाद उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे कहते हैं कि वे 'नारकोटिक्स' नहीं हैं; इसके बावजूद वे हर जगह बेचे जा रहे हैं। इसमें कुछ और किया जाता है; कोई उत्तेजक पदार्थ मिलाया जाता है। इन सामग्रियों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सामग्रियों को पूरे विश्व में बेच रही हैं। लेकिन ये वस्तुएं मानक पर घटिया ठहराती हैं।

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए। श्रीमती झांसी लक्ष्मी।

डा. के.एस. मनोज : हमें बाहर बेची जानी वाली सामग्री की गुणवत्ता का मानकीकरण करना चाहिए। अपने देश में बेची जाने वाली ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया है।

डा. के.एस. मनोज : ठीक है, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोथा** (बोब्बिली) : आदरणीय महोदय, मैंने तेलुगु में बोलने का नोटिस दिया था। महोदय, मैं यूपीए सरकार द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक संशोधन पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। इस संशोधन का उद्देश्य आम लोगों द्वारा उपभोग की जा रही लगभग सभी खाद्य पदार्थों में हो रहे व्यापक अपमिश्रण से निपटने का है। इस कानून में पहले 5-6 बार संशोधन किए गए थे। यूपीए सरकार द्वारा पुर:स्थापित यह संशोधन विशेष संशोधन है। मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देती हूं। इस उद्देश्य हेतु एक विशेष समिति गठित की गई थी जिसमें एक तिहाई सदस्य महिलाएं थीं, यह कदम महिलाओं के प्रति चिंता को दर्शाता है। मैं सरकार को "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" संबंधी समिति के 22 सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य शामिल करने हेतु सरकार को धन्यवाद देती हूं। यह यूपीए सरकार की मुख्य निर्णय वाले क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह सरकार हमारे प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, यूपीए की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अंबुमणि रामदास, और माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती पी. लक्ष्मी का धन्यवाद करती हूं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहती हूं कि उद्योगों, फर्मों और किसानों से प्राप्त होने वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। सरकार को खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भी ध्यान देने हेतु कदम उठाने चाहिए। विद्यमान कानूनों को न केवल केंद्र बल्कि राज्य स्तर पर भी समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकारों को निदेश जारी किए जाने चाहिए। महिलाओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शामिल किया जाना चाहिए। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से योग को भी प्रोत्साहन देने का अनुरोध करती हूं। बदलते परिदृश्य में हमें 'जंक फूड' और मोटापा से निपटने हेतु एक अलग सोच और दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, सामान्यत: वह अंग्रेजी में बोलती हैं। आज वह अपनी मातृभाषा तेलगु में बोली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार यह संकेत दे रही है कि चुनाव का समय आ गया है।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं केवल एक ही मुद्दे पर बल देना चाहता हूं। एक-एक संशोधन विधेयक है न कि मूल अधिनियम। मैं उन भावनाओं को समझता हूं जब किसी मूल अधिनियम के संबंध में कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है। इस संशोधन विधेयक को अध्यादेश के प्रख्यापन से बचने के लिए लाया गया है।

मैं खाद्य सुरक्षा और मानकों के संबंध में केवल एक बात कहना चाहता हूं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के होने के बावजूद भी अपमिश्रण किया जा रहा है। यदि किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद को बढ़ाने हेतु किसी चीज को मिश्रित किया जाता है तो यह खाद्य वस्तु में अपमिश्रण का ही मामला है। अधिनियम के होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन की स्थिति गंभीर है। अपमिश्रण की घटनाएं हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, जब हम मानक निर्धारित करते हैं, तो हमें इसका निर्धारण भारतीय समुदाय के स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हम अमरीका अथवा इंग्लैंड के मानकों के अनुरूप खाद्य तैयार करने का मानक निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हमें अपने स्तर पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हम अपने लोगों से अमरीकी मानकों के अनुसार खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए नहीं कह सकते हैं। मानकों को निर्धारित करते समय इस देश के आम लोगों के स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

*मूलत: तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, संसद बुलाने का निर्णय लेने के बाद यह अध्यादेश जारी हुआ है, जो बहुत गलत है। माननीय मंत्री जी अपने रिप्लाई में इसे क्लेरीफाई करें। हम देखते हैं कि तेल, पेट्रोल, चीनी, गेहूं, चावल, मिर्ची, हल्दी पाउडर, पानी, बीज जिसे काश्तकार बोते हैं, आदि सबमें मिलावट है। इन सब प्वाइंट्स पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं एक सीरियस प्वाइंट माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इस बिल में जो प्रोविजन किया गया है, वह मुझे कंट्राडिक्टरी लग रहा है। इस बिल के पैरा तीन में कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार का यह मत था कि प्राधिकरण के सदस्यों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा, क्योंकि खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में विख्यात व्यक्तियों को नियुक्त करना इस कारण से संभव नहीं हो सकेगा कि वे किसी उद्योग/संगठन में, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई अन्य पद या नियुक्ति धारण कर रहे होंगे।" इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 5 का संशोधन हो रहा है, जिसमें लिखा है कि "खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।" इसमें दो बातें हैं। पहला यह कि यह प्रोविजन मुझे टोटली कंट्राडिक्टरी लग रहा है। खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष अन्य पद धारण नहीं करेगा, यह माननीय मंत्री जी को क्लेरीफाई करना है। इसके साथ-साथ मंत्री जी ने अन्य पद की कोई डेफीनेशन नहीं दी है। हमारा कहना है कि अन्य पद का मतलब क्या है? आप अपने रिप्लाई में इसे भी क्लेरीफाई करिये, नहीं तो यह प्रोविजन टोटली गलत साबित होगा। आप जिस उद्देश्य से यह संशोधन ला रहे हैं, वह कंट्राडिक्टरी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसे अपने उत्तर में क्लीयर करें।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्मानीय सभा के सभी माननीय सदस्यों को "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2008" के संबंध में लाए गए इस संशोधन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि आरंभिक विधेयक, जो बाद में अधिनियम बना, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अधिनियम के पारित होने के पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए कहा क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय प्रवर्तक मंत्रालय था और स्वास्थ्य मंत्रालय विनियमन करने वाला मंत्रालय था ऐसा केवल यहां ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में ही ऐसा हो रहा है। चूंकि हम इस अधिनियम को क्रियान्वित करने का प्रभाव कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस अधिनियम को आंशिक रूप से अधिसूचित किया है, मैंने कहा है कि हमने अधिनियम की धारा 4 से 10, 87, 88, 91 और 101 को अधिसूचित किया है। ये धाराएं, जो संशोधित रूप में है, प्राधिकरण स्थापित करने के लिए है। यह अधिनियम पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने हेतु प्राधिकरण स्थापित करने पर ही निर्भर है। प्रधानमंत्री जी ने, जैसाकि अधिनियम में व्यवस्था है, सदस्यों और सभापति के चयन हेतु एक चयन समिति बनाने का कार्य मंत्रिमंडल सचिव को सौंपा है। इस समिति में सभापति के अतिरिक्त 22 सदस्य हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत समिति में पूर्णकालिक सभापति होने की व्यवस्था है और उसकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की होगी।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने पाया कि प्रख्यात, अनुभव प्राप्त ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भागों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया हो, जैसे प्रसिद्ध सदस्यों की उपलब्धता कम होने के कारण उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभापति की नियुक्ति के लिए भी हमें कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकीविद्, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कोई सक्षम व्यक्ति नहीं मिला। हमने सीएफटीआरए, मैसूर के चेयरमैन और राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद के चेयरमैन का भी साक्षात्कार लिया लेकिन वे नया पद लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं। हमारे सामने यह समस्या आ रही है। इस तरह इसे अधिसूचित किए जाने के पश्चात् भी हमें व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस अधिनियम की अन्य धाराओं को भी शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आज देश में खाद्य अथवा अपमिश्रण जैसी अन्य बातों को विनियमित करने हेतु कोई अधिनियम उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के अधिनियम उपलब्ध है, इनका निरसन नहीं किया गया है। आज कतिपय माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस अधिनियम को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण देश में व्यापक स्तर पर अपमिश्रण जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। यह वास्तविकता नहीं है। पहले से ही एक अधिनियम है और इस अधिनियम को पूरी तरह अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ही अन्य अधिनियमों का निरसन किया जाएगा।

जहां तक अन्य अधिनियमों का प्रश्न है, कई अधिनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, खाद्य उत्पाद आदेश, 1955,

मांस उत्पाद आदेश 1973 वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश, 1967 विधायक निष्कर्षित तेल, विद्रेलित आधार और खाद्य आटा नियंत्रण आदेश, 1967 दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, 1992 जैसे अन्य अधिनियम उपलब्ध है। आज ये सभी अधिनियम देश में खाद्य की पूरी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए हैं इसमें कुछ और समय लगेगा क्योंकि हमने यह प्रक्रिया शुरू ही की है।

कई सदस्यों ने यह पूछा है कि अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किया गया है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह एक छोटा-सा संशोधन है लेकिन यह महत्वपूर्ण संशोधन है और इसकी तात्कालिकता के कारण हमें अध्यादेश लाना पड़ा। अध्यादेश को संसद के सत्र से पूर्व प्रख्यापित किया गया है। यह सच नहीं है, जैसाकि श्री वरकलाजी ने कहा है, कि हम अधिसूचना के पश्चात् अध्यादेश लाए हैं। संसद की अधिसूचना जारी होने से पूर्व हमने अध्यादेश प्रख्यापित किया. क्योंकि हम पूरी प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते थे, जैसाकि माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा है।

समितियों और ढांचों के संबंध में हमारे पास कीटनाशकों में 'फूड ऐडिटिव्स', अनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य, स्वास्थ्यवर्धक पोषाहार, संदूषण, लेबल और सैंपल आदि सभी के लिए वैज्ञानिक पैनल उपलब्ध है। हमारे पास इन सभी बातों के लिए पैनल है। इन सभी वैज्ञानिक पैनलों के सभापति वैज्ञानिक समिति के अंतर्गत आते हैं। हमारे पास केंद्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक सलाहकार समिति हैं। यह इस प्राधिकरण का ढांचा है और यह प्राधिकरण इस अधिनियम का केंद्र बिंदु है।

चूंकि इस देश के खाद्य को विनियमित करने हेतु यह उच्चतम विनियामक निकाय है, इसलिए हम इसे इतना महत्व दे रहे हैं। कुछ सदस्य सरकार की मंशा पर शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि, इसमें विलंब क्यों किया गया। यदि हम विलंब करना चाहते, तो हम इस अधिनियम को सबसे पहले लेकर नहीं आते। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार अत्यंत साहसी है जो खाद्य प्राधिकरण के लिए इस अधिनियम को लेकर आई है और यह सरकार औषधि प्राधिकरण भी लाने वाली है जो दशकों से लंबित है। हम अपने देश के समूचे खाद्य और औषधि ढांचे को विनियमित करना चाहते हैं और इसलिए हम ये संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर आता हूं और इस पर संक्षेप में कहना चाहूंगा। कई सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। मैं इन सुझावों को प्राधिकरण के समक्ष रखूंगा। एक बार जब इस प्राधिकरण का पूर्ण रूप से गठन हो जाता है और यह कार्य करने लगता है, तो सदस्यों के इन सभी सुझावों को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा और वे इस पर विचार करेंगे और गुण तथा दोषों पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लेंगे।

मैं प्रो. रावत को धन्यवाद दूंगा। वह सरकार की मंशा पर भी संशय कर रहे थे कि इस अध्यादेश को क्यों लाया गया जिसके बारे में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। वह कीटनाशक विषय को उठा रहे थे। इस विषय को कुछ समय से उठाया जा रहा है। इस पर हमारे यहां एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी और उसके बाद अन्य समिति बनी और तत्पश्चात् डा. गांगुली समिति बनी। श्री गांगुली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक थे। उन लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर चीनी और जल के नमूने इकट्ठे किए थे। उन्होंने अंततः इस पर अपनी सिफारिश दे दी है कि वहां कौन से मानक होने चाहिए और इन मानकों पर खाद्य सुरक्षा हेतु केन्द्रीय परिषद् द्वारा विचार किया गया था। इन्होंने अब भारत सरकार से सिफारिश की है और हम बहुत जल्द सभी शीतल पेयों के लिए मानकों की अधिसूचना जारी कर देंगे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ सदस्य इसमें सरकार की मंशा पर शक कर रहे थे। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू, अल्कोहल, नशीले पदार्थों, जंक फूड इत्यादि के विरुद्ध मुहीम छेड़ रखी है। यह हमारे देश में युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखा है। मैंने राज्यपालों को पत्र लिखा है। पेप्सी या कोक या कोई अन्य पेय सहित जंक फूड समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे दो विषय हैं जिनके बारे में मैंने कहा है। पहला विषय कीटनाशकों से संबंधित है और दूसरा विषय स्वास्थ्य के बारे में है। कीटनाशक एक अल्पकालिक विषय है। कई सदस्य इसके बारे में सुनने के इच्छुक नहीं है। स्वास्थ्य एक दीर्घकालिक विषय है। कीटनाशक विषय को विनियमित किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह पहले से ही विनियमित है। हमने पूरे देश से इन सभी शीतल पेयों के लगभग 300 से 400 नमूने इकट्ठे किए हैं और किसी भी नमूने में पैक जल में अनुमत स्तर से अधिक कीटनाशक नहीं पाया गया है। ऐसा नहीं है कि कीटनाशक का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। सब्जियों, दुग्ध उत्पादों और पानी में शीतल पेयों की तुलना में अधिक कीटनाशक हैं। इसलिए हमें शीतल पेयों में कीटनाशकों के विषय पर ही बार-बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस विषय पर ध्यान दिया गया है। हमें इन शीतल पेयों और कार्बनयुक्त पेयों के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

[डा. अंबुमणि रामदास]

हमारी सलाह को मानते हुए, वस्तुतः तमिलनाडु में कुछ विद्यालयों ने हाल ही में यह अधिसूचना जारी की है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में फूड सहित इसकी बिक्री नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि केरल और कर्नाटक ने ऐसे कई आकर्षक कदम उठाए हैं जो अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम हैं।

मैं उठाए गए कुछ विषयों को सरकार की ओर से स्पष्ट करने के लिए श्री राव को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने सड़क पर बिक्री करने वालों की समस्या के बारे में भी बताया जो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है क्योंकि लाखों लोग सड़क पर मिलने वाले खाने का उपयोग करते हैं जो सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है। इससे समय और पैसा बच सकता है परंतु स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमने सड़क पर मिलने वाले खाने पर ध्यान देने और स्वच्छ और स्वास्थ्यकर खाना कैसे प्राप्त करें, के संबंध में कई कार्यक्रम चला रखे हैं। यह सस्ता खाना होता है परंतु आपको स्वच्छ और स्वास्थ्यकर खाना मिल सकता है। कई परियोजनाएं चल रही हैं और मुझे लगता है कि उन्हें यह बताने के लिए कि वे अपनी प्रक्रिया और प्रथाएं कैसे बदलें, हेतु धनराशि का प्रावधान भी किया गया है ताकि स्वास्थ्यकर और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम खाना सुलभ हो सके।

जहां तक दंड का संबंध है, इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे यहां न्यूनतम सात वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और 5 से 10 लाख रुपए जुर्माने का अत्यन्त कठोर दंड का प्रावधान है। मृत्यु के मामले में, यह पैसा उस व्यक्ति के निकटतम संबंधी को मिलेगा जिसकी विषाक्त भोजन खाने के कारण मृत्यु हुई हो। उन्होंने पूछा है कि पानी को इसके दायरे में क्यों नहीं लाया गया है। यह एक अच्छा प्रश्न है और मैं इस महान सभा में अपने साथियों से कहूंगा कि वे इस अवधारणा पर विचार करें। व्यक्तिगत तौर पर मैं पानी जल को इसके दायरे में लाना चाहता हूं। परंतु अभी इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पैक जल इसके दायरे में आता है। आने वाले समय में हमें उस जल के लिए मानक निर्धारित करना चाहिए जिसकी हमारे घरों में आपूर्ति की जाती है, चाहे वह नगरपालिका या निगम या किसी अन्य द्वारा की जाती हो। यह सरकार की मंशा है परंतु मैं जल को इसके दायरे में लाने के लिए पूरी सभा की सहमति चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस करता हूं कि जल को इसके अंतर्गत होना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है।

श्री रेवती रमन सिंह ने मिलावट, गरीब रोगियों के उपचार और राष्ट्रीय आरोग्य के बारे में कहा। यह थोड़ा अलग मामला है परंतु हमारे यहां गरीब रोगियों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष, स्वास्थ्य मंत्री का स्वैच्छिक कोष और तमाम तरह के कोष हैं। हम स्वास्थ्य बीमा की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आएगा, तब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी गरीब लोगों को विशेषकर शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में रहने वाली आबादी और सभी को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिले और उन्हें बेहतर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल मिले।

जहां तक खाद्य और सब्जियों का संबंध है, यह भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। हालांकि प्राथमिक खाद्य इसके अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि प्राथमिक खाद्य कृषि द्वारा उत्पादित है। श्री पांडा ने मामलों के अधिनियम के बारे में बात की। पीएफए अधिनियम के अंतर्गत बहुत कुछ नहीं हुआ है परंतु मुझे लगता है कि कम से कम इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक अभियोजन होंगे और अधिक प्रवर्तन होगा। जहां तक मृत्यु दंड का संबंध है, पूरे विश्व में लोग मृत्युदंड से दूर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा है कि मृत्युदंड लाया जाए। परंतु यह दंड पर्याप्त रूप से कठोर है ताकि इस अधिनियम से लोगों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर मिलावट करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

लेबल लगाने की संकल्पना के बारे में कई सदस्यों ने बात की। मैं इस बारे में कहता रहा हूं कि इस देश में सभी पैक खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से लेबल होना चाहिए। एक ओर, आपके सभी संघटक वजन के अनुसार सूचीबद्ध होने चाहिए। दूसरा, संघटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या वसा या प्रोटीन के पोषण गुण का उल्लेख होना चाहिए। वस्तुतः, पिछले डेढ़ वर्षों से मैं इस बारे में जोर दे रहा हूं और हमने कई चर्चाएं की थी। प्रारूप अधिसूचना तैयार की गई थी और अंतिम अधिसूचना लगभग तैयार हो गई थी और उसके बाद कुछ अन्य सिफारिशें की गई, अंततः हम इसकी अधिसूचना तीन महीने के अंदर जारी करने के कगार पर हैं। परंतु उससे पहले, हम इसकी अधिसूचना जारी कर रहे हैं कि भारत में बेचे जाने वाले सभी पैक खाद्य पदार्थों के मामले में संघटकों की सूची और पोषण गुण का इन पैकेटों पर अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

कोडेक्स एलीमेन्टेरीस खाद्य के लिए वैश्विक मानक है। हम कोडेक्स एलीमेन्टेरीस के साथ समन्वय कर रहे हैं। हमें खाद्य के गुणवत्ता मानक के साथ सामंजस्य बनाना होगा। विशेषकर इसी प्रयोजनार्थ यह अधिनियम

बनाया गया था। जीएम खाद्य एक विषय था। इसका समाधान किया जाएगा। यह एक वैज्ञानिक पैनल है और एक पैनल जीएम खाद्य के लिए है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे जीएम खाद्य के विषय का समाधान करेंगे।

श्री प्रभु ने इस अध्यादेश के जारी किए जाने और उसके बाद से क्या कदम उठाए गए हैं, के बारे में पूछा। इस अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद से हमनें पूर्ण प्राधिकरण के गठन की ओर कदम उठाया है। इसके लिए मंत्रिमंडल सचिव उत्तरदाई हैं। उन्होंने इस अधिनियम में चयन समिति के बारे मे भी पूछा चूंकि इस अधिनियम को मेरे साथी द्वारा लाया गया था। इसके बाद उन्होंने अनुभाग 3(ज) के बारे मे भी बात की जो जानवरों के आहार से संबंधित है। इसका समाधान किया जाना अभी बाकी है। यह इस अधिनियम के दायरे से बाहर है। इस विषय को प्राधिकरण के सक्षम रखा जाएगा जब कभी भी इसका गठन होता है। मैं माननीय सदस्य को इस विषय को उठाने के लिए अवश्य ही बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने स्व: विनियम तंत्र के बारे मे भी बात की तत्पश्चात् सरकार ने सभी राज्यों की क्षमता को दृढ़ किया है। हमारे यहां विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं थी, औषधियों और खाद्य प्रयोगशालाओं के क्षमता निर्माण की परियोजनाएं थी। हमारे यहां देश के लगभग सभी राज्यों में खाद्य के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इन प्रयोगशालाओं को उपस्कर और जनशक्ति के साथ आधुनिकीकृत और उन्नत किया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और साथ-साथ उनकी वैज्ञानिक क्षमता भी बढ़ी है। इन सभी का उपबंध किया गया है और इस अधिनियम को सशक्त किया गया है। यह साथ-साथ चलनेवाली प्रक्रिया है। वह मानक निर्धारण किए जाने के समय के बारे में भी पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि जब प्राधिकरण कार्य करने लगेगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमें यह पता चल जायेगा कि कौन-कौन सी अधिसूचनाएं इसमें होंगी। मुझे विश्वास है कि मानक कोडेक्स एलीमेंट्रीज फार्मूला के अनुसार तय किए जाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने पूछा था कि क्या सरकार का इरादा अपनी पंसद के किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि उनके पास उनकी पंसद का कोई अभ्यर्थी है तो वे उसका नाम हमारे पास भेज सकती है, उसके नाम की समिति से सिफारिश करने में मुझे खुशी होगी और यदि अभ्यर्थी सक्षम एवं योग्य होगा तो हम उस अभ्यर्थी को उस पद पर नियुक्त कर देंगे। हमारे पास ऐसे लोगों की थोड़ी कमी है। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यदि वे सक्षम लोगों के नाम का सुझाव देना चाहते हैं तो वे स्वास्थ्य मंत्रालय से उनके नाम की सिफारिश कर सकते हैं और हम उनका नाम समिति के पास अग्रेषित कर देंगे। हमें सक्षम व्यक्तियों को नहीं छोड़ना चाहिए।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया है। प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का भी एक प्रश्न था। हम प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। वैनिला से संबंधित एक दूसरा मुद्दा था। श्री फ्रांसिस जार्ज ने यह मुद्दा उठाया था। अगले तीन महीनों में इस आशय कि यह सिंथेटिक है या प्राकृतिक है, के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाएगी...*(व्यवधान)* उपभोक्ता जागरुकता बजट के बारे में एक सुझाव दिया गया है। यह एक अच्छा सुझाव है। गांगुली समिति ने इसके बारे में पहले ही एक सिफारिश की थी। हम इसका गठन कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कतिपय ऐसे ही मुद्दे उठाए गए हैं। मैं सुझाव देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह संशोधन हमारे लिए उपयोगी होगा। एक और बात मैं योग के बारे में कहना चाहता हूं। हम मानव संसाधन विभाग से सभी विश्वविद्यालयों में योग को अनिवार्य करने की सिफारिश कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ्य जीवन जी सकें। अब, मैं प्रो. रासा सिंह रावत से अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, देश की आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते मैं अपने निरनुमोदन प्रस्ताव को वापस लेता हूं और इसे परिचालित न किया जाए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य प्राधिकरण का कब तक विधिवत् गठन हो जाएगा और इसका मुख्यालय कहां होगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए कैबिनेट सचिव जिम्मेदार हैं। यह शीर्षस्थ पद है और हम इसे अभी तक टाल रहे हैं। इसीलिए, इस अध्यादेश की आवश्यकता हुई। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यथाशीघ्र प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है?

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, सभा विशेष उल्लेख के अधीन विषयों पर चर्चा करेगी। मेरे पास 50 सदस्यों की लम्बी सूची है जिन्होंने शून्य काल के दौरान बोलने के लिए नोटिस दिया है। इसलिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षेप में बोलें ताकि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जा सके।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपका उड़ीसा राज्य में 'एम्स' जैसा अस्पताल कब तक खोलने का विचार है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाई, हमने विशेष उल्लेख के अधीन विषय पर चर्चा शुरू कर दी है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई : वह यह आश्वासन गत चार वर्षों से दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के पिछड़ेपन की तरफ अकृष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं लगातार नोटिस दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला।... *(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : मान्यवार, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका नाम मेरे पास है और मैं आपको उनके बाद बुलाऊंगा।

सायं 6.39 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी : महोदय, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाए जिसके अन्तर्गत मुख्यत: पांच जिले बेल्लारी, रायचुर, कोप्पाल, गुलबर्गा, बीदर हैं जिसके अंतर्गत राज्य के कुल क्षेत्रफल का अधिकांश भाग आता है और उसमें कुल जनसंख्या का 13.16 प्रतिशत भाग है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हैदराबाद-कर्नाटक की सामाजिक-आर्थिक

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थिति के बारे में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यंत पिछड़ा है इसलिए इस क्षेत्र को सुविधा सम्पन्न बनाने तथा इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इसे एक पृथक क्षेत्र समझे जाने की आवश्यकता है।

महोदय, कर्नाटक राज्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए डा. डी.एम. नंजुंदप्पा की अध्यक्षा में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने भी उपर्युक्त पांच जिलों के पिछड़ेपन का जिक्र किया है। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बेल्लारी जिले के सभी सातों तालुका पिछड़े तालुका हैं।

इस प्रतिवेदन में उपर्युक्त पांच जिलों की शिक्षा, कृषि, रोजगार के अवसरों, सड़क, चिकित्सा सेवायों, औद्योगिक विकास, सिंचाई सुविधाओं के क्षेत्र में इनके पिछड़ेपन को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की समस्या का तत्काल समाधान संवैधानिक प्रावधान करना है, जैसाकि अनुच्छेद 371 में अंतर्विष्ट है और यह इस क्षेत्र की काफी समय से मांग है। अत: मैं इस क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत अंतर्विष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मान्यवर, सदन के द्वारा जो धन प्रदेश सरकारों को दिया जाता है और वह धन जिलों में जाता है, उसके लिए मॉनिटरिंग ऑफ विजिलेंस कमेटी बनी हुई है। मॉनिटरिंग ऑफ विजिलेंस कमेटी की मीटिंग हर तीन महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार का जी.ओ. है। लेकिन इलाहाबाद में पिछले 9 महीने से, हमारे बार-बार कहने के बावजूद, मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गयी है। डी.एम. ने तीन बार तय किया है और डी.एम. ही उसके सचिव हैं। मैंने स्पीकर साहब से आग्रह किया था और उन्होंने यहां से डायरेक्शन देने के लिए आश्वासन भी दिया था। अगर मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग 9 महीने में एक बार भी न हो पाये, तीन बार मीटिंग तय होने के बावजूद भी न हो पाये, तो इसका क्या फायदा है? इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस कमेटी को भंग कर दिया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस पर कार्यवाही करे। चाहे इधर के मैम्बर हों या उधर के मैम्बर हों, सब इस पर सहमत हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री शंखलाल माझी, श्री राजनारायण बुधौलिया और श्री हरिकेवल प्रसाद श्री रेवती रमन सिंह द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति-महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज देश में पेय-जल और सिंचाई की विकराल स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, चायल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पेयजल का संकट गहराता जा रहा है और सिंचाई की भी गंभीर समस्या है। बुंदेलखंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहां जमीनें फट रही हैं और पानी लाने के लिए आदमी 10 किलोमीटर तक जा रहा है, तब जाकर उसे पानी मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार एक सर्वे दल वहां भेजे। वहां भूगर्भ का जल-स्तर दिन-पर-दिन गिरता जा रहा है। हमारे चायल सुरक्षित क्षेत्र बुंदेलखंड में भारत सरकार से एक सर्वे-दल भेजकर उसका सर्वेक्षण करवा लिया जाए और उसे राष्ट्रीय स्वजल-धारा के अंतर्गत या राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत, पानी मुहैया करायें, ताकि पेजजल और सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदय, छह दशकों से भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा के कारोबार में संलग्न है। अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद बीमा कारोबार में कई निजी कंपनियों ने, कदम रखा है। बाद में, सभी प्राइवेट पार्टियों को बीमा विनियामक से अपने प्रीमियम का बड़ा भाग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, जो स्टॉक बाजार से जुड़ा एक उच्च जोखिम निवेश है में निवेश करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें काफी मुनाफा 36 प्रतिशत या 48 प्रतिशत तक है, परन्तु इसमें जोखिम भी निहित है। जब हम जीवन बीमा के बारे में बात करते हैं, यह प्राथमिक तौर पर एक सुरक्षित घटक है जो आकस्मिक परिस्थिति में उपयोग किये जाने के लिए है। इसे आकस्मिक परिस्थिति में लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। परन्तु विनियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को उसमें निवेश करने की अनुमति दे दी और यूलिप में निवेश की कोई सीमा नहीं है। अभी यूलिप प्राइवेट पार्टियों के कारोबार का लगभग 90 प्रतिशत है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जीवन बीमा

[श्री एल. राजगोपाल]

निगम यूलिप अपनाने के लिए बाध्य है। वे अपने सुरक्षित निवेश को भी खत्म कर रहे हैं और यूलिप को अपना रहे हैं। इसके कारण बीमा क्षेत्र और लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए, सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए और विनियामक को अनुदेश देना चाहिए कि यूलिप की निर्धारित भागीदारी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और 70 प्रतिशत सुरक्षित निवेश होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं देश के किसानों से संबंधित सवाल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। सभापित महोदय, 31.3.2007 तक की ऋण माफी से जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्योंकि उनके द्वारा समय से ऋण प्राप्त कर बैंकों को वापस कर दिया जाता है। सामंती लोगों द्वारा बड़े ऋण की राशि लेने के पश्चात् ऋण जमा ही नहीं किया जाता है, जिसे कारण सभी सामंती एवं हठी किसानों को लाभ मिल जाएगा। परन्तु समय से जो गरीब, दलित किसान नियम के पाबंद रहते हुए समय पर लोन लेते और देते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा दी गयी राहत नहीं मिलेगी। अगर सरकार द्वारा 31.12.2007 तक के सभी ऋण, चाहे वह बैंक से लिया गया हो या सभी स्तर की सहकारी समितियों से लिया गया हो, उसे माफ कर देने से, लघु एवं सीमांत स्तर तक के सभी कृषकों को लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि 31.12.2007 तक के सभी ऋणों को माफ करने का कष्ट करें।

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। भारत के 80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं और किसान हैं। भारत सरकार किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मैं आपके द्वारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहुत से प्रदेशों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, कहीं राजमार्गों के लिए तो कहीं इंडस्ट्रीज के लिए तो कहीं टाउन बसाए जा रहे हैं। किसानों की जमीन बहुत ही कम कीमत पर अधिगृहीत की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति बने। किसानों की जमीन लेकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ताज-हाइवे, गंगा हाइवे और हरिद्वार हाइवे के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है और उसने जमीन का अधिग्रहण किया भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सरकार प्रयत्न कर रही है और दूसरी तरफ उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन, जो एग्रीकल्चर है उसे ही अधिगृहीत किया जा रहा है। पूरे देश में जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है और हमारी जमीन का एरिया कम होता जा रहा है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो एक दिन खाद्य-सामग्री की हमारे यहां बहुत कमी हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने अपने यहां जमीनों के अधिग्रहण पर उचित मूल्य दिया है और 20 लाख से लेकर 30 लाख प्रति-एकड़ का मुआवजा और प्रत्येक परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी गयी है, आवास की सुविधा दी गयी है। भारत सरकार या तो राज्य सरकारों को इस प्रकार की सुविधा देने के लिए निर्देशित करे या स्वयं भारत सरकार अपने यहां इस प्रकार की व्यवस्था करे, या एक राष्ट्रीय नीति बनाए, जिससे किसानों का शोषण खत्म हो।

गाजियाबाद में हमारे एक साथी हैं गोयल जी, वहां पर भी एक ईस्टर्न-पेरिफेरल-एक्सप्रेस-वे बन रहा है जिसमें गांव रेवड़ा, बंदौली, मिलिक-चक्करपुर, मरयालपुर, सुल्तानपुर आदि गांवों की काफी जमीन जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद और अलीगढ़ के किसानों ने तय किया है कि यदि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे लोग होली नहीं मनाएंगे। अलीगढ़ की 181.1 हैक्टेयर जमीन की उचित कीमत सरकार नहीं दे पा रही है, जो हमारे गौतमबुद्ध जिले में मुआवजा तय किया गया है या तो वही मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों में असंतोष और आक्रोश न हो और नंदीग्राम जैसी स्थिति न बन जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यही कहना चाहता हूं कि या तो इस विषय में कोई एक राष्ट्रीय नीति बने या हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में तमाम अधिगृहीत जमीन का मुआवजा और सुविधा दी जाए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, श्रीकाकुलम जिले में मेलियापुट्टी के समीप महेन्द्र तनया नदी पर एक बांध का निर्माण ओर नदी की धारा को मोड़ने के लिए बंध बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय के विरुद्ध उड़ीसा के गजपती जिले में सुबह से शाम तक के बन्द का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को 2005 में ही प्रस्तुत किया था परन्तु यदि वह इस परियोजना के साथ आगे बढ़ता है, तो परलाखेमुंदी क्षेत्र, रायगदा

और गोसानी ब्लॉकों में लगभग 50 गांवों को महेन्द्र तनया नदी से पानी नहीं मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में कृषि बुरी तरह प्रभावित होगी क्योंकि ये गांव सिंचाई और पेयजल के लिए भी इस नदी पर निर्भर हैं। साथ ही, आंध्र प्रदेश की यह परियोजना गजपति जिले में खेतीयोग्य 1100 एकड़ भूमि को जलाप्लावित कर देगी और इससे 860 परिवार प्रभावित होंगे। यह मन्डसा से ऐतिहासिक महेन्द्रगिरी पहाड़ी को जोड़ने वाली सड़क के अलावा अकाडा, मनिकापटना, खंभगांव, डीमीरीगांव, बेन्डासाही और सन्कुडा गांवों में भूमि जलाप्लावित हो जायेगी।

उड़ीसा की ओर से एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित है। कैथापादर में महेन्द्र तनया नदी पर जलाशय के निर्माण से रायगदा ब्लॉक और परलाखेमुन्डी में बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। 100 करोड़ रुपए की यह परियोजना परलाखेमुन्डी कस्बे को पेयजल, भी उपलब्ध कराएगी और किसी गांव को जलाप्लावित भी नहीं करेगी। इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग से तकनीकी अनुमति मिल चुकी है और इसे जनजातीय कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और तटीय नदियों पर बांध का निर्माण करने का कोई एकतरफा निर्णय लेने से आन्ध्र प्रदेश सरकार को रोके।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। हमारे राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल तीन ऐसे राज्य हैं, जिनमें हमारे खैर ट्रीज़ होते हैं। इससे कत्था बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके काटने पर बैन लगा दिया। एक इम्पॉवर कमेटी बनाई गई, जिसने रिपोर्ट देनी थी और फारेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारे किसान, जमींदार लोग हैं, उनके अपने खैर ट्रीज़ हैं, लेकिन उनको काटने पर भी बैन लग गया। यह हमारी कैश क्रॉप है। एक काटो, तो चार पैदा होते हैं। अगर सात-आठ साल उन्हें न काटा जाए, तो वे डेड एंड ड्राई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल कर, खास तौर से जमींदारों पर से बैन समाप्त किया जाए, ताकि तीन राज्यों के जो किसान और जमींदार भूखे मर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में फसलें नहीं होती हैं, यही पेड़ हमारी फसलें हैं। इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एक काटते हैं, तो चार पैदा होते हैं। अगर उन्हें नहीं काटा गया, तो मदर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे।

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति महोदय, मैं भी अपने को चौधरी लाल सिंह के विषय में संबद्ध करता हूं।

प्रो० चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। रत्नागिरी एक्सप्रेस में 11 मार्च, 2008 को भयंकर लूटपाट हुई है। मैं लगातार रेल मंत्री जी का ध्यान गाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में आकृष्ट कराता रहा हूं। 11 मार्च की रात्रि में बनारस से मुंबई जाने वाली रत्नागिरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2166 में इलाहाबाद के पास शंकरपुर मजियारी स्टेशन के पास ट्रेन ड्राइवर के ऊपर फायरिंग करके गाड़ी रोकी गई और ए.सी. डिब्बे में भयंकर लूटपाट की गई जिसमें चार पुरुष और तीन महिलाओं के साथ मारपीट भी हुई और लगभग आठ लाख रुपए लूट कर ले गए। पांच महीनों में यह आठवीं घटना है। इसके पहले भी एक विदेशी वैज्ञानिक महिला के साथ वहीं पर लूटपाट हुई थी। रेलगाड़ियों की सुरक्षा के मामले में रेल मंत्रालय गंभीर लापरवाही कर रहा है। जबलपुर से सतना, माणिकपुर, इलाहाबाद तथा बांदा झांसी का ट्रेक अत्यंत असुरक्षित है। अत: इन ट्रेन मार्गों में लगातार घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन रेलवे विभाग कान में तेल डाल कर सो रहा है। श्री लालू जी रेल को विश्व की प्रथम रेल सेवा में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन रेल यात्रियों के साथ लूट, जहरखुरानी, बलात्कार, डकैती, मारपीट जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं। रेल मंत्रालय की विफलता की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं तथा दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के अधिकांश व्यक्ति मिलिट्री फोर्सिस में नौकरी करते हैं, चाहे सी.आर.पी.एफ. हो, बी.एस.एफ. हो, सी.आई.एस.एफ. हो। देश के सारी सीमाओं पर मिलिट्री फोर्सिस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार, बच्चे यहीं रहते हैं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो फोर्सिस के लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

हो सके, इसके लिए जनपद जालौन के माधवगढ़ तहसील में एक सैनिक विद्यालय खुलवाने की कृपा करें, जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय का ध्यान अपने जिले के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह गधुली-सन्ताईपुर सड़क के संबंध में है। राज्य सरकार ने गधुली-सन्ताईपुर सड़क के संबंध में है। राज्य सरकार ने गधुली-सन्ताईपुर सड़क के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव बहुत पहले बनाया था। यह सड़क रक्षा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। सरकार द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

इसलिए, गृह मंत्रालय से मेरी यह मांग है कि इस सड़क का निर्माण यथाशीघ्र किया जाए। इस सड़क पर एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत स्थल धोलावीर है। यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता है, तब भुज और धोलावीर के बीच दुरी 200 से भी अधिक कि.मी. कम हो जाएगी। यदि किसी को धोलावीर जाना होता है, तब उसे वाया रपड़ जाना पड़ता है। यह 250 कि.मी. से अधिक है। यदि वह इस मार्ग से जाता है, तो दूरी केवल 80 कि.मी. होगी।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क का निर्माण यथा संभव शीघ्रता से पूरा किया जाए। अन्यथा लागत में वृद्धि बहुत होगी। पिछले अनुमानों की तुलना में अब अनुमानों में वृद्धि हुई है। अतएव, मैं मांग करता हूं कि यह सड़क शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : श्री पी.एस. गढ़वी ने जो अभी कहा मैं अपने आपको उससे सहबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री के. फ्रांसिस जार्ज, आपका मामला सदन में पहले ही उठ चुका है और लीडर ऑफ दि हाउस और पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर रिप्लाई दे चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : परंतु मुझे नहीं बुलाया गया मैंने नोटिस दिया था पर मुझे नहीं बुलाया गया। मैं बात का उल्लेख करने में केवल एक मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : हम इस मामले को पुनः नहीं ले सकते। सभा में मामले को पुनः उठाने की कोई परंपरा नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मैं जानता हूं, तो मुझे भी बुलाया जाना चाहिए था। सभी दलों के सदस्यों को बुलाया गया था। केवल मुझे ही छोड़ दिया गया। अतएव, मुझे इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मैंने नोटिस दिया था तब सभा में नोटिस देने का क्या मतलब है? जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस नहीं दिया सभापति ने उन्हें बुलाया। मैंने समय पर नोटिस दिया परंतु मुझे नहीं बुलाया गया। अब आप भी मुझे अवसर देने से इंकार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : परंपरा तो परंपरा है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : सभा में इस पर चर्चा हुई और माननीय मंत्रीजी ने एक बंधा बंधाया कूटनीतिक विवरण सभा में पढ़ दिया। कल, विदेश राज्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास सीमित विकल्प हैं और श्री सरबजीत सिंह को छोड़ने के संबंध में हम पाकिस्तान सरकार से कुछ उदारता की आशा करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गलत पहचान का मामला है। सभा की भावना यह थी कि सरकार को इस मामले में पाकिस्तान सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। तभी हमें इस मामले में कुछ राहत मिलेगी। सरकार को पाकिस्तान में सत्ता में आ रही सरकार के साथ नए सिरे से बातचीत आरंभ करनी चाहिए।

मैं अनुरोध करूंगा कि समय की कमी को देखते हुए सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और श्री सरबजीत सिंह को मुक्त करवाना चाहिए। वह निर्दोष है और उनकी जान बचाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : सभापति महोदय, इस समय संपूर्ण देश में रसोई गैस की बहुत भारी किल्लत का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है। आज उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार किसी भी जिले में गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां लम्बी-लम्बी कतारें गैस वितरकों की दुकानों पर लगी रहती हैं।

सायं 7.00 बजे

शाम तक इंतजार करने के बाद भी उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है। जो व्यापारिक गतिविधियों में लगे लोग हैं, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। आज भी वाहन एलपीजी गैस से चल रहे हैं।

सभापति महोदय : आपकी केन्द्र सरकार से क्या मांग है?

श्री राजनरायन बुधौलिया : मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि रसोई गैस की मांग के अनुसार आपूर्ति होनी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 50 हजार रसोई गैस के सिलेंडरों की आवश्यकता है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, आपके संज्ञान में होगा कि करीब 20-22 वर्ष पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक गंगा सफाई अभियान प्रारंभ करवाया था। अब तक हजारों करोड़ रुपए इस अभियान पर खर्च हो चुके हैं। अभी हमारे साथी विजय सिंह जी बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक योजना गंगा एक्सप्रेस हाई-वे प्रस्तावित हुई है जो एक हजार किलोमीटर की और 30 हजार करोड़ रुपए की योजना है। गंगा नदी के किनारे एक्सप्रेस-वे को बनाया जाएगा। पहले से गंगा इतनी मैली है और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर रही है। मैंने भूतल परिवहन मंत्रालय की मीटिंग में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और बात भी की थी। उन्होंने कहा कि यह केवल पॉलिटिकल मूव है। प्रदूषण, पर्यावरण और अन्य दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए और उस समय जब उत्तर प्रदेश में ग्रैंड ट्रंक रोड है, एनएच 24 है जो दिल्ली-लखनऊ के बीच जाती है जिस का और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, फोर लेन का करवाया जा सकता है, फ्लाई ओवर बनाए जा सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी क्या मांग है?

श्री संतोष गंगवार : जो फटाईल लैंड है जिस में 2-3 फसलें उगाई जा सकती हैं, इसे बिना ध्यान में रखे और उस समय जब बीएचयू के साइंटिस्ट ने कहा है कि इसका कोई उपयोग नहीं है, जितने भी पर्यावरणविद हैं और भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, सब का मानना है कि इससे जल और प्रदूषित होगा और समस्या उत्पन्न होगी। मैं चाहता हूं कि इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और इसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करे और उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। मेरा मानना है कि कोई ऐसा काम न हो जिससे किसानों पर कोई आफत आए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : सभापति महोदय, शून्यकाल के वक्त आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा हाउस में रखना चाहता हूं। मैं विदर्भ से आता हूं जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है। दुर्भाग्य की बात है कि वह इलाका किसानों की आत्महत्या के बारे में मशहूर है। 6 जिलों अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुलढाना, वर्धा इको सरकार ने भी आइडेंटिफाई किया है। ये आत्महत्याग्रस्त किसानों के इलाके हैं। उनके लिए एक पैकेज भी दिया गया था।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को बजट के समय बोलने का मौका मिला होगा।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : यह बजट से अलग बात है। बजट कनक्लूड हो चुका है इसलिए इस बात को रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी बजट कनक्लूड नहीं हुआ है। वह स्टैंडिंग कमेटियों में चर्चा के लिए जा रहा है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : मैं इस बात को जानता हूं। मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि विदर्भ एक बैकवर्ड जिला है। वहां पूरी खेती वर्षा पर निर्भर है। बारिश ज्यादा होने पर फसल अच्छी होती है और कम बारिश होने पर फसल नहीं होती है। जो भी फसल आती है, उसका बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिलता है इसलिए किसान बैंकों या साहूकारों से कर्जा लेते हैं जिसे न चुकाने पर आत्महत्या करने के लिए विवश होते हैं। बजट में दो हैक्टेयर यानी पांच एकड़ तक का प्रावधान किया गया है। दूसरी, दुर्भाग्य की बात यह है कि विदर्भ में पांच हैक्टेयर से ज्यादा लोग यानी 67 परसेंट...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी मांग रखिए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : 67 परसेंट विदर्भ के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आत्महत्या का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा। हम सरकार के ध्यान में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो 5 एकड़ की लैंड सीलिंग लगाई है, विदर्भ के लिए कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए, हर किसान को कर्ज मुक्त करना चाहिए तभी आत्महत्याएं रुकेंगी।

सभापति महोदय : श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे और श्री हंसराज जी. अहीर इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : 'टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 मार्च 2008 के मुंबई संस्करण में यह सूचना दी गई है कि शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के माध्यम से पासपोर्ट रैकेट कार्य कर रहा है। देश भर में अनिवासी भारतीयों के आवेदनों के संबंध में पासपोर्ट जारी करने के लिए मामले में अनेक शिकायतें आई हैं। प्रत्येक राज्य में, खाड़ी देशों में और साथ ही अन्य अनेक देशों में जब भी पासपोर्ट जारी करने या इसका समय बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया जाता है, तब भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने की अनेक शिकायतें आती हैं। इसलिए, इसकी जांच की जाए और बेचारे अनिवासी भारतीय जो ऐसे दुर्दशा की स्थिति में है, उनकी ऐसे भ्रष्टाचार से रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करतर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान राज्य में वर्तमान में 23 माडा ब्लॉक्स और 11 माडा कलस्टर्स हैं। इन माडा कलस्टर्स और माडा एरियाज को जोड़ कर उनका विस्तार करने की जनजातीय मंत्री जी से मांग करता हूं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 212 गांवों का नाम प्रस्तावित किया है। इन्हें जोड़ कर उनकी आबादी करीब 15,72,386 बैठती है। कलस्टर एरियाज में चार ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन की 50 आबादी जनजाति लोगों की है। जो 212 गांव प्रस्तावित किए हैं उनकी आबादी भी 50 प्रसेंट से ऊपर है। मैं जनजातीय कार्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन जनजातीय क्षेत्रों में जो माडा कलस्टर का एरिया है, उसके साथ-साथ उपयोजना क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाए ताकि जनजातीय क्षेत्रों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पुन्नू लाल मोहले—उपस्थित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं अत्यन्त ही गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पटना जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां बीएसएनएल की लैंड लाइन और मोबाईल सेवा बिल्कुल ठप्प हो गई है। इससे इतनी परेशानी हो रही है कि आम लोग जो बीएसएनएल की लैंड लाइन या मोबाइल की सेवा ले रहे हैं, उनके द्वारा 15-20 बार प्रयास करने के बाद भी लाइन नहीं लगती है चाहे वे दिल्ली, पटना से लगाएं या देश के किसी भाग से लगाएं। लोग तंग आकर बीएसएनएल की लैंड लाइन और मोबाइल सेवा को कटवाना शुरू कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे घर की लैंड लाइन खराब थी। मैं चार दिन तक उसकी शिकायत करता रहा लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता है कि अधिकारी जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं और निजी कम्पनियों की मोबाइल और लैंड लाइन की सेवा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं लगता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। मेरे लाख बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

सभापति महोदय : आपकी क्या मांग है?

श्री राम कृपाल यादव : मैंने तीन दिन पहले माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था लेकिन मुझे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया और न ही ठोस कार्रवाई की गई है। इस व्यवसाय में बड़ी पूंजी लगी है और आपको इसके ऊपर विश्वास भी है लेकिन आज इस व्यवसाय को धक्का लग रहा है और आम लोगों को भी कठिनाई हो रही है। लोग फर्स्ट प्रैफ्रेंस सरकारी सेवा को ही देते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र दूरसंचार मंत्री हस्तक्षेप करें क्योंकि पटना, बिहार में बीएसएनएल के लैंड लाईन फोन बड़े पैमाने पर ठप्प हो गए हैं। मंत्री महोदय पटना सहित इसकी सेवा उपलब्ध कराने का काम करें। ऐसे अधिकारी जो इसमें इन्वाल्व हैं, हम मांग करते हैं कि उनकी जांच कराएं कि क्या वजह है कि लैंड लाईन सेवा ठप्प हो गई है? हमें इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब, शकील अहमद जी भी बिहार से हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आपने बिल्कुल सही कहा है कि राज्य मंत्री बिहार से हैं। इस मामले में कम से कम उनका ध्यान तो आकृष्ट हो जाए। मैं आपके माध्यम से उनको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप भी बिहार से आते हैं, आप भी पटना आते-जाते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप सरकार को कुछ निदेश दें ताकि तुरंत वहां मोबाइल सेवा ठीक हो सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, सिर्फ मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है बल्कि भारत के पांच मुख्य मंत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्राफ्ट नेशनल मिनिरल पॉलिसी 2007 को अंतिम रूप देने से पहले पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों, मेरी बहन वसुंधरा जी, श्री नवीन पटनायक, श्री मधु कोड़ा, श्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी को वचन दिया था कि इस पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में मिनरल पॉलिसी में सुधार करने के लिए जो संशोधन दिए गए हैं, उन पर विचार किया जाएगा। इस मिनरल पॉलिसी के लिए रचनात्मक सुझाव है, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार ड्राफ्ट नेशनल मिनिरल पॉलिसी 2007 को अंतिम रूप देने से पहले पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए हुए वचन को पूरा करे और पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को विश्वास में लें। मेरी बहन, राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिखे हैं, वह बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए आपने मुझे बोलने का मौका दिय इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करती हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।

श्री महावीर भगोरा : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : इसे पहले ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है। सभी संसद सदस्य इससे अनभिज्ञ हैं...*(व्यवधान)* हम नहीं जानते कि राष्ट्रीय नीति क्या है? अतएव, संसद की अनदेखी की गई है। हमें जानकारी नहीं दी गई है। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सदन के पटल पर रखवाएं? इसमें क्या गोपनीय है? सरकार ने इसे क्यों दबाया है? हम इससे सहमत हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसे तुरंत सभा पटल पर रखना चाहिए ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूं। 250-300 वर्ष पूर्व की बात है, पूज्य बाबा लखी शाह बंजारा इसी जगह रहते थे, इसी परिसर में रायसीना नायक बंजारों का तांडा था, बसेरा था। जब सिखों के नौंवे गुरू श्री तेग बहादुर जी का सिर चांदनी चौक में शहीद हुआ था तब इन्होंने उनका शव अपने घर लाकर अपना घर जला दिया था और अंतिम दाह संस्कार इसी जगह किया था। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ दाह संस्कार किया था इसलिए उनके सम्मान में गुरुद्वारा रकाब गंज में लखी शाह बंजारा के नाम से हॉल बनाया गया है। बाबा लखी शाह बंजारा ने शुद्ध पानी पिलाया, मध्य प्रदेश में सागर झील बनाई। मेरी मांग है कि जहां आज संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रेल भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय है, यह 500 एकड़ जमीन बाबा लखी शाह बंजारा की थी। मेरी मांग है कि यहां उनके स्मरण में परिसर में स्टेचु बनाया जाए, उनके स्टेचु के लिए जगह दी जाएं। उनके सम्मान में टिकट भी जारी होना चाहिए।

सभापति महोदय : इसके लिए स्टेचु कमेटी है।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : महोदय, उन्होंने अपने बेटों का बलिदान किया। 1857 की लड़ाई में अपने पांच बेटों को खोया है। मेरी मांग है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए।

डा. रतन सिंह अजनाला (तरनतारन) : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।

श्री महावीर भगोरा : मैं अपने आपको इस मामले से सहबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पी.सी. थामस, आप केवल एक मामला उठा सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मैंने दो विषय दिए हैं परंतु मैं इन दो मुद्दों में से केवल एक मुद्दा उठाऊंगा।

ऋण माफी के संबंध एक गंभीर समस्या देखी जा रही है। अनेक गरीब किसानों ने अखिरी मिनट में या 31 दिसम्बर, 2007 से पूर्व उसी वर्ष ब्याज की छोटी-छोटी राशि भेजी है। यह मजबूरी के कारण हो सकता है या केवल इसलिए कि बैंकों ने उन्हें कहा है कि ऐसा नहीं करने पर कुर्की हो जाएगी। उनमें से अनेक, जो साधन रहित हैं। उन्होंने बैंक में जाकर ब्याज की कुछ राशि जमा करा दी हैं। अब वे ईमानदार लोग ही रह गए हैं। उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने कोई राशि का भुगतान नहीं किया, ब्याज भी नहीं, केवल

[श्री पी.सी. थामस]

वही ऋणमाफी लाभ प्राप्ति की श्रेणी में आ रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। गरीब किसान जिन्होंने थोड़े से ब्याज भुगतान के लिए और ऋण लिया है। संभवत: वह उन्होंने सूदखोरों से लिया हो। अतएव उन्हें निश्चित रूप से भी शामिल किया जाना चाहिए। कम से कम जो लोग उसी वित्त वर्ष में आएं उन्हें तो अवश्य शामिल किया जाए।

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : महोदय, तमिलनाडु के धर्मपुरी और कृष्णगिरी जिले अनिवार्यत: अत्यधिक वर्षा विहीन जिले हैं। वहां पानी की बहुत कमी है और वर्ष भर पेयजल की कमी बनी रहती है। यहां तक कि उपलब्ध पेयजल में फ्लूराइड की मात्रा बहुत अधिक है। अतएव, केन्द्र सरकार कावेरी नदी जल पर आधारित स्थाई पेयजल योजना पर विचार कर रही थी। तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री डा. कलाइग्नार ने हाल ही में कावेरी नदी जल पर आधारित होगेनक्कल जल योजना की घोषणा की है कर्नाटक के अनेक राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति की है।

पिछले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय संसद सदस्य ने संसद में आपत्ति दर्ज कराई। इन सदस्यों के पास आपत्ति के तीन बिन्दु हैं। पहली बात उन्होंने यह कही कि कावेरी नदी से जल निकालना कावेरी जल विवाद अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कावेरी नदी पर बांध का निर्माण, किए गए समझौते के विरुद्ध है; केन्द्र को तथा अन्य पड़ोसी राज्यों को इस संबंध में सूचना दे दी जाए।

उन्होंने तीसरी बात यह कही की वर्तमान सिविल ढांचा कर्नाटक की सीमा में स्थापित होने जा रही है। कावेरी न्यायाधिकरण के आदेश में पेयजल के उद्देश्य से जल का उपयोग करने के कार्य को शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल सिंचाई के उद्देश्य से जल का उपयोग करने की व्यवस्था है। दूसरी बात यह कि यह कथन सत्य नहीं है कि तमिलनाडु बांध का निर्माण कर रहा है। तमिलनाडु कावेरी नदी पर कोई बांध नहीं बना रहा है। हम जल प्राप्त करने हेतु कतिपय कुओं की खुदाई कर रहे हैं। तीसरी बात भी सच नहीं है क्योंकि हम कर्नाटक की सीमा के अंदर कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक के कई राजनीतिक व्यक्ति होगेनक्कल आ रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मेरा केवल इतना ही अनुरोध है कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अत: मैं उनसे संवेदनशील रहकर इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। पेयजल मानवाधिकार है। अत: मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस मामले को नहीं उठाएं।

सभापति महोदय : श्री ई.जी. सुगावनम और श्री ए.वी. बेल्लारमिन भी इस मुद्दे से संबंधित हैं।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : मैं तमिलों के नेता श्री वैको के नेतृत्व वाली मारूमलारची द्रविड़ मुनैत्र करगम दल की ओर से बोल रहा हूं।

मैं केंद्र सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि श्रीलंका में तमिलों और श्रीलंका की सीमा के निकट मछुआरों की अंधाधुंध हत्या हो रही है। हमारे मछुआरों के अपनी सीमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रहने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार करके दूसरे देश में ले जाया जा रहा है। उन पर निर्दयतापूर्वक हमले हो रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है।

हाल ही में कच्छतीपु द्वीप के निकट हमला किया गया जबकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है। श्रीलंका की सरकार द्वारा जल में सुरंग बिछाई गई है जो नैतिकता के विरुद्ध है। यह न केवल मछुआरों बल्कि यात्रियों के लिए भी खतरे की बात है। श्रीलंका के लोगों के लिए खाद्य और औषधियों की आवश्यकता थी। इसे भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया था। जिसे पुन: बहाल किया जाना है। हम जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य और औषधियां भेजना चाहते हैं।

वहां, लगभग दस दिन पूर्व शिवन सेन, संसद सदस्य की हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार वहां चार संसद सदस्यों की हत्या की जा चुकी है। हमारी सरकार ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की है? सेना प्रमुख, श्री सरथ फोन्सेका भारत सरकार से कतिपय सैन्य सहमत देने की मांग लेकर भारत आये थे।

तमिल व्यक्तियों की हत्या के लिए वे जिम्मेवार रहे हैं लेकिन उनका भव्य स्वागत किया गया जिससे तमिलों का मन आहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि "हम तमिल विद्रोहियों को समाप्त करने हेतु भारत के ठोस समर्थन से अपने सैन्य हमलों में तेजी लायेंगे"... *(व्यवधान)* आजतक भारत सरकार द्वारा इसे नकारा नहीं किया गया है और न ही इसकी निंदा की गई है।

अत: मैं भारत सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि श्रीलंका को जिस रडार की आपूर्ति की गई है उसे वापिस लिया जाए और

तत्काल श्रीलंका के नस्लवादी शासन को किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता बंद की जाए और वहां रहने वाले तमिलों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी के वक्तव्य को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि जो केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री जी ने अपनी एक घोषणा में यहां पर हाउस में ही कहा था कि सभी जिलों के अंदर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है। ऐसा यहां अपने वक्तव्य में ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस उन्होंने कहा था। मैं उसी बात की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यह जो केन्द्रीय विद्यालय खोलने के जो इन्होंने नॉर्म्स बनाये हैं, उन नॉर्म्स को फुलफिल करने के बावजूद भी मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर जो राजसमंद जिला है, उस जिले के अंदर एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है और वह पूरा क्षेत्र आदिवासी और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके बावजूद भी वहां एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोलना यह सरकार की किस तरह की नीति है, वह समझ में नहीं आती। पूरे राजस्थान को भी अगर देखें तो इस वर्ष एक भी केन्द्रीय विद्यालय राजस्थान में नहीं दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस तरह का सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ न किया जाए और राजस्थान के उस पोर्शन को जहां पर आदिवासी क्षेत्र है, राजसमंद जिले में भी केन्द्रीय विद्यालय देने की कृपा करें।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मेरे क्षेत्र में से होते हुए जयपुर जाता है। उसमें 120 कि.मी. से 140 कि.मी. के बीच में बहुत जबर्दस्त दुर्घटनाएं घटित होती हैं। बहरोड़ जो एक उपखंड है, वहां चिकित्सा के सम्पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की अकाल मौत होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहरोड़ उपखंड में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए और वहां पर ब्लड स्टोरेज सुविधा और मिनी बैंक भी वहां स्थापित की जाए। यह प्रार्थना मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहूंगा। धन्यवाद।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस देश में कृषि उपज जो केसरी दाल है, इस केसरी दाल के उत्पादन तथा वितरण के विषय में केन्द्र सरकार ने जो कानून 1961 में बनाये थे, उसके अनुसार महाराष्ट्र में उस पर पाबंदी है। लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों में यह पाबंदी हटाई गई है जिनमें यह पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों के बारे में हम जानते हैं कि यहां पर केसरी दाल के उत्पादन व बिक्री पर पाबंदी नहीं है। गरीब लोगों के लिए सस्ती और कम लागत पर होने वाली इस दाल का उत्पादन विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा में बहुत अच्छा होता है। महाराष्ट्र में केसरी दाल पर पाबंदी हटाने के लिए क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार ने भी कोई प्रस्ताव भेजा है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी के चलते महाराष्ट्र के सीनियर वैज्ञानिक डा० शांतिलाल कोठारी जी पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके सारे प्वाइंट्स आ गये हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति जी, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पर लगी हुई पाबंदी हटाने के लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा में कालाहांडी जिले के थुम्मुल रामपुर और लालजीगढ़ प्रखंडों में स्वास्थ्य संबंधी बुनिआदी ढांचा बिल्कुल विफल हो चुका है जिससे मस्तिष्क (ब्रेन) मलेरिया के कारण मृत्यु हो रही है और यह महामारी का रूप ले लेता है। थुम्मुल रामपुर अस्पताल का रोगी वार्ड क्षतिग्रस्त हो चुका है और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु दिया गया वैन वहां आज भी है लेकिन इसने तत्काल वर्ष से कार्य करना बंद कर दिया है। इस वाहन की जगह एक नया मोबाइल मेडिकल वैन और एम्बुलेंस दिया जाना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्ति उपचार हेतु अस्पताल आ सकें। वहां जनजातीय वर्ग को बच्चों की मृत्यु मस्तिष्क (ब्रेन) मलेरिया के कारण हुई है। गत वर्ष अतिसार की महामारी फैली थी जिसने रायगढ़ और नवरंगपुर जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और यह नजदीक के जनजातीय केबीके क्षेत्र में भी फैला था। अतः मैं सरकार से केबीके क्षेत्र को विशेष मामला मानते हुए मलेरिया के उन्मूलन और जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु जिले

[श्री बिक्रम केशरी देव]

में तत्काल विशेष उद्देश्य वाले वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

धुम्मुल रामपुर प्रखंड अस्पताल में कोई स्टाफ क्वार्टर नहीं है। धुम्मुल रामपुर और लालजीगढ़ प्रखंड ही उड़ीसा के कालाहांडी जिले के आई.टी.डी.पी. प्रखंड हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि वर्ग III और IV कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारी हेतु क्वार्टर का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि वहां एक रक्त बैंक की भी स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति जी, देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार बुनकरी के क्षेत्र में है परंतु सरकार द्वारा उचित संरक्षण और प्रसारण नहीं मिलने के कारण यह क्षेत्र बदहाली का शिकार है। आर्थिक तंगी के कारण अधिकांश बुनकर अपना पुस्तैनी धंधा छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अभी तक दर्जनों बुनकर आत्महत्या कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक बुनकर परिवार ने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने दो साल के बेटे को ही बेच दिया। पिछले साल केन्द्र सरकार ने बुनकरों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, उसका लाभ सभी बुनकर परिवार नहीं उठा पाए क्योंकि गरीबी के चलते वे निर्धारित अंशदान करने में असमर्थ थे। किसानों का बैंक कर्ज माफ होने के बाद बुनकरों में भी यह आशा जगी कि सरकार उनकी बदहाली पर भी तरस खाएगी लेकिन बजट में कोई खास राहत नहीं दिये जाने से वे निराश हैं और मानसिक अवसाद की हालत में किसानों की तरह बुनकर भी कोई अप्रिय कदम उठा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बुनकरों के सभी तरह के कर्जे को माफ करे तथा उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान मीडिया अर्थात् लोकतंत्र के चौथे अंग के सदस्यों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करता हूं। समाचारपत्रों और न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तें श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 से शासित होती हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत समाचारपत्रों और न्यूज एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों के उपरांत एक श्रम बोर्ड गठित करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री के. नारायण कुरूप की अध्यक्षता में छठे श्रम बोर्ड का गठन किया है। इससे पहले वर्ष 1993 में पांचवें श्रम बोर्ड का गठन किया गया था लेकिन इसकी सिफारिशों को 2001 में क्रियान्वित किया गया। विद्यमान श्रम बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्षों का है। इस कार्यकाल के समाप्त होने तक पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों को वेतन वृद्धि हेतु इंतजार करना होगा। अतः उनकी मांग है कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। यह मांग सही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह मीन्डिया के पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिए जाने के मामले पर विचार करें।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट में लघु और सीमांत किसानों को ऋण से पूरी माफी दिए जाने हेतु जिस 60,314 करोड़ रुपए के कोश की घोषणा की गई थी उस संबंध में मिली जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इस संबंध में मैं चार बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहले महत्वपूर्ण बात इस छूट से भागीदारी की है। ऋण से पूरा छूट प्राप्त करने हेतु अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि की सीमा किसी प्रकार से सभी के लिए सहायक रहीं होगी। वर्षा सिंचित क्षेत्र में दो हैक्टेयर परती भूमि को सिंचित क्षेत्र के साथ मिलाकर नहीं देखा जा सकता है। अतः छूट का आधार कृषि भूमि भी उत्पादकता पर आधारित होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि केवल ऋण संस्थाओं से लिए गए ऋण को ही माफ करने की शर्त व्यवहारिक रूप से उपयुक्त नहीं है क्योंकि एक सामान्य अध्ययन से यह पता चला है कि देश के केवल 22 प्रतिशत किसानों ने संस्थागत ऋण प्राप्त किया है जबकि शेष अधिकांश किसानों ने यह ऋण स्थानीय कर्जदाताओं, पड़ोसियों और मित्रों से प्राप्त किया है। अतः इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

महोदय, तीसरी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसपर तत्काल और गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह एक मानी हुई बात है कि कृषक समुदाय के लगभग 35 प्रतिशत व्यक्ति भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं। वे फार्मों के कार्य पर निर्भर हैं। उसके लिए वे अपने स्वर्ण आभूषण, सामान आदि गिरवी रखते हैं और संस्थानों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। उन ऋणों को माफ किया जाए।

सभापति महोदय : इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

डा. टीकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय, पूर्वोत्तर भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति में खतरनाक ढंग से गिरावट आई है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्षेत्र में अनेक सशस्त्र उग्रवाही संगठन कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मंत्रियों और विधायकों के सरकारी बंगलों पर भी ग्रेनेडों और बमों से हमले किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में मणिपुर विधानसभा के अहाते में एक ग्रेनेड फेंका गया था। मणिपुर में कल लगभग सात और आज भी सात लोग मारे गए। स्थिति बहुत गंभीर तथा अनियंत्रित प्रतीत होती है और कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब इंसानों की इंसानों द्वारा हत्या की खबर न आए। आम आदमी और साथ ही साथ सुरक्षा कार्मिक भी समान रूप से असुरक्षित हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

मैं इस तथ्य से पूर्णतया अवगत हूं कि गृह के मामले राज्य का विषय है। फिर भी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को मूक दर्शन नहीं बने रहना चाहिए। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से, विशेष अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करके ऐसे राज्य को सभी संभव सहायता और समर्थन देना चाहिए ताकि ऐसी हत्याएं रोकी जा सकें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में एवियन इन्फ्लूएंजा विषाणु के अत्यधिक रोगपन्य एच 5 एन 1 किस्म का बर्ड फ्लू पुनः फैलने लगा है। इसके नमूने 6 मार्च को भोपाल प्रयोगशाला में भेजे गए और परीक्षण वे पॉजिटिव थे।

महोदय, इससे जनजातियों सहित मुर्गी पालकों के मध्य भय व्याप्त हो गया है, इसके फैलाव के प्रथम चरण में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, असम, बिहार, और झारखंड आदि पड़ोसी राज्यों में निवारक उपाय के रूप में लाखों पक्षियों को मारा गया है। भारत सरकार के आदेश से राज्य सरकार ने 3.9 मिलियन से अधिक चूजों ओर बत्तखों के पिछले माह अलग करके मारा गया है। इन क्षेत्रों की जनजातीय जनता सहित जनजातीय मुर्गीपालकों की भारी वित्तीय घाटा हुआ है और उनमें से कुछ बरबाद हो गए हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि ये चूजे और बत्तखें इन आदिवासियों के परिवार के सदस्यों जैसे हैं। पश्चिम बंगाल उड़ीसा और झारखंड के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी यह वायरस नहीं पाया गया। परंतु, सरकार ने निवारणात्मक उपाय के रूप में इन क्षेत्रों के सभी चूजों को मारने का निदेश दिया और इन लागों को कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं दी गई। जनजातीय लोगों की आय का एकमात्र स्रोत मुर्गी पालन ही है। परंतु भारत सरकार ने इन मुर्गी पालक किसानों और आदिवासियों को प्रतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान हीं किया है। भारत सरकार ने निदेश दिया है कि वे राज्यों को पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता के रूप में दी गई निधियों से काम चलाएं।

महोदय, यह एक सामान्य आदेश है और किसी भी पशु रोग के लिए है, राज्यों को निधियां केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। परंतु यह विशेष मामला ज्वलंत रूप में सामने आया है और बहुत सारी प्रतिपूर्ति राशि की आवश्यकता है। अतएव, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुर्गी पालक किसानों तथा आदिवासियों के लिए ऐसे प्रावधान न किए जाएं ताकि वे अपने कार्य को पुनर्जीवित कर सकें और ढंग से रह सकें।

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे विश्व की निकृष्टतम महामारियों में से एक कहा है। यू.एन. खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जारी रहनी चाहिए क्योंकि मानव के इसकी चपेट में आने की संभावना भी है। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित देखभाल करें और उन्हें सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उड़ीसा में जो डाक विभाग है, वहां चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का पद खाली हैं। यह हमारे प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां 8161 पोस्ट आफिस हैं ओर उनमें लगभग 25 हजार डाक कर्मचारी हैं। वहां पूरा कारोबार है। पिछले आठ महीने से यह पोस्ट खाली होने के कारण वेस्ट बंगाल के जी सीपीएमजी हैं, उन्हें दायित्व दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

सभापति महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है कि पिछले आठ महीने में दो ही बार वे उड़ीसा में आए हैं। सारी फाइलें उड़ीसा से बंगाल जा रही हैं, ब्रिटिशों के समय पर ऐसा होता था, कांग्रेस राज में दोबारा ऐसा कर दिया। दो सौ फाइलें ऐसी हैं, जो अपील फाइलें हैं नीचे के कर्मचारी के ऊपर जो फैसला होना है, जो सीपीएमजी को करना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। व्यवसाय मंदी में हो रहा है। कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और कई प्रकार के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए बजट में जो पैसा कर्मचारियों के लिए दिया जाता है, उनके क्वार्टर रिपेयर और वेलफेयर में कुछ पैसा खर्चा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने छोटे-छोटे सर्किल में सीपीएमजी दे दिया, श्री हान्डिक जी ने अपने यहां करवा लिया, लेकिन हमारे वहां नेगलेक्ट किया गया है। इसलिए जल्दी ही वहां सीपीएमजी की पोस्टिंग की जाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा कल 19 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 19 मार्च, 2008/29 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एल. राजगोपाल	261
2.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	262
3.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	263
4.	श्री निखिल कुमार श्री बृज किशोर त्रिपाठी	264
5.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	265
6.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री एस. अजय कुमार	266
7.	श्री रामदास आठवले श्री मनसुखभाई डी. वसावा	267
8.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	268
9.	श्री रेवती रमन सिंह	269
10.	श्री सुग्रीव सिंह श्री नन्द कुमार साय	270
11.	श्री पंकज चौधरी	271
12.	श्री रविचन्दन सिप्पीपाराई	272
13.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री वी.के. ठुम्मर	273
14.	श्री हरिसिंह चावड़ा	274
15.	श्री अजीत जोगी	275
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	276
17	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	277
18.	श्री रनेन बर्मन श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	278
19.	डा. एम. जगन्नाथ	279
20.	श्री महावीर भगोरा	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2639, 2663, 2689, 2690, 2717
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2571, 2637, 2679
3.	अहीर, श्री हंसराज ग.	2574, 2699
4.	अजय कुमार, श्री एस.	2643
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2557

1	2	3
6.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2572
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2615, 2670, 2692, 2704
8.	बर्मन, श्री हितेन	2662
9.	बर्मन, श्री रनेन	2614, 2668, 2679
10.	भगोरा, श्री महावीर	2640
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	2553, 2629, 2687
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2588, 2714, 2720
13.	बोस, श्री सुब्रत	2548
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2590
15.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2560, 2652
16.	चिन्ता मोहन, डा.	2582
17.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2587, 2718
18.	चौधरी, श्री अधीर	2583, 2644, 2682
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	2711, 2726
20.	धनराजु, डा. के.	2585
21.	धोत्रे, श्री संजय	2603, 2682
22.	दूबे, श्री रमेश	2572
23.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2577, 2707
24.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2546
25.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2717
26.	गमांग, श्री गिरिधर	2552
27.	गंगवार, श्री संतोष	2562, 2655, 2701

1	2	3
28.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2562, 2564, 2652
29.	हसन, चौ. मुनव्वर	2613, 2665
30.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2710
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	2594, 2596
32.	झा, श्री रघुनाथ	2578, 2648, 2691, 2729, 2731
33.	जिन्दल, श्री नवीन	2586
34.	जोगी, श्री अजीत	2638, 2680
35.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2599, 2657
36.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2544, 2610, 2620, 2667, 2696
37.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2537, 2616, 2666, 2698, 2700
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2539, 2615, 2642, 2654, 2701
39.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2604
40.	कृष्ण, श्री विजय	2612
41.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2593, 2653, 2698
42.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2551
43.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2598
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2582, 2701, 2713
45.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2610, 2664, 2726
46.	महतो, श्री नरहरि	2537
47.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2588
48.	महताब, श्री भर्तृहरि	2576, 2661
49.	महतो, श्री टेक लाल	2589

1	2	3
50.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2562, 2655, 2701
51.	मंडल, श्री सनत कुमार	2597, 2656
52.	माने, श्रीमती निवेदिता	2717
53.	मनोज, डा. के.एस.	2556
54.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2575, 2642
55.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2606
56.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2602, 2659
57.	मंडल, श्री अबु अयीश	2573
58.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2594, 2601, 2654, 2658
59.	नन्दी, श्री अमिताभ	2594, 2684
60.	नायक, श्री अनन्त	2568
61.	निखिल कुमार, श्री	2634, 2677
62.	ओराम, श्री जुएल	2716, 2722
63.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2540, 2618, 2675, 2698, 2730
64.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2541
65.	पण्डा, श्री प्रबोध	2565
66.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2538, 2566, 2617
67.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2534
68.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2563
69.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2561, 2627, 2652, 2705, 2723
70.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2605
71.	पटेल, श्री शिशुपाल एन.	2594

1	2	3
72.	पिंगले, श्री देविदास	2594
73.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2633
74.	राई, श्री नकुल दास	2625, 2673
75.	राजगोपाल, श्री एल.	2632, 2676, 2696
76.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2555
77.	रामदास, प्रो. एम.	2554
78.	राणा, श्री काशीराम	2633, 2651
79.	राव, श्री के.एस.	2535, 2647, 2684, 2727
80.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2570, 2646, 2725
81.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2591, 2649
82.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2542, 2595, 2619
83.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2550, 2623, 2672, 2693, 2703
84.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2584, 2630, 2683
85.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2595
86.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2592, 2715
87.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2608, 2721
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2651, 2679
89.	रिजीजू, श्री कीरेन	2538, 2566, 2595
90.	साय, श्री नन्द कुमार	2607, 2705, 2724, 2728
91.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2622, 2671, 2695
92.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2559, 2575, 2650, 2685
93.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2584, 2645, 2688, 2701, 2708

1	2	3
94.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	2611
95.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2594, 2654
96.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2639, 2663, 2689, 2690
97.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2554
98.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2547, 2621, 2669, 2697, 2706
99.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2579
100.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2635
101.	सिंह, श्री गणेश	2545, 2565, 2721
102.	सिंह, श्री मोहन	2569
103.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2549, 2628
104.	सिंह, श्री राकेश	2579, 2580
105.	सिंह, श्री रेवती रमन	2636, 2678
106.	सिंह, श्री सुग्रीव	2626, 2674, 2694, 2705
107.	सिंह, श्री सूरज	2567
108.	सिंह, श्री उदय	2698, 2712
109.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2624
110.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2533, 2536, 2543, 2552, 2631
111.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2603
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	2567, 2701, 2713
113.	थामस श्री पी.सी.	2592, 2719
114.	तुम्मर, श्री वी.के.	2563, 2571, 2637
115.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2538, 2566, 2617

1	2	3
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	*2595, 2660, 2686, 2699*
117.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2581, 2641
118.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2598, 2600
119.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2663, 2689, 2702, 2709
120.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2717
121.	यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद	2609
122.	यादव, श्री मित्रसेन	2558, 2696
123.	यादव, श्री राम कृपाल	2575, 2642, 2681
124.	यास्खी, श्री मधु गौड	2717

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	265, 270, 271, 273
पृथ्वी विज्ञान	
गृह	262, 264, 266, 267, 269, 274
मानव संसाधन विकास	261, 268, 272, 276, 277
सूचना और प्रसारण	275, 279, 280
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
खान	
संसदीय कार्य	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	263, 278.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	2547, 2565, 2567, 2572, 2573, 2581, 2585, 2587, 2591, 2592, 2598, 2603, 2607, 2616, 2620, 2621, 2627, 2632, 2633, 2637, 2638, 2640, 2642, 2645, 2646, 2653, 2660, 2666, 2674, 2676, 2681, 2689, 2693, 2702, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2727, 2730
पृथ्वी विज्ञान	2589, 2605
गृह	2533, 2536, 2539, 2540, 2542, 2543, 2544, 2549, 2553, 2554, 2555, 2556, 2559, 2566, 2569, 2578, 2582, 2583, 2594, 2595, 2599, 2604, 2609, 2611, 2613, 2614, 2615, 2619, 2622, 2628, 2629, 2634, 2643, 2648, 2650, 2654, 2655, 2656, 2658, 2671, 2677, 2678, 2679, 2685, 2688, 2701, 2717, 2724, 2726, 2728, 2729
मानव संसाधन विकास :	2534, 2538, 2546, 2551, 2557, 2558, 2562, 2563, 2564, 2570, 2574, 2575, 2579, 2580, 2590, 2593, 2597, 2601, 2602, 2606, 2608,

		2610, 2612, 2617, 2625, 2630, 2635, 2639, 2647, 2651, 2659, 2663, 2664, 2665, 2667, 2670, 2673, 2675, 2680, 2683, 2687, 2690, 2691, 2692, 2695, 2696, 2697, 2699. 2700, 2704, 2706, 2707, 2709, 2725, 2731
सूचना और प्रसारण		2541, 2545, 2571, 2577, 2586, 2596, 2618, 2623, 2644, 2649, 2657, 2669, 2682, 2698, 2703
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2550, 2560, 2561, 2588, 2624, 2626, 2652, 2672, 2694
खान		2535, 2552, 2631, 2661, 2684
संसदीय कार्य		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		2537, 2548, 2568, 2576, 2584, 2636, 2641, 2662, 2668, 2686, 2705, 2708.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/33/15/2008 (एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।